राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौथा दिवस   [संख्या : 4

गुरुवार

03 मार्च, 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्री जगदीश नारायण मीणा।

जमवारामगढ़ में माडा योजना में स्वीकृत कार्य

53. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2016 तक माडा योजनान्तर्गत कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में किस-किस प्रकार के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गईं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान माडा योजना में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य वर्तमान में पूर्ण कर लिये गये तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माडा योजना के तहत किस-किस ग्राम पंचायत/जिला परिषद से किस-किस कार्य हेतु प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये तथा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? मय सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में विकास कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री नन्दलाल मीणा): (1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी 2013 से लेकर जनवरी 2016 तक माडा योजनान्तर्गत कराये गये सी सी सड़क, सम्पर्क सड़क, पानी की टंकी, आदि कार्यों की ग्राम पंचायतवार जारी स्वीकृतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी 2013 से लेकर जनवरी 2016 तक कुल 80 कार्य स्वीकृत हुए हैं। उक्त स्वीकृत कार्यों में से 75 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1 कार्य प्रगतिरत है एवं 4 कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं। प्रगतिरत एवं प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजना के तहत ग्राम पंचायतों/जिला परिषद से विभाग को वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजनान्तर्गत आने वाले ग्रामों में विकास कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता, योजनान्तर्गत अनुमत होने पर कार्यों को स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर 1 ।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अब तक अस्सी कार्य स्वीकृत किये जाने की बात कही है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि खण्ड-3 में प्रश्न के जवाब में आपने बताया है कि "विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजना के तहत ग्राम पंचायतों/ जिला परिषदों से विभाग को वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।" माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरासर असत्य है। 58 प्रस्ताव 24 गांवों के अभी भी आपके विभाग में लम्बित हैं, विचाराधीन हैं। अधिकारियों ने जानबूझ कर इसको छिपाया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि चौबीस प्रस्ताव और वे प्रस्ताव भी 2014 के, जिनके ऊपर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है और फिर बताया जा रहा है कि विभाग को कोई प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुआ है। इन एक-एक प्रस्ताव की डिटेल, एक-एक प्रस्ताव की तारीख मेरे पास है।

(श्री जगदीश नारायण)

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें मंत्री महोदय की जानकारी तक पहुंचायी ही नहीं गयी हैं, मंत्री महोदय की जानकारी में ये चीजें आयी ही नहीं हैं, इसलिए मंत्री महोदय कृपया जवाब दें कि ये प्रस्ताव कहां चले गये? मेरे पास रिकार्ड है इसका।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माडा क्षेत्र में जिन-जिन प्रस्तावों को विभाग के पास उपलब्ध कराया जाता है, वे प्रस्ताव जिला परिषद के माध्यम से आते हैं। माननीय सदस्य का यह कहना है कि विभाग के पास प्रस्ताव हैं। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से यह है कि ये प्रस्ताव विभाग के पास नहीं हैं। फिर भी मैं इसको और दिखवा लूंगा और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उनके पास हैं तो उपलब्ध करा दें। जहां पर जिस किसी भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने इन प्रस्तावों को रोका है, राज्य सरकार तक प्राप्त होने के बीच में, मैं उस सम्बन्ध में जानकारी करके उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और यदि आप प्रस्ताव मुझे दे देंगे तो उसकी व्यवस्था कर दूंगा।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों की कापियां मैं माननीय मंत्री महोदय को आज ही दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): इसके अलावा मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने लापरवाही बरती है, इन तथ्यों को छिपाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आश्वासन दे दिया है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): अब मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब क्या बाकी रह गया है?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): मेरा दूसरा प्रश्न है, परिशिष्ट-ब में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया चार कार्यों के बारे में, जिनमें से तीन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं। उनमें से एक कार्य परिशिष्ट-ब पर नम्बर-2 पर बताया है, यह रिपोर्ट है 3.6.14 की और उसमें

(श्री जगदीश नारायण)

लिखा है कि फसल खड़ी होने के कारण रास्ते का सीमांकन नहीं हो पाया है। फसल कटने के पश्चात् सीमांकन करवाने के पश्चात् कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करवा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जमवारामगढ़ क्षेत्र में ऐसी कोई फसल नहीं है जो दो वर्षों तक कटने की स्थिति में नहीं आये और उसका सीमांकन ही नहीं हो। तो यह कौनसी फसल आ गयी है ऐसी जो अभी तक कट नहीं पायी और उसकी वजह से उसका सीमांकन नहीं हो पाया है? माननीय मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2013 से जनवरी 2016 तक अस्सी कामों की स्वीकृतियां जारी हुईं जिनमें एक कार्य जमीन विवाद की वजह से प्रारम्भ नहीं हुआ है; नीमला ग्राम पंचायत में एक काम जमीन विवाद की वजह से अपूर्ण है। यदि यह आपकी सूचना के अनुसार नहीं है तो मैं इसकी भी जांच करा लूंगा और जो काम प्रारम्भ हो सकते हैं, पहली बात तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि भूतपूर्व सरकार के समय में ये स्वीकृतियां हुई थीं। मुझे भी इस बात की शंका है, कल मैंने माननीय सदस्य से पूछा भी था कि क्या कारण हैं कि ये काम अधूरे रहे हैं; जिनकी मांग पर ये कार्य स्वीकृत हुए थे वे प्रारम्भ क्यों नहीं हुए। तो मुझे माननीय सदस्य भी संतुष्ट नहीं कर सके। परन्तु इन सब परिस्थितियों में यह शंका पैदा होती है। कुछ लोग पिछली सरकार के समय में, भूतपूर्व माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, उनके द्वारा ये कार्य स्वीकृत कराये गये थे। इसी तरह से माडा क्षेत्र में, खास करके, वे काम जिनकी आवश्यकता नहीं समझी जा सकती है, वर्तमान में उन कार्यों की भी स्वीकृति करवा करके पूर्ण नहीं किये गये हैं।

यदि काम अपूर्ण हैं, इनके बारे में जांच करवा करके, अगर वास्तव में नियमानुसार कार्य प्रारम्भ किये जा सकते हैं तो उनको प्रारम्भ किया जाएगा और जो निरस्त करने योग्य हैं उनको निरस्त किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः शकुन्तलाजी, यह जमवारामगढ़ के बारे में है। आप पूरक प्रश्न पूछना चाहती हैं। क्या पूछेंगी? जमवारामगढ़ के बारे में पूछेंगी तो मैं जवाब दिलवाऊंगा, नहीं तो नहीं दिलवाऊंगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बिलकुल। माननीय अध्यक्ष

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

महोदय, जैसा मंत्रीजी ने बताया। हम एक मीटिंग में गये थे, वहां माडा योजनान्तर्गत ही हमने देखा तो उन्होंने कहा कि इसके हमने भर रखे हैं और लगा भी रखे हैं ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव। तो उन्होंने यह कहा कि इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके मापदंड क्या हैं जो बार-बार हमारे पत्र वापस लौट कर आ रहे हैं? यह बात पूछना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, रेलेवेंट सवाल है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माडा क्षेत्र में जो मापदंड निर्धारित किये हैं भारत सरकार ने, वे ये हैं कि दस हजार तक की आबादी होगी, एक एरिया होना चाहिए और उसमें पचास प्रतिशत से ज्यादा ट्राइबल्स होने चाहिए। इन मापदंडों को आधार मान करके विभाग जो भी पैसा जिस मद में होता है उसके आधार पर स्वीकृतियां जारी करता है। माननीय सदस्या को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको कोई शंका है इस सम्बन्ध में, आप मुझे बता दें, आपकी शंका का समाधान होगा। परन्तु केवल, अध्यक्ष महोदय, जो मैंने दो वर्ष में देखा है, इस माडा क्षेत्र में सी सी रोड की बड़ी आवश्यकता होती है। सी सी रोड का मतलब अपने आप सी सी रोड है वह।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्री तरुण राय कागा, जनरल नहीं, जमवारामगढ़ के बारे में हो तो कीजिये, बाकी जवाब नहीं दिलावाऊंगा। बैठ जाइये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी माडा योजना के तहत मापदंड का ही जवाब चाह रहा था, जिसका जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: आ गया।

नेक्स्ट प्रश्न। श्री घनश्याम।

करौली जिले में फार्म पोंड के अनुदान की राशि में वृद्धि की योजना

54. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले में फार्म पोंड योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान की राशि 60,000 रुपये से घटाकर 52,500 रुपये कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री घनश्याम)

(2) क्या सरकार उक्त राशि को वापस बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। करौली जिले में फार्म पोंड योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान की राशि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 60,000 से घटाकर 52,500 रुपये कर दी गई है। यह योजना राज्य के समस्त जिलों में समान अनुदान प्रावधान के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशानुसार ही अनुदान दिया जा रहा है। चूंकि यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जो कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार ही संचालित की जाती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, करौली जिले में पहले ही किसान अकाल की चपेट में हैं। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले सदन में भी आश्वासन दिया था कि हम अनुदान की राशि बढ़ायेंगे। मुख्य मंत्रीजी की जल स्वावलंबन योजना है जो इसको साकार बनाती है। करौली जिले में फार्म पोंड किसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। इसी योजना में नहीं, इन्होंने किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब में कटौती की है। फव्वारा सेट में पहले 50 से 75 परसेंट अनुदान मिलता था, जो इन्होंने कटौती करके 35 और 45 कर दिया है। किसानों से दस-दस हजार रुपये लेकर अनुदान दिये जाते हैं। दूसरी बात, डी पी ई पी की जो फाइलें थीं, उनमें भी 70 से 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था, उनमें भी कटौती करके 45 और 35 का मापदण्ड रखा है। बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना जो किसानों की थी, उसमें 90 और 75 प्रतिशत अनुदान मिलता था, उसमें भी कटौती करके 35 प्रतिशत कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सवाल फार्म पोंड का है और बोल कहां रहे हैं। पूरे विभाग की चर्चा प्रारम्भ कर दी। पाइंटेड सवाल पूछो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह फार्म पोंड का ही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) कमियां गिना रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है! आपकी विफलताएं गिना रहे हैं तो तकलीफ हो रही है आपको!

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपको इस बात पर क्या तकलीफ हो रही है? किसानों से सम्बन्धित मुद्दा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप पाइंटेड सवाल करें। पूरा ओर्बिट खोल दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री तय करेंगे, क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते, या आप तय करेंगे, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: मैं ही तय कर रहा हूं। आप रेलेवेंट सवाल पूछिए और जो आपका सवाल है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): शेड नेट किसान लगाते थे, पोली हाउस लगाते थे। इसी फार्म पोंड के तहत ही योजना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग से नहीं है। किसानों से सम्बन्धित है। जब फार्म पोंड होंगे तो उसमें पोली योजना भी आयेगी, शेड नेट भी आयेगा। उसमें 90 प्रतिशत अनुदान सरकार देती थी, उसमें कटौती करके इन्होंने 50 परसेंट कर दिया है। यह किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने पूर्णत: किसानों का अहित किया है। किसानों के साथ जो अन्याय इस प्रदेश में हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। (व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य भी पूछना चाहते हैं। ये भाषण टेक रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके माननीय सदस्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आप भी बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। आपके सवाल का जवाब आ रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) यह योजना पंचायती राज विभाग की है। डी पी ई पी योजना इस विभाग की योजना ही नहीं है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में फार्म पोंड से सम्बन्धित विषय को उठाया और आपने यह भी जिक्र किया कि गत विधान सभा में भी आपने आश्वस्त किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कराना चाहूंगा, मैंने जरूर कहा था और यह भी कहा था कि करौली जिले में जो फार्म पोंड के पैसे नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि इनकी सरकार के वक्त में इन्होंने 422 फार्म पोंड के आवेदन प्राप्त किये थे और उस वक्त लगभग 241 फार्म पोंड के भौतिक सत्यापन हमारे द्वारा कराये गये थे, 181 का भुगतान हमारे द्वारा किया गया था, जो कि इनकी लायबिलिटी थी। इसके बाद 221 का भुगतान 2014-15 में करके, 20 व्यक्ति मात्र ऐसे रहे जो अपात्र पाये गये थे, उनका भुगतान नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब्सिडी का प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उपक्रम नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अन्तर्गत 14 जुलाई, 2014 को एक गाइडलाइंस जारी हुई और गाइडलाइंस में पूरे भारत देश के लिए फार्म पोंड की एक नीति तय कर दी और तय करके उसमें यह कहा गया कि यदि समतल भूमि पर कोई भी व्यक्ति फार्म पोंड निर्माण करेगा तो ऐसे व्यक्ति को 52,500 रुपये का अनुदान, 1 लाख 5 हजार का आधा, 52,500 रुपये का भुगतान किया जायेगा। यदि पहाड़ी क्षेत्र में कोई इसका निर्माण करेगा तो ऐसे 90 हजार रुपये प्रति फार्म पोंड के हिसाब से, 20x20x3 स्क्वायर मीटर का यदि कोई निर्माण करेगा, 1,200 स्क्वायर मीटर का, तो उसको भुगतान होगा। प्लास्टिंक लाइनिंग के माध्यम से यदि उसी नाप में कोई काम करेगा, उसको 75 हजार रुपये तक का अनुदान देने के प्रावधान किये गये हैं।

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों जैसे मुद्दे पर, मैं समझता अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप उचित नहीं हैं।

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि 2014 में पंचायती राज विभाग के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा नरेगा में कन्वर्जन करके हम लोगों ने फार्म पोंड को, डिग्गी को, होज को, खेत तलाई को, सभी को नरेगा में जोड़ दिया था और जोड़ने के बाद में, उसकी लागत प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपये तक उसको मिल सकती है। यदि निर्धारित नार्म्स के अलावा भी वह फार्म पोंड और डिग्गी का काम करता है तो उसको नरेगा योजना से पृथक से श्रम मद का 100 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। इसके

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अलावा, विभाग के 52,500 रुपये जो हैं उसका किसान मैटेरियल के रूप में, या खुदाई में, किसी भी मशीनरी के रूप में उसका प्रयोग करेगा, ऐसे प्रावधान उसमें कर दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। इतना बढ़िया जवाब आ गया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती का जवाब तो इन्होंने दिया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, प्रति किसान से 10-10 हजार रुपये लेकर वे फाइलें सैंक्शन की हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रीजी से मिला हूं। 10-10 हजार रुपये देकर फाइले पास कराई हैं, ऐसे नहीं कराईं। मंत्री की नोलेज में है ये बातें। जिन किसानों ने 10-10 हजार रुपये नहीं दिये, उनकी फाइलें आज तक सैंक्शन नहीं हुईं। यह इनकी नोलेज में है, संज्ञान में है।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं, करौली जिले के किसान ने आज बीज भी हाथ में नहीं लिया; फसल पूरी तरह है नहीं। एक तरफ आप किसानों की योजना में कटौती कर रहे हो और सरकार कहती है, हम जल स्वावलंबन अभियान चला रहे हैं। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन को ....

श्री अध्यक्ष: आप सीमित रखिए। अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह फार्म पोंड योजना मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत आती है। फार्म पोंड का निर्माण करते हैं, पीने के काम भी आता है, फसल के काम में भी आता है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करो। सवाल करो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं कि फार्म पोंडों के टारगेट ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये तो भाषण दे रहे हैं, प्रश्न तो है नहीं इनके पास, केवल भाषण दे रहे हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप विराजें, साहब। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के फार्म पोंड का अनुदान एक-एक लाख रुपया किया जाये। इसके साथ-साथ, उनकी सफाई के लिये 25 से 30 हजार रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था की जाये और इसके साथ फार्म पोंडों का टारगेट बढ़ाया जाये। पिछली सरकार में जब हम टारगेट देते थे, 5,000 से ऊपर आते थे, अब टारगेट घटा दिये गये हैं।

इस तरह किसान विरोधी काम करने से काम नहीं चलेगा। दो साल

(श्री घनश्याम)

से यह सरकार सत्ता में आई है, तब से इन्होंने किसानों के हितों में कटौती की है।

श्री अध्यक्ष: अब बैठिए, इधर-उधर मत जाइए। माननीय मंत्री महोदय, सवाल से इधर-उधर मत जाइए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है, माननीय सदस्य मूल प्रश्न से भटक कर दायीं बायीं ...(व्यवधान) आप सुनिए। आपको दुबारा मौका ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) मंत्रीजी, किसानों के अलावा कोई बात मैंने कही हो तो बताइए। किसानों से सम्बन्धित मामला है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): घनश्यामजी, आप बैठो, मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, आप बैठिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): किसानों से सम्बन्धित मामला है।

श्री मदन राठौड (उप मुख्य सचेतक): लेकिन मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर तो सबको सुनना है। केवल आपको ही नहीं सुनना है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) मैडम, आप तो बैठो। आप पानी की व्यवस्था को संभालिए, कृषि की बात मत करो। राजस्थान की जनता प्यासी मर रही है। आप तो शांत रहो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये अक्षम हैं क्या जो आप बार-बार खड़े हो रहे हो? मंत्रीजी सक्षम हैं, आप उनको असक्षम क्यों बना रहे हों?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप भी तो बार-बार खड़े हो रहे हो। आप बैठिए, मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता, माननीय सदस्य विषय को गम्भीरता से लेते ...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): किसानों के हित में काम करोगे तो जनता जानेगी आपको।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक

(श्री प्रभू लाल सैनी)

किसानों की बात है, पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हैं, 2010 में राजस्थान में मौसम आधारित फसल बीमा योजना आपके वक्त में लागू हुई। 5 सालों में एक रुपया भी इनकी सरकार के द्वारा किसान को अधिक दिया हो। आज मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, 1,188 करोड़ रुपये 2015-16 में हमने किसानों के खातों में भेजने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों के प्रति....। हमने कहा है कि नरेगा योजना में जो प्रावधान हैं, माननीय सदस्य इसको पढ़ लेते तो शायद यह प्रश्न नहीं करते। अच्छा होता, किसानों को जाकर योजना के बारे में बताते, और अब भी मौका है। नरेगा योजना में कन्वर्जन का जो विषय है...

श्री रमेश (सपोटरा): ज्यादा पैसे दे दिये, इसलिए 60 किसान मर गये। ज्यादा पैसे दे दिये आपने, इसलिए मर गये वे। आत्महत्या कर ली उन लोगों ने।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, राजस्थान में करौली जिले में नादौती में सबसे ज्यादा फार्म पोंड की स्वीकृतियां हुई हैं; पूरे राजस्थान में अकेले करौली में नादौती में।

मैं आपको बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कुल 547 ऐसे आवेदन थे जो आनलाइन आवेदन होता है, आनलाइन पेमेंट होता है। यह दस हजार रुपये कहां दिये, इनको पता। मैं सदन को कहना चाहता हूं, किसी भी अधिकारी के बारे में ये शपथ-पत्र देकर मुझे कह दें कि फलां-फलां अधिकारी ने लिये तो मैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ, कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, क्रिमिनल कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए पूरा।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): देखिए, माननीय सदस्य, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, आप सरकार के ध्यान में ऐसा विषय लायें जिन्होंने ऐसा किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ऐसा होता तो 547 फार्म पोंड के आवेदन 2015-16 में नादौती से प्राप्त हुए, 530 मापदंड-युक्त पाये गये। प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने जारी कर दी हैं। 17 पत्रावलियां ऐसी थीं जो

(श्री प्रभू लाल सैनी)

नार्म्स में नहीं आ रही थीं, उनको निरस्त किया गया है। फरवरी में ढाई सौ लोगों का भुगतान आनलाइन सभी किसानों को कर दिया गया है। शेष 280 किसान हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कार्य पूरा होने पर तत्काल करा दिया जाएगा।

मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा जो भी देरी हुई होगी, जब पिछले सत्र की बातें हुईं, वे चूंकि दिशा-निर्देश भारत सरकार के नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक मंशा भारत सरकार की भी है, राज्य सरकार भी है और हम सब मिलकर, यहां भाषण देने से किसान का कभी भला नहीं होगा, मेरी प्रार्थना है सब से हम मिलकर यह प्रयास करें। सरकारी योजनाओं का लाभ उनको तब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमारे सभी जन-प्रतिनिधि मिलकर योजनाएं किसान के गांव तक, खेत तक, वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरी यही अपील है, आपके माध्यम से मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं, किसान हित में जो भी अच्छा होगा, राजस्थान की सरकार करेगी।

आपने यह भी जिक्र किया है कि पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस पर सब्सिडी कम हुई है। निश्चित रूप से भारत सरकार का फंडिंग पैटर्न बदला था। बदलने से ऐसी कुछ नई योजनाएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो एक ऐसी योजना है जिसमें नवाचार के क्षेत्र में कोई भी योजना को सम्मिलित किया जाता है, उसी के आधार पर दो नई योजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ले के किसानों के खेत तक सिंचाई पहुंचे, यह योजना लेकर आये थे; एक परम्परागत खेती योजना लेकर आये थे।

जहां तक ग्रीन हाउस, पोली हाउस सब्सिडी का मामला है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, अभी माननीया मुख्य मंत्री जी ने फार्म हाउस और पोली हाउस, जो भी काश्तकार राजस्थान में पिछली सरकार से अब तक जो भी कर रहे हैं, उन किसानों के लिए 24 लाख रुपये तक प्लांटिंग मैटेरियल, उनके लेबर का पैसा, खुद काश्तकार जो करेगा उसका पैसा, खाद और बीज, सबका पैसा सरकार ने 12 लाख रुपये अनुदान देने की मुख्य मंत्रीजी ने अभी घोषणा की है। इसलिए यह सरकार किसानों के ग्रीन हाउस, पाली हाउस, नेट हाउस, इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ के किसानों को लाभ देना चाहती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न ।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोशीजी को ए.पी.ओ. कर दिया और वापस उसी पोस्ट पर लगा दिया।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठिये आप। अंकित नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: सुखरामजी, आप पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जालौर जिले में मिटियाली जमीन है।

श्री अध्यक्ष: जालौर का नहीं है, यह करौली का है।

श्री दर्शन सिंह।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्म पोंड के मामले में पहले वहां एक जोशीजी थे अधिकारी, तो मंत्रीजी महोदय ने पहले उनको सस्पेंड करके ए.पी.ओ. कर दिया था। अब पुन: एक महीने बाद उन्हें वापस करौली लगा दिया कृषि विभाग में ही। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटाएं। क्योंकि आपने ही पहले विधान सभा में कहा था और आपने ही उनको हटाया था, मंत्री महोदय, और पंद्रह दिन में उस अधिकारी को करौली लगा दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि या तो उस अधिकारी को हटाएं।

और करौली में कृषि विश्वविद्यालय भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खोला जावे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, निवेदन पहुंच गया। आप जवाब दे दें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर करौली को ए.पी.ओ. करने का प्रश्न था, चूंकि यह विषय विधान सभा में माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया था और मामले की प्राथमिक स्थिति को देखते हुए उसको अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर किया गया था। लेकिन अब जब उसकी जांच कराई पूरे प्रकरण की, तो जांच कराने पर पाया गया कि जिन किसानों ने फार्म पोंडस बनाएं, वे मार्च, अप्रैल और मई में बनाए जबकि गाइडलाइंस जुलाई में जारी हुई थीं। इसलिए अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि साहब मेरी गाइडलाइंस ही जब जुलाई में हो रही हैं, तो मई-जून में जिन्होंने निर्माण किया, मैं उनका कैसे भुगतान कर सकता था? इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए उसको वापस पदस्थापन किया गया था। यदि शिकायत अब भी कोई प्रमाणित मिलती है तो निश्चित रूप से मैं कार्रवाई करने का आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, करौली और सवाई माधोपुर जिले में जो अनुदान कम हुआ है, पहले इनको डांग विकास में मानकर के समतल को, इनको अलग-अलग करने से यह समस्या हुई है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि पहले से 60 हजार रुपये मिलता था, उस गाइडलाइंस में यह डांग के हिसाब से मिलता था। उसको समतल करने से कम हुआ। तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में एक बार जो है इस पर विचार किया जाए कि इन जिलों में अनुदान पूरा मिले।

दूसरा एक और अनुरोध मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जब रेवड़ियां बांटी थीं तो हमारे करीब आठ सौ किसानों का फार्म पोंड का पैसा उस समय का इनकी रेवड़ियों के कारण अटका हुआ है। मंत्री महोदय, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने सवाई माधोपुर जिले का भी प्रश्न उठाया...

श्री अध्यक्ष: आप तो करौली का दीजिए जवाब।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): यह तो माधोपुर का देना पड़ेगा। वे माधोपुर का पूछ रहे हैं।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): करौली, सवाई माधोपुर, दोनों का इन्होंने बिना मापदंड के मुंह से कह दिया, अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि खोद लो। वह किसान घूम रहा है। उसके पास कोई कागज नहीं है। उसने फार्म पोंड खोद लिया। इन्होंने उस समय चुनावी वादे करके आदेश दिये थे, उसके बारे में।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। आप इसका जवाब देंगे क्या?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): दूंगा ना, सर। क्यों नहीं दूंगा?

श्री अध्यक्ष: दे दीजिए। दे दीजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012-13, 2013-14, हमारी सरकार के आने से पहले, इनकी सरकार के वक्त में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, बिना वित्तीय स्वीकृति के, सवाई माधोपुर में साढ़े चार सौ के और करौली में चार सौ बावन के लगभग ऐसे फार्म पोंड्स का निर्माण किसानों के द्वारा कर लिया गया था। उसकी एक कमेटी का गठन भी मेरे द्वारा किया गया था। मैंने उसका परीक्षण भी कराया है। मैं सवाई माधोपुर और इन

(श्री प्रभू लाल सैनी)

प्रकरणों के बारे में मेरी भी भावना यह है कि किसान को पैसा मिलना चाहिए है, लेकिन तकनीकी कुछ ऐसे कारण बन गये कि दिशा-निर्देश, और योजना जब बाद में शुरू होती है और उसके पहले ही कोई चीज बन जाती है, तो किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद किया जाता है जब वह स्वीकृत हो जाती है। फिर भी ऐसे सारे प्रकरणों को एक बार मैं उच्च स्तरीय, वित विभाग के साथ में, एक कमेटी का गठन करके, हम कोशिश करेंगे कि फार्मर्स को हम किस प्रकार सहायता दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे।

नेक्स्ट। श्री गौतम कुमार।

बड़ी सादड़ी में खेल स्टेडियम का निर्माण

55. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु बड़ी सादड़ी एवं डूंगला के खेल मैदानों पर स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राजीव गांधी खेल अभियान के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में राज्य के समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर इण्डोर एवं आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण कराये जाने की योजना है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: कोई पूरक प्रश्न करेंगे आप? बहुत पर्याप्त जवाब आ गया है।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): नहीं, अभी जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आया है?

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): राजस्थान स्टेट पालिसी बनी थी 2011 में, उसके मुख्य उद्देश्यों में बताया था, इसमें लिखा है साफ, आधारभूत सुविधाओं-युक्त एक स्तरीय खेल मैदानों की बात इसमें लिखी थी, इसके

(श्री गोतम कुमार)

अन्तर्गत अभी तक कितने खेल मैदान बने हैं? मैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 की पालिसी की डिटेल्स मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उपलब्ध करा देना आप। उपलब्ध करा देंगे आपको।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): एक मिनट, एक और प्रश्न है। पिछले बजट में 19 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया था खेल मैदानों के लिए। इस राशि से कितने ब्लाकों में अभी तक खेल मैदानों का विकास किया है? अब कब तक अपने बड़ी सादड़ी और डूंगला ब्लाक में जो खेल मैदान हैं, उनका विकास हो जाएगा?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि मैंने आपको जो जवाब दिया है, राजीव गांधी खेल अभियान के बारे में अगर आप जानना चाहे, जो आप मूल प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में आप जानना चाहें, तो मैं आपको विस्तृत जानकारी दे सकता हूं। आप जो चाह रहे हैं कि आपके गांव में, पंचायतों में और पंचायत समिति हैडक्वार्टर में जो बने, पिछले जो काम हुए थे, उनकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दे देंगे।

पूरक प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से केवल दो ही बात पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह तो यहां का है मामला। आप कहां से पूछेंगे?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): यहीं का, अभी इन्होंने कहा कि प्रदेश में गाइडलाइन्स इनकी जारी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रदेश पर आ गये। विराजिए। विराजिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं मंत्रीजी से...

श्री अध्यक्ष: बड़ी सादड़ी से है तो...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): इतना-सा पूछना चाहूंगा, सभी माननीय सदस्यों को आप गाइडलाइन्स के बारे में बता देंगे, अगर ब्लाक मुख्यालय पर खेल मैदान बनना है उसकी गाइडलाइन्स क्या रहेंगी? इतनी-सी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष: आ जाएगी, गाइडलाइन्स आ जाएंगी।

शंकरसिंहजी राजपुरोहित। यह केवल बड़ी सादड़ी का सवाल है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं बड़ी सादड़ी का ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बड़ी सादड़ी का है, पूछिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): वह आपका इलाका रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी में, राजस्थान में और भी स्टेडियम के लिए आपने दस लाख रुपये एम एल ए लेड से मंगवाये, हम सबने दे दिये, बड़ी सादड़ी में भी दे दिये। अब खेल विभाग के द्वारा स्वीकृत राशि, आपका विभाग तो कह रहा है, हुई है लेकिन वह बड़ी सादड़ी में पहुंची नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जोड़ लिया।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर भी मैचिंग फंड विधायक लोगों ने जमा कराये हैं, उसका मैचिंग फंड हम तुरन्त रिलीज कर देंगे, कोई भी विधान सभा क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मंत्री महोदय,..

श्री अध्यक्ष: आप इधर-उधर मत होना।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आपने कहा कि ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से नरेगा के तहत खेल स्टेडियम के प्रस्ताव आपके विभाग द्वारा मांगे जा रहे हैं, या ग्राम पंचायत के माध्यम से आ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: चलो बैठो, आ जाएगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जिक्र किया था, वह था खेल मैदान पंचायतों के अन्दर जो महानरेगा से होगा, यह इश्यू जो है, जहां भी गांवों में खेल मैदान हैं वे अक्सर स्कूलों के हैं। हमारे स्पोर्टस विभाग के कोई मैदान नहीं हैं। तो महानरेगा से जो कार्य होगा, यह पंचायती राज का डोमेन है और कहां-कहां ये हैं, यह शिक्षा विभाग का डोमेन है।

श्री अध्यक्ष: चलो, ठीक है।

श्रीमती अमृता मेघवाल।

जालौर जिले में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत निर्मित सड़कों में अनियमितता

56. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में वर्ष 2010 से 2015 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कें सभी मानदण्डों के अनुरूप बनाई गई हैं? उक्त बनाई गई सड़कों में से कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? सड़कवार, गारंटी अवधि सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कें किस ठेकेदार द्वारा बनाई गईं तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की जांच किस एजेंसी से करवाई गई? ठेकेदार के नाम सहित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की पुन: मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में वर्ष 2010 से 2015 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कुल 56 सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त सभी 56 सड़कों का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कराया गया है। इन सड़कों में से पांथेड़ी, पोषाणा सड़क किमी. 7 से कोमता सड़क पर निर्मित रपट वर्ष 2015 में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा वर्तमान में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जालौर में निर्मित सड़कों के ठेकेदारों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उनमें से उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर रपट का निर्माण मैसर्स जैन कन्स्ट्रक्शन बाड़मेर द्वारा कराया गया था तथा कार्य संतोषप्रद किया गया था, परन्तु वर्ष 2015 में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ के कारण रपट क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह सड़क संवेदक की गारंटी अवधि में है तथा वर्तमान में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। उक्त सड़क की जांच स्टेट

(श्री युनुस खान)

क्वालिटी मानिटर (एस.क्यू.एम.) द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। उपरोक्त सड़क पर क्षतिग्रस्त हुई रपट की मरम्मत का कार्य संवेदक द्वारा कराया जा रहा है तथा 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण करा दिया जाएगा।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न हो गया।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चलिये। नेक्स्ट। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर में परम्परागत जल स्रोतों का संरक्षण

57. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान आरम्भ किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अभियान के तहत प्रदेश के समस्त सरकारी स्वामित्व के भवनों में वर्षा जल संरक्षण एवं वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण संरचना का निर्माण अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त अभियान के अन्तर्गत पुराने परम्परागत वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के भराव क्षेत्र और नहरों के अवैध अतिक्रमण, अवैध सीवरेज कनेक्शन, आदि को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु जोधपुर के ऐसे कितने तालाबों, बावड़ियों व कुओं का चयन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

एक माननीय सदस्य: ये भी धन्यवाद देंगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद मंत्रीजी को दीजिए। नेक्स्ट। श्री संजीव कुमार।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप किसका दे रहे हों?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सूर्यकान्ता जी का।

श्री अध्यक्ष: सूर्यकान्ताजी तो कह रही हैं, धन्यवाद देकर बैठ गईं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, उसने तो धन्यवाद दे दिया।

श्री अध्यक्ष: आप धन्यवाद दे रही हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं नहीं, मैं धन्यवाद तो बाद में दूंगी। मैं जवाब से संतुष्ट होऊंगी तो धन्यवाद दूंगी।

श्री अध्यक्ष: चलिये, आप जवाब दीजिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान आरम्भ किया गया है।

जी नहीं। उक्त अभियान के तहत प्रदेश के समस्त सरकारी स्वामित्व के भवनों में वर्षा जल संरक्षण एवं वर्षा जल से भू-जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण अनिवार्य नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। पृथक से पुराने परम्परागत वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के भराव क्षेत्र और नहरों के अवैध अतिक्रमण, अवैध सीवरेज कनेक्शन को हटाने का कोई प्रावधान अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

जोधपुर शहर में कोई तालाब, बावड़ी, कुएं का चयन अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि अभियान शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है।

अभियान के अन्तर्गत चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में डी पी आर के अनुसार पुराने परम्परागत वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के भराव क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, जीजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे को यह जवाब दिया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान आरम्भ किया गया है। जी नहीं। उक्त अभियान के तहत प्रदेश के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

समस्त सरकारी स्वामित्व के भवनों में..., तो भवन जिसके सरकारी हैं वहां पर पानी रहने का या पानी करने का मना है क्या? इनके जवाब से मैं कोई संतुष्ट नहीं हुई हूं। मेरे को यह क्या जवाब दिया है? मेरा जवाब इतना महत्वपूर्ण है, इसमें पानी के लिए जवाब है, शहर के लोग पानी नहीं पीना चाहेंगे क्या? मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि शहर के लोगों को पानी नहीं चाहिए क्या? हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री सदन की नेता और धौलपुर की महारानी हैं, उनका सोच यहां तक ही सीमित नहीं है। उनका सोच बहुत व्यापक है कि हर व्यक्ति को पानी मिले, चौपड़ी तक पानी मिले। कहीं शहर के अन्दर कोई कच्ची बस्तियां नहीं है, या नहीं हैं? यह क्या जवाब दे दिया मुझे? जवाब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसका इनको क्या बताऊं, बताओ आप।

श्री अध्यक्ष: ये बताएंगे अभी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): दूसरा भी मैं अभी आपके सामने कह दूं। जी नहीं। पृथक से पुराने परम्परागत, जल स्रोत पुराने परम्परागत हैं, उनके भरने के लिए अतिक्रमण और अवैध सीवरेज, अवैध अगर वहां पर हैं, तो मैं यह बात वर्षों से कह रही हूं, राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया मगर इन्होंने अपनी कोई सोच नहीं रखी। सदन की नेता ने कितनी बढ़िया सोच रखी। इन्होंने कोई रचना नहीं बनाई है, इन्होंने अभियान चलाया है। एक अभियान के अन्दर अगर आपने शहर को नहीं लिया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहूंगी और सदन की नेता से निवेदन करूं कि शहरों को भी लिया जाए। शहरों के अन्दर पानी नहीं चाहिए?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को और सदन को बताना चाहूंगी कि महाराजा उम्मेद सिंहजी ने जब जोहीं बांध बनाया था तो यह सोचकर थोड़े बनाया था कि खाली जोधपुर की जनता ही पानी पियेगी या कायलाना है तो कायलाना से गांव में पानी नहीं जाएगा। सदन की नेता की यह सोच नहीं है। इनको अधिकारी लोग ऐसे जवाब दिलवा देते हैं और मंत्री लोग हमें ऐसा जवाब दे देते हैं। मैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं।

फिर भी आप यह कह रहे हैं कि शहर को नहीं लिया गया है, तो मैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

यह चाहूंगी कि अगले समय इस शहरों को लिया जाए, क्योंकि शहरों के अन्दर, इस समय, राजा-महाराजाओं ने कुआं, बावड़ियां बनाई हैं। बाईजी का तालाब आज गंदगी से भरा हुआ है। तो आज यह फैसला करो कि वह कब तक साफ हो जाएगा। जब मैं 72 से इस बात को उठा रही हूं तो अब तो मेरा खुद का ही एंड आने वाला है। क्या मालूम, कब चली जाऊं।

श्री अध्यक्ष: नहीं जाने देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तो कम से कम यह तो चाहूं कि यह तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष: नहीं जाने देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरी देखरेख में बाईजी का तालाब है, गंगा तालाब है, रानीसर है, पदमसर है...

श्री अध्यक्ष: अब जवाब दिलाता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): गुलाब सागर है, फतेह सागर है, सूरसागर है....

श्री अध्यक्ष: अब मैं जवाब दिलवाता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): धनराव तालाब की तो ऐसी हालत कर दी है कि लोग एन्क्रोचमेंट करके बैठ गये। आज यह निर्णय करवाओ आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय करवाओ। यह कचरे कब उठेंगे? एन्क्रोचमेंट कब हटेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह कराओ ताकि हम ऐसे कोई भी भामाशाह को पकड़ेंगे, बाकी काम तो करवा लेंगे लेकिन गंदगी कौन हटाएगा? यह आज काम करवाओ।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कभी तो नम्बर आता है और फिर आप मेरे को टोक दो, तो मेरे को बैठना जरूरी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, टोकता नहीं हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं आज तक अनुशासन में ही रही हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, नहीं टोकता हूं। और बोलो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि जो कोई भी आप निर्णय लो, वह आज फाइनल करो। आप आज कह दो कि यह गंदगी साफ हो जाएगी, यह हो जाएगा। सदन की नेता यह नहीं चाहतीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना नहीं है, यह अभियान है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): इसमें लिखा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। आपकी पूरी बात सुनी है मैंने।

मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बार पूरे राजस्थान के 3 हजार 529 गांव, 295 ब्लाकों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत की है और आने वाले तीन सालों में 21 हजार गांवों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चलेगा।

मैं माननीय सदस्या को निवेदन करूं, जैसा आपने कहा कि सरकारी परिसम्पत्तियां शहर में बनी हुई हैं, उनके अन्दर पानी के लिए कोई व्यवस्था, तो सरकारी भवन जिस-जिस विभाग के बने हुए हैं वे विभाग वाले पानी को रोकने के लिए काम करें।

चूंकि यह अभियान है, इसलिए कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है। यह जनता का, जन-प्रतिनिधियों का, समाज-सेवियों का, दानदाताओं का, भामाशाहों का, सबका प्रोग्राम है। तो जिस-जिस विभाग का भवन बना हुआ है, वह विभाग वाला करे। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात।

दूसरी बात आपने कही कि नगर निगम के तालाब पर अतिक्रमण कर लिया है, नहरों पर अतिक्रमण कर लिया है, तो नहरों पर अतिक्रमण कर लिया है तो वह जल संसाधन विभाग वाले अतिक्रमण हटाएं; तालाब के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, तो नगर निगम, जो बना हुआ है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह बावड़ी और कुएं आये हैं, उनके अतिक्रमण हटाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

इस साल राजस्थान के अन्दर शहरी क्षेत्रों में यह अभियान शुरू नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भावना आपकी है, उस भावना को

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मैं माननीया मुख्य मंत्री तक पहुंचाऊंगा और आने वाले समय में किस हिसाब से इसका विस्तारीकरण हो सके, वह करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: जीजी, और तो नहीं पूछना सवाल?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, हो गया।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायणसिंह देवल। पूरक प्रश्न।

श्री बाबूसिंह। पूरक प्रश्न।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, इसमें जिन-जिन गांवों को लिया है और आगे लेने जा रहे हैं, वहां पर जो नाड़ी, तालाब,वगैरह का कैचमेंट एरिया है, चैनल बने हुए हैं, कई बड़े-बड़े तालाब हैं उनके अन्दर नहरें आ रही हैं, उन नहरों के ऊपर कब्जा है, नहरें हटी हुई हैं, चैनल हटे हुए हैं और जो कैचमेंट एरिया है उसके ऊपर अतिक्रमण है। तो क्या उन सबको हटा करके, इनको साफ-सुथरा बना करके, इसको भी करना चाहते हैं?

दूसरा, ये जितने भी सरकारी भवन हैं, वे अधिकतर भवन पंचायती राज के हैं, ग्रामीण विकास के हैं। तो क्या आप अपने विभाग में भी और अन्य विभागों में जितने सरकारी भवन हैं, उनकी छतों का पानी वाटर हार्वेस्टिंग करके, टांकों के अन्दर, उसमें संग्रहण करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में 4,258 कार्य लिये गये हैं, जिनकी डी.पी.आर. 81.61 करोड़ है।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं, जो भी आप अगले साल जिन-जिन गांवों के अन्दर वाटर हार्वेस्टिंग के काम होंगे, उसमें जो आप बताएंगे, उनको भी इन्क्लूड किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो धन्यवाद कि 'जल है तो कल है', इस बात को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने समझा है, राजस्थान के लिए लागू किया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

मेरा आपकी मार्फत मंत्रीजी से एक निवेदन यह है कि जोधपुर के आस-पास एरिये में, जिसमें चाहे अवैध खनन हो, या रेगुलर खनन हो, उससे बहुत बड़े खड्डे हो गये हैं। जो नेचुरल फ्लो आफ वाटर है, और जो चैनल्स हैं, वे उसमें ब्लाक हो गये हैं। चाहे कायलाना हो, चाहे फतहसागर हो, या और कोई बड़े-बड़े जो नेचुरल जल स्रोत हैं, वे अवरुद्ध हो गये हैं, उनमें पानी की आवक अवरुद्ध हो गयी है। क्या मंत्री महोदय अपने इस कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम भी हाथ में लेंगे, जो परम्परागत जल स्रोत हैं या परम्परागत आवक के स्रोत हैं, उनमें जो अवैध खनन हो रहा है, या अवैध खनन हुआ है, या रुके हैं, उनको हटावें? दूसरा यह कि खनन क्षेत्र में जो बड़े-बड़े खड्डे खान की वजह से हो गये हैं, बहुत ज्यादा पानी वहां रुक जाता है। उनके लिए कोई इलाज करें ताकि वहां पानी जल स्रोतों में आ जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि जैसे मैंने पहले शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को बताया कि 4,168 गांव की डी.पी.आर., जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में काम लिये गये हैं। माननीय सदस्य बता रहे हैं कि कोई खनिज के कारण अवरुद्ध हो गया है, या कहीं किसी कारण से अवरुद्ध हो गया है; जो गांव डी.पी.आर. में लिये हुए हैं, उन्हीं गांवों में इस बार काम शुरू किये जाएंगे। अगली बार, जब भी, छह हजार गांव अगले साल होंगे, छह हजार उससे अगले साल होंगे, उन गांवों में डी.पी.आर. के अनुसार, ये गांव भी सम्मिलित होंगे, ये काम भी सम्मिलित होंगे, तो उनमें भी काम करवाये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। शकुन्तलाजी रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने जवाब दिया, जो पहले से आलरैडी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी का भराव क्षेत्र है, तो जो अभी लिस्ट में लिये गये हैं। कुछ ऐसे ही ले लिये गये हैं, अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा जहां पर भराव क्षेत्र नहीं है। तो क्या उनकी सूची जन-प्रतिनिधियों को भिजवाएंगे, या नहीं? मेरे हिसाब से अगर आप उन सबकी विधान सभा क्षेत्र वाइज वह लिस्ट मंगवा लें कि कौन से विधान सभा क्षेत्र से कौन-कौन से बांध और एनिकट या तालाब का प्रस्ताव लिया गया है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

किस-किस की खुदाई की जा रही है, ये सारे निर्माण किये जा रहे हैं, उसकी लिस्टिंग आप प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र वाइज भिजवाएं जन-प्रतिनिधियों को, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कई जगह सिर्फ कागजों में वह लिस्ट बना दी गई है। इस तरह से यह योजना सफल नहीं होगी। क्या मंशा रखते हैं आप?

श्री अध्यक्ष: आ गया। विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहूंगा कि ... (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सचेतक महोदय, आपको जानकारी में नहीं है तो आप नहीं बोलें, ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं माननीय सदस्या से निवेदन करुंगा कि हमने जो डी.पी.आर. बनाई...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं नाम से बता सकती हूं, एक-एक गांव के।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जबानी बता सकती हूं। मुझे लिस्ट की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, जवाब आ रहा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैंने पिछली बार भी मंत्रीजी को वह लिस्ट दी थी, यहां पर विधान सभा के अन्दर। उसकी तारीख आपको अब जिस दिन बोलेंगे, उस दिन दूंगी मैं यहां।

श्री अध्यक्ष: आपके सवाल का जवाब आ रहा है, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या से निवेदन करुंगा कि हमने ज्योंही डी.पी.आर. बनाई, उसके बाद में 23 दिसम्बर को एक ग्राम सभा का आयोजन किया, एक 18 जनवरी को ग्राम सभा का आयोजन किया। उसमें उस डी.पी.आर. को सभी जन-प्रतिनिधियों को बताने के लिए, और उस कार्य योजना को एक्जीक्यूट करने के लिए, उस डी.पी.आर. को मंजूर करने के लिए

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सबसे निवेदन किया। आप सभी माननीय सदस्यों को ध्यान में होगा, मैंने खुद ने स्वयं आप लोगों को टेलीफोन किया था। सभी माननीय सदस्यों को, सभी प्रधानों को, सभी एम.पी. साहिबान को, राज्य सभा के सदस्यगण को, सभी सरपंचों को, मैंने पर्सनल, एस.एम.एस. के थ्रू, लैटर के थ्रू और टेलीफोन के थ्रू निवेदन किया कि यह प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम नहीं है। यह अभी सब जन-प्रतिनिधियों का, जनता का और समाज-सेवियों, दानदाताओं, धर्मात्माओं, प्रवासी राजस्थानियों का, सबका इन्वाल्वमेंट ले करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की माननीया मुख्य मंत्रीजी की योजना है, अभियान है। इसलिए आप लोग इसके साथ जुड़ करके आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं आपको और निवेदन करूं कि इस साल एक लाख 10 हजार कार्य लिये गये हैं, जिनमें से 36 हजार कार्य शुरू हो गये हैं और आज मैं आपको खुशी के साथ बताता हूं कि अभी तक 5 हजार काम कम्प्लीट भी हो चुके हैं।

इसलिए आप निश्चिंत रहें, जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को राजस्थान में चलाया गया है, इस अभियान को चलाया गया है, यह अभियान सफलतापूर्वक चलेगा और हर खेत में पानी बचे, हर गांव में पानी, एक-एक बूंद वर्षा की बचे, हर घर में पानी बचे, इस सपने को लेकर हम चल रहे हैं और आने वाले समय यह मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार तैलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में पानी की एक-एक बूंद को बचा करके पानी के मामले में स्वावलम्बी बने, उसी की तर्ज पर राजस्थान भी स्वावलम्बी बनेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री संजीव कुमार।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सब प्रधान और सरपंचों ने जो लिस्ट दी है, वे नहीं लिये गये हैं। इसलिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मानिक चन्दजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, जल स्वावलम्बन के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने 2-3 बार दोहराया है कि यह सरकारी प्रोग्राम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकारी प्रोग्राम तो है ही, इसके अलावा सरकार की यह कोशिश है कि सभी समाजों के तबके और सभी समाजों के लोग इसमें भागीदारी करें।

मैं मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि ये जितने तीन हजार कुछ गांवों में जो कार्यक्रम लिया गया है, आप प्रत्येक खेत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के लिए डेढ़ लाख रुपये दे रहे हैं, प्रत्येक खेत को डेढ़ लाख रुपये उपलब्ध करा रहे हैं। (व्यवधान) आप सुनें तो सुनें। (व्यवधान) आप जो डेढ़ लाख की राशि दे रहे हैं, इस डेढ़ लाख की राशि में आप सिर्फ 30 हजार लीटर का जल कुण्ड बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह राशि सरपंच महोदय, और जो जल स्वावलम्बन की कमेटी, जलग्रहण जिसको हम बोलते थे, यह जलग्रहण का ही दूसरा रूप है, उस कमेटी को आप रुपया दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह रुपया आप लाभार्थी के हाथ में दें और 50 हजार लीटर का कुण्ड आज की रेट में भी प्रत्येक खेत में बन सकता है, अध्यक्ष महोदय। 30 हजार और 50 हजार में दिन-रात का फर्क है। आखिर तो 50 हजार लीटर का कुण्ड बनेगा। आज से तीन साल पहले एक लाख लीटर का कुण्ड बनाया जाता था, जलग्रहण में। हम लाख से नीचे आये, 50 हजार पर आ गये, अब 30 हजार पर आ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इसकी कोस्टिंग दुबारा कराएं।

मैंने आपको पत्र भेजा है, मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र भेजा है, जिसमें मेरा यही निवेदन है कि लाभार्थी, जिस तरह इन्दिरा आवास को लाभार्थी के हाथ में दिया जाता है और बढ़िया मकान बनता है, उसी तरह से यदि खेत में कुण्ड बनना है तो उस खेत के किसान को रुपया दीजिये; रुपया भी न दीजिये, जिस तरह विधायक कोष कोई विधायक के हाथ में नहीं दिया जाता, कलक्टर के पास उसका रुपया रहता है, आप उसकी मानिटरिंग पंचायत से करवाइये, लेकिन कोस्ट में आप सरकारी धन लुटा रहे हैं, डेढ़ लाख में सिर्फ तीस हजार लीटर का कुण्ड बना करके।

मैं निवेदन करता हूं बहुत नम्रता से, यह कोई प्रेस्टिज का पाइंट नहीं है, आप इसकी कोस्टिंग दुबारा कराएं और राज्य सरकार खेत मालिक को इसमें भागीदार बनाए और उसके द्वारा ही यह सारा जल संग्रहण का काम करे। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं इसके बारे में निवेदन कर दूं कि जैसे व्यक्तिगत लाभ का काम है, व्यक्तिगत लाभ का बी.पी.एल. को छोड़कर के दूसरा कोई व्यक्ति बनाना चाहता है तो 10 परसेंट राशि जमा करवा दें तो वह खुद ही अपना टांका बना सकता है। इसके अलावा,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

महात्मा गांधी नरेगा योजना में चाहे बी.पी.एल. हो, चाहे लघु और सीमांत काश्तकार हो, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति हो, उसको व्यक्तिगत लाभ के लिए, उसको खुद को ही मस्टर-रोल दिया जाता है और वह खुद ही बनाता है। तीन लाख रुपये का अनुदान हम उसको देते हैं। तीन लाख रुपया, पूरा का पूरा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको हम कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं करते हैं। वह व्यक्तिगत लाभ के काम हैं, वह बनाने के लिए स्वतंत्र है। उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री संजीव कुमार। नहीं, मानिकजी, हो गया बस, पर्याप्त। आपने सुझाव दे दिया।

प्रदेश में तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती की योजना

58. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में तकनीकी कर्मचारियों (बेलदार, लाइनमैन, हैल्पर, पम्प-चालक, सहायक मीटर रीडर, मीटर इंस्पेक्टर, जे.एफ.ए., आदि) की गत कई वर्षों से भर्ती नहीं होने के कारण उक्त कर्मचारियों की भारी कमी है?

(2) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की नई शीघ्र भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जी नहीं। प्रदेश में पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी संवर्ग (नियमित) के कुल 14,831 स्वीकृत पदों में से 11,221 पदों पर कार्मिक पदस्थापित हैं तथा 3,610 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, कार्य-प्रभारित संवर्ग में अर्द्ध-स्थायी एवं नियमित घोषित लगभग 13,700 तकनीकी कर्मचारी भी विभिन्न जल योजनाओं पर पदस्थापित हैं।

(2) जी हां। तकनीकी कर्मचारियों के 1,294 पदों के लिए विभाग द्वारा दिनांक 13.08.2013 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी। तत्पश्चात् राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 के नियम 19 में दिनांक 01.10.2013 को आवश्यक संशोधन (सीधे साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा) प्रतिस्थापित हो जाने के फलस्वरूप, तकनीकी पदों सम्बन्धी नियमों (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व अन्य) में संशोधन आवश्यक हो गया है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इस संशोधन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा वांछित संशोधन के उपरांत भर्ती प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ की जाएगी।

प्रदेश में जल योजनाओं के संधारण कार्य एवं हैंडपम्प मरम्मत अभियान हेतु माह अप्रैल, 2015 से माह जुलाई, 2015 तक की अवधि हेतु 531 किराये के वाहनों तथा 2,632 अनुबंधित श्रमिकों की स्वीकृति जारी की गयी।

वर्तमान में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं इस अभियान को सुचारु बनाये रखने हेतु 1,500 अनुबंधित श्रमिक एवं 260 किराये के वाहनों की स्वीकृति क्रमश: दिनांक 18.01.2016 एवं 21.01.2016 को जारी की गयी है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री और हमारी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर महोदया का ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं में जो तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों की कमी थी, उसके लिए पहल करते हुए बड़ी संख्या में कनिष्ठ अभियंताओं की आपने भर्ती की जिससे कि निश्चित तौर से इन ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं में, इनको सुचारु रूप से चलाने में एक बहुत अच्छी सहायता हमारे वाटरवर्क्स को मिली है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी विभाग ने अभी तक तकनीकी कर्मचारी, जैसे बेलदार, लाइनमैन, पम्प-ड्राइवर, हेल्पर, मीटर रीडर, आदि जो ऐसे तकनीकी छोटे कर्मचारी हैं, इनकी डिपार्टमेंट में भारी कमी है। दूसरा, जो हमारी जनता जल योजनाओं के नाम से गांव में चल रही हैं, उनमें भी 1,975 रुपये में वह कर्मचारी अस्थायी रखकर चलाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विभिन्न जलप्रदाय योजनाएं हैं, उनको सुचारु रूप से चलाने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है।

तो माननीय मंत्री महोदया ने जैसा बताया, इन कार्मिकों की भर्ती हेतु राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियम, 1967 के नियम 19 में संशोधन की वजह से तकनीकी पदों सम्बन्धी नियमों में संशोधन को प्रक्रियाधीन बताया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि जो वांछित संशोधन करने की आपने बात कही है, यह वांछित संशोधन कब तक कर दिया जाएगा और उपरोक्त कार्मिकों की भर्ती कब तक कर दी जाएगी?

(श्री संजीव कुमार)

छोटा-सा एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह उक्त कार्मिकों की भर्ती कितने सालों से नहीं की गयी है? माननीय मंत्री महोदया बतायें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को उनके पूरक प्रश्न का, वैसे तो मैंने मूल प्रश्न के जवाब में ही दे दिया लेकिन फिर भी मैं उसको दोहरा रही हूं कि 1967 का जो हमारा राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियम है, उसमें जो संशोधन हुआ, उसी के कारण से यह सारी भर्ती रुकी हैं, लेकिन अब यह संशोधन करने के साथ ही इसको पूरा हम लोगों ने डी.ओ.पी. में फाइल भेज दी है। जल्दी ही, हम खुद चाहते हैं कि यह जो पद इन्होंने बताये हैं, हैण्डपम्प मिस्त्री, पम्प-चालक, इन सभी पदों पर हम लेना चाहते हैं और इनको बहुत ही अतिशीघ्र हम लोग लेंगे और इनको जितना जल्दी हो सके, हम उसके अन्दर, मैं यह कह सकती हूं कि हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अन्दर करने का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। इसलिए बहुत शीघ्र ही, हम इसको खुद चाहते हैं। हमने जे.ईएन्स. की भर्ती की, माननीय अध्यक्ष महोदय, 837 जे.ईएन्स. की भर्ती की; हमारे विभाग में हमने ए.ईएन. की भर्ती की, लगभग 150 से ऊपर हमारे यहां पर ए.ईएन. की आर.पी.एस.सी. के माध्यम से हम लोगों ने भर्ती की है। हमें इस विभाग के अन्दर जो भी हमारे को पूर्ति करनी है, जो हमारे रिक्त पड़े हुए पद हैं, उनको भरने की हम कोशिश कर रहे हैं और यह जो सबआर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी हैं, उनको भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, बहुत ही शीघ्र भरेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने प्रश्न पूछा था कि उक्त पदों की भर्ती, उक्त जो पद बताये गये हेल्पर, वगैरह के, इनकी भर्ती कितने सालों से नहीं की गयी है, इसका जवाब नहीं आया।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, अभी जो प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि 3,610 पद उक्त कार्मिकों के वर्तमान में रिक्त हैं और इससे पहले जो बताया गया कि विज्ञप्ति 1,294 की पहले इसकी एक बार जारी हुई, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पी.एच.ई.डी. महकमे के अन्दर जो पुराने समय से पद चल

(श्री संजीव कुमार)

रहे थे, उसमें बहुत-सी योजनाओं में संवर्धित स्कीम बनने की वजह से और स्कीम्स का विस्तार होने की वजह से और नई-नई जलप्रदाय योजनाएं बनने की वजह से और उसके अलावा जो रिटायर होते गये कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, उनके पद भी लगातार समाप्त होते रहे। तो आज चूंकि काफी वर्षों से यह भर्ती नहीं हो पाई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए। सवाल कीजिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा): तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता, मैं निवेदन करूं, आवश्यकता इन पदों की और बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री संजीव कुमार (भादरा): तो क्या अब आवश्यकतानुसार पदों की संख्या बढ़ाकर आप इनकी भर्ती करने की मंशा रखते हो? यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया कि कब से इनकी भर्ती नहीं हुई है। यह समय-समय पर जैसे-जैसे पद रिक्त होते जाते हैं, हम इनको भरते हैं। अभी वर्तमान में 3,610 पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं और उनको भरने की कार्यवाही हमारी चल रही है।

जहां तक सवाल है, आपने कहा कि बहुत सारी हमारी पेयजल की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के अन्दर हम लोगों ने, क्या विचार रखते हैं कि हम लोग कब तक इन सारी चीजों को..., अच्छा सुचारु चलाने के लिए इन सबको करना है। तो हमने इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि पद रिक्त पड़े हैं और हम भी देख रहे हैं कि कार्य के अन्दर आवश्यकता है उन पदों को भरने की, लेकिन जब तक पद नहीं भरे जाते, क्योंकि 1994 में सबसे लास्ट में भर्ती हुई थी, उसके बाद में भर्ती ही नहीं हुई; तो इसके लिए हम लोग ओ. एंड एम. दे रहे हैं और हम साथ ही साथ यह भी कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती भी हो जाए। इसलिए उसकी भी कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न। श्री डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शार्ट में पूछेंगे तो जवाब आ जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कि आपने यह पद बताये हैं 3,610 रिक्त। जो प्रक्रिया हमारी सरकार ने चालू की थी 2013 में, वह 1,294 की उस वक्त की थी। अब आप 3,610 की भर्ती करोगे, या 1,294 की भर्ती करोगे, एक तो यह स्पष्ट करने की कृपा करें। एक यह बताने की कृपा करें कि इस सवा दो साल के पीरियड में किन लोगों ने यह भर्ती करने में देरी की है? उन जिम्मेदारों के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रही हैं? यह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा, उनको जानकारी में शायद नहीं है कि जो 1,294 पदों की आपने भर्ती निकाली थी, यह 2013 के अन्दर जब आपने निकाली तो उसके अन्दर 2013 में ही, 13.08.2013 को ही, आपकी ही सरकार थी और आप ही की सरकार में आपने राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियम में पूरा संशोधन किया। यानी, आपने सिर्फ एक खिलवाड़ किया था जनता के साथ में और लोगों को सिर्फ बताया कि हमने ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदया, अब आप सवा दो साल से क्या कर रही हैं? आप सवा दो साल से क्या कर रही हैं? आपकी सरकार सवा दो साल से उन 3,610 पदों की भर्ती के लिए क्या कर रही है, वह बता दें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी को सुनिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इन्होंने जिस तरीके से जनता के सामने, जो जनता को गुमराह करने का काम हमेशा किया इन्होंने, इसी तरीके का इन्होंने, इनकी पिछली सरकार में इन्होंने जनता को गुमराह किया कि हम 1,294 पद निकाल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये समय व्यतीत कर रही हैं माननीय मंत्री महोदया।

श्री संजीव कुमार (भादरा): आपने गुमराह किया है, पदों की भर्ती प्रक्रिया में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 2013 में ही, तब आप निकालते न उसी समय ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब नहीं दे रही हैं मंत्री महोदया। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): उस समय आपने गुमराह किया और अब आप भर्ती नहीं करने देते हो। होने दो भर्ती अब तो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दिलवाइये। जवाब ही नहीं दे पाते।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। बैठिये, डोटासराजी।

(12.00 बजे)

प्रतिपक्ष के नेता, आपको जो स्पष्टीकरण देना है, वह पत्र मेरे पास पहुंच गया है। मैं उसका परीक्षण करवाकर यथासमय आपको सूचित कर दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से कोटा जिले के सांगोद उपखण्ड मुख्यालय पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सौन्दर्यीकरण के नाम पर मूर्ति को हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह स्थगन प्रस्ताव है?

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिये तत्काल पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री रमेश, सदस्य की ओर से हिंगोनिया गौशाला में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं एवं गौवंश की अकाल मृत्यु को रोकने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री भंवर सिंह, श्री सुखराम विश्नोई एवं श्री रमेश को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में कार्यरत संविदा नर्सेज को स्थायी करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय में विज्ञान व भूगोल संकाय खोलने तथा भूगोल, हिन्दी साहित्य व इतिहास विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराये गये बीजों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप, जिला जोधपुर में चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश में परमार वंशी राजपूत कृषक जातियों को ओ बी सी आरक्षण का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर उपखण्ड को जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की अलवर से ग्राम भजीट केरवाटा होती हुई 10 कि.मी. सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती कमसा, सदस्या की ओर से भामाशाह कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रतनलाल जलधारी, सदस्य की ओर से सीकर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय व आडिटोरियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति, 2013 के बिन्दु संख्या 3(6) में किये गये संशोधन को वापस लेने के सम्बन्ध में।

(11) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहौर के ऐतिहासिक महत्व एवं पर्यटन को दृष्टिगत रखने की दृष्टि से इसे ऐतिहासिक धरोहर में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-नियारा में बीसलपुर बांध के विस्थापित किसानों से वसूले जा रहे विकास शुल्क के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्चियों पर कल जो नाम आये थे, उन्हीं को आज रिपीट किया गया है। चूंकि हमने सूचना तो भिजवा दी थी, कुछ विधायकों को सूचना नहीं पहुंची थी, तो वे आज पर्ची डालने भी आये। वे नहीं ली जा सकीं। मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं और कल की सूची हमने ले ली है।

(1) नवनीत लाल, ग्राम पंचायत भगोरा का खेड़ा, पंचायत समिति घाटोल, जिला बांसवाड़ा में अधूरे कुओं का निर्माण पूर्ण करने एवं नये कुओं का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमा भाई, कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री फूलसिंह मीणा, उदयपुर के उमरड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में।

अब श्री भंवर सिंह बोलेंगे। दो-दो मिनट बोलने का है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने कहा तीन मिनट बोलेंगे, तो आप तीन मिनट बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की तत्काल उपलब्धता

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री भंवरसिंह)

से सरकार का और इंदिरा गांधी नहर परियोजना व सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा दिनांक 19.02.2016 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में तीन समूहों में से एक समूह में पानी चलाने का फरमान जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर तीन समूहों में से एक समूह में पानी चलाया जाएगा तो एक कृषक के खेत में पानी लगाने के 21 दिन बाद दुबारा पानी मिलेगा। अगर इस मौसम में 21 दिन बाद फसल को पानी उपलब्ध होगा, तो किसान की रबी की फसल, जो पकाव पर आई हुई है, अध्यक्ष महोदय, वह नष्ट हो जाएगी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जब रबी की फसल की बुवाई की जा रही थी, उस समय आई जी एन पी विभाग के द्वारा अक्टूबर में 4 में से 2 समूहों में पानी दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर से लेकर 22 फरवरी, 2016 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के सभी किसानों को चार में से दो समूहों में पानी दिया गया। अध्यक्ष महोदय, पहले तो सर्दियों में बरसात कम हुई और उसके बाद जब किसान की फसल पकाव पर आ गयी और जब किसान को पानी की आवश्यकता थी, अंतिम समय में फरवरी और मार्च में, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चार में से तीन समूह में पानी देने पर किसानों को 21 दिन बाद फसल के लिए पानी मिलेगा। अब गर्मी का मौसम आ गया है, किसान की फसल पूरी तरह से पकने की तैयारी में है और ऐसी स्थिति में यदि 21 दिन बाद किसानों को पानी मिलेगा तो किसान की पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले का जो फलौदी क्षेत्र है, यहां के पूरे के पूरे किसानों का आज खाजूवाला में धरना चल रहा है; अध्यक्ष महोदय, पानी की मांग को लेकर धरना चल रहा है; बज्जू में पानी की मांग को लेकर धरना चल रहा है; जैसलमेर में भारतीय किसान संघ के लोग धरने में बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, किसान की फसल, किसान का सब कुछ पानी पर निर्भर होता है और रबी की फसल जो पूरी तरह से पकाव पर है और यदि अभी पानी नहीं दिया गया तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन रहेगा कि चाहे अप्रैल में पानी नहीं दें, लेकिन इस मार्च के महीने में लगातार सात-सात दिन से दो बार आप पानी दे दें। अध्यक्ष महोदय, किसान की फसल बरबाद होने से बच जाएगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिम राजस्थान, जहां गर्मी का मौसम है, इस भयंकर गर्मी के मौसम में किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं, जल रही हैं और किसान की तरफ सरकार नहीं देख रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं तीन जिलों के लाखों किसानों की तरफ से मंत्री महोदय का आह्वान करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): किसानों की इस मांग पर तत्काल आज ही विधान सभा में घोषणा करें, आने वाले मार्च के महीने में किसानों को चार में से दो समूहों का पानी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का एक बार पुन: ध्यान आकर्षित करते हुए, मंत्री महोदय से किसानों की जायज मांगों पर अपना समर्थन चाहूंगा। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का ज्वलन्त मुद्दा है, यदि मंत्री महोदय आज इसमें कोई निर्णय नहीं देंगे तो किसानों की फसलें बरबाद हो जाएंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, मुझे यह कहना पड़ेगा कि अंकित नहीं हो। नहीं, यह ठीक नहीं है। श्री सुखराम विश्नोई। मैं सरकार को जवाब देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। वे अगर रिएक्ट करना चाहें, तो करें।

श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में, उपखण्डों में अकाल इस वर्ष पड़ा है। उससे पहले भी मेरे वहां अकाल था और शुरुआत में भी अकाल था, 2013-14 में। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब अकाल की स्थिति बनती है, तब न तो पानी होता है, न चारा होता है। आज पूरे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर ये हालात बने हुए हैं कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एक-एक हजार रुपये ट्रैक्टर-ट्राली के देकर के पानी डलवा रहे हैं। साथ-साथ में, पशुओं का चारा नहीं होने से पूरे पशु, आपको हर रोड पर पशु

(श्री सुखराम विश्नोई)

मरे हुए मिलेंगे। इस कांग्रेस सरकार ने कैटल कैम्प खोले थे, बाड़मेर जिले में भी खोले थे, मेरे जिले में भी खोले थे, परन्तु जनवरी के फर्स्ट वीक में राजस्थान सरकार ने अकाल राहत क्षेत्र घोषित कर दिये। तो कब तक यह अकाल राहत कार्य चालू किया जायेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में एशिया की सबसे बड़ी गौशाला आयी हुई है पथमेड़ा नाम से और कल ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक नन्दी गौशाला, वहां करीब 30 हजार नन्दी हैं और नन्दियों को तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नन्दी को रखना बड़ा मुश्किल होता है; इतने नन्दियों को रखना, उनके पानी की समस्या, उनके चारे की समस्या है। जो सरकार सत्ता में आयी है, गाय को मां-बाप कहकर के सत्ता में आयी थी कि हम गाय को निहाल करेंगे, गऊओं को निहाल करेंगे। न तो चारे की व्यवस्था की, न कोई कैटल कैम्प खोले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत अकाल राहत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आप कब तक कैटल कैम्प खोल रहे हैं? जब जनवरी में अकाल डिक्लेयर हो गया तो गौशालाओं को कब अनुदान देने जा रहे हो? कब पीने के पानी के लिए ट्रैक्टरों की ठेकेदार, ठेके से व्यवस्था करने जा रहे हो? कब फेमिन कार्य खोलने की व्यवस्था की जा रही है? कृपया, जवाब चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप रिएक्ट करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय खरीफ फसल 2015-16 का सदन के सामने रखा, गिरदावरी का एक निश्चित समय तय है 15 सितम्बर से लेकर 15 अक्टूबर तक, हमने वह गिरदावरी करवा ली। 30.11 को मैंने सारे अधिकारियों को बुलाकर उनकी रिपोर्ट ले ली। 25 दिसम्बर के दिन अपना ज्ञापन बनाकर के मैंने केन्द्र सरकार के पास भेज दिया। 17 फरवरी को मुख्य मंत्रीजी के द्वारा पत्र भिजवाया और मैं स्वयं गृह मंत्रीजी से मिलकर के, हमें अनुदान मिले, ताकि हम इस काम को ज्यादा जल्दी से जल्दी किसान को लाभ पहुंचा सकें, इसके लिए किया।

मैं आपको बता रहा हूं कि जालौर में 407 गांव, इसमें 73 गांव तो ऐसे हैं जो 50 से लेकर 75 परसेंट खराबे में आये और 334 गांव ऐसे हैं जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

75 से लेकर 100 प्रतिशत खराबा, अर्थात् कुल 407 गांव हैं जहां हमने अकाल राहत की दृष्टि से, सारे राजस्थान में हमने 14,487 गांव, हमने इनको अभावग्रस्त घोषित कर दिया। आपकी चार तहसीलों में 50 से 100 प्रतिशत खराबा होने पर 407 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इसमें सांचौर तहसील में 18 गांवों में 50 से 75 प्रतिशत खराबा है और 112 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत खराबा है; कुल 130 । खरीफ 2072 में हमने यह 19 जिलों के 14,487 गांव अभावग्रस्त घोषित कर दिये हैं। इसमें भू-राजस्व वसूली स्थगित कर दी, आबियाना शुल्क से रोक दिया, अल्पकालीन फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण के लिए हमने 23.12 को अपना आदेश निकाल दिया। अकाल राहत और यह पशु शिविर, सबके लिए हमने कलक्टर को अपनी तरफ से पत्र भेज दिया कि वे जहां-जहां आवश्यक समझें, वे प्रस्ताव बनाकर के हमारे पास भेजें।

आप जिस जोर से उठा रहे हों, मैं आपसे बराबरी नहीं करना चाहता हूं लेकिन सच में इस बात को भी देखना चाहिए कि हमारा पुराना चेहरा कैसा है। केवल यह साबित करने का प्रयास कर रहे हों कि हम गऊ के प्रति ज्यादा हमदर्द नहीं हैं। मैं आज आपका नक्शा रखता हूं, आपने 2009 और 10 में 12 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद 2010-11 में 9 करोड़ 90 लाख रुपया दिया। उसके बाद हमने 2015-16 में 17 करोड़ 16 लाख रुपया दिया है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई कम दे रहे हैं। अगर आप फिगर चाहें, फिगर भी चाहें न, तो मैं आपको बताता हूं।

यह बात साबित करने का प्रयास मत करिये कि हम लोगों को गाय के प्रति हमदर्दी नहीं है। मैं आपको आज सारे फिगर बताता हूं। 2009-10 में जब आपकी सरकार थी, सारे राजस्थान में इस पशु शिविर से लेकर के गऊ शालाओं को जो अनुदान दिया, वह 136 करोड़ दिया था। उसके बाद 2010-11 में आपने 161 करोड़ दिया। उसके बाद 11 करोड़ दिया। उसके बाद केवल 11 लाख 27 हजार रुपया दिया। उसके बाद 2013-14 में आपने 21 करोड़ 82 लाख रुपया दिया। हमने 2014-15 में 146 करोड़ 56 लाख रुपया दिया है। पिछले साल हमने, अब तक का राजस्थान का रिकार्ड है, 167 करोड़ 31 लाख रुपया इन गऊ शालाओं को और पशु शिविरों को दिया है।

अभी भी हम अपनी तैयारी में हैं। जैसे ही हमें प्रस्ताव प्राप्त होंगे,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्योंकि अभी हम आपदा राहत में 90 दिन तक ही कवर कर सकते हैं, जैसे-जैसे डिमांड आयेगी, उसके अनुसार हम करेंगे। मैग्जिमम जो परेशानी रहती है, वह अप्रैल, मई और जून में रहती है। फिर भी अगर कहीं से उससे पहले भी आयेगा तो हम उनको सहायता करने के लिए तैयार हैं, वचनबद्ध हैं।

हमने सारा, जो भी कार्यवाही करनी है और मैं सोचता हूं कि केन्द्र सरकार को हमारा ज्ञापन पिछले 25.12 को ही चला गया है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने लिखा, मैं व्यक्तिगत मिलकर आया हूं और मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार का, यह जो राशि हमने मांगी है, जो आपको पूरे जीवन काल में जितनी राशि नहीं मिली होगी, उससे ज्यादा इस साल हमको मिलेगी, यह मेरा दावा है।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश। श्री रमेश।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अनुदान कब दे रहे हों, अनुदान? आप गौशालाओं को अनुदान कब दे रहे हों?

श्री अध्यक्ष: दे देंगे। दे देंगे। आप बैठिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, अनुदान कब देने जा रहे हों?

श्री अध्यक्ष: दे देंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपकी सरकार है दिल्ली में। दिल्ली में आपकी सरकार है।

श्री अध्यक्ष: हां, दे देंगे। उन्होंने जवाब दे दिया ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय गृह मंत्रीजी, दिल्ली में आपकी सरकार है, कब अनुदान देना चाहते हो? गौशालाओं में अनुदान कब चालू कर रहे हों?

श्री अध्यक्ष: वह दे देंगे। बोल दिया, दे देंगे। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप बात कर रहे हों। हमने जनवरी के अन्दर, फरवरी में कैटल कैम्प चालू किये थे हमारी सरकार में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल आपके भाषण देने से मैं अनुदान नहीं, कलक्टर की रिपोर्ट आने के बाद जारी कर सकता हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरे भाषण से नहीं देओगे, आप कब दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठो। बैठो। श्री रमेश।

हिंगोनिया गौशाला में अनियमितताएं एवं गौवंश की अकाल मृत्यु पर विराम तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंगोनिया गौशाला में लगभग 8 हजार गायें हैं और गौशाला का उद्देश्य गौवंश का संरक्षण करना और उनकी देखभाल करना है लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की गम्भीर अनियमितताएं एवं राज्य सरकार की अनदेखी के कारण हिंगोनिया गौशाला गौवंश का एक कब्रिस्तान बन गया है और यहां रोजाना 25 से 30 गायों की मृत्यु हो रही है।

हिंगोनिया गौशाला में वर्ष 2011 से 60 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिकतम पशु चिकित्सालय संचालित है। उसमें ओ टी है, सोनोग्राफी मशीन है, एक्स-रे मशीन है; सभी आधुनिक संसाधन, सुविधाएं हैं, फिर भी वहां पर पशु चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ नहीं आते हैं। निगम पशु विभाग को एक चिट्ठी लिखकर इति-श्री कर लेता है। दोनों विभागों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है और न कभी इनकी बैठक हुई है और साल भर में मात्र सोनोग्राफी और एक्स-रे की कुछ पूर्ति कर ली जाती है।

गम्भीर मुद्दा, गम्भीर विषय यह है कि प्राइवेट नर्सिंग के वैटेरिनरी के स्टूडेंट रात में गौशाला में प्रैक्टिकल करने आते हैं, वहां गर्भस्थ गायों का परीक्षण होता है जिससे गायों की मृत्यु हो जाती है। यह वहां शिकायत आयी है। वहां पर जो ठेके पर श्रमिक रहते हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से इस प्रकार के परीक्षण किये जाते हैं।

इसका उदाहरण भी आपको देता हूं। हमारे कृषि मंत्री गौशाला में पधारें। वहां पर डाक्टर एक मरी गाय को लाकर उसकी मरहम-पट्टी कर रहे थे। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि मंत्री के सामने मरी हुई गाय की मरहम-पट्टी की जा रही है? इससे बड़ी लापरवाही इस राज्य सरकार की और इस निगम की इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती।

इसके बाद भी नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों में कोई सुधार नहीं हुआ है। गायों के मरने की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। चारे और कुट्टी में मिट्टी मिली रहती है। यहां तक कि निगम की कमेटियों ने उसके दौरे कर लिये, सांसदों ने दौरे कर लिये, विधायकों ने दौरे कर लिये, जो नेशनल एनिमल वेलफेयर कमेटी बनी है उन्होंने दौरे कर लिये, माननीय प्रधान मंत्री के द्वारा

(श्री रमेश)

गठित कमेटी के द्वारा भी निरीक्षण हो चुका है। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक गाड़ी मुहैया करायी गयी है कि गायें बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए एक गाड़ी उपलब्ध...। यह नगण्य है, बिलकुल कुछ भी नहीं है। उसके बाद वहां गायें मर जाती हैं, या गायें जीवित रहती हैं, बीमार हैं, उनको उठाने के लिए, जीवित गायों को, एक जे सी बी का प्रयोग किया जाता है।

तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि इस सरकार में गायों की जो स्थिति बनी है, जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिए सरकार गम्भीर नहीं है। इन सवा दो सालों में गायों की तस्करी सबसे ज्यादा हुई है। मैंने अभी सुना है कि नगर निगम में महापौर के द्वारा एक निर्णय किया गया है कि जो गायें बाहर से पकड़ी जायेंगी, उसमें अगर उनका मालिक 7 दिन में नहीं आता है तो उनको 100-200 रुपये में बेच दिया जायेगा। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गायों की तस्करी इस प्रदेश में बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया। पूरा ध्यान खींच लिया आपने।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार में बैठे हैं, गौ माता के नाम पर वोट मांग कर, भीख मांग कर ये सत्ता में आये और आज ये गाय माता को भूल गये।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री रमेश (सपोटरा): यह बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांति रखें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपका अनुदान कितना था और हमारा अनुदान कितना है, अभी आपने सुना।

श्री रमेश (सपोटरा): अभी माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री कह रहे थे, गौ माता की बात करते हो आप, माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 जिलों में अभी इन्होंने अनुदान नहीं दिया है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अभी मंत्री महोदय ने क्या कहा है, आपका अनुदान कितना था गायों के लिए और हमारा अनुदान कितना है।

श्री रमेश (सपोटरा): जयपुर जिले में अगर बतायें मुझे ...(व्यवधान) जैसी गौ-शाला, एक अच्छी गौ-शाला चलती है, उसको इन्होंने आज तक अनुदान नहीं दिया है। (व्यवधान) अनुदान नहीं मिला है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपसे 10 गुणा ज्यादा गायों की चिंता की है और अनुदान दिया है हमने।

श्री रमेश (सपोटरा): ये गौ-पालकों की बात करते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): यहां तक कि हाई कोर्ट भी इनको चारा-कुट्टी के लिए, वहां के कर्मचारियों के लिए, मशीन लगाने के लिए बार-बार कह चुका है।

श्री अध्यक्ष: आपने सब बातें बोल दीं।

श्री रमेश (सपोटरा): उससे तंग आकर के इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने असंसदीय बोला है, उसको आप एक्सपंज कराओ।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): जो सरकार झूठा दिखावा करके असत्य बोले ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप अति कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): यहां शासन में आ गयी, गायों की बात करने वाली सरकार ...(व्यवधान) गायों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को स्थगित कर गौ वंश पर चर्चा कराई जाये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपके पास शब्दकोष नहीं है क्या? कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हो आप?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शब्दावली बहुत घटिया काम में ली है। यह ठीक बात नहीं है।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): ऐसे शब्द तो हटवाओ आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर की हिंगोनिया गौ-शाला का मामला है...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह स्थगन प्रस्ताव है। एडजोर्नमेंट है, एडजोर्नमेंट है।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): जवाब दे रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एडजोर्नमेंट है, विराजो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वे आपकी बात सुनेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये। आप बैठिये। मोहन लालजी, बैठिये। हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिंगोनिया की गौ-शाला की चर्चा की जा रही है, उसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह गौ-शाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 248 और कैटल ट्रेसपास एक्ट, 1871 के तहत आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए एवं बीमार पशुओं के इलाज के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, गौ-शाला का पशु पुनर्वास केन्द्र है। यह सही है कि पशु पुनर्वास केन्द्र में सबसे ज्यादा संख्या किसी पशु की है तो वह गाय है। वर्तमान में 8,410 गौ-वंश हैं, जिसमें बछड़े भी हैं; 3 हजार इसमें सांड और बछड़े हैं, 60 भैंसें हैं। यह भी सही है कि इस पशु पुनर्वास केन्द्र की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, 2014 से पहले तो इस प्रकार की हालत थी कि एक-एक दिन में 100-100 से ज्यादा गायें या गौ-वंश की मृत्यु वहां हो जाया करती थी। (व्यवधान) बैठ जाओ। यह स्थगन प्रस्ताव पर जवाब दे रहा हूं। स्टेटमेंट है। विराजो।

श्री रमेश (सपोटरा): इसका इलाज क्या है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप्टिमम लेवल होना चाहिए कैटल के अपकीपिंग का, वह आप्टिमम लेवल पर पहुंचा नहीं है। वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, चारे की व्यवस्था समुचित नहीं थी, डाक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। उस पशु पुनर्वास केन्द्र की मानिटरिंग की कोई परफेक्ट व्यवस्था वहां नहीं थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा। यही कारण है कि 2014 से पहले सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन पशुओं की वहां पर मौतें होती थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गये एक-डेढ़ साल के अन्दर हमने इसकी मानिटरिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 15 सी सी टी वी कैमरे लगाये हैं। कौन आता है, कौन जाता है, चारा कहां-कहां बांटना है, चारे की निकासी कब होती है; दूध जहां निकलता है, चारे के डिपो के अन्दर। इस तरह 15 जगहों पर एग्जिट आउटलेट पर और वैरियस पाइंट्स के ऊपर सी सी टी वी कैमरे लगाये हैं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार जो चारा पशुओं के लिए मंगाया जाता है, सूखा चारा, जिसे पशु आहार कहते हैं, उसको हम एनिमल न्युट्रीशन लैब से गये 4 महीनों में टैस्ट करा रहे हैं। नार्थ इंडिया के अन्दर कोई भी पशु पुनर्वास केन्द्र ऐसा नहीं है, जिस पशु पुनर्वास केन्द्र के अन्दर पशु आहार देने से पहले उसकी न्युट्रीशन वेल्यू को टैस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गये एक साल के अन्दर, पहले कोई क्रिटिकल वार्ड नहीं हुआ करता था...

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरा निवेदन है कि आप शहरी मंत्री हो...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझसे जो पूछा गया है, वह मुझे पता है।

श्री रमेश (सपोटरा): गांव के लोग जानते हैं कि सूखा चारा खाने से जबड़े छिल जाते हैं। आपको पता है, हरा चारा नहीं मिलेगा तो गायें मरेंगी। यह आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप जवाब सुन लीजिये, उसके बाद कहिये। बैठो आप।

श्री रमेश (सपोटरा): 10 करोड़ रुपये पर यीअर आपकी गौ-शाला पर नगर निगम के द्वारा खर्च किये जा रहे हैं। उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ रुपये नहीं, 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस आप्टिमम लेवल पर ले जाने के लिए। यह मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का राज था, जिस राज के अन्दर गये 2 साल में 34 क्रिटिकल वार्ड पशुओं के लिए वहां बनाये गये हैं, दो थियेटर, एक सर्जिकल थियेटर और एक आर्थोपेडिक का थियेटर, और पोस्ट-आपरेटिव केयर के लिए दो वार्ड और एक पैथोलाजिकल लैब। यह अभी बने हैं, गये पौने 2 साल में ही बने हैं, गये पौने 2 साल में पैथोलोजिकल लैब का बनना, 2 आपरेशन थियेटर, 1 आर्थोपैडिक के लिए एक्सक्लूसिवली और 1 जनरल सर्जरी के लिए बनना, 34 क्रिटिकल वार्ड बनना और 2 पोस्ट-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपरेटिव वार्ड बनना, इसका परिणाम यह आया कि डैथ रेट घट गयी; जो 100-125 के आसपास घूम रही थी, वह 30 से नीचे आ गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 पर आने के बाद भी मैं इसको संतुष्टि का कारण नहीं मानता हूं। मैं अभी भी मानता हूं कि जयपुर के अन्दर बड़ी तादाद में आवारा पशु घूम रहे हैं, उन पशुओं के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी है। फिलहाल 8,400 गौ-वंश के लिए 23 बाड़े अभी कम पड़ते हैं। इसलिए हम 3 बड़े-बड़े बाड़े बनाने वाले हैं और बीघाओं में बाड़े बनाने वाले हैं। इनको बनाने के बाद में हम 4,000 के आसपास और पशुओं की व्यवस्था वहां पर कर पायेंगे।

यह बढ़ते हुए पशुओं की व्यवस्था किस प्रकार से की जाये? हमने वाटर टैंक बनाये, जिसमें पैरेलल व्यवस्था हो; वहां जमीन के अन्दर चारा उगाने लग गये, वहां हरा चारा नहीं था, 50 बीघा जमीन में हरा चारा उगा रहे हैं; 100 बीघा जमीन को समतल कर रहे हैं, वहां हरा चारा उगायेंगे; हरे चारे का पशु आहार और दाने का मिक्स, किस प्रकार से न्यूट्रीशन एलिमेंट फूड की तरह से दिया जा सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, रमेश जी, आपको गायों की बड़ी चिंता है, हमें गायों की चिंता तो है ही, हमें पशुओं की भी चिंता है।

श्री रमेश (सपोटरा): 40 बीघा भी जन सहयोग से चारा उगाया जा रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो इसमें। आपको तो यह भी पता नहीं है। भाषण दे रहे हो। एक बाड़ में कितनी गायों को भरा जा रहा है, यह बता दीजिये मुझे। आप बताइये कि एक बाड़े में कितनी गायें हैं प्रजेंट में। यह बताइये, मंत्रीजी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यही गनीमत है। अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्टर्ड गौ-शालाएं हैं, उनको भिजवा दें, वही बहुत है। थियेटर तो बाद में कर लेना।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपने 3 मिनट दिये थे, अध्यक्ष जी, ये तो प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बैठो, मदनजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रमेशजी, बैठ जाइये। रमेशजी, यह रनिंग कमेन्ट्री नहीं

(श्री अध्यक्ष)

होगी। मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश, बैठ जाइये। बार-बार खड़े होकर के डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप बैठिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की बात माननीय सदस्य ने बताई है, वह सही थी और इसीलिए वे 15 सी सी टी वी कैमरे लगाये गये हैं। उस सी सी टी वी कैमरे में कर्मचारी आता है या नहीं आता है, चारे की क्वालिटी कैसी है, चारे के डिपो में क्या हो रहा है, दूध संकलन की स्थिति क्या है, किस पशु को बीमार हो जाने के बाद में कितनी देर में आई सी यू में भर्ती कराया गया। आई सी यू में भर्ती कराने के लिए लिफ्ट की मशीन लायी गयी, लिफ्ट के द्वारा ले जाया जाता है। हर 15 मिनट में बीमार पशु को आई सी यू में भर्ती कर दिया गया है, या नहीं कर दिया गया है। इसकी परफेक्ट मानिटरिंग का सिस्टम सी सी टी वी कैमरे के माध्यम से किया गया है। यह इसीलिए किया गया कि 2 साल पहले जिन हालात में पशुओं की मौतें हो रही थीं, उनको किस प्रकार से रोककर मानिटर किया जाये। आपकी बात सही है कि 2 साल पहले यह स्थिति थी। आज यह स्थिति सुधरी है। इसमें और भी सुधार लायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम गायों की और बाकी पशुओं की रेट-आफ-मोर्टेलिटी में हिन्दुस्तान में सबसे नीचे नम्बर पर इस हिंगोनिया के पशु पुनर्वास केन्द्र को लाना चाहते हैं। 2 साल में आप देखेंगे कि नार्दन इंडिया में सबसे कम मोर्टेलिटी का कोई सेंटर होगा तो हिंगोनिया के रूप में आप उसको जानेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। विराजिये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री हनुमान बेनीवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मेडिकल कालेजों की संविदा नर्सेज का स्थायीकरण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के आदेश के अनुसार पिछले डेढ़ वर्ष से मेडिकल कालेज में संविदाकर्मी कार्यरत हैं। अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के आदेश दिनांक 10.02.2016 के अनुसार नर्स ग्रेड-2 में 11,269 पदों पर नियुक्त एस एम एस मेडिकल कालेज की यू टी बी नर्सेज को मेडिकल कालेज में रखने या हटाने का जो भय व्याप्त था उसे दूर करने की मांग पर माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि किसी संविदाकर्मी को नहीं हटाया जायेगा। मंत्रीजी के आश्वासन के बाद दिनांक 16.02.2016 को कोटा मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने संविदाकर्मी को हटाने का मार्गदर्शन स्वास्थ्य निदेशालय से मांगा। दिनांक 25.02.2016 को अजमेर मेडिकल कालेज के 56 यू टी बी नर्सेज भाइयों को तुरन्त सेवा समाप्ति के आदेश पारित कर दिये गये, जो इन संविदाकर्मियों के साथ घोर अन्याय है।

संविदाकर्मियों की जायज मांगों को गम्भीरता से लेते हुए, सरकार चिकित्सा विभाग में रिक्त 10,797 पदों पर नियमित भर्ती न होने तक सभी संविदाकर्मियों को यथावत रखे, तो इन संविदाकर्मियों का जीवन गुजारा सही तरह से चल पायेगा, नहीं तो इस महंगाई की मार में इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान के समस्त मेडिकल कालेजों में, एस एम एस में 442, कोटा मेडिकल कालेज में 50, उदयपुर मेडिकल कालेज में 450, जोधपुर मेडिकल कालेज में 260 इस तरह के संविदाकर्मी कार्यरत हैं। इन सभी नर्सेज में घोर निराशा की भावना व्याप्त है।

राजस्थान सरकार ने 2013 में मेडिकल कालेज में 4,200 पदों पर संविदा पर भर्ती निकाली, जिन्हें दिसम्बर, 2014 में सम्पूर्ण कालेजों में नियुक्ति दी गई। योग्यता व अनुभव के अनुसार पिछले डेढ़ साल से और कहीं लगभग 4-5 वर्ष से संविदा पर मेडिकल कालेजों में नियमित सेवा दे रहे हैं। अब राजस्थान सरकार ने दिनांक 10.02.2016 को 11,259 पदों पर स्थायी नर्स ग्रेड-2 की नियुक्ति के आदेश जारी किये जिन्हें सीधे ही, सभी लगभग 5,000 नर्सेज को, मेडिकल कालेजों में नियुक्ति दी गई, जबकि परिवीक्षा काल में जिला अस्पताल, सी एच सी पर नियुक्ति का प्रावधान है, जहां लगभग अधिकांश सीटें खाली हैं। 11,259 की स्थायी नियुक्ति से 4,200 पदों पर कार्यरत नर्सेज को घर का रास्ता दिखाकर बेरोजगार किया जा रहा है, जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

संविदाकर्मियों के लिए तुगलकी फरमान है। अभी भी राजस्थान में नर्स ग्रेड-2 के लगभग 10,797 पद रिक्त हैं।

सरकार एक तरफ तो रोजगार देने की हमेशा बात करती रहती है और 15 लाख रोजगार देने का वादा भी किया था, दूसरी तरफ अपने हाथों से ही संविदाकर्मियों को दिये हुए रोजगार को अगर छीन लेगी तो राजस्थान का बेरोजगार युवा सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। माननीया मुख्य मंत्री ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी संविदाकर्मियों को नियमित कर दिया जायेगा, जबकि सरकार बनने के बाद अपने वादे से मुकर रही है। पिछले सत्र में एक माननीय सदस्य के प्रश्न पर सरकार ने जवाब दिया था कि सभी 4,200 संविदा नर्सेज को परिवीक्षा काल पूरा होने पर स्थायी कर दिया जायेगा।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बेरोजगार संविदाकर्मियों के भविष्य को समझते हुए अविलम्ब इन्हें स्थायी कर राहत प्रदान करवाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्षः डाक्टर श्री जसवंत यादव।

बहरोड़ स्थित धर्मचंद गांधी राजकीय महाविद्यालय में संकायों की वृद्धि

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में दो तहसीलें आती हैं, नीमराणा व बहरोड़, लेकिन यहां राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय एवं भूगोल संकाय स्नातक तक नहीं है, जबकि इस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय एवं भूगोल संकाय की प्रयोगशाला मय सामान के पूर्ण है। यहां पहले से ही स्ववित्त पोषण से संचालित भूगोल एवं विज्ञान संकाय थे लेकिन अब उन्हें बंद कर दिया गया है। इसमें स्नातकोत्तर विषय भी कम संचालित हैं।

इस महाविद्यालय में बहरोड़, नीमराणा, मुण्डावर व बानसूर तहसीलों के विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं, जो गरीब किसान व गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, जो कहीं दूर जाकर व प्राइवेट कालेजों में अधिक फीस की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। यह ग्रामीण अंचल का एक मात्र महाविद्यालय है। इसलिए

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

बहरोड़ राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय एवं भूगोल संकाय स्नातक तक खोले जाएं व भूगोल, हिन्दी साहित्य व इतिहास विषय की स्नातकोत्तर तक की कक्षाएं शुरू की जाएं।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

सब्सिडी प्राप्त बीजों की कालाबाजारी पर रोक

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले के नहरी एवं ट्यूबवेल क्षेत्र में लाखों हैक्टेयर भूमि पर रबी की फसल पैदा की जाती है, जिसमें मुख्यतया चना, सरसों, इसबगोल और जीरा भारी मात्रा में बोया जाकर फसल पैदा की जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अन्य प्रकार की मौसम की मार से बचाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को तरह-तरह की सुविधाएं दी जाकर उन्हें राहत प्रदान की जाती है। बिजाई के समय आधे से अधिक किसानों के पास कई कारणों से बोने के लिए बीज भी नहीं होता है। इस कारण सरकार उनको विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से रियायती दर पर बीज उपलब्ध कराती है।

इस वर्ष रबी की फसल के समय राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर चना बीज उपलब्ध करवाया गया था, परन्तु बीज वितरण एजेंसियों द्वारा इस बार भारी घपला करते हुए सब्सिडी वाले बीज (राजसीड व अन्य) को ऊंचे दामों में बेचा गया तथा उपभोक्ता भण्डार द्वारा भी 200 क्विंटल से भी कम बीज मंगवाया गया, जिससे किसानों को मजबूरन ऊंचे दामों पर चना बीज खरीदना पड़ा। बिजाई के अंतिम दिनों में बाजार से चना बीज 70 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। जैसलमेर जिले में नहरी एवं ट्यूबवेल क्षेत्र में हजारों टन बीज की खपत होती है। इसका वितरण एजेंसियों द्वारा भरपूर लाभ उठाते हुए कालाबाजारी में ऊंचे दामों पर बेचा गया। इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा। बाजार में बीज की कृत्रिम कमी पैदा की जाकर भाव दुगने कर दिये गये। इस सम्पूर्ण स्थिति में विभाग का नियंत्रण न होने के कारण व अधिकारियों की मिलीभगत के कारण किसानों को महंगे दर पर बीज खरीदना पड़ा।

(श्री छोटू सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर मामले में तह तक जाकर दोषियों को दंडित किये जाने का निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

बाप (जोधपुर) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रिक्त पदों की पूर्ति

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप, उप खण्ड मुख्यालय बाप का महत्वपूर्ण राजकीय चिकित्सा संस्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित होने के कारण इस संस्थान का महत्व और अधिक हो जाता है क्योंकि राजमार्ग संख्या 15 पर यदा-कदा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में मैं अवगत करवाना चाहूंगा कि बीकानेर सीमा में कोलायत के बाद 135 किलोमीटर तक कोई अन्य चिकित्सा संस्थान नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप पर दुर्घटनाओं एवं मौसमी बीमारियों में चिकित्सा हेतु दबाव और अधिक बढ़ जाता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए यहां के निवासियों को फलौदी या जोधपुर मुख्यालय तक जाना पड़ता है। फलस्वरूप सामान्य बीमारी की स्थिति भी उनके लिए खर्चीली हो जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में प्रतिदिन ओ पी डी की संख्या 300 से 400 होती है। इस संस्थान में कनिष्ठ विशेषज्ञ के कुल 5 पद स्वीकृत हैं, वे समस्त रिक्त हैं तथा चिकित्सा अधिकारी के 3 पदों में से 1 पद रिक्त है। मेल नर्स द्वितीय श्रेणी के कुल 6 पदों में से 5 पद रिक्त चल रहे हैं। पदों के रिक्त होने के कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इस सबके अतिरिक्त, लैब टेक्निशियन के 2 पद, सहायक रेडियोग्राफर के 2 पद, सूचना सहायक के 2 पद तथा वार्ड बाय के 3 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के कारण इस चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का श्रम करावें ताकि जिले के अंतिम छोर पर स्थित

(श्री पब्बाराम)

रेगिस्तानी मरु प्रदेश की दूरदराज की ढाणियों के निवासियों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: मेवाराम जैन।

परमार-वंशी राजपूत कृषक जाति को ओ बी सी का आरक्षण लाभ

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13/72871 दिनांक 30.09.2013 एवं मंत्रिमंडलीय आज्ञा संख्या 259/2013 के तहत कृषक (करसा) राजपूत खरवड़, चंदाना, उठड, परमार, कडेचा, इत्यादि को राज्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में क्रमांक 90 पर जोड़ा गया था, लेकिन प्रदेश में परमार-वंशी राजपूत कृषक जातियों के छात्रों के ओ बी सी प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं, जो कि इन कृषक जातियों के साथ अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कई जिलों में राजपूत कृषक जातियां जो बहुत ही गरीबी की हालत में जीवनयापन कर रही हैं, खेतिहर किसान हैं, जो कि पूर्णतया खेती पर अपनी आजीविका चलाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय इन लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनको ओ बी सी में डाला गया था, लेकिन प्रशासनिक त्रुटि के चलते इनको ओ बी सी प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। परमार राजपूत जिनकी कई उपजातियां हैं, जिनका वंश परमार है, ये मूलतया कृषि पर ही निर्भर करती हैं और अत्यन्त गरीब हैं। छात्रों द्वारा इनकी वंशावलियों में भी परमार वंश के प्रमाण भी दिये गये। लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं किया जा रहा है।

प्रदेश में इसको लेकर बहुत ही गम्भीर स्थिति बनी हुई है। सीमावर्ती जिले बाड़मेर-जैसलमेर में ऐसे कृषक परमारवंशी राजपूतों की संख्या ज्यादा है। जिले में आंदोलन की स्थिति बनी हुई है, साथ ही पूरे प्रदेश में यह गम्भीर स्थिति है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है, जो छात्र हित से जुडी हुई है। इस वर्ग के छात्रों का हक मारा जा रहा है। अत: सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से चिंतन कर, परमार कृषक राजपूत-वंशी जातियों को ओ बी सी आरक्षण का लाभ दिलाया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह रावत।

ब्यावर को जिला घोषित किया जाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर निवेदन है कि ब्यावर उपखण्ड राजस्थान में 13वां सबसे बड़ा शहर है। अगर ब्यावर जिला बनता है तो इसमें तहसील ब्यावर, टाटगढ़, बदनोर, मसूदा, विजयनगर, जैतारण, रायपुर को मिलाकर जिला बनाया जा सकता है। ब्यावर शहर जिला बनने की सारी योग्यताएं रखता है। यहां पर जिला चिकित्सालय, जिला परिवहन कार्यालय व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। एशिया में प्रसिद्ध सीमेंट की तीन फैक्टरियां हैं। करीब 800 मिनरल व ग्राइंडिंग फैक्टरियां आदि ब्यावर में स्थित हैं। सरकार की ऐसी कौनसी मजबूरी है जिसके कारण ब्यावर को जिला घोषित नहीं किया जा रहा है?

ब्यावर राजस्थान का सबसे बड़ा उपखण्ड है। राजस्थान में 20 शहर ब्यावर से छोटे हैं, फिर भी जिले हैं। राजस्थान में 20 जिलों की राजस्व आय ब्यावर की आय से आधी है। राजस्थान सरकार को ब्यावर 1,800 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व दे रहा है। जयपुर नगर निगम सीमा से दौसा 20 किलोमीटर दूर है, फिर भी दौसा जिला है। अजमेर से 60 किलोमीटर दूर ब्यावर स्थित है, फिर भी जिला नहीं है।

अतः हमारी सदन से मांग है कि ब्यावर को शीघ्र ही जिला घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमसा मेघवाल।

भामाशाह कार्ड की प्रक्रिया का सरलीकरण

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में भामाशाह कार्ड में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में प्रस्तुत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मलिंगाजी, यह कुश्ती मत लड़िये यहां। बैठिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के

(श्रीमती कमसा)

अन्तर्गत चार पंचायत समितियां आती हैं जो पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र एवं ढाणियां हैं। एक पंचायत में तीन-चार गांव आते हैं जिनकी दूरी चार से 5-6 किलोमीटर है। भामाशाह कार्ड बनाने हेतु पंचायत मुख्यालय पर ही ई-मित्र की सेवाएं हैं, जिसके कारण दूरदराज के गांवों एवं ढाणियों में निवास करने वाली वृद्ध व विधवा महिलाएं, वृद्ध पुरुषों को मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिसमें वे लोग असमर्थ हैं। इन वृद्धों व विधवाओं की उम्र 80-90 वर्ष होने से फिंगर प्रिंट में हाथों के निशान नहीं आते हैं और इसके बिना भामाशाह कार्ड नहीं बन पाता है। इसके अभाव में इन लोगों की पेंशन नहीं बन रही है। वृद्धजन की आंखें भी कमजोर रहती है; वहीं कई बार आंख खराब होने से भी भामाशाह कार्ड में दिक्कत आती हैं, दिव्यांग जिनकी अंगुलियां कटी हुई हैं, या जन्म से ही न होने पर भी परेशानी आती है, तथा मंद बुद्धि बच्चों का भामाशाह में नाम दर्ज करने पर भी दिक्कतें आती हैं। अगर किसी का कार्ड बन भी गया तो उनको पेंशन लेने दूसरे गांव बैंक में जाना पड़ता है क्योंकि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैंक सुविधा नहीं है।

इन सभी परेशानियों से सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले कि इन वृद्ध पुरुषों व वृद्ध विधवा/महिलाओं को घर पर ही पेंशन का भुगतान किया जा सके; और फिंगर प्रिंट नहीं आने से भी कोई रास्ता निकालें जिससे इन लोगों की पेंशन बन सके।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री रतनलाल जलधारी।

सीकर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय व आडिटोरियम का निर्माण

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं मेरे क्षेत्र की एक अत्यन्त ही लोक महत्व की मांग पर राज्य सरकार एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सीकर जिला मुख्यालय पर पिछले कई वर्षों से मिनी सचिवालय का निर्माण करने की मांग उठती आ रही है। गत सरकार ने उक्त महत्वपूर्ण मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे आमजन को भारी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अगर

(श्री रतन लाल जलधारी)

मिनी सचिवालय का सीकर जिला मुख्यालय पर निर्माण हो जाता है तो अधिकांश सरकारी कार्यालय एक ही भवन में शिफ्ट हो जाने से आम जनता को काफी राहत मिलेगी, समय की बचत होगी व धन का अपव्यय भी रुक सकेगा। वर्तमान में जिला कलेक्ट्रेट एवं विभिन्न न्यायालयों के कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहर के मध्य ऐसे स्थान पर हैं जहां दिन भर यातायात जाम रहता है, ट्रैफिक अस्त-व्यस्त हो जाता है और आम जनता को बेवजह घंटों लाइन में खड़े रहकर रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ता है, जो दुरूह कार्य है।

सीकर जिला प्रशासन की ओर से सीकर शहर में सांवली रोड पर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अनुपयोगी 15 हेक्टेयर भूमि पर मिनी सचिवालय एवं आडिटोरियम, 132 केवीए जी एस एस एवं यू आई टी भवन बनाने हेतु प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भिजवा दिये गये हैं, परन्तु अब तक उस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। उपरोक्त भूमि मिनी सचिवालय हेतु एकदम उपयुक्त है व आमजन के सीधे पहुंच में है।

अतैव मेरा राज्य सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया से करबद्ध निवेदन है कि सीकर जिले की जनता को राहत देने की दृष्टि से मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा इसी बजट सत्र में की जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति के बिन्दु 3(6) में संशोधन की निरस्ती

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के विषय का प्रस्ताव प्रस्तुत है। (व्यवधान) मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति, 2013 के बिन्दु संख्या 3(6) के अनुसार ''स्थानान्तरण के कारण आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों की नम्बरिंग (चिह्नांकन) नवीन मण्डी प्रांगण में सृजित भूखण्डों/दुकानों में ब्लाकवार लाटरी के माध्यम से आबंटित किये जाने'' के प्रावधान थे और इसका सीधा फायदा काश्तकारों को प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हर ब्लाक में एक निश्चित हिस्से यानी 20 प्रतिशत तक के भूखण्ड/दुकान महिला काश्तकारों के लिए आरक्षित रखे जाने के प्रावधान थे। सरकार ने अभी हाल ही के आदेश दिनांक 16.07.2015 के द्वारा उक्त बिन्दु

(श्री जोगाराम पटेल)

संख्या 3(6) के उक्त प्रावधान को विलोपित कर दिया है, जिसका तात्पर्य यह हुआ है कि अब नवीन मण्डी प्रांगण हर ब्लॉक में आबंटित किये जाने वाले भूखण्डों की नम्बरिंग (चिह्नांकन) सृजित भूखण्डों/दुकानों में ब्लाकवार लाटरी के माध्यम से नहीं होगी, बल्कि व्यापारियों को पहले भूखण्ड/दुकानें आबंटित होने के उपरांत शेष बचे भूखण्ड/दुकानों में से ही काश्तकारों/महिला काश्तकारों को भूखण्ड/दुकानें आबंटित होंगी, जबकि ऐसा करना किसी भी रूप में काश्तकारों के हित में नहीं है। मण्डी और मण्डी के अधिनियम के प्रावधान काश्तकारों के हितार्थ बनाये गये हैं।

ऐसी स्थिति में निम्न वर्णित बिन्दुओं से यह बखूबी स्पष्ट है कि यह विलोपित प्रावधान काश्तकारों के हितार्थ था, अतः इसे पुनः जोड़ा जायः-

1. उक्त आदेश दिनांक 16.07.2015 के कारण काश्तकार/महिला काश्तकारों को जो 20 प्रतिशत कोटा सभी ब्लाक्स में आरक्षित होने के आधार पर प्राप्त हो रहा था, अब वह कोटा उक्त संशोधित आदेश के कारण प्राप्त नहीं होगा। अब काश्तकार/महिला काश्तकारों को व्यापारियों को क्रमवार स्थानान्तरण भूखण्ड/दुकानों के आबंटन होने के उपरान्त शेष बचे हुए भूखण्डों/दुकानों में से ही आबंटन होगा, जो न केवल कम होंगे, बल्कि कई एक कोने में अनुपयोगी रूप में प्राप्त होंगे। अतः इस प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यापारियों से काश्तकारों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में पहले से जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं व मेन मौके पर काबिज हैं, उन्हें और अधिक फायदा होगा। इस तरह स्पष्ट है कि इस संशोधन के द्वारा भूखण्ड/दुकानें मात्र व्यापारियों को ही आबंटित होंगी और उन्हें फायदा पहुंचाने हेतु यह प्रावधान लाया गया है। इससे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो मण्डी की मूल भावना के विपरीत है। किसानों को भी ब्लाकवार दुकानें/भूखण्ड आबंटित होना अनिवार्य है।

2. मण्डी स्थानान्तरण के नाम पर जिन व्यापारियों के पास 10x10 फीट या 10x12 फीट साइज के भूखण्ड या दुकानें हैं, उन्हें अब उसके बदले 18x50 फीट साइज के भूखण्ड/दुकानें स्थानान्तरण के नाम पर आबंटित किये जा रहे हैं, जबकि ऐसा करना काश्तकारों के हित में नहीं है क्योंकि स्थानान्तरण के बाद शेष बची हुई भूमि में से ही 20 प्रतिशत भूखण्ड/दुकानें काश्तकारों को आबंटित की जा सकेंगी।

(श्री जोगाराम पटेल)

3. महिला काश्तकारों को भूखण्ड आबंटित करने का नियम है लेकिन पूर्व में 99 वर्ष की लीज पर जिस नाम के भूखण्ड आबंटित किये गये थे, उस नाम के भूखण्ड स्पीटिंग के दौरान दिया जाना उचित रहेगा। स्पीटिंग के नाम पर वर्तमान में जो भूखण्ड व्यापारियों को आबंटित किये जा रहे हैं, वे पूर्व में आबंटित भूखण्ड से बहुत ज्यादा जैसे 10x12 के स्थान पर 18x50 फीट के भूखण्ड दिये जा रहे हैं, उस कारण से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों को मण्डी में आबंटित होने वाली दुकानों की संख्या काफी कम हो जाएगी, जिससे किसानों का प्रतिनिधित्व मण्डी में नाम मात्र का रह जायेगा। जितनी भूमि पूर्व में व्यापारियों को आवंटित की गई थी, उतनी ही भूमि स्पीटिंग के नाम पर व्यापारियों को दिया जाना उचित है।

4. पूर्व में आबंटित भूखण्ड (दुकानें) जो कि 99 वर्ष की लीज पर जिस जिन्स के व्यापार के लिए व्यापारियों को दिये गये थे, उसमें कई व्यापारियों द्वारा व्यापार ही नहीं किया गया। ऐसे व्यापारियों को स्पीटिंग के नाम पर भूखण्ड आबंटित नहीं किया जावे और जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में मण्डी टैक्स का भुगतान ही नहीं किया है, ऐसे व्यापारी स्पीटिंग के भूखण्ड प्राप्त करने योग्य नहीं हैं। इसलिए ऐसे व्यापारियों को स्पीटिंग के नाम पर भूखण्ड आबंटन नहीं किये जाएं।

अतः इस अति संवेदनशील काश्तकारों व विशेष रूप से महिला काश्तकारों के हित के विषय को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान की है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मंत्रीजी, कृपया बातें नहीं करके, इस ओर ध्यान दें। मंत्रीजी तो बिजी हैं बातों में।

श्री अध्यक्षः श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। मंत्रीजी, बातें मत कीजिये।

आहौर के पुरातात्विक महत्व के दृष्टिगत इसे ऐतिहासिक धरोहरों में सम्मिलित किया जाना

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहौर, जिला जालौर में महाभारत काल में पाण्डवों का विचरण रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में धूमड़ा माता मन्दिर है जो भाद्राजून गांव के पास स्थित है। इस गांव में

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

सुभद्रा व अर्जुन का विवाह धूमड़ा माता मन्दिर में हुआ था। इसलिए इस गांव का नाम भी भाद्राजून गांव रखा गया। महर्षि व्यास मुनि ने विवाह में अर्जुन को आशीर्वाद के रूप में शंख दिया था और सुभद्रा को आशीर्वाद के रूप में कान की बाली दी थी। इसलिए उस गांव का नाम शंखवाली पड़ा। इस गांव से थोड़ा आगे रायथल गांव में पाण्डवों को जब पानी की आवश्यकता हुई तो भीम ने वहां पर तालाब खोदा। इसलिए उस ऐतिहासिक तालाब का नाम भीम तालाब पड़ा, जो रायथल गांव में स्थित है।

उक्त ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित, संरक्षित व पर्यटन की स्थिति को देखते हुए उपरोक्त स्थानों को ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित कर विकास करावें ताकि इन धरोहरों को न केवल राजस्थान, अपितु पूरा भारत देश महाभारत की उस श्रृंखला को जाने।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

देवली-उनियारा में बीसलपुर बांध के विस्थापित किसानों से विकास शुल्क की वसूली

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के देवली उपखण्ड में बीसलपुर बांध बना हुआ है जो बनास नदी पर बनाया गया है। जब बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ तो उसके पेटे में रहने वाले ग्रामीणों की भूमि डूब में आने के कारण सरकार द्वारा ऐसे विस्थापितों को जमीन आबंटित की गई थी। बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 309 मीटर तक के क्षेत्र में जिन ग्रामीणों की जमीन थी, उनको दूसरी जगह जमीन आबंटित करके खातेदारी प्रदान कर दी गई, परन्तु 309 से 315 मीटर के भराव क्षेत्र में जिन ग्रामीणों की भूमि डूब गई थी उनको जो जमीन आबंटित की गई उसमें गैर-खातेदारी से खातेदारी लेने के बदले विकास शुल्क के रूप में राशि 8 हजार रुपये बारानी एवं 15 हजार रुपये सिंचित भूमि प्रति बीघा के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। इस प्रकार किसानों से दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र के निवासियों को पहले तो बिना शुल्क के गैर-खातेदारी से खातेदारी दी गई थी, जबकि उसी क्षेत्र के दूसरे निवासियों को, जो 309 से 315 मीटर के भराव क्षेत्र से सम्बन्धित थे, ऐसे विस्थापितों से गैर-खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तन करवाने का शुल्क वसूला जा रहा है, जो अनुचित है। इससे क्षेत्र की जनता में असंतोष है।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से। श्री नवनीत लाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भगोरा का खेड़ा ग्राम पंचायत (बांसवाड़ा) में अधूरे एवं नये कुओं का निर्माण

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के द्वारा बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको आदर एवं धन्यवाद।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति घाटोल, जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भगोरा का खेड़ा है व भगोरा का खेड़ा में रोहणियां नाम का एक गांव है। उस गांव के अन्दर न तो तालाब बन सकता है और न किसी तरह की नहर आ सकती है। ऐसी स्थिति में वहां के किसानों ने अपनी निजी सम्पत्ति से, अपने परिवार की मदद से 55 कुएं खोद रखे हैं, जिनमें से कुछ कुओं में तो पानी है और कुछ में नहीं है। वे सारे बी पी एल परिवार हैं। सरकार की तरफ से अभी मनरेगा योजना चल रही है लेकिन वहां के सरपंच और सचिव के द्वारा इन कुओं को वार्षिक योजना में नहीं लिया जा रहा है। अत: मेरा आग्रह है कि उसे वार्षिक योजना में लेने के लिए ग्राम पंचायत भगोरा का खेड़ा जिला बांसवाड़ा को आदेश दिया जाय।

इसी तरह से बी पी एल परिवार के 35 किसान हैं वे अपने खेतों पर नया कुआं खोदना चाहते हैं लेकिन अभी पंचायत उनको सही ढंग से सहयोग नहीं कर रही है। माही डैम की दायीं, यानी, भूंगड़ा कैनाल की जो अण्डरग्राउण्ड नहर निकली है उस नहर से उस गांव को भी छोड़ दिया गया है।

अत: मेरा आग्रह है कि ग्राम पंचायत रोहणियां के किसानों को राहत देने के लिए, जो कुएं खोदने की योजना किसान बना रहे हैं और जो 55 कुएं अधूरे पड़े हैं, इन कुओं को सरकार से राहत दी जाए और ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को तुरन्त आदेश दिया जाए। वहां के सचिव और सरपंच उस गांव को महत्व नहीं दे रहे हैं। अत: मेरा आग्रह है कि इस पंचायत समिति को आदेश देकर सरपंच को पाबन्द कराया जाए ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई। शिक्षा मंत्रीजी, आप बातचीत मत कीजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उपाध्यक्ष महोदय, घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने भगोरा का खेड़ा के गांव रोहनिणां के कुओं का मामला उठाया है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 2007-08 में 7 कुएं स्वीकृत किये थे, वे 7 ही पूर्ण हो गये; 2008-09 में 13 कुएं स्वीकृत किये थे 13 ही पूरे हो गये, 2009-10 में 13 कुए स्वीकृत हुए थे, 13 ही हो गये 2010-11 में 2 कुएं स्वीकृत किये थे, दो 2 पूरे हो गये। इस प्रकार से 2010-11 तक जो भी कुएं सैंक्शन किये थे, वे पूर्ण हो गये हैं। 2012-13 से लेकर 2014-15 तक 20 कुएं स्वीकृत किये थे, जो पूरे नहीं हुए हैं। इस साल 2015-16 में 40 कुएं स्वीकृत किये हैं, जो इसी साल किये हैं।

तो मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुएं स्वीकृत हो गये हैं और वो अधूरे हैं, उनको पूर्ण करवाने के लिए राज्य स्तर से मानिटरिंग करके उनको पूर्ण करवायेंगे।

(13.00 बजे)

नये कुओं के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं, जैसा आप लोग बता रहे हो कि वहां नहर है, वहां पानी नहीं है, कुछ क्षेत्र तो ऐसा है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा-5 में वर्णित, "...परन्तु निजी भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना अनुमत है।" कुछ क्षेत्र ऐसा है जो क्रिटिकल है, सेमी-क्रिटिकल है और अति- दोहित क्षेत्र है तो उसके अन्दर कुआ अनुमत नहीं है। उसके अन्दर अभी हमने यह निर्देश दिये हैं कि तीन आदमी मिलकर कोई कुआं खुदवाना चाहते हैं तो वह अनुमत होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि तीन आदमी मिलकर, उन लोगों को प्रोत्साहित कर-करके आप कुआं खुदवाने के लिए ग्राम सभा से एप्रूवल लेकर भिजवायें, वह सैंक्शन हो जायेंगे और प्रत्येक को तीन-तीन लाख रुपये दिये जायेंगे। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

कुशलगढ़ में पीने के पानी की समस्या

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा जिले के और राजस्थान के दक्षिण अंचल पर स्थित है; गुजरात की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है; 80

(श्री भीमा भाई)

प्रतिशत नान-कमांड क्षेत्र है। इस वर्ष पानी कम गिरने से तमाम ओपन-वेल, कुओं में पानी खतम हो चुका है, सूख चुका है तथा हैण्डपम्प भी पूरी तरह से सूख गये हैं; कहीं सुबह-सुबह पानी मिलता है। दूर-दराज के इलाकों के लोगों को भारी समस्या उत्पन्न हो रही है।

ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी एच ई डी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 403 रेवेन्यू विलेज हैं, एक नगरपालिका है। पूरे क्षेत्र में माही सागर बांध से पेयजल की स्कीम को स्वीकृत कराने के लिए हमारी सरकार की मुखिया ने, सम्बन्धित पी एच ई डी मंत्री महोदया ने डी पी आर विभाग से तैयार करवाई है। वह डी पी आर, मुझे लग रहा है, राजस्थान की सरकार तक पहुंच गई है। अगर समय रहते पूरे क्षेत्र की पेयजल स्कीम को सरकार मंजूर कर देती है तो यह कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से अब वहां के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

मैं पी एच ई डी मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सज्जनगढ़ ब्लाक है, उस सज्जनगढ़ ब्लाक में दो-चार पंचायतें पड़ती हैं, उनमें 12.5 करोड़ रुपये की पेयजल स्कीम छह महीने पहले सैंक्शन की है। साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा कि सैंक्शन तो हुई है, लेकिन अभी तक उसकी टेण्डर प्रक्रिया कहीं न कहीं रुकी हुई है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया को कि समय रहते उसकी टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर उसका कार्य प्रारम्भ किया जाये ताकि कम से कम दो-चार पंचायतों को राहत दी जा सके।

कुशलगढ़ की पंचायत समिति खेड़ा धरती की 15 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज भी आसपास में कहीं पर पानी उपलब्ध नहीं है। मंत्री महोदया बांसवाड़ा में पहुंची थीं, उस समय मैंने मंत्री महोदया से मिलकर आग्रह किया था, निवेदन किया था उन 15 पंचायतों के बारे में। उन्होंने उसी समय 40 हैण्डपम्प इलाके के लिए सैंक्शन किये थे। वे हैण्डपम्प खुद तो गये हैं लेकिन उन हैण्डपम्पों की फिटिंग का काम बाकी है, तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हैण्डपम्प भी समय रहते फिट हो जायें ताकि वहां के लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो सके।

साथ ही विशेषकर हमारे खेड़ा धरती में 15 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें

(श्री भीमा भाई)

कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे वहां के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके। मैंने छोटी-छोटी स्कीमों के लिए पी एच ई डी के अधिकारियों से मिलकर सर्वे करवाया है। विशेषकर ग्राम पंचायत बड़ी सड़वा, ग्राम पंचायत खजूरा, ग्राम पंचायत रूपगढ़ तथा कसारवाड़ी की विचाराधीन स्कीमें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विचाराधीन स्कीम हैं, वे मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र के लिए समय रहते अगर सैंक्शन हो जाती हैं, तो मैं आशा और उम्मीद करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो सकेगी।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदया को और पी एच ई डी मंत्री महोदया को कि आजादी के बाद पहली मर्तबा कुशलगढ़ के प्रति उन्होंने विश्वास जताया है, कुशलगढ़ के प्रति आस्था जताई है और 12.5 करोड़ रुपये की सैंक्शन की है। मुझे पूरा विश्वास है कि माही सागर बांध से जो डी पी आर तैयार करवाई है 403 रेवेन्यू विलेजेज की, वह मैं आशा और उम्मीद करना चाहूंगा मंत्री महोदया से, उस स्कीम को भी हाथ में लेकर, उस स्कीम को सैंक्शन कराने में आपका योगदान रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पवित्र सदन में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मौका फूलसिंहजी को भी दे रहा हूं मैं। आप बोलेंगी? रेस्पोंड करेंगी क्या? हां, बैठिये। फूलसिंहजी, बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा यहां पर जो पीड़ा रखी गई पेयजल के सम्बन्ध में, वह बहुत ही वाजिब है, इसलिए कि देश को आजाद होने के इतने वर्षों के बाद भी आज तक कुशलगढ़ में पेयजल को लेकर केवल हैण्डपम्प भी हम लोगों ने दिये इस पूरे एरिया के अन्दर। जबकि माही के वहां बिलकुल नजदीक होते हुए भी उनको पानी वहां का नहीं मिल पाया।

श्री अध्यक्ष: राजनैतिक दृष्टि से बहुत जागरूक नहीं था, इसलिए वह नहीं हुआ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बस, वही

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैं कह रही थी। आप उस क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानते हैं। केवल वोटों की राजनीति वहां के लोगों के साथ की गई, लेकिन पानी के सम्बन्ध में वहां पर कोई काम नहीं किया गया।

मैं धन्यवाद आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को देना चाहूंगी कि सरकार-आपके-द्वार के अन्दर उसमें जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां की सारी समस्या देखी और उसके बाद में उसी समय उन्होंने एक डी पी आर बनाने के निर्देश दिये। डी पी आर अब बनकर आ गई है, हम लोगों ने दो करोड़ रुपये डी पी आर केलिए स्वीकृत किये, डी पी आर बनकर आई है। इस डी पी आर से लगभग 399 गांव और 395 ढाणियां, यानी, लगभग 800 ऐसे गांव और ढाणियां उस पूरे क्षेत्र के अन्दर, जहां पर माही का पानी पेयजल का पाइपलाइन के माध्यम से पहुंच जायेगा। इतने बड़े काम की डी पी आर हम लोगों की बन गई है। 695 करोड़ रुपये की यह डी पी आर बनकर आयी है और बजट की उपलब्धता के अनुसार हम लोग इसको स्वीकृत करेंगे।

लेकिन उसी बीच में जो इनका सज्जनगढ़ क्षेत्र है, उस सज्जनगढ़ के लिए हम लोगों ने चार पंचायतों के लिए 12.5 करोड़ रुपये दिये। जैसा कि माननीय सदस्य ने अपनी इच्छा जाहिर की कि यह कब तक काम पूरा होगा, इसका तीन दिन के अन्दर टेण्डर लग जायेगा, क्योंकि बाकी की सारी प्रक्रिया हो गई।

दूसरा माननीय सदस्य ने कहा कि 40 हैण्डपम्प इन्हें स्वीकृत हुए थे, उनके ऊपर एसेसरीज नहीं लगीं। वह भी 15 दिन के अन्दर-अन्दर एसेसरीज लगवा देंगे। यह भी मैं उनको कहना चाहूंगी।

इसके अलावा उनकी कुछ और स्कीम्स हैं। मैं उनके साथ में वार्ता करके वे भी स्वीकृत करने की कोशिश करूंगी।

राजस्थान की यह सरकार माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में पेयजल को लेकर और ऐसे दूर-दराज इलाके, जो बिलकुल ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट के अन्दर भी इतनी बड़ी योजनाएं लेकर काम करना हमने शुरू किया है। आज तक कांग्रेस ने केवल वोटों की राजनीति की। वहां कहीं पर भी इस तरीके की राजनीति नहीं करके, हम लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं और इस काम में हम लोग आगे बढ़े हुए हैं।

आपने मौका दिया और माननीय सदस्य ने जो पूछा, उसका जवाब मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पुराना हिसाब भी बताते। पुराना हिसाब भी बताते।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पुराना हिसाब तो बहुत लम्बा है। ये कह रहे हैं कि पुराना हिसाब बताते।

श्री अध्यक्ष: आप मत बताओ। इनके कहने से उकसावे में मत आना।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपका हिसाब है? इनका, किनका है हिसाब? आपका है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका हिसाब बताना चाहते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पुराना हिसाब तो देंगे तीन साल के बाद, अभी नहीं। तीन साल के बाद देंगे हिसाब तो। लेकिन आप यह बता रहे हो ना, एक गांव के लिए आपने बता दिया कि डी पी आर बन रही है...

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: श्रवणजी। श्रवणजी। आपका भी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...आप लोगों ने डी पी आर बनाई कहां, यह मैं सोच रहा हूं। काम तो कोई शुरू ही नहीं हुआ आज तक। कोई काम तो होता ना शुरू। (व्यवधान) खाली डी पी आर बना रहे हैं। आपका तो एक ही काम है, डी पी आर बनाना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाओ आराम से। श्रवणजी। मिस्टर श्रवण कुमार। मिस्टर श्रवण कुमार। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

उमरड़ा औद्योगिक क्षेत्र (उदयपुर) में वायु व जल प्रदूषण

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल पर्ची खुली थी और आज आपने बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमने सोचा था कि हमारी किस्मत तो खुली मगर फूट गई, किन्तु आज नई किस्मत खोलकर आपने हमारे ऊपर बहुत ही अहसान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री फूलसिंह मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रदूषण डिपार्टमेंट के लिए एक अतारांकित प्रश्न संख्या 2065, पर्यावरण विभाग के नाम से, उसका उन्होंने प्रश्न का जवाब भी दिया। मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं, मैंने क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। तो मैं आज्ञा चाहता हूं।

''क्या यह सही है कि उमरडा रीको एरिया में चल रही केमिकल फैक्टरियों से वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण से क्षेत्र में नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी फैक्टरियों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।''

उत्तर आया है- ''उमरडा में कार्यरत केमिकल उद्योगों से उत्पन्न वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से नुकसान के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग के अधीनस्थ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में बारह खाद एवं अन्य केमिकल उद्योग कार्यरत हैं। उद्योगों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन उद्योगों ने जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु व्यवस्था स्थापित कर रखी है। दस उद्योगों में शून्य उच्छिष्ठ निःस्राव की स्थिति है एवं उच्छिष्ठ का पुनः चक्रण किया जाता है। इन दस उद्योगों में से एक उद्योग में वायु प्रदूषण का कोई स्रोत नहीं है एवं नौ उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित की हुई है। शेष दो उद्योगों में वायु प्रदूषण अथवा जल प्रदूषण का कोई स्रोत नहीं है।'' यह तो पहले का उत्तर दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न है, ''क्या उक्त फैक्टरियों से होने वाले वायु व जल प्रदूषण के कारण पूर्व में वर्षा ऋतु में भी बड़े-बड़े पेड़ सूख गये थे? यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये व फैक्टरी मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं? तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।''

उनका उत्तर है, ''उक्त उद्योगों द्वारा अपने परिसर में वृक्षारोपण किया हुआ है। इन वृक्षों एवं आसपास के वृक्षों के वायु व जल प्रदूषण से वर्षा ऋतु में भी सूखने की समस्या से सम्बन्धित अधिकारिक सूचना पर्यावरण विभाग के अधीनस्थ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में नहीं है। ग्राम उमरड़ा में कार्यरत इन उद्योगों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु व्यवस्था स्थापित की हुई है। क्षेत्र में स्थित बारह उद्योगों में से दो उद्योगों में औद्योगिक जल प्रदूषण का स्रोत ही नहीं है। दस उद्योग उत्पन्न जल उच्छिष्ट को पुनः

(श्री फूलसिंह मीणा)

उत्पादन प्रक्रिया में चक्रित कर शून्य निःस्त्राव पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार से कुल बारह में से तीन उद्योगों में वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है एवं शेष नौ उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु संयंत्र एवं उचित ऊंचाई की चिमनी स्थापित की हुई है। अतः वर्तमान में मण्डल द्वारा इन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।''

तीसरा प्रश्न है, ''क्या यह भी सही है कि केमिकल फैक्टरियां लगने से पहले इस क्षेत्र का पानी पीने योग्य था व वर्तमान में क्षेत्र में इस पानी द्वारा फसल भी नहीं हो रही है? यदि हां, तो इस समस्या के निदान हेतु क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।''

तो उनका उत्तर है, अध्यक्ष महोदय, ''जी नहीं। क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों से उत्पन्न उच्छिष्ट को पुनः उत्पादन प्रक्रिया में चक्रित कर उपयोग में लाया जाता है। मण्डल के द्वारा किए गए निरीक्षण में केमिकल युक्त पानी उच्छिष्ट को जमीन में निःस्त्रावित करना नहीं पाया गया है। अतः वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।''

अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न और ये उत्तर थे, मगर इससे पहले मैं उमरड़ा की भौगोलिक दृष्टि बताना चाहता हूं। उमरड़ा एरिया के अन्दर किसान केमिकल जल से इतने प्रभावित हैं कि बीस वर्ष पहले वहां अपार खेती हुआ करती थी मगर केमिकल फैक्टरियों की वजह से आज की तारीख में अगर सर्वे करवाया जाए तो वहां पर खेती गौण हो चुकी है। क्योंकि वहां पर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से पीने योग्य पानी नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें बीस वर्ष पहले गायें और भैंसें वहां पर इतनी होती थीं कि उनका दूध उदयपुर तक भेजा जाता था। एक तरह से उनका यह धंधा था और उसकी वजह से उनका परिवार पालते थे। मगर आज गायों के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं है, न गायें हैं, न ही भैंसें। आज कई क्विंटल दूध उमरड़ा में उदयपुर से डेयरी से लाया जाता है।

वहां पर हमारी शिक्षण संस्थाओं की भी बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लग गई हैं। गैस से चारा सूख गया और पानी भी जहरीला हो गया है; गायें, भैंसें मर चुकी हैं।

वर्षा के दौरान, हमारे प्रभारी मंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया साहब यहां बैठे हैं, मैंने जिला परिषद की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था और मैंने सूखे

(श्री फूलसिंह मीणा)

हुए पेड़ों का फोटो भी दिया था। इसके लिए कलक्टर साहब को लिखकर दिया और मंत्री महोदय को बाई-डाक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी का जवाब आया, उसमें मुझे लिखा है कि हमने इस सम्बन्धित विभाग को चिट्ठी लिखकर दे दी, और मंत्री महोदय को पता ही नहीं है। इस प्रश्न में यह लिखा है कि शिकायत ही हमारे पास नहीं आई है।

अभी मैंने कलक्टर साहब को फोन भी किया। मेरी चिट्ठी भी निकलवा रहा था मगर दुर्भाग्य से मेरा नम्बर पहले आ गया। वह मेरी चिट्ठी कलक्टर साहब को भी दी, मैंने मंत्री महोदय को भी दी। इस जल प्रदूषण से वहां की फैक्टरी के आजू-बाजू के पेड़ सूख गये हैं।

माननीय हमारे वल्लभनगर के विधायक महोदय ने भी यह प्रश्न पहली विधान सभा में लगाया था। उसका जवाब भी यही आया। उसके बाद में हम सभी विधायकों ने मिलकर कलक्टर साहब के साथ मीटिंग की और कलेक्टर साहब को कहा कि इस जल प्रदूषण की आज जांच करें। हमारे विधायकों को साथ में रखकर एक सैम्पल आप रखो और एक सैम्पल हमारे को, अलग-अलग लैबोरेटरी में जांच कराते हैं और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करें। मगर अभी तक वह जांच नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इससे हमारे वहां के तीन विधान सभा क्षेत्र प्रभावित हैं, ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र, मावली विधान सभा क्षेत्र और वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र। नीचे के कर्मचारी और अधिकारी रिपोर्ट सही नहीं देकर हमारे किसानों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करें। कम से कम यहां इस सदन में ऐसा उचित प्रश्न पूछें तो उसका जवाब तो सही दें।

मंत्री महोदय से यही आग्रह करूंगा कि हमने जहां देखो वहां पर यह मुद्दा उठाया, मगर ये जांचें कहां जाती हैं, पता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की पीड़ा है और मुझे बहुत बड़ा दर्द है। हम यह नहीं चाहते हैं कि उद्योगों में कोई परेशानी आये, मगर जो जहरीले पानी को अन्दर डाल रहे हैं और वायु प्रदूषण को जो वहां बाहर छोड़ा जाता है, उसके ऊपर नियंत्रण करके और हमारे किसानों को फायदा दिलायें।

मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं कोटिश: आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की दिल की पीड़ा है। यह सुनें। अधिकारियों की क्या हालत है। इनके दिल की पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अच्छा, आप जवाब दे रहे हैं।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण में उमरड़ा गांव में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर 12 उद्योग लगे हुए हैं केमिकल और खाद के। उसमें 11 के पास में वैध परमिशन है और एक के पास में नहीं है1 उसको हमने निरस्त कर दिया है। उनमें दो फैक्टरियां ऐसी हैं जिनमें न तो वायु प्रदूषण हो रहा है और न ही जल प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि उनमें इस तरह का कोई स्रोत ही नहीं है कि कोई जल या वायु का उसमें उपयोग हो। नौ जो हैं उनके अन्दर हमारे आर.ओ. ने जो रिपोर्ट भेजी है अपनी टीम ले जाकर, तो वे बता रहे हैं कि वहां पर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एकदम है। वहां पर ऐसी स्थिति है। वायु के अन्दर में ऊंची-ऊंची जो नार्म्स में आती हैं वे चिमनियां लगा रखी हैं। स्क्रब जो संयंत्र होता है वह लगा रखा है। तो वहां वायु और इन दोनों की कोई भी इस तरह की प्रदूषण की समस्या नहीं है। उन्होंने मेरे पास फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं।

हमने अपने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों से इसको जोड़ने के लिए आनलाइन कर दिया है। वहां की रिपोर्टस भी हमारे पास आ रही हैं।

सम्माननीय सदस्य ने क्रेशर के लिए नहीं बताया। मुझे यह पता लगा कि वहां नौ क्रेशर भी हैं। तो उनमें से हमने जानकारी की, तो दो को हमने बंद करने के आदेश दे दिये और सात पर परमीशन को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किये हैं।

मैं अभी 6 दिन पहले वहां गया भी था, बायोडाइवर्सिटी पार्क के उद्‌घाटन के लिए बुलाया था सम्माननीय कटारिया साहब ने। उस समय अगर सम्माननीय विधायक महोदय कहते, तो मैं व्यक्तिगत उनके साथ जाकर देख सकता था।

अभी हमारे राजस्थान के सबसे वरिष्ठतम और सबसे शानदार मंत्री महोदय हैं कटारिया साहब। उनका क्षेत्र है व वे वहां के प्रभारी हैं। अगर इस तरह का हमारे विभाग का कोई अधिकारी कोई गड़बड़ कर रहा है, यह वास्तव में अगर विधायक महोदय सही स्थिति बता रहे हैं कि वहां पर यह पोजिशन

(श्री राज कुमार रिणवां)

है, तो मेरा निवेदन है सम्माननीय मंत्री महोदय से कि वे जब भी कभी पधारें उदयपुर, तो माननीय विधायक महोदय के साथ पूरी टीम ले जाकर उसकी जानकारी कर लें। अगर कोई भी जो रिपोर्ट दी है, गड़बड़ है, तो उन अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

जो क्रेशर हैं, उनमें से दो को बंद करवा दिया है और सात को निरस्त के आदेश दे दिये हैं।

श्री अध्यक्षः मैं, मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने विधायक की पीड़ा को बड़ी गम्भीरता से लिया है और इसी गम्भीरता से अब कार्यवाही भी करायेंगे, उनकी राय से, यह मेरा आपसे निवेदन है।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपालसिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण का अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2014-2015; एवं

राजस्थान आवासन मण्डल का प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2014-15)

(2) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1971 की धारा 47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2014-2015 ।

श्री अध्यक्षः श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2014-15)

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-2015;

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (वर्ष 2014-15)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2014-2015;

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2013-14)

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की वर्ष 2013-2014 की आडिट रिपोर्ट ;

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

(4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ;

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2014-15)

(5) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-2015;

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2014-15)

(6) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-2015; एवं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

(7) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 ।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां।

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2014-15)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा 21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन (क्रम सं. 68 से 90)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2015-16 के निम्नांकित 23 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.2 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 68वां प्रतिवेदन;

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 69वां प्रतिवेदन;

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 1.2.4 पशुपालन, वित्त, स्वायत्त शासन, पंचायती राज एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 70वां प्रतिवेदन;

(4) जन लेखा समिति, 2013-14 के 226वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 71वां प्रतिवेदन;

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 72वां प्रतिवेदन;

(6) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 73वां प्रतिवेदन;

(7) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 74वां प्रतिवेदन;

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 75वां प्रतिवेदन;

(9) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्रासियां) वर्ष 2010-11 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 76वां प्रतिवेदन;

(10) जन लेखा समिति, 2014-15 के 51वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में आबकारी विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 77वां प्रतिवेदन;

(11) जन लेखा समिति, 2012-13 के 206वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में गृह (पुलिस) विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 78वां प्रतिवेदन;

(12) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 1.9.4 एवं 3.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वन एवं गृह विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 79वां प्रतिवेदन;

(13) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

2010-11 के अनुच्छेद संख्या 4.1 सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 80वां प्रतिवेदन;

(14) विनियोग लेखे वर्ष 2012-13 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्राप्त विनियोगों में अतिरेक मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 81वां प्रतिवेदन;

(15) विनियोग लेखे वर्ष 2013-14 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्राप्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 82वां प्रतिवेदन;

(16) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 3.2.2 सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 83वां प्रतिवेदन;

(17) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 84वां प्रतिवेदन;

(18) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.5 पर्यटन एवं श्रम विभाग (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.3 एवं वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.2.1 श्रम विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 85वां प्रतिवेदन;

(19) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.3.2.1 सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राज्य आबकारी एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 86वां प्रतिवेदन;

(20) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.2 तथा (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.5 माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 87वां प्रतिवेदन;

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(21) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.2.1, 3.3.1 एवं 3.3.2 सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 88वां प्रतिवेदन;

(22) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.1.3 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 89वां प्रतिवेदन; एवं

(23) जन लेखा समिति, 2014-15 (तेरहवीं विधान सभा) के 45वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2015-16 का 90वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री भागीरथ चौधरी।

याचिका

किशनगढ़ (अजमेर) पर महिला पुलिस थाना की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) पर महिला पुलिस थाने की स्थापना बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्रीमती राजकुमारी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

कई दिनों से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदस्यों ने अपने विचार रखे। सुराज संकल्प यात्रा माननीया वसुन्धराजी ने जब शुरू की राजस्थान में और सुराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए कटिबद्ध

(श्रीमती राजकुमारी)

सरकार और हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो वायदे किये, उनके अनुसार दो साल में राज्य सरकार ने कार्य किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साठ साल राजस्थान में ही नहीं, देश में कांग्रेस ने शासन किया। गरीब जनता की काफी समस्याएं थी और जिस एस सी/एस टी तबके से मैं बिलोंग करती हूं, जो वर्ग आज मेरे जिले में सबसे ज्यादा संख्या में रहता है, वहां बहुत समस्याएं थीं। मैंने देखा जब चुनाव के समय हम हर गांव-गांव में गये और कांग्रेस की पिछली सरकार जब शासन में थी, उस समय हमने देखा कि गांवों में क्या हालत थी, बिजली की समस्या किस प्रकार थी, रास्तों की समस्या किस प्रकार थी। वह आप सब सदन के सदस्य जानते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार राजस्थान में आयी तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जनता के दु:ख-दर्द को समझते हुए हर सम्भाग पर दौरा किया; भरतपुर सम्भाग का दौरा किया। पानी की समस्या मेरे हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में बहुत विकट बनी हुई थी, दो-दो दिन में पानी मिलता था। मैंने माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया और उन्होंने हिण्डौन शहर के लिए 67 करोड़ की योजना स्वीकृत की। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ पी एच ई डी मंत्री महोदया बिराजमान हैं, इन्होंने भी उसमें सहयोग किया। इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, वे आम जन को राहत पहुंचाने की योजनाएं हैं। सर्वप्रथम पिछली सरकार ने जो नि:शुल्क दवा योजना चालू की थी, उसमें आप देख लीजिये, दो-चार दवाइयां शुरू कीं और उसका चुनाव के समय बहुत बड़ा जनता में मैसेज गया, जिसका परिणाम हुआ कि 21 सीट्स इनकी राजस्थान में आयीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जब आयी तो उस समय यह महसूस किया गया कि जनता के साथ धोखा हुआ है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने इस बात को मुख्य मंत्रीजी के सामने रखा और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारी दवाइयां, आज एम एम एस हास्पिटल में ही आप देख लीजिये, हास्पिटल में बहुत सारी दवाइयां आज नि:शुल्क मिलती हैं; जो हजारों रुपयों के इंजेक्शन हैं वे आज बी पी एल परिवारों को मुफ्त में मिल रहे हैं।

(श्रीमती राजकुमारी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, हास्पिटल थे, उनमें पूरी तरह से पद रिक्त चल रहे थे। आज चिकित्सा विभाग में भर्ती की गई है हमारी सरकार द्वारा। जो पैसे वाले लोग हैं वे तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं लेकिन जो गरीब जनता है, जो बी पी एल परिवार हैं, वे सरकारी दवाइयों का उपयोग करते हैं। उनके दु:ख-दर्द को समझते हुए हमारी सरकार ने भर्ती की है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। आज इस क्षेत्र में भी सरकार ने सराहनीय कार्य किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप देखें, किसानों के लिए जो कलेवा योजना चालू की, उसमें पांच रुपये में किसानों के लिए भरपेट भोजन। जब किसान अपनी उपज को कृषि उपज मंडी में लेकर जाता है तो उसको पांच रुपये में भोजन मिलता है। यह हमारी सरकार की गरीबों के लिए सोच है। मैं इसके लिए भी माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में गैर-आबादी के क्षेत्र में कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे, 50 साल से गरीब जनता जो ढाणियों में बसी हुई है, एस टी, एस सी, पिछडे वर्ग के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी ढाणियों में अंधेरा है। उसके लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना चालू की है जो जनता के लिए समर्पित है। इससे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कनेक्शन मिलेंगे। इससे भी जनता को राहत मिलेगी। यह बहुत सराहनीय योजना है जिसकी आम जनता प्रशंसा कर रही है और इसका लाभ जनता को मिलेगा।

आज विपक्षी लोग सरकार को धन्यवाद देने के बजाय, मैं करौली जिले की बात करूं, बहुत सारे काम करौली जिले में, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जो कच्चे रोड पड़े थे, चुनाव के समय हमने देखा, उन गांवों में कीचड़ में निकला नहीं जा रहा था। उस वक्त में हमारी सरकार ने पी डब्ल्यू डी विभाग के माध्यम से गौरव पथों को चालू किया। आज गौरव पथों को देखिए। गांवों में हम जब जाते हैं तो देखने को मिलता है, राजस्थान की जयपुर सिटी में घुसते हैं तो ऐसे रोड देखने को मिलते थे, वे आज हमारी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर ऐसे गौरव पथ बनाये गये हैं। इसके लिए भी मैं पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जब भी हम गौरव पथों का

(श्रीमती राजकुमारी)

उद्घाटन करने जाते हैं तो हमें अच्छा गर्व महसूस होता है। इसके लिए पी डब्ल्यू डी मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

इसी तरीके से अभी जल स्वावलंबन योजना राजस्थान सरकार ने चालू की है, जिसके लिए विपक्षी सदस्य कई दिनों से बवंडर मचा रहे हैं कि यह योजना क्या है। मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूं कि यह योजना वह है जिसमें आमजन के लिए और राजस्थान की जनता के लिए सोचा गया है। आप लोगों ने 50-60 साल तक राजस्थान में शासन किया और राजस्थान आज सूखे की मार झेल रहा है। आम जनता पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है। उसके लिए परमात्मा ही मदद कर सकता है। जल नहीं होगा तो सरकार कहां से लायेगी? जल को सरकार पैदा नहीं कर सकती। यह परमात्मा की देन है। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जनता के दर्द को समझा और इस योजना को चालू किया। यह एक ऐसा जन आंदोलन है जिसमें सभी भामाशाह बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सभी विधायकों ने भी इसमें अपना योगदान किया है। इसलिए मैं कांग्रेसी सदस्यों से भी कहना चाहूंगी कि ये जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आये हैं, इनको भी अपने क्षेत्रों में इसमें काम करने की जरूरत है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। पानी की जरूरत सरकार को नहीं, आम जनता को है। इसलिए आम जनता की भावना को देखते हुए इनको भी इसमें सहयोग करना चाहिये। आज वर्षा जल को एकत्रित करने का सरकार ने जो निर्णय किया है, यह बहुत ही सराहनीय है। इसलिए इसमें राजनीति नहीं करते हुए, सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिये। ऐसी मेरी आप सबसे अपील है।

आज ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में, जब हमारी सरकार आई तो हायर सेकण्डरी स्कूल बिना मांगे दिये। सरकार ने एक निर्णय किया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें ऐसा कुछ करना चाहिये। सरकार आती है, मिडल स्कूल खोल दिये, चार घरों पर प्राइमरी स्कूल खोल दिये, लेकिन उस क्षेत्र में किसी का यह ध्यान नहीं गया कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाये, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का स्तर कैसे बढ़ाया जाये। इसके लिए हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सोचा। जो गरीब परिवार, किसान वर्ग गांव में रहता है, पैसे वाले बच्चे तो कोई सरकारी विद्यालय में पढते ही नहीं हैं, गरीब परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। किसी भी दल का सदस्य हो, उसके हर क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत हैड-

(श्रीमती राजकुमारी)

क्वार्टर पर बारहवीं तक के स्कूल बिना मांगे हमारी सरकार ने, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिये, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

आज गांवों में माडल स्कूल बनाये जा रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है लेकिन साल-दो साल में जब इन स्कूलों का रिजल्ट देखा जायेगा तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के जो सरकारी विद्यालय हैं, उनका रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से कहीं कम नहीं रहेगा। ऐसा मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है, एस टी, एस सी और पिछड़े वर्ग के लिए जो सोच रखती है, महिलाओं के लिए जो सोच रखती है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चालू की हैं, आज बी पी एल परिवार की महिलाओं को, स्टेट बी पी एल और अंत्योदय वाले जो परिवार हैं, उनको भामाशाह योजना से जोड़ते हुए दो-दो हजार रुपये महिला को मुखिया बनाकर उस परिवार के लिए डाले गये हैं। यह योजना भी बहुत सराहनीय है, जिसको भी विपक्षी सदस्यों ने मजाक बनाने की कोशिश की। विपक्ष का भी एक कर्तव्य बनता है कि अच्छे कार्य के लिए सरकार का सहयोग करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम द्वारा पढ़े गये इस अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

दरअसल यह अभिभाषण अपने आप में राजस्थान को परम आदरणीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में एक नई दिशा की ओर ले जाने का कार्य करेगा। इस अभिभाषण में एक एक वह शब्द है जिसमें राजस्थान की प्रत्येक जनता का, प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखा गया; हर वर्ग के लोगों के विकास की बात की गई।

मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में चाहे, वह श्रीगंगानगर जिला हो, चाहे हनुमानगढ़ जिला हो, बीकानेर जिला हो, या जैसलमेर जिला हो, सिंचाई के लिए पूरे पानी के नहीं मिलने की समस्या हमारे यहां रही है। कभी पौंग

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

डैम से पानी कम मिलता, कभी पंजाब सरकार से कम पानी लेने की बात की जाती है, लेकिन इस बार माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार और हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय की मेहनत की वजह से, इस बार मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रबी में जितना पानी इस बार किसान को मिला है, वह आज से पहले नहीं मिला। क्योंकि विपक्ष के जो लोग बैठे हैं, थोड़ा-बहुत नेता प्रतिपक्ष, रामेश्वर डूडीजी इस बारे में जानते होंगे, इनके अलावा शायद बहुत ज्यादा जानकारी इनको आई जी एन पी के बारे में नहीं होगी। मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज से पहले इतना पानी कभी सिंचाई के लिए मिला है? यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमें 4 में से 3 पानी मिलना चाहिये, 20 मार्च तक प्रत्येक किसान को सिंचाई का पानी देने का जो मुख्य मंत्रीजी का निर्देश है, उसके अनुसार हमें सिंचाई का पानी देकर किसानों को इतना बड़ा लाभ दिया जा रहा है जिससे रबी की फसल में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।

इस क्षेत्र में जब से इंदिरा गांधी नहर बनी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के हिस्से का 8.6 एम.ए.एफ. पानी था, उसमें तत्कालीन सरकार द्वारा समझौता किया गया तो जो हमारा 8 एम.ए.एफ. पानी था वह तो हमने ले लिया लेकिन .6 एम.ए.एफ. पानी आज तक राजस्थान की सरकार को इसीलिए नहीं मिला कि उस दिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने यह समझौता करने में बड़ी चूक की और उसी का खामियाजा आज की तारीख में हमें भुगतना पड़ रहा है और वह सिंचाई का पानी हमें कम मिल रहा है। आज आई जी एन पी क्षेत्र में 16 लाख 80 हजार हेक्टेयर के करीब जमीन में सिंचाई होती है लेकिन अगर .6 पानी और होता तो निश्चित रूप से लाखों किसानों को इस बात का फायदा मिल सकता था।

इसके अलावा, मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भाखड़ा नहरों को आज तक किसी सरकार ने पक्का करने की बात नहीं की, लेकिन, आप चल कर देखें, भाखड़ा नहरों को पक्का करने का काम शुरू किया जा चुका है। भाखड़ा नहरों में पक्के खालों के निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विगत सरकारों द्वारा किसान से 10 और 12 प्रतिशत की राशि पहले जमा करवाई जाती थी लेकिन इस बार माननीय प्रधान

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

मंत्री नरेंद्रजी मोदी के निर्देशानुसार, प्रदेश की मुख्य मंत्री वसुंधराजी के निर्देशानुसार, वह दस परसेंट की राशि भी नहीं ली जा रही; मुफ्त में किसानों के खालों को पक्का करने का काम किया जा रहा है। गंग कैनाल के अन्दर तो करीब-करीब आधे से ज्यादा खालों का नाका निर्माण भी हो चुका है। भाखड़ा के अन्दर आधे से ज्यादा उन खालों का निर्माण भी हो चुका है; ऐसी स्थिति के अन्दर पानी की जो व्यवस्था है, हमारी जीवनदायिनी है। ऐसे जबरदस्त तरीके से पानी का जो प्रवाह आज हमारे खेतों के अन्दर हो रहा है, वह हमारे लिए बहुत ही सुखद बात है। मैं हमारे जिलों की तरफ से, सभी सिंचित क्षेत्र के किसानों की तरफ से हमारे माननीय मंत्री महोदय और हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी का दिल से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

इसके साथ ही, हमारी पी.एच.ई.डी. की मिनिस्टर भी यहां बैठी हैं, हमारे क्षेत्र के अन्दर जो पानी आता है वह निश्चित रूप से प्रदूषित पानी आता है। इसके लिए बार-बार हमने बात की, हमारी सरकारों ने बात की। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने तो जब देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्रजी मोदी वहां पहुंचे, सूरतगढ़ में, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस प्रदूषित पानी को रोका जाए, और उस सम्बन्ध में प्रयास भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आज की तारीख में जब प्रदूषित पानी आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी मंत्री महोदया ने ऐसे आधुनिक फिल्टर लगाने के निर्देश दिये हैं। हमारे क्षेत्र के अन्दर आज उन फिल्टरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के जो दो साल पहले वाटर-वर्क्स थे, उनके अन्दर पशु विचरण करते थे, जगह-जगह कुत्ते घूमते थे; वहां गोबर और हड्डियों की गंध आती थी। आज ऐसे साफ-सुथरे हमारे वाटर-वर्क्स का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी अच्छी उनकी चारदीवारियां करके हमारी मंत्री महोदया ने एक जनता के लिए स्वच्छ पानी की जो भावना से काम किया है, निश्चित रूप से वे बधाई की पात्र हैं। मैं मेरी तरफ से बहुत-बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं।

इसके अलावा, किस क्षेत्र में हम बात करें, जिस क्षेत्र में जाते हैं, मैं दावे से कहता हूं, पंचायत राज क्षेत्र के अन्दर बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके अन्दर आज करोड़ों रुपये का काम नहीं चल रहा हो, उन गांवों की सड़कें पक्की हो रही हैं, उन गांवों के अन्दर इंटरलोकिंग के काम हो रहे हैं। कुछ-कुछ गांव के अन्दर तो, आप देखिए, शहर के अन्दर जितनी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

अच्छी सड़कें नहीं हैं, उनसे ज्यादा अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसी व्यवस्था के अन्दर जो आगे की रणनीति बन रही है, सरकार राजस्थान को आगे विकास की ओर और तेजी से ले जाना चाहती है।

(13.42 बजे)

(श्री राव राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज बिजली के क्षेत्र में ले लीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने एप्लिकेशन जरूर लीं, किसानों को बिजली देने की बात भी बात की, लेकिन एक भी पांच ढाणी के समूह के अन्दर उन्होंने कनेक्शन नहीं दिये। मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अट्ठारह सौ से भी ज्यादा ढाणियों को कनेक्शन देकर ढाणियों के अन्दर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरे यहां ट्यूबवेलों के जितने कनेक्शन थे उन सब की प्रायोरिटी अक्टूबर, 2009 तक की, वह सारी क्लीयर की जा चुकी है। नये लोगों को कनेक्शन देने का काम शुरू किया जा चुका है। ऐसे-ऐसे न जाने कितने काम हैं जिनको मैं यहां गिनाने लगूं तो चाहे कितना भी समय ले लीजिए आप।

चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर जिस तरह की बात हो रही है, आज जिस तरह से चिकित्सालयों के अन्दर काम शुरू हुआ है, जिस तरह चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना का काम शुरू हुआ है, निश्चित रूप से अपने आप में एक अनुकरणीय। आप जाइये, हमारे विधायक महोदय जाते हैं, जब प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक पंचायत मुख्यालय के ऊपर चिकित्सा का शिविर लगता है तो शिविर के अन्दर आप उमड़ी हुई उस भीड़ को देखिए, जहां अपनी बेटियां अपने नौनिहाल बच्चों को अपने साथ लेकर वहां दिखाने के लिए लाती हैं। जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग वहां अपना इलाज कराने के लिए आते हैं तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के डाक्टर सभी नर्सिंग स्टाफ और सभी जांच के उपकरणों के साथ में हमारी चिकित्सा की टीम वहां उनको मिलती है। निश्चित रूप से मैं चिकित्सा मंत्रीजी का भी इस बारे में बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

किस क्षेत्र में बात करें, हम श्रमिक विभाग के बारे में बात करें। श्रमिक कार्ड के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। आज श्रमिक कार्ड बनाने

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

के लिए पूरे प्रदेश से, प्रत्येक गांव और गली से आवाज आ रही है। यह जो हमारे श्रम मंत्री महोदय ने जिस तरह का काम किया है, श्रमिक कार्ड बनाने की जो शुरुआत की है, जो राजस्थान सरकार ने पहल की है, निश्चित रूप से अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। आज जिस तरह से श्रमिक कार्ड बनने के बाद में श्रमिक के परिवार को जो फायदा मिलने वाला है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज प्रत्येक गांव से सारे के सारे इस बात के लिए आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र के अन्दर श्रमिक कार्ड बनाकर लोगों को लाखों रुपये का हम फायदा पहुंचा सकते हैं।

इसके अलावा दूसरे भी जो काम हैं, उन सब के अन्दर चाहे भामाशाह की योजनाएं हों, चाहे अन्य दूसरी योजनाएं हों, हर क्षेत्र के अन्दर हमारी राजस्थान की सरकार ने विकास किया है। मैं दावे से कहता हूं कि दो साल के अन्दर जो भी काम शुरू हुए हैं और जिनकी पिछले, खासकर के एक साल के बाद में, पिछले बजट के बाद में शुरुआत हुई है, कोई भी खड़ा होकर यह कह दे कि हमारे क्षेत्र के अन्दर विकास नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से हम उस बात के लिए देनदार हैं। आज जिस तरह से नगरपालिकाओं के अन्दर, जिस तरह से नगर परिषदों के अन्दर विकास के काम शुरू हुए हैं, नई सड़कों का निर्माण, नई-नई योजनाएं, नई-नई मुख्य मंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरह से हम लोगों के बीच में एक अनोखा उत्साह बना हुआ है, हम चाहते हैं कि ऐसी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा गरीबों को लाभ मिले। ऐसी योजनाओं की शुरुआत हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से, माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम लाल।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदया का भी बहुत-बहुत आभार, जिनके नेतृत्व में पिछले कार्यकाल व विगत दो वर्षों से प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है, जिसके परिणाम हम सबके

(श्री गोतमलाल)

सामने हैं व आगे भी ऐसे परिणाम सामने आएंगे। 'सबका साथ, सबका विकास' का संकल्प तथा सुराज यात्रा का उद्देश्य, उसको राज्य सरकार साकार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'जल ही जीवन है', 'जल है तो कल है', प्रदेश में जल की स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जल समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान प्रारम्भ किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नदियां हैं, जाखम, करमोई और सुखली, उन नदियों का पानी गुजरात में व्यर्थ बहकर जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने फोर-वाटर के तहत मेरे उस विधान सभा क्षेत्र में 20 कार्य जो स्वीकृत किये, उनमें 18 कार्य अब पूर्ण होने जा रहे हैं। यह जो जल अभियान का परिणाम सामने आ रहा है, भामाशाह योजना के तहत बहुत सारे लोग जिसके पास में मशीनें हैं, जे.सी.बी. हैं, वे भी आ रहे हैं, एक दिन के लिए दे देते हैं। कोई ट्रैक्टर वाला है और कोई जन-प्रतिनिधि भी अपना वेतन देने को तैयार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस अनूठी पहल से पानी का संग्रह किया जाकर उपयोग में तो लिया जाएगा, साथ ही उस अतिवृष्टि से जो पानी बहकर जाता है उससे भी जनता को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ पिछड़े क्षेत्र में 7 ब्लाकों में स्वामी विवेकानंद राजकीय माडल स्कूलों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है; बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क साइकिल वितरण की जा रही है; कक्षा छह से नौ तक की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर दिये जा रहे हैं; जहां बी.एड. कालेज नहीं हैं वहां पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देकर बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य में कुपोषण ग्रस्त दस जिलों में और तीन जनजाति जिलों, प्रतापगढ़, सिरोही और बांसवाड़ा के 41 खण्डों में कुपोषण मिटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाने के लिए राष्ट्रीय बाल एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत करीब 21 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है।

(श्री गोतमलाल)

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए शिक्षा-कर्मियों का विशेष भत्ता अनिवार्य किया गया है।

राजस्व विभाग द्वारा राज लोक अदालत अभियान, न्याय-आपके-द्वार द्वार, विभिन्न प्रकार के एवं बहुत पुराने मामलों का निस्तारण किया गया। तहसीलों में उपलब्ध ग्रामों के नक्शों को डिजिटल किया जाकर जमाबंदी से जोड़ा जा रहा है। राज्य की 43 तहसीलों को प्रथम चरण में आधुनिक उपकरणों से लैस माडर्न रिकार्ड में स्थापित किया गया है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गांवों में पंचायत हैडक्वार्टर पर डाक्टर्स की टीम जाकर जांच कर रही है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत एक धावड़ी का उदाहरण दूंगा, वहां पर गांव में लोगों को यह भी पता नहीं है कि हम बीमार हैं। जब उन लोगों की जांच की गई तो 20 लोग ऐसे मिले जिनको खुद को भी पता नहीं है कि हम बीमार हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गांवों में लगा है, लोग कहते हैं कि पहला-सुख-निरोगी-काया, इतनी बढ़िया योजना पहली बार गांव की जनता को देखने को मिली है। यह बहुत अच्छी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने दसवीं महानरेगा सालगिरह मनाई। हमारे गांवों में लोग यह कह रहे थे कि किसी योजना की सालगिरह भी मनाई जाती है क्या? वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद में। पूरे राजस्थान के नेता, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के और माननीय गहलोत साहब, मालवीया साहब, डूडी साहब सब आये थे। गहलोत साहब के कार्यकाल में अगर यह सालगिरह मनाते तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि कांग्रेस के राज में तो काम हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ। बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, सब जगह से मालवीया साहब लोगों को लाये और असत्य अफवाह फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस योजना को बंद करने जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहूंगा कि हमारे भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी बजट में 3,800 करोड़ रुपये बढ़ाकर 38,500 करोड़ का बजट ले आये। इन्होंने आदिवासी लोगों को भड़काने का काम किया। वहां पर जाकर इन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों के हित की नहीं है और यह इस योजना को बंद करने जा रही है। मैं कांग्रेस के माननीय

(श्री गोतमलाल)

सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को बहला-फुसलाकर आपने बहुत राज किया है, अब काम करने का समय आ गया है। अब असत्य में कोई आने वाला नहीं है। आदिवासियों का अगर किसी ने शोषण किया है, और हुआ है, तो वह कांग्रेस के राज में ही हुआ है। दारू की बोतल से अब कोई वोट मिलने वाला नहीं है, अब तो विकास के नाम से जनता वोट मांगती है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): जाखम किसने बनायी? माही किसने बनाया?

श्री गोतमलाल (धरियावद): यह तो बहुत पुरानी बात हो गयी। यह कोई काम अब होने वाला नहीं है। अब तो जनता विकास चाहती है।

आपने आदिवासियों के साथ कितना अन्याय किया है। यहां हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी बैठे हुए हैं, माननीय नंदलालजी मीणा, माननीय गुलाबजी कटारिया साहब, गृह मंत्रीजी और जनजाति मंत्री, इन्होंने आदिवासियों को अधिकार, पट्टा दिलाने के लिए कितने धरने और प्रदर्शन वहां पर किये। वह अधिकार जो दिया, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने 1980 तक का कानून बनाकर आदिवासियों को अधिकार देने का काम किया। उसके बाद अगर किसी ने कानून बनाया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी के टाइम में और हमारी मुख्य मंत्री माननीया वसुंधरा राजे जी के टाइम में। 2005 तक अगर आदिवासियों को पट्टा देने का काम किया है तो माननीया वसुंधरा राजे मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। आपने दिया क्या? आपके समय तो, 1977 के पहले जब आपके राज की सरकार थी, तो राशन की दुकान पर ज्वार मिलती थी। वह भी पशु नहीं खाते, ऐसी ज्वार आप हमारे आदिवासियों को खिलाते थे।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): उस ज्वार को खतम कर दिया, इसलिए गेहूं पैदा हो रहा है।

श्री गोतमलाल (धरियावद): आपने खतम नहीं किया है। यह खतम किया तो माननीय शेखावत साहब ने। काम-के-बदले अनाज योजना लागू की थी ना, उस समय उन्होंने इस योजना को खतम किया था। आपने खतम नहीं किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; प्रदेश की अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है, जिसके लिए राज्य सरकार ने

(श्री गोतमलाल)

बहुत-सी योजनाएं चला रखी हैं। ग्रामीण आवासीय योजना वर्ष 2015-16 में नवम्बर तक 36 हजार 747 आवासों का निर्माण किया गया है। आगामी वर्ष में 1 लाख 14 हजार 135 नये आवासों का लक्ष्य रखा गया है। नरेगा में अब तक 38 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। व्यक्तिगत लाभ के कार्य में दो लाख से तीन लाख रुपये तक लोगों को इसमें दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं और गांव में 15 पैसे तक उस लाभार्थी को मिलते हैं। आज उसका उलटा हो रहा है। हमारे भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी और हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुंधरा राजेजी ने भामाशाह योजना में खाता खोलने और उस खाते के माध्यम से रुपया सीधा उस गरीब के खाते में जा रहा है। बीच में किसी प्रकार का एक रुपया भी कहीं जाने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार करीब 1 हजार 559 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण करने का, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। केन्द्रीय सड़क निधि में चालू वर्ष में 1 हजार 762 करोड़ रुपये लागत के 56 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें सड़कों का सुदृढ़ीकरण, चौड़ी करना, नवीनीकरण करना एवं पुल निर्माण के कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ढाणियों/मजरों को जोड़ा जा रहा है। गांव में गली मोहल्लों की तरफ सड़क बनाई जा रही है। पहली बार राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सी सी रोड व नाली का निर्माण किया जा रहा है। पहली बार गांवों में 50 लाख की सड़क देखने को मिल रही है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री और माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार कि हमारे गांवों में भी ऐसी पक्की सड़क, पहली बार गौरव पथ देखने को मिल रहा है। गौरव पथ, हम कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह बनाया जाएगा।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि 1996 के बाद पहली बार पंचायती राज का पुनर्गठन किया गया। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 ग्राम पंचायतें नई और एक पंचायत समिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोली। माननीया मुख्य मंत्रीजी का और गृह मंत्रीजी, पंचायती राज मंत्री होते थे, गुलाबजी कटारिया साहब का भी

(श्री गोतमलाल)

बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां खोलकर एक विकास का दरवाजा और खोला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। महामहिम के अभिभाषण का स्वागत करते हुए, मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार रखने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण को अगर गौर से पढ़ा जाए तो अभिभाषण एक सारगर्भित, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दो साल का एक वह आइना है जिस आइने में हमें साफ-साफ नजर आता है कि कांग्रेस ने जिस प्रदेश का पांच साल में विकास नहीं किया, कांग्रेस ने जिस प्रदेश को उठाकर 'बीमारू' की श्रेणी में लाकर डाल दिया, उसे 'बीमारू' श्रेणी से निकालकर इन दो साल में माननीया मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने विकास के पायदान पर लाकर, खड़ा करके दिखा दिया है।

(14.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन-जिन बिन्दुओं के बारे में इस सदन में चर्चा की जा चुकी है, उन बिन्दुओं पर अगर मैं चर्चा करूं तो मैं समझता हूं, ठीक नहीं होगा, लेकिन यह साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज आम वर्ग में चैन है, आज आम व्यक्ति अपने आप में इस बात के लिए आश्वस्त है कि मेरा विकास होने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'न्याय-आपके-द्वार' जो कार्यक्रम चलाया गया, उसमें लाखों-लाखों ऐसे लोग थे जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, जो दफ्तरों के चक्कर काट-काट करके थक-थका कर घर बैठ जाते थे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता था; हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह कार्यक्रम चला करके ऐसे गरीबों को और ऐसे पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने का काम किया, जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, अपने आप में एक इतिहास बन करके रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान की जनता ने देखा है कि एक सरकार चुनने के बाद वह सरकार राजधानी से निकल करके गांवों

(श्री जगदीश नारायण)

में जाए, मजरों में जाए, ढाणियों में जाए और घर-घर में जा करके पीड़ितों की पीड़ाओं का पता लगाये, उनके साथ बैठकर वहीं खाना खाये और एक भाईचारे का सा माहौल पैदा करके उनकी सारी समस्याओं को सुन करके उनका निदान निकाले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली सरकार है इतिहास में कि जिस सरकार ने इस तरह का अनूठा काम करके दिखाया है। कांग्रेस के भाइयों ने आज तक गांवों की सुध नहीं ली। वोट लेने के बाद उनको यह पता नहीं था कि किस तहसील में, किस कांस्टिट्यूएंसी में जाना है, उसका रास्ता क्या है। वह रास्ता पूछने के लिए भी साथ में व्यक्ति लेकर जाया करते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'आपका-जिला-आपकी-सरकार' के तहत हमारी सरकार ने प्रत्येक जिला कलक्टर को गांव में भेजा। प्रत्येक जिला कलक्टर ने गांव में जा करके गांव में रात्रि विश्राम किया; गांव की चौपाल पर लोगों को इकट्ठा किया। चौपाल पर बैठकर वहां सब लोगों से चर्चा की, वहां की समस्याओं का पता लगाया। समस्याओं का किस हद तक, किस स्टेज पर उसका निराकरण हो सकता है, वह सारा इंतजाम करके दिखाया। तो यह पहली सरकार है, इस सरकार के बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पेयजल समस्या इतनी विकट समस्या बन चुकी है कि आये दिन अखबारों में इसका लेख पढ़ने को मिलता है। जगह-जगह हाहाकार मचा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह विकट समस्या दो साल में पैदा हुई है? 60 साल तक राज करने के बाद, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को मात्र पीने के पानी की व्यवस्था नहीं दे पाये, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये और करना क्या चाहते थे? इन्होंने क्या किया, जिसका आज कोई इतिहास गवाह हो? आज हमारी सरकार ने आते ही दो साल के अन्दर गांव-गांव में 'हैण्ड-पम्प-टू-टैंक' की योजना लगाकर, जनता जल योजना चालू कर और सारे सिंगल फेज ट्यूबवेल्स को ठीक करके आज धीरे-धीरे सब लोगों को पानी मुहैया कराने का काम कर रही है। जगह-जगह पानी की व्यवस्था होती नजर आ रही है। अगर इन लोगों की बात करूं तो पूर्ववर्ती सरकार ने जितने सिंगल फेज ट्यूबवेल लगवाये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भले ही आपको मेरी बात पर यकीन न करें, चाहे जांच करवा करके देख लें, वे सिंगल फेस ट्यूब-वेल या तो इनके कार्यकर्ताओं के घरों पर मिलेंगे, या इनके चहेते व्यक्तियों के खेतों पर मिलेंगे। यही एक वजह रही है कि उन सिंगल फेज

(श्री जगदीश नारायण)

ट्यूबवेल्स का बिल न तो पूर्ववर्ती सरकार ने अपने खजाने से जमा करवाया, न उस वक्त की तत्कालीन पंचायतों ने जमा कराया। आज भी उनके बिल लाखों-लाखों की संख्या में इकट्ठे हो करके, उनका आंकड़ा लाखों में पार कर रहा है। आज बिजली के बिल के अभाव में वे कनेक्शन कट रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं मानने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोटों की राजनीति करती है, वह अपने वोट की खातिर अपने कार्यकर्ता का भला करती है, वह वोट लेने के खातिर अपने कार्यकर्ता का निर्माण करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में उलटा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है, प्रदेश निर्माण की राजनीति करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा करूं किसान वर्ग की तो 60 सालों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को यह नजर नहीं आया कि हमारा किसान क्यों दु:खी है। आज जब भी कोई चर्चा चलती है तो कांग्रेस के भाई बढ़-चढ़ करके बखान करते हैं, वहां मृत्यु हो गई, वहां आत्म-हत्या कर ली; यह हो गया; वह हो गया, जबकि सही मायने में, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, आंकड़ा उठा करके देख लें, उसका एक प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान को बिजली चाहिए और बिजली के क्षेत्र में अगर मैं चर्चा करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूर्व कार्यकाल में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वह काम करके दिखाया जो काम करना तो दूर था, मगर इनके दिमाग तक में नहीं आया। माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने फीडर सुधार कार्यक्रम दे करके, और एक-एक डी.बी. से दो-दो कुओं को कनेक्शन दिया, और दो-दो कुओं को कनेक्शन दे करके किसान का उद्धार किया, किसान का भला किया। जबकि इनके कार्यकाल का अगर इतिहास उठा करके देखें तो इनके कार्यकाल में एक-एक डी.बी. से 25-25 कुएं चला करते थे। 25 कुओं की अगर एक डी.बी. खराब हो गई तो इसका मतलब 25 के 25 कुएं बंद रहते थे। किसान हाथ पर हाथ धर के बैठा रहता था।

सिंगल फेज की बात करूं तो इनके कार्यकाल में मात्र तीन घण्टे की बिजली मिला करती थी, वह भी रात के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। 10

(श्री जगदीश नारायण)

बजे बाद बिजली गुल हो जाया करती थी; कतई बिजली नहीं मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में घरेलू बिजली 24 घण्टे घर में मौजूद मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में किसान को 7 और 8 घण्टे बिजली मिल रही है। जहां रात का ब्लाक चलता है, वहां दूसरे दिन पीने के पानी के लिए एक घण्टा बिजली मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पानी कम हो गया, आज पानी कम होने की वजह से फिर भी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। अगर यह पानी कम नहीं होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10-12 घण्टे थ्री-फेज बिजली किसान को देने का काम करती।

आज जिस पानी के लिए हम चिल्ला रहे हैं, आज जिस पानी के लिए जगह-जगह इस बात की चर्चाएं हो रही हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनको पता था कि आने वाले भविष्य में पानी के लिए मारा-मारी हो सकती है। जब उनको सत्ता मिली, उनको राज मिला, वे प्रधान मंत्री बने, तो प्रधान मंत्री बनते ही उन्होंने एक योजना शुरू की और वह योजना थी, नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रधान मंत्रीजी की वह योजना सफल हो गई होती, दूसरा कार्यकाल जनता ने उनको और दे दिया होता, तो मैं कहता हूं कि आज राजस्थान नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के चप्पे-चप्पे पर पानी मिलता। यह पानी का अकाल जो आज देखने को मिल रहा है, जिससे हम जूझ रहे हैं, वह अकाल नाम की चीज नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी कोई कारखाने में पैदा नहीं होता; पानी कोई फैक्टरियों में नहीं मिलता। पानी या तो इन्द्र बरसेगा तब मिलेगा, या फिर नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा, तब पानी मिलेगा। आज हमारी सरकार ने, माननीय नरेन्द्रजी मोदी ने फिर उस योजना को हाथ में लिया है, आज प्रदेश की सरकार ने योजना को हाथ में लिया है और नदियों को नदियों से जोड़ने का काम शुरू हुआ है। जिस दिन नदियों से नदियां जुड़ जाएंगी, उस दिन इस पानी की समस्या का खातमा हो जाएगा। हमारे कांग्रेस के भाई करना क्या चाहते हैं? ऐसी-ऐसी योजनाएं, बढ़-चढ़ करके बखान करते हैं, नारे लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं बंद कर दीं, हमारी योजनाओं पर काम करना बंद कर दिया। कौनसी योजना है वह, जिस योजना पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करना बंद कर दिया? अगर काम करना बंद किया है तो कांग्रेस की

(श्री जगदीश नारायण)

सरकार ने किया है, जो पानी जैसी योजना को नहीं बख्शा। पानी जैसी योजना पर राजनीति कर बैठे। सिर्फ-सिर्फ इस बात के लिए कि अगर नदियों से नदियां जुड़ गयीं तो सारा का सारा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयीजी के खाते में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। इस द्वेषता के साथ में उन्होंने इस योजना को बंद करने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री हमारी महिलाओं के लिए कितनी चिन्तित हैं, कितनी संवेदनशील हैं, 'जननी सुरक्षा योजना' के तहत पूर्व के कार्यकाल में प्रसूता को 1,400 रुपये नकद दे करके और 300 रुपये उसको आने-जाने के किराये के रूप में चुका कर, कुल मिलाकर 1,700 रुपये देने का काम किया। माननीया मुख्य मंत्रीजी को पता था कि गांवों में गरीब महिलाएं रहती हैं और प्रसूता के समय, प्रजनन होने के बाद में, उनके पास पर्याप्त खाने के लिए सामग्री नहीं है, वह पौष्टिक आहार नहीं ले सकती। इस बात को मध्यनजर रखते हुए उन्होंने 1,700 रुपये देने का काम किया और उस 1,700 रुपये की राशि से गरीब से गरीब महिला ने भी अपना पालन-पोषण करके, उस जापे से खड़ी होकर, उसने अपना काम शुरू किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस के भाइयों को 60 सालों में भी यह चीज नजर नहीं आई? क्या 60 सालों तक भी वह इस बात को समझ नहीं पाये कि गांव में गरीब निवास करते हैं, गांवों की गरीब औरतों के साथ यह समस्या है? आज बखान करते हैं बढ़-चढ़ के, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि जैसे-जैसे योजनाएं धरातल पर आ रही हैं, जैसे-जैसे योजनाओं के माध्यम से विकास हो रहा है, यह कांग्रेस के लिए एक बीमारी है, यह कांग्रेस का खातमा करने वाला एक कीटाणु है, इसलिए इनका विरोध किया जाए। उनका सोच, सिर्फ देखा जाए, तो यह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया है तो हमारी माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे ने किया है। पूर्व कार्यकाल की बात करूं तो 108 नम्बर की एम्बुलेंस देकर ग्रामीण क्षेत्र को माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वह तोहफा दिया है जो आज तक ये अपने पूरे जीवन में, जिंदगी में नहीं दे पाये। गांवों में गरीब आदमी रहता है। गांवों में गरीब जब बीमार होता है तो या तो अस्पताल तक पहुंचने के

(श्री जगदीश नारायण)

लिए उसके पास साधन नहीं होता है और यदि साधन मिल भी जाता है तो साधन का भाड़ा चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है। इस बात को माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नजदीकी से देखा, इस बात को महसूस किया और महसूस करने के बाद 108 नम्बर की एम्बुलेंस चलाकर इस समस्या का खातमा किया और उस गांव की गरीब जनता को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया।

मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के भाइयों से कि आखिर 60 सालों तक काम किया आपने, तो कोई एकाध ऐसी चीज, ऐसी कोई योजना तो गिनाओ जिस योजना को लोग याद करें? आपके और हमारे बखान करने से कुछ नहीं होने वाला है। बखान तो जब जनता करेगी, तब उसका रिजल्ट आएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि तीन साल बाद में हम आपसे मिलेंगे, तीन साल बाद में आपकी जगह पर हम बैठेंगे? यह तो आपका सोच हो सकता है, नहीं अगर असलियत में देखा जाए तो तीन साल बाद में यह राजस्थान कांग्रेस-मुक्त राजस्थान होगा, यह मेरा दावा है और कोई नहीं माने, तो करके देख लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला उत्थान के लिए हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजनीति में महिलाओं को आरक्षण दिया और महिलाओं को आरक्षण देकर, उनको अपने पांवों पर चलना सिखाया, उनका अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान करवाया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, इन ढाई साल में तो हो ही रहा है, महिला का ही उत्थान हो रहा है, और किसी का तो हो ही नहीं रहा है। ढाई साल से तो केवल महिला का ही उत्थान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी बातें अब डोटासराजी को पच नहीं रही हैं क्योंकि डाइजेशन खराब हो रहा है इनका। डोटासराजी, डाइजेशन को खराब न करें, अभी सम्भालें। अभी तो आप सुनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देकर आज महिलाओं को विकास का भागीदार बनाया। मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह काम आप नहीं कर सकते थे? आपके पास तो 60 सालों का राज रहा है। हमारे पास तो मात्र 17 सालों का ही राज आया। तीन बार हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री बने, ढाई-ढाई साल का दो बार

(श्री जगदीश नारायण)

उनका कार्यकाल रहा और एक बार पांच साल का कार्यकाल रहा, इस प्रकार दस साल का कार्यकाल उनके पास रहा; पांच साल पूर्व कार्यकाल हमारी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी राजे का रहा और दो साल ये हुए, तो कुल मिलाकर 17 साल। 17 साल वर्सेज 60 साल। ...(व्यवधान) हां, 50 साल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर 50 साल भी मानें तो 50 साल की तुलना 17 सालों से करें, तो यह 17 साल का विकास कहीं बहुत दूर तक नजर आएगा और 50 साल में कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आप इस बात की तुलना करके देख लें, मैं आकड़ों की बात नहीं करता, मैं पब्लिक की बात करता हूं, जनता की बात करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने पर्ची भिजवा दी है। मैं आसन का सम्मान करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची आसन ने नहीं भिजवाई है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): तब तो मुझे भरोसा है कि थोड़ा-बहुत समय मैं और भी ले सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आप 15 मिनट बाद तो विकास पर आये हों।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना-सा जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के राज में अगर इन्होंने सिंगल फेज का काम किया तो अपने कार्यकर्ताओं के यहां पर किया; अगर पेंशन देने का काम किया तो अपने चहेते लोगों के साथ किया। जो मापदंड पेंशन का रखा था, उस मापदंड को तोड़कर इन्होंने 40-45 साल के लोगों को भी पेंशन देने का काम किया, क्योंकि इनको वोट लेना था। खाद्य सामग्री के तहत अगर इन्होंने काम किया, तो इन्होंने उन्हीं लोगों का नाम जोड़ा, जो लोग खाते-पीते घर के थे, अच्छे-खासे लोग थे। गरीबों तक इनकी एक भी योजना नहीं पहुंच पाई। बी.पी.एल. के तहत भी इन लोगों ने गरीबों को जोड़ना कभी नहीं सोचा। इसी का नतीजा है कि सूपड़ा साफ हो गया, 21 की तादाद में यह आकर बैठ गये और तीन साल बाद में यह भी मुक्त होने वाले हैं। चिंता इस बात की है कि अब प्रतिपक्ष कौन होगा।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय महामहिम ने अपना अभिभाषण किया और यह जो अभिभाषण है, इसके पैरा संख्या 1 से लेकर 166 हैं, जिनमें 1 से 163 में राजस्थान की क्या तस्वीर है, क्या करने जा रहे हैं, इस बात का उल्लेख किया है और 164 में कहा है कि- 'आओ सब साथ चले' जो मुख्य मंत्रीजी का एक विशेष नारा है। सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ी भूमिका बांधी और यह कहने का प्रयास किया कि यह राजस्थान में 'राम राज्य' आ गया है; भाजपा ने जो अच्छे दिनों का वादा किया था, वे अच्छे दिन आ गये हैं; और हम प्रत्येक क्षेत्र में, पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, 15 लाख के वादे भी पूरे हो गये हैं, कालाधन भी आ गया है। ये सारी बातें इन्होंने कीं और मुख्य रूप से सामुदायिक, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं के लिए, सड़क के लिए, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए और जल स्वावलम्बन, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन के लिए, स्वास्थ्य में, किसान के लिए क्या-क्या किया, इन्होंने अपनी सारी बातें बताने का प्रयास किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इनका नमूना, आपके दो साल का, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो 12,000 करोड़ रुपये हमारी सरकार सरप्लस करके गयी थी, वह खतम करके आपका नकद बैलेंस खतम हो चुका है और आपके 7,000 करोड़ रुपये के ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति आ गयी है। आप कर्मचारियों के वेतन चुकाने लायक भी आज की तारीख में हैं नहीं। यह सरकार, यह स्थिति जो आपके सामने हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप हाउस में बोल रहे हैं। यह आंकड़ा कहां से ले आये आप? 7,000 ओ.डी. में सरकार चली गयी, यह आंकड़ा कहां से ले आये आप? मतलब, आप संदेश क्या देना चाहते हों राजस्थान की जनता को यहां से?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप ही से सीखा है मैंने। आप ही से सीखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तथ्यों के आधार पर कहें न। रिकार्ड में सारी बात जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पिछले पांच साल मैंने आप ही को देखा था, मंत्रीजी, और आप जिस तरीके से ले-लेकर आते थे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस इकोनोमिक्स को जानने वाले माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं और वे मंद-मंद मुस्करा रहे हैं आपकी बात पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजिए। आप सबसे सीनियर मंत्री हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आपने बजट के अलावा शिड्यूल-4 में 0.5 परसेंट टैक्स और लगा दिया, जो आप लगा नहीं सकते थे। इस प्रकार से प्रदेश की जनता के साथ में आपने कुठाराघात किया है।

जो आपकी स्थिति है, क्रूड आयल में 72 परसेंट हमारी सरकारों से, जब यू.पी.ए. गवर्नमेंट थी, उससे सस्ता हो गया, लेकिन केवल आप 16 परसेंट ही इन लोगों को दे पा रहे हैं। यह स्थिति आपकी बन रही है।

आपने कहा था, यहां लम्बे-चौड़े भाषण हमने सुने थे कि हमारी यू.पी.ए. सरकार हमारी सरकार को, कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार नहीं ला रही है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा रही है, आपको पता होगा; मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार के मंत्रीजी को कि आपकी केन्द्र की सरकार ने मना कर दिया, पी.एम.ओ. ने, कि आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है।

आपकी जो स्थिति है, आज की तारीख में 33 लाख किसानों को जो प्रिमियम देना था बीमा का 588 करोड़ रुपये, वह आज भी केन्द्र में अटका हुआ है। आपकी सरकार यह कह रही है कि यह पैसा हम जो देंगे, वह पैसा 136 करोड़ में से 90 करोड़ रुपये और केन्द्र को 90 करोड़ रुपये का प्रिमियम जमा करवाना होता है और केन्द्र ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हम अभी पैसा नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब, 588 करोड़ का क्लेम किसानों का आपके यहां पर अटका पड़ा है, आपने नहीं दिया है।

किसानों के 15 अरब रुपये पड़े हैं सरकारी कोष में, आप किसानों के कल्याण के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश की राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के तहत 17 अरब रुपये से ज्यादा का बजट का प्रावधान था लेकिन अक्टूबर, 2015 तक आप केवल 2 अरब 39 करोड़ रुपये, यानी 13 परसेंट पैसा ही आप खर्च कर पाये हैं।

आपकी स्थिति है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में 2.59 प्रतिशत

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खर्चा हुआ है; नेशनल आयलसीड एवं आयल पाम मिशन में 2.70 प्रतिशत आपका खर्च हुआ है; सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आपका 1.03 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है; एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्निकल मिशन में आपका 20 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। यह आपकी स्थिति है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्निकल गवर्नेन्स में 3 करोड़ 69 लाख रुपये और एग्रो-इंजीनियरिंग में केन्द्र से 10 करोड़ रुपये के लैब बनाने थे और रिनोवेशन के 1 करोड़ 70 लाख थे, इनमें किसी में भी आपने फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की हैं। यह सरकार की स्थिति है।

आज केन्द्र से पानी के लिए जो पैसा मिलता था, 1,300 करोड़ रुपया मिलता था, केन्द्र ने उसमें कटौती कर दी है। प्रधान मंत्री सड़क योजना में जो 90-10 के रेशो से पैसा मिलता था, अब उसको प्रधान मंत्रीजी ने, केन्द्र की सरकार ने 60-40 कर दिया है। आपकी स्थिति है कि केन्द्र से 20 से 50 प्रतिशत तक हिस्सा विभिन्न योजनाओं में कम कर दिया गया है। यह आपकी स्थिति है।

ग्रामीण विकास की 9 योजनाओं में 9 माह में आप केवल 47 प्रतिशत पैसा खर्च कर पाये हैं।

जिस चीज के बड़े-बड़े, लम्बे-लम्बे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां दावे किये थे, मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे आपदा राहत मंत्रीजी ने कि हम साढ़े 10-11 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को देंगे। 60 किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गये थे, उन्होंने आत्महत्याएं कर ली थीं। यहां पर दो दिन की छुट्टी करके, ऐसा नाटक रचा गया कि पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए क्या करने वाली है, किसानों को मालामाल कर देगी, उनके वापस घर बनाने का काम करेगी, उनके लिए रोटी की व्यवस्था करेगी। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 6-7 महीने बाद में भी, 10,500 करोड़ रुपये मांगे और, माननीय मंत्री महोदय, केवल 1,100 करोड़ रुपये आप ला पाये और वह पैसा भी आपने किसानों को दिया नहीं। यह आपकी विफलता नहीं तो और क्या है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 35 हजार ढाणियों में 685 करोड़ रुपये थे, जो पैसा आपका, डार्क जोन में चले जाने के कारण से, 236 ब्लाकों में 84 प्रतिशत डार्क जोन में चले गये, तो वह पैसा भी आप खर्च नहीं कर पाये। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जलदाय विभाग पिछले एक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

साल में केन्द्र से आबंटित 1,496 करोड़ रुपये से वंचित जनता के पानी को जोड़ने में केवल मात्र 938 करोड़ रुपये खर्च कर पाया। यह इनकी पानी में स्थिति है। सिंचाई में केवल मात्र 16 प्रतिशत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये खर्चा कर पाये हैं।

कहने का मतलब, सरकार की जो स्थिति है, वह बड़ी डांवाडोल है और केवल वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आयी थी, यह वादे लेकर आयी थी कि 15 लाख रोजगार दे देंगे। अशोकजी गहलोत सरकार के लिए कहते थे कि इन्होंने तो केवल मात्र कोर्टों में अटका-अटकाकर बेरोजगारों को मारने का काम किया है। आपकी सवा दो साल की स्थिति मैं बयान करूं तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। आपका कर्मचारी चयन आयोग बना, वह केवल एक परीक्षा ले पाया है। कनिष्ठ लिपिक के लिए उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं, आर पी एस सी से कराओ, हमारे पास संसाधन नहीं हैं। जब संसाधन नहीं, तो बोर्ड बनाने की आपको कहां आवश्यकता थी? आपके जेल प्रहरी कहते थे कि कांग्रेस के लोग पर्चे आउट कराते हैं, आपने क्या कराया? जेल प्रहरी का क्या हुआ? कनिष्ठ लिपिक का क्या हुआ? ए एन एम और जी एन एम, जो आपका डिपार्टमेंट है, माननीय, आपने खुद ने यहां कहा था कि अशोकजी गहलोत ने ये भर्तियां रोक दीं, मैं 55 हजार की भर्ती करूंगा। आप केवल मात्र 16 हजार लोगों की भर्तियां कर पाये हो। वह 55 हजार आपका कहां गया? कोर्ट में जो एस.एल.पीज. थीं वे कहां गयीं? अब यहां आकर कल लम्बे-चौड़े भाषण दे रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं, सदन एक हो जाए, हम नौकरी देना चाहते हैं, तो फिर आपने जनता को गुमराह करने का काम क्यों किया? आपने विद्यार्थी मित्रों को नहीं लगाया; आपने डाक्टर भर्ती नहीं किये; आपने आयुर्वेद चिकित्सकों को नहीं लगाया; पैरा-मेडिकल स्टाफ आप नहीं लगा सके; थर्ड ग्रेड के टीचर्स की तो बहुत बुरी हालत है।

आपने सुराज संकल्प यात्रा में कहा था, मंत्री महोदय, आपकी यशस्वी महारानी, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कि 80 हजार की भर्ती कर दूंगी, गहलोतजी नहीं कर रहे हैं। फिर जब सरकार बन गयी तो आपने कहा 55 हजार की भर्ती कर दूंगी, गहलोत जी ने नहीं करने दी। उसके बाद में आपने जब यहां विधान सभा का सत्र चला तो आपने कहा, 35 हजार शिक्षकों की भर्ती कर देंगे, पर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आप केवल 15 हजार की परीक्षाएं करा पाये हो। स्कूलों में वे टीचर भी नहीं जा पाये हैं। यह आपकी स्थिति है।

न आप पटवारी लगा सके; न ग्राम सेवक लगा सके; न लेखाकार की भर्ती कर सके; न एस.आई. की भर्ती कर सके; न आर.ए.एस. की भर्ती करा सके। पेपर आउट हो गये। आप हमें बदनाम कर रहे थे, हमारा नाम ले रहे थे। आपने दे दी क्या इनको नियुक्ति? आप ए पी पी की भर्ती नहीं करा सके; आप संविदाकर्मी जो पशु चिकित्सक हैं, उनकी भर्ती नहीं करा सके; पंचायत राज के कर्मचारियों को आप नियमित नहीं कर सके; उनको आप रैगुलर सरकारी सेवा में नहीं ले सके; आप सिपाहियों को प्रशिक्षण नहीं दे पाये। इससे बुरी बात, शर्म की बात इस सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती।

पैरा-टीचर्स जो हमने लगाये थे, उनको आप हटा रहे हो; मदरसे बंद कर रहे हो; ऊर्दू के अध्यापकों के साथ सौतला व्यवहार कर रहे हो; कम्प्यूटर आपरेटरों के साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हों।

और व्याख्याता, सेकण्ड-ग्रेड, शिक्षा सहायक, विद्यालय सहायक, कहां गये ये? लगा दिया क्या सबको नौकरी? कोई नौकरी नहीं, केवल धमधमाहट, 15 लाख नौकरी; 15 लाख खाते में उधर से; मोदीजी का 15 लाख का और आपका 15 लाख और हमारा ओम् स्वाहा कर दिया। पूरे प्रदेश का भी आपने बंटाढार करने का काम इन सवा दो साल में किया है।

अभी मंत्री महोदय से मैंने पूछा था कि यह कर्मचारियों को जलदाय विभाग में तकनीकी ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष का ओम् स्वाहा तो जनता ने किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ, भागीरथजी। आप चौधरी, मैं चौधरी। क्यों भिड़ रहे हों?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भर्ती एक भी चीज के लिए अगर आपने की हो...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिये ओम् स्वाहा का पता नहीं, अच्छा काम है ओम् स्वाहा; खराब नहीं है। जाट भी अगर ओम् स्वाहा करें तो अच्छी बात है न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब देखो, आपका ओम् स्वाहा तो महारानी सुन नहीं रही हैं। इसलिए हमें ही करना पड़ेगा। कोई न कोई तो करेगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपका ओम् स्वाहा होता ही रहेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जाट की आंट के बारे में मालूम है न आपको? जाट की आंट का इतिहास मालूम है न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपसे ज्यादा जाट का इतिहास कौन जान सकता है।

निश्चित रूप से बेरोजगारों के साथ में और प्राइवेट सेक्टर में स्किल इंडिया, पता नहीं, क्या-क्या। ये हिन्दुत्व की बात करते हैं, हिन्दी की बात करते हैं और मोदीजी ने और यहां की मुख्य मंत्रीजी ने जितनी योजनाएं दी हैं, योजना ही योजना दी हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं, लेकिन सारी ही अंग्रेजी में, स्किल इंडिया, मेक-इन-इंडिया और पता नहीं, क्या-क्या। यह कहां से लाये? यह अंग्रेज तो चले गये, हमने भगा दिया था और वापस आप उनका कन्सेप्ट लेकर आ रहे हो, वह भी अंग्रेजी-अंग्रेजी में। आप तो हिन्दी के लोग हो, आप तो हिन्दी की बात किया करो। आपने कोई बात नहीं की।

यह जो स्थिति है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बड़ी विचित्र स्थिति है प्राइवेट में भी। आपने 2015 में केवल मात्र 10 दिन मेले लगाये, उसमें 1.33 लाख लोग आये, केवल 21 प्रतिशत लोगों को आपने केवल वादा किया, नौकरी इनको दी नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी स्थिति, आप किसानों के बड़े मसीहा बन रहे हैं और अब की बार जो केन्द्र का बजट आया न, उसके बाद तो कह रहे हैं कि किसानों के तो वारे-न्यारे ही हो गये, हमारे मोदीजी ने तो बहुत जोरदार काम कर दिया; इनकी स्थिति बताता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जो एकल जल स्रोत था, उसमें हम अनुदान देते थे 1.50 लाख, उसको आपने 75 हजार कर दिया; हम ग्रीन हाउस में 28 लाख देते थे, आपने उसको 18 लाख कर दिया; शेडनेट हाउस में हम 21 लाख देते थे, उसको आपने 14 लाख कर दिया; ड्रिप में 1.03 लाख देते थे, आपने उसको 45 हजार कर दिया; मिनी स्प्रिंकलर में 58 हजार देते थे, उसको आपने 35 हजार कर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दिया। त्वरित चारा विकास की योजना केन्द्र ने बंद कर दी; आर के वी वाई कार्यक्रम आपने बंद कर दिया। ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में हम 50 प्रतिशत देते थे, उसको आपने 25 प्रतिशत कर दिया; ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर में हम 70 प्रतिशत देते थे, उसको आपने 45 प्रतिशत कर दिया; और सोलर पम्प में 86 प्रतिशत कांग्रेस की सरकार देती थी, वर्तमान सरकार ने उसको 30 प्रतिशत कर दिया; और जिसके बिजली का कनेक्शन है 60 प्रतिशत, जिनके नहीं है, 70 प्रतिशत, जो कह दें कि हम बिजली तो कभी नहीं लेंगे जिन्दगी में, एफिडेविट देंगे, उनको 70 प्रतिशत। यह आपकी किसानों के प्रति सोच है।

जो बीज हम बांटते थे, हमारी यू पी ए सरकार बांटती थी, हमारी कांग्रेस की सरकार बांटती थी, वह बीज बांटने का काम भी आपने सारा का सारा बंद कर दिया।

आपने जो कृषि के विश्वविद्यालय हैं, उनमें 50 प्रतिशत प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं, एक भी पद भरने का काम नहीं किया। जो 10 रिसर्च सेंटर थे, उनमें आपने दो साल से बजट देना ही बंद कर दिया। 10 रिसर्च सेंटरों में एक भी पैसा आपने नहीं दिया।

गौशालाओं की, गायों की भक्ति की बात करते हैं, यह केवल बातें ही करते हैं, उनको अनुदान देना बंद कर दिया। पशुओं की जो बीमा योजना थी, वह आपने बंद करने की बात कर दी।

उद्यान विभाग ने 1,100 किसानों की 2.65 करोड़ की सब्सिडी थी, वह बंद कर दी।

यह स्थिति आपकी किसानों के प्रति है। अब इसमें कौनसा, कब से भला करने जा रहे हो, यह मुझे बताने का कष्ट करें, जब कभी आपका नम्बर आये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत काबिल मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्रीजी लेकिन पता नहीं, अब की बार इनके साथ क्या हो रहा है, कहीं न कहीं पेच अटका हुआ है और उसकी वजह से ये भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। आप ए.एन.एम., जी.एन.एम. भर्ती नहीं कर पा रहे हो। आपने बहुत वादे किये थे, 35 हजार की लिस्ट निकाल दूंगा, आज आपने पुन: संविदा पर फार्म भरवा लिये कि हम तो संविदा पर रखेंगे।

जो भामाशाह बीमा याजना है, उस भामाशाह बीमा योजना में प्राइवेट

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हास्पिटलों ने आपको मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी महामारी आप रोक नहीं पाये और, माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हूं।

मैं तो चाहता हूं कि आप वित्त मंत्री बनें, मुख्य मंत्रीजी आपको सड़क मंत्री बनायें, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है; अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज ही आपको महामहिम राज्यपाल के यहां करवा देता।

आपने 7 मेडिकल कालेज, जो हमारी यू.पी.ए. सरकार के कालेज थे, आपने वाहवाही ले ली। केवल एक कालेज के लिए आपको, सरकार को कहा गया था। उस वक्त मुख्य मंत्रीजी के आपके अच्छे सम्बन्ध थे जब सरकार बनी थी, तो आपने उसका नाजायज फायदा लेकर के सीकर के मेडिकल कालेज पर डाका डाला, जो आपको नहीं ले जाना चाहिए था। मैं निवेदन करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू की जो स्थिति है, चूरू में जो आउटडोर है, 2015 का कह रहा हूं, चूरू का है 3 लाख 93 हजार, सीकर का आउटडोर था 4 लाख 81 हजार; हमारे यहां 331 पद स्वीकृत हैं, आपके यहां 256 हैं, और आपके तो 50 परसेंट खाली भी हैं, हमारे तो उतने खाली भी नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चूरू में मैं हूं। चूरू में राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बस, वह उस दिन ले गये। उसके बाद में ठंडा हो गया काम। एक काम तो करा लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कह रहे हैं, इनकी हालत है, 'थोड़ी रौनक है हमारे दम से, वरना तो यह शहर जंगल हो जाए'। ऐसे आदमी हैं ये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने सी.एच.सी., पी.एच.सी., इनको पी पी पी मोड पर देने की बात कही। पी पी पी मोड इतना बड़ा घोटाला है। कहां गये पी पी पी मोड पर? आपका कोई पी पी पी मोड हुआ नहीं।

जो दवाइयां हैं, हमारे लिए, कांग्रेस सरकार के लिए कहते थे कि यह जहर बांट रहे हैं, जहर बांट रहे हैं। यह फैलाकर के सरकार ले आये। आपकी दवाइयों की गुणवत्ता की जब लैब में जांच की गयी तो, माननीय मंत्री महोदय, 47 प्रकार की दवाइयां अमानक पायी गयीं। उनको जहर कहते हैं। कांग्रेस के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

शासन में एक भी दवाई अमानक नहीं पायी गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता पर कुछ बातें ऐसी हैं विधान सभा के माध्यम से जनता के बीच में जाती हैं तो उनका अर्थ का अनर्थ निकलता है। एक भी दवाई ऐसी नहीं जो अमानक पायी गयी हो। गवर्नमेंट के हास्पिटल में दवाई जाए और उसको मरीज ले और उसको यहां आकर यह कह रहे हैं, अमानक पायी गयी। अगर इनके पास कोई रिपोर्ट हो तो लाकर दिखायें। कम से कम ऐसी योजना, आपने चलायी हुई योजना, 'निःशुल्क दवा योजना', हमने उस योजना को बढ़ाया; हमने उसमें मानकता को और अच्छा बनाने के लिए कई-कई चीजें और नवाचार किया, पर उसमें ऐसा नहीं कहें। प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं प्रमाण से कहता हूं, ऐसे नहीं कहता। आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको प्रमाण दूंगा। आप चिंता मत कीजिए।

आपने मेडिकल कालेजों की, जो वर्तमान में हैं, सात लाने की बात कर रहे थे न, माननीय मंत्री महोदय, राजस्व मंत्रीजी, पटवारियों के ट्रांसफर हो गये, अब तो छोड़ दो इनको। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन सातों मेडिकल कालेजों में आपका 33 परसेंट स्टाफ खाली है। अभी केवल सेकंड ग्रेड के जी.एन.एम. की भर्ती हुई है। उसके अलावा आप नहीं कर पाये। आप केन्द्र से 7 कालेजों के लिए केन्द्र का पैसा लेना चाह रहे थे, वह पैसा आपको मिला नहीं। केवल मात्र आपको 35 करोड़ रुपया मिला है। वह पैसा आप नहीं ले पाये।

फार्मासिस्ट की भर्ती आप कर नहीं पाये और एक ऐसी कम्पनी, सरकारी कम्पनी बिना लाइसेंस के दवा बना रही है और पांच करोड़ रुपये की स्वाइन फ्लू की दवा आपके डिपार्टमेंट ने खरीदी। इससे बड़ी बात आपके रहते हुए, आप जैसे इंटेलीजेंट, बहुत बढ़िया, काबिल मंत्री के होते हुए भी यह जो स्थिति है, वह बड़ी शोचनीय है।

27 लाख की अंकतालिकाएं जो फर्म ब्लैकलिस्टेड थी उससे छपवायीं। वह आपसे पैसे मांग रही है। अभी शायद आपने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन स्थिति क्या बन रही है वह पता नहीं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, भामाशाह बीमा योजना में जो प्राइवेट कालेजों को देना चाह रहे हों, वे सत्रह सौ बीमारियां ऐसी हैं जो प्राइवेट वाले इलाज नहीं करेंगे, मंत्री महोदय। इसलिए इसका पैसा बढ़ाइये।

नर्सिंग कालेजों में आपकी, सेक्रेटरी साहब की क्या अनबन हुई, कहां हुई, क्या हुआ, यह जांच का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी लायी हुई नि:शुल्क दवा योजना को केवल खतम करने के अलावा आपने कुछ किया नहीं है। झोलेछाप डाक्टर आज भी इलाज कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और आपके पी.ए. के कहने के बाद में एस.एम.एस. का डाक्टर ब्लड नहीं देता है और वह डाक्टर दलाल का पता बताता है। यह हम सब ने सुना है। तो आपका नियंत्रण क्यों कमजोर हो रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं। मिशन इन्द्रधनुष का चौथा चरण था, 11 महीने में जो टीके लगाये जाने थे, वे 46 हजार टीके आपने कम लगाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो स्थिति है वह क्यों कमजोर रही है, मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन यह जरूर है कि आपसे जो अपेक्षाएं प्रदेश को थीं वे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए स्वास्थ्य में भी हमारी स्थितियां बड़ी बिगड़ी हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, नकली फर्म से भी एक लाख की अमानक दवाइयां खरीद लीं। यह भी स्थिति है। पी पी पी मोड को जो कह रहे थे, वह टेण्डर प्रक्रिया में 90 करोड़ के इलाज में गड़बड़ झाले की बातें भी सामने आ रही हैं।

कुपोषण, यहां खड़े होकर के कहते थे, कुपोषण से मौतें हो रही हैं, कुपोषण से मौतें हो रही हैं; माननीय मंत्री महोदय, आपकी नाक के नीचे बाड़मेर में 11 लोग कुपोषण के शिकार हो गये और वे मर गये। यह स्थिति है।

भामाशाह योजना में चार करोड़ का क्लेम किया, सिर्फ आठ लाख रुपये बीमा कम्पनियों ने पेमेंट किया। यह आपकी स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में तो बड़ा ही जोरदार काम हुआ है। शिक्षा तो ऐसी बन गयी कि कोई बता नहीं सकता। शिक्षा की स्थिति यह है कि 17 हजार स्कूलें पहले बंद कर दीं, चार-साढ़े चार हजार स्कूलें अब बंद करने जा रहे हैं। जहां एकीकरण के नाम पर जिन छात्रों को स्कूलों में भेज दिया था, उनके लिए बैठने का स्थान नहीं है, उनके लिए कमरा नहीं है, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लिए अध्यापक नहीं हैं। केवल मात्र एकीकरण। आदर्श स्कूल, यह केन्द्र की सरकार ने, हमारी यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने आदर्श स्कूलों को पैसा देने की बात कही थी, उसी की आस में आपने यह काम कर लिया और आज बंटाढार हो गया है।

न विद्यार्थी मित्र को लगा रहे हैं, न सैकण्ड ग्रेड हैं।

चार-चार सौ विद्यालयों में आपने विज्ञान खोला कि साहब, हमने तो सीनियर सेकण्डरी स्कूल प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोलना है। उस विज्ञान का क्या हुआ? शायद 600 थे या 400 थे, उसमें से सारी की सारी आपने बंद कर दीं और वे इसलिए बंद कर दीं कि प्रधानाध्यापकों से लिख-लिख कर मंगाया कि नहीं, हमारे पास लैब का पैसा नहीं है, हमारे पास विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं हैं। तो फिर आपने उनको खोलने का काम क्यों किया?

2012 के जो अध्यापक लगे थे, उनके वेतन के नियमितीकरण का आपने आज तक कुछ भी नहीं किया। सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक छह साल तक वैयक्तिक वेतन पर रहे। आपने वापस उनको सैकण्ड ग्रेड में भेजने का काम किया है।

तो निश्चित रूप से शिक्षा में ऐसा बंटाढार कर दिया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे स्टूडेंट न डाक्टर बन पायेंगे, न इंजीनियर बन पायेंगे। साइंस आपने सारी बंद कर दी।

फीस का जो कानून था, उसमें समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, आज उस समिति को आपने दो साल से बंद कर रखा है; समिति काम नहीं कर रही है। 1,100 निजी विद्यालयों ने फीस बढ़ा दी, चार हजार ने रिकार्ड पेश नहीं किया। आपके शिक्षा मंत्रीजी ने क्या किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? केवल मात्र हाई कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण से, फीस निर्धारण की हमारी जो शिक्षा समिति बनी हुई थी, उसको आपने कमजोर करने का काम किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बहुत बड़ा काम शिक्षा मंत्रीजी करने जा रहे हैं, आर.टी.ई. जो है उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत फायदे की बात है, बहुत नुकसान कर रहे हैं। आर.टी.ई. में मुफ्त प्रवेश के लिए जो ओ.बी.सी. के लोग पात्र होते थे, उनके लिए शिक्षा मंत्रीजी ने फाइल चलायी है कि केवल बी.पी.एल. और एस.सी., एस.टी. के लोग ही आ पायेंगे, और जो 400 करोड़ का बजट है वह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खर्च नहीं कर पाये। पिछली दफा भी 165 करोड़ था, 2014-15 में, वह भी 120 करोड़ का खर्च कर पाये।

निश्चित रूप से विद्युत विभाग की जो स्थिति है, आज जहां 40 परसेंट की छीजत है वहां पर सब फीडरों को बंद किया जा रहा है कि इनको बिजली नहीं देंगे। यह कौनसा न्याय है? यह कौन से प्रदेश की व्यवस्था है? लोग आन्दोलनरत हैं कि हम क्यों नहीं लें? जो चोरी करता है उसको पकड़ो। वी.सी.आर. के लिए लोगों को एक टारगेट दे दिया गया है, आपको सीकर जिले का मैं बता सकता हूं, कि 10 करोड़ का अगर आपने 31 मार्च तक टारगेट नहीं दिया तो आपको बाड़मेर भेजा जायेगा। सब अखबारों ने छापा है। इस तरह की व्यवस्था।

डिमांड नोट हमारे किसानों ने जमा कर दिये, कृषि कनेक्शन देने के लिए। मेरे अकेले के विधान सभा क्षेत्र में 300 किसान ऐसे हैं जिनको टालमटोल कर के उनका डिमांड नोट जमा नहीं किया गया।

सोलर का जो घोटाला है वह ध्यान में है।

बिजली के पावर ग्रिड जो हमने बनाये, वह आप बेचने जा रहे हैं। जो कालीसिंध का है उसको भी आप बेचने जा रहे हैं। छबड़ा और कालीसिंध अडानी और अंबानी को देने की बात कर रहे हैं। यह 1,320 मेगावाट का बांसवाड़ा का सुपर-क्रिटिकल जो पावर हाउस था, उसको आप बंद कर रहे हैं।

उद्योगों को हाथों-हाथ बिजली दे रहे हैं लेकिन किसानों को ड्रिप योजना में नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 'रिसर्जेंट राजस्थान' में 300 करोड़ रुपये बरबाद किये। एक आदमी आया नहीं। उलटे, आपने महिन्द्रा कम्पनी को 5,000 करोड़ रुपये का जो महिन्द्रा सेज था, उसमें छूट देकर के उद्योगों को बेचने के लिए जो जमीन थी, उसको देने का काम किया है। 'रिसर्जेंट राजस्थान' से कोई फायदा नहीं हुआ।

आर टी डी सी बंद करने जा रहे हैं। महिन्द्रा वाले उसका जा-जाकर के गुप्त रूप से सर्वे कर रहे हैं। 19 होटलों का महिन्द्रा एंड कम्पनी ने सर्वे किया है, कि बात हो गई हमारी, हम इनको ले लेंगे। यह जो स्थिति बन रही है पूरे प्रदेश की।

पेयजल में ना टयूबवैल हैं, ना हैण्डपम्प हैं, ना कर्मचारी हैं। हैण्डपम्प

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

की कह रहे हैं कि हमने अभियान चला रखा है। हैण्डपम्प का अभियान क्या चलाओगे, वाशर नहीं है हैण्डपम्प का।

बिजली बोर्ड, आपका अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वहां का एम.डी. एक आई ए एस है, वह यह कहता है कि मेरे को धन्यवाद दो कि मैंने बिजली बोर्ड का 12 महीने में 10 हजार करोड़ रुपये बचा दिया। हमने कहा कि कैसे बचा दिये? आप तो आई ए एस हो, पहली बार लगे हो। बोले, मैंने एक धेले का सामान नहीं खरीदा। किसी को दिया ही नहीं, तो बच गये। अपने आप 10 हजार करोड़ रुपये। अगर मैं किसानों को सामान देता तो 10 हजार करोड़ रुपये सरकार के खतम होते। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका 2 साल में सोलर पम्प, जिसकी बात कर रहे हैं ना कि पानी पिलायेंगे हम, 2 साल पहले बजट में घोषणा की थी, पिछली बार भी घोषणा की थी, आप कर नहीं पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जल स्वावलंबन, बड़ा जोरदार अभियान चलाया। कोई भी आदमी कलक्टर से, एस डी एम से मिलने जाता है तो उसको धमकाकर के यह कहा जाता है कि तुम इसमें पैसा दो, भामाशाह बन, नहीं तो तेरा काम नहीं होगा। यह ठीक नहीं है। जल स्वावलम्बन अच्छी बात है, अच्छा काम करना चाहिए लेकिन यह जिस तरीके से धमका करके पैसे लेने की बात कर रहे हों, वह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इर्रेलेवेंट बोल रहे हैं। बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) गैर-गम्भीरता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पूरे राजस्थान के कलक्टर लोगों को धमका रहे हैं। मतलब, किस तरह की बात रिकार्ड पर ला रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रमाण हैं, प्रमाण।

श्री संजीव कुमार (भादरा): किसको धमकाया? बताओ तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम इनको बैठे-बैठे सुन रहे हैं। एक बात में भी सच्चाई नहीं है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): उपाध्यक्ष महोदय, किसको धमकाया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आधा घंटा हो गया and if you are running out of any material or contents...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट। सीकर की, मेरे जिले की बात करके खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): किसको धमकाया? बताओ तो सही।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह किसने लिखकर के दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किस कलक्टर ने किसको धमकाया? नाम बतायें ये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): किसको धमकाया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): रिकार्ड पर लेकर के आयें ये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ...(व्यवधान) अनर्गल यूं ही बोलते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): इसको कार्यवाही से निकाला जाये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): भामाशाह आगे आ रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जल स्वावलंबन में यू पी ए गवर्नमेंट का दिया हुआ वाटरशेड का पैसा है, या पंचायतों का टी एफ सी का पैसा है...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह असत्य का पुलिंदा किसने लिखकर के दिया? (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): जल स्वावलंबन में किसको धमकाया यह तो बताओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों में एक रुपये की सड़क नहीं बनी। मैं दो मिनट मेरी पार्टी के ले रहा हूं। जवाब है माननीय युनुस खानजी का, सड़क परिवहन मंत्रीजी का, कि हमने एन एच, एम डी आर और स्टेट हाइवे, इनमें 15 अगस्त तक एक भी पी पी पी मोड का प्रोजेक्ट चालू नहीं किया। हम अब मलेशिया की कम्पनी से बात कर रहे हैं। 2

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

साल में, गौरव पथ जिसकी बात कर रहे हैं, बढ़-चढ़कर कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जगह नाली नहीं बनी। जो गंदगी थी, उससे 10 गुना गंदगी करने का काम गौरव पथ सड़कों में किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी आनंदपाल को ढूंढने के बजाय कह रहे हैं कि मैं खुद आनंदपाल हो गया। दुष्कर्म, 5 साल की बच्ची के साथ सीकर में दुष्कर्म हुआ। यह स्थिति आप सबके सामने है।

सड़कों के नवीनीकरण में जितना पैसा चाहिए, उसका 10 परसेंट पैसा इनके पास में है नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहकर के खतम करूंगा कि हमारे समय में जिन गरीबों को गेहूं देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत, आपने उनमें से 90 लाख लोगों को वंचित करने का काम किया है। 90 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम की उस लिस्ट से बाहर कर दिया। पाश मशीनें आपकी फर्जीवाड़ा हैं। जिस आटे के लिए हमारी सरकार को घेरने का काम करते थे, 700 करोड़ रुपये फोर्टीफाइड आटे के लिए थे, वह फोर्टीफाइड आटा आज तक गरीबों को नहीं मिल पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सीकर में 9 जगह हैं जिनमें पाशा लगाने का काम किया है। क्या किया है? पाशा, और पाशा क्या होता है, 12 महीने तक बिना रीजन के उसको अन्दर डाल दो, किसी को भी। यह काम सरकार करने जा रही है।

मंत्रियों के जो बोल हैं, वे आप सब जानते ही हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह असत्य का पुलिंदा किसने लिखकर के दिया है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने, उद्योग मंत्रीजी ने और गृह मंत्रीजी ने, सबने कहा कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं। जनता किसके पास जाये? जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, उसमें 2-2 आदमी आते हैं; माननीय मंत्री महोदय, 2-2 आदमी आते हैं, क्योंकि वहां कोई इलाज नहीं है। गृह मंत्रीजी को खड़ा किया कि फोटो खिंचवानी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप गये हो क्या? आपने देखा कभी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने देखा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो बताओ, कब देखा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये रहे अख़बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अख़बार। अखबारों की ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अमरा रामजी, राजस्व मंत्री हैं, राजस्व मंत्री को खुद फरियाद लगानी पड़ती है तो इससे बड़ा इस प्रदेश का दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। जब मंत्री का काम नहीं कर सकते हो तो आम जनता का क्या काम करोगे! वहां अगर कोई जाता है अपनी बात करने...।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के सचेतक हमारी निगरानी रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इनका काम ही सचेत रहना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या हुआ रिंग रोड का? बना दी क्या रिंग रोड? रिंग रोड, रिंग रोड, रिंग रोड, पता नहीं, कितना भाषण ठोका था यहां कि हम रिंग रोड बनायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कचरा संग्रहण की बात करेंगे।

होंडा कम्पनी का उद्घाटन सी.एम. करके आयीं। उसके मन में दादागीरी आ गयी, उसने उन श्रमिकों के लट्ठ मारे, क्योंकि राज का जोर है ना।

नशा, रोक दिया क्या नशा आपने? हमारे लिए कहते थे। होम डिलीवरी दे रहे हैं आपके शासन में। होम डिलीवरी अफीम की। अवैध कारोबार चरम सीमा पर है। आपकी सरकार रोक नहीं पाई।

यू डी एच टैक्स जनता से आप लेना चाह रहे हैं। ये सारी स्थितियां कोई छुपी हुई नहीं हैं।

खान घोटाला; मंत्रीजी, खान घोटाला। आई ए एस अन्दर बैठा है। 45 हजार करोड़ रुपये का खान घोटाला ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जोधपुर का खान घोटाला आपको पता है। वहां क्या हुआ था? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर उसकी सही जांच होती ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया था? (व्यवधान) किसका दामन देख रहे हो? हमने बड़ी मछली पकड़ी है। जिसने भ्रष्टाचार किया, उसको जेल की हवा खिलाई है हमने। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर खान घोटाले की सही जांच होती तो कई राजनेता उसमें अन्दर होते। (व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप खर्च करने की बात कर रहे हो, आपके एम पी और एम एल ए, पंचायत राज को पंगु बना दिया आपने। ऐसी-ऐसी नई ग्राम निर्देशिका बना दी, 300 पेज की। ग्राम सेवक, कोई आम आदमी पढ़ सकता है क्या? कोई नहीं पढ़ सकता। आपका एम एल ए पैसा नहीं खर्च कर रहा है, आपका एम पी पैसा खर्च नहीं कर रहा है, ग्रामीण व्यवस्थाएं चूर-चूर हो चुकी हैं। यह स्थिति आपकी बनी हुई है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अशोक गहलोतजी ने एक पैसा अपने फंड का खर्च नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक पैसा खर्च नहीं किया है अशोक गहलोत जी ने ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लास्ट एक मिनट। सरकार ने इतना बड़ा डिफाल्ट किया है...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहले इसका जवाब दो। अशोक गहलोत जी ने एक पैसा खर्च नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महिलाओं का 50 परसेंट आरक्षण नहीं था, कानून नहीं था, कानून के विपरीत आपने दिया और आज आपको हाई कोर्ट में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यही आपकी सरकार का कारनामा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप इस आरक्षण के खिलाफ हो ना? हमने 50 परसेंट योजना आरक्षण दिया। आप रिकार्ड पर लाओ ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप इस आरक्षण के खिलाफ हो ना?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, बोलो ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नियम विरुद्ध कार्य क्यों किया आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बोलिये, बोलिये, आपकी पार्टी भी खिलाफ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने नियम विरुद्ध काम किया है। यह आरक्षण हमारी कांग्रेस की सरकार ने दिया था महिलाओं का। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है।

इंदिरा आवास योजना, जो गरीब की छत का काम करती थी; मुख्यमंत्री आवास योजना जो हमारे गरीबों के लिए छत उपलब्ध कराने का काम करती थी, आपकी सरकार ने इंदिरा आवास के टारगेट घटाये; मुख्यमंत्री आवास, बी पी एल आवास योजना को बंद करने का काम किया।

केवल मात्र 2 साल में सरकार में बैठे लोगों ने आई ए एस अफसरों से मिलीभगत करके लूटने का काम इस प्रदेश की जनता का किया है, प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। यह बरदाश्त नहीं होगा।

हमारे नेता के खिलाफ इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी, +++ इस तरह के एम एल एज को तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए। यह आपको शोभा नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं किसको कह रहा हूं। जिस भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही यही है कि इस तरह के +++ उलूल-जलूल बयान दिलाओ और उसके बाद में +++ और राज करो। यह आपकी संस्कृति बनकर के रह गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्या बोल रहे हैं ये? (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अभी तो शुरुआत हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और सुनना चाहो तो, अभी तो 10 परसेंट हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके राजकुमार क्यों गये थे? (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अभी तो शुरुआत हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जे एन यू में किसका समर्थन ...(व्यवधान) आपके राजकुमार ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): कोई बरदाश्त नहीं करेगा ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर में, सीकर में,...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): यही जवाब मिलेगा। (व्यवधान) भारत माता को गाली देने वालों को कोई नहीं बख्शेगा। अभी तो शुरुआत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर में मिनी सचिवालय बनायेंगे। सीकर में मिनी सचिवालय नहीं।

मेरे यहां 832 करोड़ की योजना थी, 37 परसेंट, 40 परसेंट काम हो गया था हमारे कांग्रेस के शासन में। अब 39 प्रतिशत, यानी 2 प्रतिशत दो साल में। वह मार्च, 2015 में 832 करोड़ रुपये की वृहत् पेयजल की योजना पानी पिलाने वाली थी, उसका दम तोड़ कर रख दिया।

बिना सड़क बनाये सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ तक टोल इन्होंने लगा दिया। मेडिकल कालेज इन्होंने सीकर का खतम कर दिया। कुम्भाराम लिफ्ट का सीकर को जो पानी मिलना चाहिए था, खंडेला, नीमकाथाना, दांतारामगढ़ पानी के लिए तरस रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी जाती हैं, अगर दो महिलाओं ने यह कह दिया कि मुख्य मंत्रीजी, पानी पिला दो, तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, अधिकारियों को हटाया जाता है। जल स्वावलम्बन का नाटक करके आधी तगारी नीमकाथाना में मुख्य मंत्रीजी ने उठाई और 13 लाख रुपये जनता की गाढ़ी कमाई खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इनके नेताओं ने किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुधर जाओ; आपको मौका मिला है, काम करके दिखाओ। (व्यवधान) मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। रिफाइनरी का क्या हुआ? हम समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा। पत्रकार यूनिवर्सिटी बंद; अम्बेडकर ला यूनिवर्सिटी बंद; रिफाइनरी को ...(व्यवधान) क्या हुआ रिफाइनरी का? राठौड़ साहब, बताओ तो सही कि क्या करोगे। आपने सारी की सारी जो जनता के हित की कांग्रेस की योजनाएं थीं, उनको समीक्षा के नाम पर तोड़ने का काम किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपने केवल मात्र इन दो साल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, लेकिन मेरे लक्ष्मणगढ़ में जो आई टी आई पास की थी, वह आई टी आई दो साल से झूल रही है। सीवरेज लक्ष्मणगढ़ में जो हमने पास की थी, वह दो साल से झूल रही है। एक रुपये का काम इस भारतीय जनता पार्टी की नाकारा सरकार ने नहीं किया है।

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं डोटासराजी के बाद बोल रहा हूं। (व्यवधान) वे मेरे मित्र भी हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी भावना तो सीकर में है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, भावना तो सीकर में है, जयपुर में भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय राज्यपाल महोदय के, 'महामहिम' मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि उन्होंने स्वयं ने मना कर दिया कि 'महामहिम' मेरे नहीं लगाया जाए; माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य श्री मोहनलालजी गुप्ता ने और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य प्रहलादजी गुंजल ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वातावरण अभी विधान सभा में आपने देखा, जो वातावरण लोक सभा में चल रहा है, जो वातावरण सारे देश भर में चल रहा है और अभी जिन शब्दों का, हिन्दुत्व का, भारतीय जनता पार्टी की फितरत का, इन सबका प्रयोग किया है, उन सब बातों पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं; वह धन्यवाद इस बात का है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दिनों मेरी तरक्की हुई है। पहली तरक्की तो मेरी यह हुई कि मुझे 80 लाख में कार्यकर्ता माना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गया; दूसरी तरक्की मेरी यह हुई कि मुझे विधान सभा में आने का नोटिफिकेशन सचिव महोदय ने दिया कि मैं 80 लाख में नहीं, 200 में हूं। उसके बाद हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई, उसमें मुझे बुलाया गया, तो मुझे लगा कि मैं 160 में हूं। अब आपने मुझे मौका दिया पांचवें नम्बर पर, तो मुझे लगा कि मैं पांचवें नम्बर पर हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक नम्बर पर आ जाऊं। यह मेरी तरक्की होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अन्तर्गत, जिसकी हम बार-बार चर्चा करते हैं, उसके प्रिएम्बल, उद्देशिका के दो वाक्य में पढूंगा, उसके बाद में मैं अपना अभिकथन चालू कर दूंगा। 'हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यह भारत का संविधान बना रहे हैं।' पहली बात तो, इसमें दो बात लिखी है, ये दो शब्द हैं, 'समाजवादी और पंथ निरपेक्ष' ये आपातकाल में संविधान में संशोधन करके जोड़े गये थे। उसके पहले सर्व प्रभुता सम्पन्न गणराज्य और वह सामाजिक आर्थिक न्याय देगा, विचार की अभिव्यक्ति देगा लेकिन राज्य की एकता, अखंडता को जहां पर भी चोट आएगी, वहां वह विचार की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करेगा। यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं।

अब इसमें शब्द प्रयोग किया गया है, 'लोक' का। हम बार-बार, 'वी द पीपल आफ इंडिया'; 'हम भारत के लोग'; हम बार-बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, 'प्रजातंत्र – प्रजातंत्र - प्रजातंत्र', यह 'प्रजातंत्र' नहीं है, 'लोकतंत्र' है। आज अंग्रेजी के विद्वान हैं, आप जानते हैं प्रजातंत्र सब्जेक्ट होता है। लोक तंत्र है। प्रजा में एक राजा होता है, एक प्रजा होती है यहां कोई राजा नहीं है। यहां 'नर न होकर स्वयं भ्रमिति, यह बंधन सरजाय' । भगवान ने कोई राजा-वाजा बनाया नहीं, आदमी ने स्वयं भ्रमित होकर इस बंधन को सृजा। इसलिए हमने लोक तंत्र को बनाया है। अब इस लोकतंत्र में जो लोक की अभिव्यक्ति है और लोक को जो खतरा होता है, उस समय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

इस प्रिएम्बल के आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया। उसकी भी मैं चार लाइन आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान पत्रिका में छपा है, जस्टिस प्रतिभा रानी ने राष्ट्र भक्ति भरे गीत का हवाला देकर कहा, रंग हरा हरिसिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती। यह राष्ट्र भक्ति से भरा गीत गाकर उन्होंने कहा कि यह जो आजकल बसंत का मौसम है, हरियाली का मौसम होना चाहिए। जे एन यू कैम्पस में शांति का रंग गायब क्यों हो रहा है, जे एन यू के टीचर एवं छात्र जवाब दें। फिर आगे उन्होंने लिखा कि हम छह महीने की जमानत दे रहे हैं क्योंकि इनकी मां तीन हजार रुपये महीने ही कमाती है, और गरीब आदमी है, हम इसको सुधरने का मौका दे रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि सेना के जवान जान की बाजी लगाते हैं, सियाचिन में मरते हैं और उन्होंने आगे लिखा कि इस महामारी से, इसको महामारी बनने से पहले कंट्रोल करना पड़ेगा।

भारत सरकार ने और राजनाथ सिंहजी, माननीय गृह मंत्रीजी ने और माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो संसद की बहस में जवाब दिया है, इस काम को हम करना चाहते हैं। सरकार जो यह काम कर रही है, वह राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कर रही है और इस काम में अगर कोई यह चाहे कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात करे, तो वह राष्ट्र की एकता और अखंडता से बड़ी नहीं हो सकती। यह बात मैं कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि-

राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, हो खड़ा ऐसे देश सारा।
संकटों पर मात करके राष्ट्र विजयी हो हमारा।।

हम राष्ट्र विजयी हों, इस बात को लेकर हम चलना चाहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी, डोटासरा साहब। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र भक्ति से जुड़ी हुई है।

अब एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वह मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा। उन्होंने भी कहा, 'हिन्दुत्व', और कल बानसूर से आने वाली माननीया विधायक ने कहा था कि हमने दो-दो प्रधान मंत्रियों को शहीद किया है, माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी और माननीय राजीव गांधी को आतंकवाद से। मैं आपकी बात को सही मानता हूं, लेकिन इन्दिरा गांधीजी की विरासत पर आपका अकेले का अधिकार कहां से हो गया? इस सब्जेक्ट पर मैं आऊंगा, पर मैं पहले आपसे पूछता हूं हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय कि श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने कोई पुस्तक लिखी, वह आपको ध्यान है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो उसको छाती से चिपकाये रहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो फिर उसका नाम बताओ न। (व्यवधान) उसका नाम है, 'इटरनल इंडिया'। (व्यवधान) यह है श्रीमती इन्दिरा गांधीजी की और एक ही पुस्तक लिखी है उन्होंने और यह गलत इसलिए नहीं है कि इसका प्रकाशन इटली से हुआ है, वरना तो कह देते कि किसी आर एस एस के आदमी ने छपा दिया इसको। तो इसका प्रकाशन इटली से है। इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने, उन्होंने कहा है कि 'हिन्दुत्व' कोई 'इज्म' नहीं है और हिन्दुत्व इस सम्पूर्ण राष्ट्र की संचित जो निधि है उसका नाम है। यह श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने कहा। इस पुस्तक में उन्होंने जितना वर्णन किया है और जितनी फोटो दिये हैं, अगर आप देखें तो अधिकांश फोटो में यज्ञोपवीत और जनेऊ हैं, जो इन्दिरा गांधीजी ने दिये हैं और आप जे एन यू में नारे लगा रहे हो, जे एन यू या जनेऊ! और वहां पर आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद रहें, इससे बढ़िया कोई बात कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए हो नहीं सकती। यह मैं स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधीजी की बता रहा हूं।

(15.00 बजे)

तो मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा कि आपने ठेका लिया है क्या इंदिराजी की विरासत का?

उपाध्यक्ष महोदय, इंदिराजी के दो लड़के थे, स्वर्गीय राजीव गांधीजी और संजय जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बोळा खिलाफ मत बोलज्यो। कद आणो पड़ जाय। कांग्रेस में बेरो कोनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जिस दिन कांग्रेस आर एस एस को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को पवित्र संस्था मान लेगी, उस दिन थोड़ी-बहुत गुंजाइश हो सकती है।

मैं निवेदन यह कर रहा हूं, उनके दो लड़के, एक लड़के स्वर्गीय प्रधान मंत्रीजी और दूसरे संजयजी। दोनों का निधन हो गया, दु:ख की बात है। एक की धर्मपत्नी सोनिया गांधीजी और उनके पुत्र राहुल गांधीजी; एक की धर्मपत्नी मेनका गांधीजी और वरुण गांधीजी। जब बंटवारा हुआ तो सोनियाजी और राहुलजी तो इनके अधिकार में चले गये और वरुणजी व मेनकाजी हमारे पास आ गये। यह तो बंटवारा हो गया विरासत का। आपकी अकेले की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विरासत कहां से आयी? फिर जब बंटवारा आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ते-बढ़ते आपके तो हाथ में आयी इमरजेंसी, उनकी जो विरासत थी, और हमारे हाथ में आयी बंग्लादेश की जीत, जिसमें अटलजी ने कहा था कि इंदिरा गांधीजी दुर्गा का रूप लेकर भारत के लिए कार्य कर रही हैं। इसलिए हमको बात करते समय, विचार करते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभिभाषण के बारे में माननीय सदस्यों ने जो पैरावाइज वर्णन किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मंत्रिमण्डल में बैठे लोग तो सभी जानते हैं कि इस अभिभाषण की प्रक्रिया क्या है। कांग्रेस पार्टी का राज हो, चाहे हमारा राज हो, किसी का राज हो, इसकी एक प्रक्रिया तय है। ये 166 पैरा हैं, इसमें मैंने पढ़ा है। क्या प्रक्रिया है, सभी विभागों के लिए, किसी के लिए दो पैरे, किसी के लिए तीन पैरे निर्धारित करके लिख देते हैं और उनके सेक्रेटरी साल भर की उपलब्धि, जो पिछले बजट में थी, हमने क्या किया, उसके पैरे बनाकर दे देते हैं। वे पैरे जब आ जाते हैं तो मंत्रिमण्डल की जो उपसमिति होती है, उसमें हमारे तीन विद्वान आदमी थे - गुलाबजी थे, राजेन्द्रजी थे और चतुर्वेदी साहब थे, वे इसको संकलित कर लेते हैं; इनकी कमेटी है तो वे संकलित कर लेते हैं। हम इस पर जब वाद-विवाद करते हैं तो उस वाद-विवाद के समय ध्यान रखें कि हमको यह ब्यूरोक्रेसी ले कहां जा रही है और इसमें परिवर्तन कहां कर रहे हैं। इस मूलभूत बात को अगर ध्यान नहीं किया तो हम विधायिका की गरिमा को भी कायम नहीं रख पाएंगे और अभिभाषण के महत्व को परिलक्षित नहीं कर पाएंगे।

दूसरे, हम आगे चलकर बजट पर बात करेंगे। बजट में भी कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं। बजट में भी हर विभाग को उसकी सीलिंग दी हुई है। उस सीलिंग के आधार पर बजट बनना शुरू होता है और वह सीलिंग का बजट आगे आता है। अब बी जे पी और कांग्रेस की तुलना करें तो उस सीलिंग में दो-तीन डिपार्टमेंट को छोड़कर, एक-दो परसेंट की बढ़ोतरी होकर, बाकी वह बजट उसी प्रकार से आता है, बजट यहां पर होता है और हम बजट पास कर देते हैं।

इसलिए आजकल कार्यपालिका में दो शब्द चल रहे हैं, एक चलता है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पहले कहते थे विधान सभा नहीं यह बजट सभा है, बजट पास कराओ और घर चले जाओ; आजकल चल रहा है ए जी एम, एन्यूअल जनरल मीटिंग। ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बनाया हुआ अभिभाषण और उनके द्वारा बजट यहां आता है, 10-15-20 दिन के लिए हम उस पर जैसे कोई बड़ी कम्पनी हो और उसकी वार्षिक मीटिंग हो तथा शेयरहोल्डर्स उस पर ठप्पा लगाते हैं, उस प्रकार का ठप्पा लगाते हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बिल विधान सभा के अध्यक्षों द्वारा, लोक सभा के अध्यक्षों के द्वारा विधायिका की गरिमा को कायम रखने के लिए पिछले 10-12 साल से पेंडिंग है, उस बिल को जब तक पास नहीं किया जाएगा, तब तक विधायिका की गरिमा कायम नहीं होगी। विधायिका की अगर सुप्रीमेसी नहीं होगी, तो जनकल्याण के जो काम विधायकगण करना चाहते हैं, वे काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अभिभाषण पर विचार करने से पूर्व, राजनीति से ऊपर उठकर, इस बात पर विचार करें कि इस काम को ठीक कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे।

मैं यह बात इसलिए कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-बहुत मुझे संस्कृत का ज्ञान है। मैं इस बात को पहले ले लूं, या बाद में लूं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, और मैं कहूं या नहीं कहूं, यह भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि मुझे कहना चाहिए। मेरे मित्र लोग नाराज नहीं होंगे, मैं यह आशा करता हूं।

अंत में, कहना चाहूंगा, 164 नम्बर का पैरा है, उसमें लिखा है, आओ साथ चलें। फिर कहां चलें? (व्यवधान) मैं अभी कहता हूं, आप थोड़ा धैर्य रखो। इसमें अंत में ऋग्वेद का एक मंत्र लिखा है, एक बार आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ देता हूं, इसमें लिखा है "आयुर्विश्वायु: परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्। यत्रसते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वादेवः सविता दधातु।।" अर्थात् सर्वत्र संचरणशील प्राणवायु आपका सभी प्रकार से संरक्षण करे। यह हवा हमारा संरक्षण करे। श्रेष्ठ मार्ग-दर्शक, सबसे आगे रहने वाले पूषादेव (सूर्य) आपका संरक्षण करें। सूर्य की रोशनी के बिना कुछ है नहीं। जिस श्रेष्ठ लोक में पुण्यात्माएं विराजमान हैं, सवितादेव आपको भी वहीं प्रतिष्ठित करें। लोक, पृथ्वी लोक नहीं, पुण्य लोक में जहां श्रेष्ठ आत्माएं विराजमान हैं वहां आपको प्रतिष्ठित करें। आओ साथ चलें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं नहीं जाना चाहता इसमें। इसलिए मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर किसी को पता नहीं हो....

श्री हीरालाल (निवाई): इसकी हिन्दी भी कर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हिन्दी कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी थोड़े ही कर रहा हूं। मैं संस्कृत, हिन्दी में आ रहा हूं। जो-जो मुझे करना था, मैं कर देता हूं, बाकी तो उपाध्यक्ष महोदय देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको लिखित में भी दूंगा, आप चाहें और सरकार चाहे तो इसको संशोधित कर लें और न चाहे तो नहीं करे। न तो मैं किसी पर स्कोर करने के लिए कह रहा हूं, न मेरी विद्वता दिखाने के लिए कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमको एक बात समझ में आ जाए कि विधान सभा के पटल पर कुछ लोग लाकर कोई चीज दे दें और एज-इट-इज हम उसको रख दें, यह ठीक नहीं है।

मैं ये दोनों पुस्तकें लेकर आया हूं। जो मंत्र है, वैसे तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, उनको ऋचा कहते हैं, फिर भी मंत्र शब्द का उपयोग करने में मुझे आपत्ति नहीं है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में, मण्डल चैप्टर कहते हैं, 17वें सूक्त का चौथा मंत्र है। इसका अनुवाद पुस्तक, पं. श्रीराम शर्मा, आचार्य के द्वारा लिखित पुस्तक है, उन्होंने बहुत काम किये हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अद्‌भुत काम किये हैं और उसका पूरा पेस्ट कर दिया है। ''सर्वत्र संचरणशील प्राणवायु आपका सभी प्रकार से संरक्षण करे। श्रेष्ठ मार्गदर्शक, सबसे आगे रहने वाले पूषादेव (सूर्य) आपका संरक्षण करें। जिस श्रेष्ठ लोक में पुण्यात्माएं प्रतिष्ठित हैं, सवितादेव आपको भी वहीं प्रतिष्ठित करें।'' सूक्त 17 में है, यह श्रीराम शर्मा द्वारा लिखित ऋग्वेद संहिता का है, एज-इट-इज इसको यहां पर पेस्ट किया गया है। इसमें तीन शब्दों का, वे बहुत विद्वान थे, उन्होंने गायत्री का बड़ा काम किया, समाज व राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा, लेकिन तीन वाक्यों का इसमें अनुवाद नहीं हो पाया, प्रिंटिंग की मशीन के कारण से इस पुस्तक में नहीं आया। वे तीन वाक्य हैं – यत्र ते ययहु। 'यत्र' का अर्थ है, जहां; 'ते' का अर्थ है, वे; 'ययहु का अर्थ है, चली गयी हैं। तो जहां वे आत्मा चली गयी हैं पुण्य लोक में, वहां आप सब लोग, आओ, साथ चलें। इसका अर्थ यह है। आगे उसमें लिखा है, इसकी दूसरी पुस्तक है। हिन्दी में मान लो, मैं असत्य बोलता हूं, अंग्रेजी उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं। यह सायनाचार्य ने सबसे पहले चौदहवीं शताब्दी में वेदों की व्याख्या की। उसके बाद कई लिखे गये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जयपुर के राजपरिवारों को, जयपुर में मुगलकाल में सबसे ज्यादा संस्कृत के ग्रन्थ लिखे गये और सबसे ज्यादा वेदों पर चर्चा हुई। आजादी के बाद मधुसूदनजी ओझा के जो ग्रन्थ थे, उनको राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया गया। कर्पूर चन्दजी कुलिश ने काम किया। गुलाबजी कोठारी का अभी वेदों का कार्यक्रम हुआ तो मैं भी जाकर आया। जयपुर वेदों की व्याख्या का बहुत बड़ा केन्द्र है। उसमें लिखा है, इन तीनों का अर्थ जोड़ने पर होता है, सर्वत्र संचरणशील प्राणवायु आपका सभी प्रकार से संरक्षण करे। श्रेष्ठ मार्गदर्शक, सबसे आगे रहने वाले पूषादेव आपका संरक्षण करें। जिस लोक में पुण्यात्माएं प्रतिष्ठित हैं, जहां वे चली गई हैं, जहां वे पुण्यात्माएं चली गई हैं, सवितादेव आपको भी वहीं प्रतिष्ठित करें।

मैं नहीं समझता कि इसमें अन्त में यह ऋग्वेद की ऋचा या मंत्र जो कहे हैं, वह क्यों लिखा गया है और इसका कारण क्या है।

आगे इसकी पुष्टि के लिए मैं दो विद्वानों की आपके सामने दो-दो लाइन पढूंगा। एक विद्वान हैं एच. एस. विल्सन, इनकी यह अंग्रेजी की पुस्तक 200 वर्ष पहले लिखी हुई है, इसमें लिखा है, "May the all pervading Vayu protect thee, may Pushan preserve thee, (going) first on the excellent path (to heaven), may the divine Savitri place thee, where the virtuous abide, whither they have gone." पुस्तक में साफ लिखा है। यह पुस्तक का पेज है, इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि ये जहां स्वर्ग में... "This and the following three stanzas are to be recited at the funeral rites of a man." यह जो मंत्र है, अंतिम संस्कार के समय ये तीन स्टेन्ज़ा पढ़े जाएं और जो तीन अंतिम समय पढ़े जाएं, वे भी उनके जिन्होंने यज्ञोपवीत ले रखी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारे समझ में नहीं आ रहा। खुली ही कह दो न कि क्या कहना चाह रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब इतनी भी समझ में नहीं आई तो फिर ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में ये जो ग्रिफिथ है उसने भी इसका भाषान्तरण यही किया है।

इसका अर्थ होता है कि यह सारी की सारी बात जो लिखी गई है वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किसने मंत्रिमण्डल के सामने लिखी है। अगर लिखना ही था तो हम ऋग्वेद के बहुत से मंत्र हैं, मैं एक सुझाव दे रहा हूं.....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्र सही है, चाहे गलत है, पर भावना तो अच्छी है न। भावना अच्छी है न, आओ साथ चलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भावना खराब है। आओ साथ चलें, ऊपर। अब मैं नहीं जाना चाहता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ऊपर भी, पर आप तो साथ रहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जहां आपके पितर हैं, वहां मैं तो नहीं जाऊंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): भावना अच्छी होनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अच्छी भावना से जाओ आप, पर मैं नहीं जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसका मैंने पूरा विवरण किया है, सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूरा लिखित में आपको दूंगा। आप उचित समझें कि यह हमेशा के लिए विधान सभा के रिकार्ड में रहे, तो रखें। अगर सरकार के माननीय मंत्री मुझसे कोई यह बात पूछना चाहें, तो मैं उनको भी बात करने के लिए तैयार हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर समझना चाहें, वैसे वे मेरे से बात नहीं करती हैं, फिर भी अगर समझना चाहें, तो मैं यह बात उनको बताने के लिए तैयार हूं। और कोई नहीं सुने, तो मैं आपको कहने के लिए तैयार हूं और मैं एक मिनट में कह देता हूं। ऋग्वेद का एक मंत्र है – संगच्छद्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम्।, देवाभागं यथा पूर्वे सज्जोनाना उपासते, यह पूरा मंत्र है और इसका एक भाव अनुवाद है, "प्रेम से मिलकर चलें। बोलो, सभी ज्ञानी बनें। पूर्वजों की बात, हम कर्तव्य के मानी बनें। हों विचार समान सबके, चित, मन, सब एक हों। ज्ञान पाते हैं बराबर, भोग्या सब नेक हों। हों सभी के हृदय और संकल्प अविरोधी सदा। मन भरे हों स्नेह से जिससे बढ़े सुख सम्पदा।" यह भी ऋग्वेद का ही मंत्र है, अगर सरकार चाहे तो इसको इसके स्थान पर जोड़ सकती है और मैं चाहूंगा कि इसको संशोधित किया जाना चाहिए।

यह हमारी प्रतिमा, उसके नहीं है। लोग कहेंगे कि जिस समय यह पारित किया गया, उस समय विधान सभा में कैसे लोग बैठे थे, जिनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इन्दिराजी की लिखी हुई पुस्तक का पता नहीं, जिसको ऋग्वेद के अर्थ का पता नहीं। तो ऐसे कामों में अपना नाम नहीं जुडे। मैं इसको आपको रिकार्ड के लिए पेश नहीं करूंगा; उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पेश करूंगा, आप इसको देख लें और आप उचित समझें तो सरकार से कहें और सरकार उचित समझे तो करे, वरना तो मैं समझता हूं कि यह हमारे इसके लायक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा एक और बात पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आपके लिए ही तो है। इसलिए कि यहां तो साथ नहीं रह सकते आप, लेकिन ऊपर तो कम से कम साथ चलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो साथ हैं। साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता; साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, वो गले मुझसे किसी और बहाने लग जाएं। क्यों चिंता करते हो आप? इसलिए इसकी कोई चिंता नहीं है। आप मस्त रहो।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय डाक्टर किरोड़ी लालजी मीणा थे, कल वे बहुत जोर से बोले; माननीय विश्वेन्द्र सिंहजी भी बोले। अभी हमने आंदोलन देखा हरियाणा का, हमने आंदोलन देखा गुजरात का, हमने आंदोलन देखा गोदावरी जिले में कापू सम्प्रदाय का और भिन्न-भिन्न स्थानों पर आरक्षण के बारे में बात चल रही है। मैं इस सदन में, जब हम आओ-साथ-चलें की बात करते हैं, तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमको चाहिए कि आरक्षण का जो मामला हमारे यहां पेण्डिंग है, उस आरक्षण के मामले को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि आरक्षण "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" होना चाहिए। सबसे पहले इसको करने के लिए राजस्थान की विधान सभा में जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो हमने एक बिल पास कर दिया था। उस बिल में हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स का आरक्षण रखा, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण रखा, ओ.बी.सी. का आरक्षण रखा, विशेष ओ.बी.सी. का आरक्षण रखा और उसके बाद जो वंचित वर्ग थे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, सिंधी, और आरक्षण में नहीं आते हैं, मुसलमान, उनका 14 प्रतिशत आरक्षण रखा। वह बिल हमने पारित किया। वह बिल पारित हुआ, उसके साथ-साथ में उसको नाइंथ शिड्यूल्ड में डालने का प्रस्ताव भी इस सदन ने पास किया। सरकार बदल गई, सरकार में भी 8 महीने का समय था लेकिन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कांग्रेस पार्टी ने भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री शीलेन्द्र सिंहजी को कहकर उस पर दस्तखत नहीं करने दिये। सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सवा साल तक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सवा साल तक दस्तखत नहीं करने दिये। कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद में पहले तो उन्होंने कहा कि यह बिल पास नहीं हो सकता, फिर जब आंदोलन चला गुर्जरों का, तो उस बिल पर दस्तखत करा लिये। उसके बाद उस बिल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा 5 प्रतिशत और एक 14 प्रतिशत को गायब कर दिया। यहीं विधान सभा के सत्र में, डोटासराजी उधर बैठते थे पीछे, मैं यहां बैठा था। मैं उस समय दो नम्बर पर नहीं बैठता था, एक नम्बर पर बैठता था, अब मैं दो नम्बर पर आ गया हूं। तो बात दो नम्बर या एक नम्बर नहीं, दोनों से ही बोल सकते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं हो सकता आपका क्योंकि 50 प्रतिशत की सीमा है। किसने लगाई यह सीमा? कौनसे कानून के अन्दर सीमा लगी? इन्दिरा साहनी के केस में सर्वोच्च न्यायालय के एक के वोट से फैसला है और उसमें लिखा हुआ है एक, जो बिल पेश करते समय उस समय हमने कहा था कि किसी राज्य की विषम परिस्थिति हो तो राज्य इस सीमा को क्रास भी कर सकता है। 5-6 राज्यों ने इस सीमा को क्रास कर लिया। उनका तो अवैध नहीं हुआ। तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, छत्तीसगढ़ ने, बिहार ने, कश्मीर ने....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): झारखण्ड ने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): झारखण्ड बोल दिया मैंने। इन सब में यह इस परसेंट से आगे है। अगर परसेंट पर नियंत्रण करना हो तो विधायिका के इस अधिकार को कोई नहीं रोक सकता कि हम एक कानून पेश करके हमारे राज्य की आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करें। हम 70 प्रतिशत तय करते हैं, 30 प्रतिशत खुले में रह जाएगा और फिर इसकी कांस्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कोई चैलेंज करेगा तो हम देखेंगे। सरकार ने यह कानून तो बना दिया, अब इसको लागू करने की बात है। इसके लिए जगह-जगह आंदोलन हुए। मीणा और मीना विवाद पर हो रहे हैं; जाट भरतपुर के हैं या जाट सीकर के हैं, इस पर विवाद हो रहा है। मैं समझता हूं कि इन बातों को अगर न्यायालय ने किया है तो हमको विधायिका को संशोधित करना चाहिए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कोई भी कानून विधायिका के अलावा नहीं हुआ है। रिजर्वेशन का कानून हमेशा विधायिका, लोक सभा, इन्होंने ही पारित किया है। सबसे पहले 1952 में जब हमने शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूनल अवार्ड कहकर उसको निरस्त कर दिया था। पहला संविधान संशोधन हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण के लिए हुआ और वह लागू हो गया। उसके बाद ओ.बी.सी. का आरक्षण हुआ। ओ.बी.सी. के आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका। उस आरक्षण को भी संविधान संशोधन करके लागू किया। फिर ओ.बी.सी. को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का किया गया, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। फिर शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, तो फिर संसद ने इसको पारित कर दिया।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का हमने पारित किया, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हमने पारित किया, ओ.बी.सी. का हमने पारित किया, विशेष ओ.बी.सी. का हम पारित करने जा रहे हैं, तो फिर ये गरीब लोग जो ब्राह्मण, बणिये, राजपूत इनमें सब में हैं, तो इन्होंने क्या पाप किया है? ये भी आरक्षण के हकदार हैं। हम आर्थिक आधार नहीं बोलते। मैंने जो संविधान में यह जब पढ़ा न, अभी मैंने यही पढ़ा था, सोशल जस्टिस को हमने दिया जब हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण दिया। मैं उस आरक्षण के पक्ष में हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पर आपको तो धन्यवाद देना चाहिए मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने यह कितने सालों बाद इकोनामिक बैकवर्ड कमीशन बना दिया। अब इकोनामिक बैकवर्ड कमीशन ने अपना काम चालू कर दिया। काम चालू कर दिया, तो उसके क्वांटिफिएबल डैटा के लिए आपने खुद ने ही कहा नागराज के केस के अन्दर, एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वांटिफिएबल डैटा पेश करो। तो सारी प्रोसेस हो रही है। तो आप काहे को स्कोर कर रहे हो इस बात को लेकर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं किसलिए कर रहा हूं, मैं क्या बोलूं, मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा? नहीं, विधान सभा में विधायक की...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप खुद हिस्सा रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो इस चीज के। इसी जगह से आपने उसको पायलट किया था, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने इसी जगह से किया था और अब मैं इस जगह हूं। उपाध्यक्ष महोदय, गांव-गांव को आतरो और बोली-बोली को फरक, थारे कहे फरिश्ता और म्हारे कहे जरख। जगह का फर्क पड़ जाता है; महाज्ञानी राजेन्द्रजी, जगह का फर्क है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि वह आयोग की आवश्यकता ही नहीं थी। आयोग के आधार पर ही मैंने यहां पर बिल पारित कराया था और उसकी अधिसूचना जारी करनी चाहिए आपको। मैं उसी समय बोलना बंद कर दूंगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नौ तारीख को करणी सेना के लोगों ने घेराव करने की बात कही है। कहीं ब्राह्मण समाज बात कर रहा है, कहीं मीणा-मीना समाज बात कर रहा है, कहीं जाटों का चैलेंज आ रहा है। हमको इन बातों को लोकतंत्र में समाप्त कर देना चाहिए सबसे बातचीत करके। यह जो फार्मूला आएगा, वह सामाजिक समरसता का भी होगा और आर्थिक न्याय का भी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार यह कहा जाता है कि आर्थिक न्याय तो आप कांस्टिट्यूशन में लागू नहीं कर सकते। यह संविधान का प्रीएम्बल है, आत्मा है उद्देश्य की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रीएम्बल आफ द कांस्टिट्यूशन कहा है। उन्होंने कहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया; राजनैतिक न्याय हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटों का आरक्षण करके दिया; और आर्थिक न्याय हमको अब देना पड़ेगा। समय आ गया है। यह संविधान की आत्मा है और संविधान की मांग है। इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। इसमें किसी का विरोध नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ जो सदियों तक अन्याय हुआ था, उसको दूर करने के लिए रिजर्वेशन किया। उसका हमको आज गर्व होना चाहिए। फिर हमने ओ बी सी को बढ़ाया, सामाजिक दायरा बढ़ा। अब ये वंचित वर्ग के गरीब लोग हैं, वे भी आ जायेंगे। और 30 प्रतिशत तो खुला रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैजिक फार्मूला है। मैं राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, ये जादू करने वाले आदमी हैं। इधर से गहलोत साहब जादू करते हैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और उधर राजेन्द्रजी जादू करते हैं। यह मैजिक इसलिए है कि 30 पर्सेन्ट प्लस 12 परसेंट, यह ट्राइब्स को मिलेगा; 30 परसेंट प्लस 16 परसेंट, यह शिड्यूल्ड कास्ट्स को मिलेगा; 30 परसेंट प्लस 21 परसेंट, ओ बी सी को मिलेगा; 30 प्लस 5 परसेंट, यह विशेष ओ बी सी को मिलेगा; और 14 प्लस 30 परसेंट जनरल, जो सामान्य लोग हैं, उनको मिलेगा। और रिलिजन के आधार पर हो नहीं सकता, इसलिए जो ओ बी सी से बचे हुए मुसलमान हैं, वे भी इसमें शामिल हो जायेंगे। फिर जो 30 परसेंट बचा, उसमें सब आयेंगे।

इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान में किसी भी प्रकार का जातीय विवाद नहीं हो, फसाद नहीं हो, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इसका समय पर समाधान करना चाहिए और एक कानून हमको बनाना चाहिए जिसमें हम आरक्षण की अधिकतम सीमा हमारे यहां पर तय करें और उसी पर चलकर इस बात का निपटारा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी बार-बार हर चीज पर यह आरोप लगाती है कि आर एस एस, आर एस एस। जहां भी नियुक्ति होती है, आर एस एस का आदमी आ गया, आर एस एस का आदमी आ गया। अब यह हमारे में और आप में आनेस्ट मतभेद है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी हूं; आदमी नहीं, मैं स्वयंसेवक हूं; बहुत से स्वयंसेवक हैं आर एस एस में और हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत आदमी ही लगाये जायें ताकि देश का कल्याण हो, देश सही दिशा में आगे बढ़े। आप इसमें विरोध करो। आप कह रहे हैं कि विरोध है। आपने वे संस्थान बनाये थे सत्ता के आधार पर... (व्यवधान) वे बतायेंगे ये बातें। यह बात वे जानते हैं। मैं मेरी बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाये हैं, तीन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी और आपकी राष्ट्र की कल्पना अलग है। इस बात को मैंने स्वर्गीय अर्जुन सिंहजी जब मानव संसाधन मंत्री थे, तब कहा था। पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने लिखा है, we are a nation in making. हमारा उनसे मतभेद है। हम कह रहे हैं कि यह राष्ट्र मेकिंग में नहीं है, यह राष्ट्र बना नहीं है।, यह जगत का पहला राष्ट्र है। ''जय हे जगति के प्रथम राष्ट्र'', यह चिर-नवीन भी है और पुराचीन भी है। इसलिए हम कहते हैं कि यह पुराना राष्ट्र है और इसकी सीमा तय है, ''हिमालयेत् समारम्भ, यावत् हिन्दू सरोवरम्,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तन्देव निर्मितम् देशम् हिन्दुस्तानं समाचरे।'' हिमालय के 'हि' शब्द से और कन्याकुमारी को इन्दूसागर कहते हैं, तो आखिर में ''न्दु'' जो है, तो हिन्दू। तो हिन्दू का मतलब, राष्ट्र का मतलब जमीन के टुकड़े से नहीं होता है। राष्ट्र का मतलब व्यक्तियों के उस समूह से है जो प्राकृतिक रूप से विकसित एक भू-भाग में रहता है; जो उस क्षेत्र को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है; जिसकी समान रूप से सांस्कृतिक विरासत हो और समान दु:ख-सुख की भावना हो। वह समाज उसका राष्ट्रीय समाज रहता है। तो मैं कहता हूं कि यह जो हिन्दू समाज है, वह अब मेकिंग में नहीं है।

इसलिए हमारा और आपका मतभेद है। वह मतभेद इसलिए है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उस समय लक्ष्मणजी ने कहा, यहीं रह जाओ, मत चलो। तो उन्होंने कहा, नहीं, लक्ष्मण, मैं जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ''अपि स्वर्णमयी लंका, न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि'' उन्होंने कहा कि मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए। मैं मातृभूमि के लिए स्वर्ग को भी छोड़ सकता हूं। उसी दिन यह राष्ट्र बन गया था। जब ब्राह्मण का छोटा-सा बेटा जाकर सुबह कहता है पूजा करते समय, ''गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिन्धु कावेरी, जले अस्मिन् संनिधिं कुरू।'' उस समय राष्ट्र उस कटोरी में बन जाता है। तो यह राष्ट्र तो बहुत प्राचीन राष्ट्र है। यह हमारी और आपकी धारणा है। आप इसको बहुराष्ट्रीय संस्कृति मानते हैं; हम इसको एक जन, एक राष्ट्र और एक संस्कृति मानते हैं, मानते रहेंगे और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं।

लेकिन इनको चिंता दूसरी है। इनकी चिंता है कि इनका राज गया। राज तो चला गया। अब राज के साथ तीन-चार चीजें और चली गईं। सरदार पटेल इनसे चले गये। हमने सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टेच्यू वहां लगा दिया। इस राष्ट्र को निर्मित करने में जितनी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही, उनको लौह पुरुष कहते हैं, इसलिए हमने एक-एक मुट्ठी लोहे की सारे देश से भरकर, इतना बड़ा स्टेच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया। लोग जर्मनी के बिस्मार्क से तुलना करते हैं। हम कहते हैं कि जर्मनी का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने कुछ नहीं था। हम उनका स्टेच्यू बनाते हैं। वे छिन गये। फिर महात्मा गांधी छिन गये। महात्मा गांधी छिन गये। महात्मा गांधी का स्वच्छता अभियान और महात्मा गांधी का चश्मा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमने लगा दिया उसमें। इनका चश्मा ही उतर गया, तो महात्मा गांधी चले गये। महात्मा गांधी हमारे पास आ गये, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गये और इन्दिराजी की विरासत के लिए मैंने अभी बता ही दिया आपको कि बंटवारा हो गया है। अब, महाशय, आपके पास क्या बचा है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बंटवारे में 51 प्रतिशत हिस्सा है इनके पास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी बात सही है। तो इनके सामने समस्या यह है कि अब ये क्या करें।

एक माननीय सदस्य: राहुल गांधी इनके पास हैं। (व्यवधान) राहुल गांधी इनके पास हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वह तो इनको हमने बंटवारे में दे दिया। राहुलजी को आपको दे दिया, सोनियाजी आपकी हैं ही। वरुणजी और मेनकाजी हमारे पास हैं। यह बंटवारा हो गया। तो विरासत के हकदार आप अकेले नहीं हों। और हमारी तो क्षमता है इस प्रकार की कि हम जो भी चीज आती है, उसको साथ ले लेते हैं। छुआछूत नहीं करते हैं। आप में छुआछूत की भावना है, राजनैतिक छुआछूत; बी जे पी से स्पर्श नहीं करेंगे। यह छुआछूत और राजनैतिक भावना आपने ही फैलाई है। इसका परिणाम भोग रहे हैं।

दूसरा, आप यह जो सारा काम कर रहे हैं, इस काम में सबसे बड़ी बात, अधिकतम, बार-बार यह कहते हैं कि यह क्यों हुआ? यह क्यों हुआ? तो मैंने आपको समझाया कि ऐसा करने से नहीं होगा। आप इस राष्ट्र की मूलधारा में आइये। मैंने आपको जजमेंट पढ़कर सुनाया। भारत राष्ट्र को, भारत राष्ट्र की अखण्डता को कोई चुनौती दे, जे एन यू में यह कोई नारे लगाये, ''भारत तेरे टुकड़े-टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह''; टेलीविजन पर देखते समय ही मेरा खून खौल रहा था। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आप किनके साथ जा रहे हैं, जिनका दुनिया में तिलस्म टूट गया। आखिरी किला बचा है केरल का, वह भी ध्वस्त होने वाला है। आज रूस का तिलिस्म टूट गया, आज चेकोस्लोवाकिया का टूट गया, आज सारे टूट गये। अब आप वामपंथ के बांथ डाल रहे हो। याद करो अपने पूर्वजों को जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। कहां आप इस तरह की बात कर रहे हो। और कोई दो-चार लड़के मिलकर इस देश का कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? यह अमरता का राष्ट्र है। यह जब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तक राष्ट्र है, यह सनातन राष्ट्र है; जब तक यह राष्ट्र रहेगा, तब तक यह सृष्टि रहेगी। जिस दिन यह राष्ट्र नहीं रहेगा, उस दिन यह सृष्टि भी नहीं रहेगी। क्योंकि अमरता का संदेश तो हम ही देने वाले हैं। इसलिए आप इस राष्ट्र के बारे में ऐसी बात नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं दो-तीन बात और कहूंगा। एक जो सबसे पहली बात कहना चाहता हूं, मेरे दो-तीन बातों पर व्यक्तिगत रूप से रिजर्वेशन है; उनमें मैं पार्टी की लाइन से ऊपर भी बात करता हूं, पहली बात तो उसमें आती है गो-वंश की। गुलाबजी कटारिया साहब बैठे हैं; राजेन्द्रजी राठौड़ साहब बैठे हैं; राजपाल सिंहजी नहीं हैं; राव राजेन्द्र सिंहजी पहले हमारे मेम्बर हुआ करते थे, आजकल वे हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, तो मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं; एक मैं भी था, हमने मिलकर यह जो हमारा सुराज संकल्प निकाला था, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, उसमें नौ महीने प्रति वर्ष गायों को, तीन महीने के बजाय, अनुदान देने की बात की थी। लेकिन मैं माननीय गुलाबजी से कहना चाहता हूं, उन्होंने आज जवाब भी दिया, माननीय प्रभुजी ने भी पहले जवाब दिया; प्रभुजी का तो जवाब सुनकर पिछली बार मैं हे प्रभु', हे प्रभु' करने लग गया था। कारण क्या है, मैंने यह पूछा था कि कितना अनुदान इस बार दिया पिछली साल की तुलना में, उसका जवाब देने की बजाय इन्होंने गौशाला एक्ट का जवाब देकर मामले को निपटा दिया कि गौशाला एक्ट के अन्तर्गत हमने इतना अनुदान दे दिया और इतना अकाल में दे दिया। मित्र, मैंने पूछा था कि जो अशोक गहलोत की सरकार ने तीन महीने देने की बात की थी 32 रुपये और 18 रुपये प्रति वर्ष, जिसका गोशालाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था, गायों के लिए था, उसको जब हमने यह घोषणा की थी तो भिन्न-भिन्न, आप भी थे, उपाध्यक्ष महोदय; भिन्न-भिन्न साधु महात्माओं को बुलाकर के पूछा, कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि छह महीना; तो हमने कहा, नौ महीने करेंगे, और हमने घोषणा पत्र में नौ महीने किये। जो ये गौ-हत्याएं हो रही हैं, जो गौ-वंश की निकासी हो रही है, उसका यह सबसे बड़ा कारण है।

इसको अगर रोकना है तो सरकार को सहयोग करना पड़ेगा और सरकार यह सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है और हमने इस बात को वचनबद्ध किया है। इसलिए हम अगर सरकार में रहते हैं तो इसको लागू करने का हमारा काम है, और यह लागू नहीं करा पाते हैं तो फिर वह अपना कर्तव्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सोचें। मैं समझता हूं, इतना कहने के बाद हमारे गृह मंत्रीजी नाड़ हिला रहे हैं। अब इनकी गर्दन हिल गई है तो इस बजट में शायद कुछ हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। गृह मंत्रीजी तो जो बात कह देते हैं, वह कर देते हैं। अब नहीं कहें तो उनकी मर्जी। कह देते तो कर देते हैं। मेरा पूरा अनुभव है उनके साथ। आपका नहीं है। मेरा बहुत लम्बा अनुभव है, पचास साल का, चालीस साल का तो है ही तो। इसलिए वे अगर कहेंगे और जोर देंगे तो उनकी बात को कौन टालेगा? तो यह अब होना चाहिए।

वह नहीं होगा, तो तीन बातें और हैं। हमने गो-अभयारण्य बनाने की घोषणा की थी। बहुत जगह हमारे पास उपलब्ध है। अभी अपने मंत्रीजी मुझे कह रहे थे कि सेवण घास अगर हमको लगाने की परमिशन दे दें तो गायों की रक्षा हो सकती है। तो वन विभाग में यह सोलर एनर्जी की तो और जगह बहुत मिल जाएगी और सोलर एनर्जी लगाने वाले ज्यादा लोग नहीं आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यह तीन लाख करोड़ का जो एम ओ यू हुआ है, यह तो बहुत बढ़िया बात है। कल मैं सुन रहा था, तो किसी ने पूछा था कि एम ओ यू का क्या अर्थ होता है। तो भिन्न-भिन्न राज्यों में एम ओ यू हुए हैं, हमारे यहां भी तीन बार एम ओ यू हुए हैं। एम ओ यू का सीधा अर्थ है, आजकल जो ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, एम ओ यू, मैं और तुम बाकी कुछ नहीं। अब ये एम ओ यू हुए हैं, अब इन्होंने तीन लाख करोड़ के कर दिये। हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि इसको आप कहें तो पांच लाख कर देते। कारण क्या है कि डी एल सी रेट जो पांच हजार है, उसको बढ़ाकर दस हजार करते ही पांच लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन वह जमीन तो हमारी है। इसमें देखना यह पड़ेगा आपको कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना काम बढ़ेगा। ये तीन लाख या चार करोड़ का मतलब नहीं है, मतलब है कि इसमें रोजगार कितने को मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो 'रिसर्जेंट राजस्थान' हुआ है उसमें जो एम ओ यू हुए हैं, हमारे मंत्रीजी कह रहे थे, उद्योग मंत्रीजी हवा में हैं, वे हवा में नहीं रहें, वे जमीन पर आ जाएं, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं; सोलर एनर्जी के लिए आप देंगे तो जरूर दीजिए, लेकिन यह जो गायों के लिए अभयारण्य बना देंगे तो इसमें गायों की सुरक्षा होगी।

एक दूसरी बात और है जो गायों के बचाने के लिए है। वह बात है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो बछड़े हैं, आजकल उनकी कोई कीमत नहीं है। जमाना बदल गया है, उपाध्यक्ष महोदय। किसी समय ग्वार बहुत सस्ता था, अब गऊ सस्ता हो गया है। किसी समय बछड़ा, गांव में यह थी कि महंगी का तो सस्ता लादे, सस्ती का तो महंगा। तो क्या कहते थे, महंगी का तो सस्ता लादे-तो भैंस महंगी होती है और उसके पाडे सस्ते होते थे। तो महंगी भैंस का पाडा ले जाता था और सस्ती का जो महंगा, गाय सस्ती होती है तो उसका बैल बहुत महंगा होता था, वह लाते थे। अब स्थिति बदल गई है।

मेरे पास पर्ची आ गई है। अब मैं खतम ही कर रहा हूं। मुझे पर्ची की क्या जरूरत है? मुझे तो आपका इशारा ही पर्याप्त था। मैं नागौरी बैल का ही बोल रहा हूं। बैठे हैं यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप नागौरी बैल की ताकत से शायद परिचित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं परिचित हूं या नहीं हूं लेकिन आप तो इस बार परिचित हो गये हैं। आपको तो इस बार आभास करा ही दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि ये जो बछड़े हैं, अब न हल के काम में आते हैं, न और किसी काम में आते हैं। इसलिए एक ऐसे शुक्राणु विकसित हुए हैं होल्स्टीयन और देशी गायों के कि उनका प्रत्यारोपण करने से 90 परसेंट बछड़ियां होती हैं। मैं चाहूंगा सरकार से, पशुपालन विश्वविद्यालय, बीकानेर में इस प्रकार का प्रयत्न हो रहा है देशी गायों के लिए भी, तो देशी गायों के लिए इस प्रकार का शुक्राणु अगर होगा तो 90 परसेंट बछड़ियां होंगी, तो इन गायों की भी क़दर होगी और उसी प्रकार से कद्र होगी, आजकल जैसे बच्चियों की कद्र है, बच्चों की कद्र नहीं है। मैं इसलिए चाहूंगा, कि आप इसको करें।

एक बात कहकर समाप्त करूंगा, यहां हमारे अध्यक्ष परनामीजी बैठे हैं, हमारे कालीचरणजी बैठे हैं, राजपालजी नहीं है, जयपुर शहर में एक दर्द है, मैं समझता हूं कि सरकार उस दर्द को दूर करे, और वह है मंदिरों के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर स्टेट में आप भी रहे हैं और मैं भी रहा हूं, इसका बहुत बड़ा योगदान था। यह मंदिरों का शहर है। राजाओं ने कभी भी मेन रोड पर बड़े से बड़े ठाकुर की, बड़े से बड़े जागीरदार की, बड़े से बड़े सेठ का, मेन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गेट पर दरवाजा नहीं खोलने दिया। आप चांदपोल से लेकर आगे तक चले जाएं, सारे बड़े रास्तों पर मंदिरों के गेट हैं। कोई नहीं खोल सकता था। किसी काल में यहां मंदिर नहीं टूटे। मेट्रो के नाम पर यहां इस बार मंदिर टूटे हैं। और रोजगारेश्वर महादेव का जो मंदिर गया, उसकी बहुत तकलीफ हुई है। वह कानून के भी खिलाफ गया है, वह हाई कोर्ट के कानून के भी खिलाफ गया, वह हमारे आस्थाओं के भी खिलाफ गया। कुछ लोगों ने मिलकर, मैं चाहता हूं कि सरकार जांच करे इस बात की कि उस रात जिस पुलिस कमिश्नर के बारे में गृह मंत्रीजी ने कहा था, उसने कितनी बार फोन किया कलक्टर से, कितनी बार मुख्य मंत्री सचिवालय में फोन किया, और किस प्रकार की क्रेन लगाकर, निर्दयतापूर्वक उन्होंने शिव लिंग को तोड़कर उस मंदिर को हटाया। और हटाया ही नहीं, तोड़ा। अब शिवरात्रि पर कुछ लोगों ने कहा है कि वहां पर मंदिर की हम पुनर्स्थापना करेंगे। तीन सौ वर्ष से लगातार वहां शिवरात्रि के दिन महाभिषेक होता रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे सबका दर्द है कि इस शिवरात्रि पर अभिषेक करने से लोगों को नहीं रोकें और मेट्रो प्रशासन मंदिर को पुन: यथास्थिति में बनाने में मदद करे। मंदिरों को हटाने का एक शास्त्र है, मूर्ति शास्त्र, उस शास्त्र के हिसाब से कार्यवाही करें। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप तोडिये मत, आप हटाइये, पांच लोगों को बुलाइये, आप समझाइये। हमको क्या कहेंगे लोग? मुझे दर्द था, वरना मैं मेरी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठूं, यह सम्भव नहीं था, लेकिन मुझे दर्द था, मैं बैठा।

मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तीन बातें हैं, गायों के लिए आप कोशिश करें। आपको भगवान भी दुआ देगा, गाय भी दुआ देगी और देश की संस्कृति बचेगी। आप मंदिरों की यहां पुनर्स्थापना करें। उसमें कोई भेदभाव नहीं करें। शिवरात्रि को इसको होने दें।

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि वेद विद्यालयों के साथ भेदभाव किया गया है। वेद विद्यालयों को दो साल में कुछ भी नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि वेद विद्यालयों को इस बजट में सरकार संरक्षित करे। अगर वेदों के मंत्र अपन आखिर में लिखते हैं तो वेदों का संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वेद विद्यालयों का संरक्षण करें।

और बहुत-सी बातें मैं बोलता, मैं मोदीजी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, और भी कुछ मैं कहना चाहता था, लेकिन हमारे नये जो उप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सचेतक महोदय हैं उनकी स्लिप आ गई है। हमारे यहां एक कहावत है कि नया आदमी जो होता है ना, क्या करता है वह, वह बहुत जोर से काम करता है। तो बहुत जोर से काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने भी बैठने के लिए नहीं कहा है, इशारा भी नहीं किया है।

तो अब मैं समझ रहा हूं और जो मैंने लिखा है, वह मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी की कापी भी युनुस खानजी को दूंगा राजेन्द्रजी के बजाय, ताकि वे मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचा दें। और आप सब लोगों ने सुना और मैं मोहनजी गुप्ता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (व्यवधान) ये तो चार वेद के जानकार हैं और फिर ऐसा लिख दिया, इनको देने से कोई फायदा नहीं है। बिना वेद वाले को ही देना ठीक है। ये तो भेद वाले हैं, वेद वाले नहीं हैं। (व्यवधान) भेदी हैं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान के माननीय राज्यपाल के चौदहवीं विधान सभा के षष्टम सत्र में अभिभाषण के वाद-विवाद पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। अभी कल पोकरण के विधायक कह रहे थे कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण हमें आखों-देखा सुनने का अवसर मिला। अभी अभिभाषण पर विपक्ष से गोविन्दजी बोल चुके और पक्ष से घनश्यामजी बोल चुके, उसके बाद बोलने का कुछ रहा नहीं। अभी कह रहे थे कि गोविन्दजी के बाद में मेरा मौका आ गया, तो मेरा भी मौका घनश्यामजी के बाद आ गया अभिभाषण पर बोलने का। अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल पोकरण के विधायक जो कह रहे थे, तो वास्तव में हम सौभाग्यशाली हैं कि चौदहवीं विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण आंखों से देखकर कानों से सुना। उसके लिए मैं भूरि-भूरि अभिशंसा करता हूं। हमारे कांग्रेस के विधायकजी कल कह रहे थे गांधी

(श्री नरेन्द्र कुमार)

परिवार के बारे में। अभी घनश्यामजी भी उसके बारे में बता रहे थे। कांग्रेस के विधायक हों और वे गांधीजी का नाम नहीं ले वाद-विवाद में, तो फिर बचा ही क्या? अभी कह रहे थे कि गांधीजी को भी छीन लिया। अभी मोदीजी ने जब गांधीजी के बारे में कहा, तो कांग्रेस वालों ने कहा था कि मोदीजी ने गांधीजी को छीन लिया। कांग्रेस में गांधीजी नाम का जो पौधा है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पौधा अब पुराना हो गया है। उनकी जड़ों के दीमक लग गयी एक तरह से। अब कांग्रेस से मेरा कोई वैसे विरोधाभास नहीं है लेकिन मैं गांधी परिवार के बारे में कहता हूं, यह भारत की संस्कृति भी रही है, आते गये हैं और जाते गये हैं, तो यह जाने का वक्त आ गया है। तो इस पौधे के बारे में गांव में भी सब जानते हैं, जब एक पौधे के दीमक लग जाती है तो उस पौधे को उखाड़कर के फेंक दिया जाए और उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दिया जाए, तो वह पनप सकता है। तो कांग्रेस में दूसरा पौधा लगाइये जिससे, हो सकता है, हम भी पड़ोस में बैठते हैं, तो आपके साथ हो जाएं। दूसरे पौधे का नाम लें, गांधी परिवार का पौधा पुराना हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल यह भी कह रहे थे, आदमी भावुकता में सच बोल जाता है, कि जब शेरनी आ जाती है तो यहां सन्नाटा-सा छा जाता है। ऐसा नहीं है। शेरनी शब्द को आपने भावुकता में सच्चे मन से कह दिया, लेकिन यह भारत की संस्कृति है, बड़ों का आदर-सत्कार करना। और भारतीय जनता पार्टी की तो एक विशेषता रही है, पहली विशेषता है अनुशासन में रहना, तो यह तो अनुशासन की बात है। ये जो हमारे पक्ष के विधायक हैं, इस बात पर उतावलेपन भी हुए। उतावलापन नहीं होना चाहिए था। यह तो अपने आप पर एक तमाचा था कि उनके पूर्व मुख्य मंत्री यहां बैठे थे और विपक्ष के नेता यहां बैठे थे। उनके सामने वे किस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि बड़ों का आदर-सत्कार नहीं करते हैं, मान-सम्मान नहीं करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सामने दर्शक बैठते हैं। तो जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उसके बाद जब हम बाहर गये तो कुछ दर्शक मेरे को यहां पर रास्ते में मिल गये, उन्होंने पूछा कि क्या आप एम एल ए हैं? तो मैंने कहा कि हां। तो वे बोले कि अबकी बार हमारे वाले तो गये। मैंने पूछा, कैसे? तो बोले कि इससे पहले जो विधान सभा चली थी, तो

(श्री नरेन्द्र कुमार)

पांच-सात दिन खड़े ही रहे, नारेबाजी लगाते रहे। हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते, न हमारी कोई सुनवाई करते। अब भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उन्होंने नहीं सुना। तो ये क्या करेंगे। हम चाहते थे कि ये वापस आएं। लेकिन, और तो और, बाकी ये जो अब जीत कर आये हैं, ये निश्चित रूप से अगली विधान सभा में नहीं आ पाएंगे। हम भी कांग्रेसी हैं, उन्होंने साथ में एक बात और कही कि ये सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं लागू हुई हैं, वे बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हम जब पंचायत समितियों में कैम्प लगते हैं, कलेक्ट्रेट में कैम्प लगते हैं, तो उनमें जाकर के इन योजनाओं का जब लाभ उठाते हैं तब इनके मन में होता है कि हमारे कांग्रेसी सरपंच थे, कांग्रेसी जनता थी, वह भी इनमें जाकर इन योजनाओं का लाभ उठा रही है। तो यह रुष्टता आप लोगों से नहीं है, यह रुष्टता हमारे से है। इस कारण से वे न कुछ हमारे लिए बोलते हैं यहां और न हमारा कुछ कहते हैं।

तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं या अभियान जो हैं वे गलत नहीं हो सकते। योजनाएं और अभियान तो सभी सच होते हैं लेकिन उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं, या अपनी कोई समस्याएं हैं क्षेत्र की, तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, या कुछ चीजें जुड़वा सकते हैं। बहुत-सी योजनाएं जो लागू हुई हैं, वे निश्चित रूप से, सत्य हैं। जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है, अभी जैसे तीस हजार से तीन लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो इसको बीस हजार करने या चार लाख करने के लिए बोल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि योजना ही सही नहीं है। यह बिलकुल असम्भव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष में और विपक्ष में, मेरा तो यहां तक भी कहना है और कई विद्वानों ने भी कहा है कि गीता और कुरान एक ही आलमारी में रहती हैं लेकिन वे कभी नहीं झगड़तीं, और लोग झगड़ते हैं। लेकिन झगड़ते कौन हैं, जो गीता और कुरान को नहीं पढ़ते हैं वे लोग झगड़ते हैं। तो ये जो योजनाएं लागू हुई हैं, उनके विपक्ष में कौन बोलता है? वह बोलता है जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखता, या कम रखता हो। तो ये कांग्रेसी लोग, जो भी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं, उनके न तो ये कैम्पों में जाते हैं, न उनकी मीटिंग्स में जाते हैं। इसलिए इन योजनाओं के बारे में इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस अभाव में ये विरोध में

(श्री नरेन्द्र कुमार)

बोलते हैं। बाकी इन योजनाओं की कमियां निकाली जा सकती हैं, या अपनी कोई समस्याएं हों तो वे रखी जा सकती हैं। इन्होंने तो सीधा ही बोल दिया कि पृष्ठ 1 से लेकर 75 तक सारी ही योजनाएं गलत हैं! बाकी योजनाएं जो हैं, बहुत अच्छी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी ये पैसे जब खातों में आने लगे, तो इन्होंने विरोध किया कि ये बैंक खाते खुला लिये। जब आदमी लेने जाता है तो दो-चार सौ रुपये उसके किराये के ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं, इनके विरोध करने के बाद में भामाशाह कार्ड भी बन चुका है, भामाशाह कार्ड से उनका पैसा अटल सेवा केन्द्र में मिलने लग गया है। झुंझुनूं में हमारे तो भामाशाह कार्ड बन चुके हैं काफी लोगों के। वे पांच सौ रुपये तक वहां जाकर के निकलवाते हैं। अभी-अभी हमारी पंचायत समिति में मीटिंग हुई थी। सबने आकर के सबको धन्यवाद दिया कि अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, गांव के पैसे गांव में ही मिल जाते हैं, और भामाशाह कार्ड लागू भी हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही स्वच्छता अभियान है। अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के लिए कह रहे थे। यह जो अभियान है, यह सबका है। यह सरकार का तो है ही, लेकिन जनता, भामाशाहों, सबका है। इस अभियान से तो बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। कहा भी गया है, जल ही कल है। पुराने लोग तो यह कहते थे कि झूठा अनाज और पानी को व्यर्थ बहाएं तो उसके आड़े नहीं आती। तो वह उसके आड़े कैसे आएगी? आड़े का मतलब, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे तभी बढ़ेंगे, जब हम पानी का बचाव करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें पानी को बचाना चाहिए। आजकल लोग शाबासी देने लग गये कि हमारे गांव में पानी आने लग गया, हमें भी पानी मिलने लगा है। कारण क्या हुआ? तो उन्होंने जलदाय विभाग वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पानी तो उतना ही देते हैं, पर जनता की भावना पानी बचाने की हो गयी, इसलिए पानी सब जगह तक पहुंच जाता है। तो जो जल स्वावलंबन अभियान है, वह भी बहुत बड़ा अभियान है। इससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन लोगों को तो यह भी पता नहीं है, मंत्रीजी ने भी बताया और वहां कैम्पों में बताया जाता है कि कुछ ग्राम पंचायतें ली गई हैं राजस्थान में, कुछ जून के बाद और ली जाएंगी। सब में यह अभियान आएगा। हमारी पुरानी संस्कृति है, जो पुरानी बावड़ी होती थी, पुराने कुएं होते थे, जिनका उद्देश्य ही यही है कि पानी इकट्ठा करना। घर का पानी घर में, गांव का पानी

(श्री नरेन्द्र कुमार)

गांव में, खेत का पानी खेत में रखा जाए, जिससे सबका विकास हो। जल ही जीवन है और पानी से मूल्यवान तो कोई चीज है ही नहीं। हम घी और दूध को महत्व देते हैं। पानी नहीं होगा तो घी और दूध भी कहां से आएगा? हम गांव में समझाते हैं कि आप दूध-घी नीचे गिर जाता है, उसको माथे लगाते हो, लेकिन पानी को लगाना चाहिये। ऐसी भावना बदलने की जरूरत है। यह भावना है जल स्वावलंबन अभियान। पानी सबसे महंगा है क्योंकि पानी के बिना कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती।

अभी शिक्षा के बारे में कह रहे थे, पिछली बार जब विधान सभा चल रही थी उस समय बोल रहे थे कि स्कूलों का एकीकरण कर दिया। अब वह मुद्दा नहीं उठा रहे। दूसरा कह रहे थे कि नि:शुल्क दवाइयां बंद कर दीं, उसका भी मुद्दा नहीं उठा रहे। बोल ही नहीं रहे हैं। पेंशन बंद कर दी, नहीं बोल रहे हैं। अच्छे दिन कब आयेंगे, नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब, ये चीजें खतम हो गईं, अच्छे दिन निश्चित रूप से आने लगे हैं।

जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, वह भी कहता कि अच्छे दिन कब आयेंगे, ड्यूटी पर नहीं जाता, वह भी कहता है, अच्छे दिन कब आयेंगे? शराब पीकर औरत की पिटाई करता है वह भी कह रहा है अच्छे दिन कब आयेंगे? सड़क पर चलती लड़की को छेड देता है, वह भी कह रहा है, अच्छे दिन कब आयेंगे? सुबह से शाम तक अगर अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे दिन आयेंगे। यह एक भावना है, भावना ही तो भरनी है सब में कि अच्छे दिन अच्छा काम करने से आते हैं, न कि बुरा काम करने से।

अंग्रेजी में भी कहा गया है man is a laughing animal; मनुष्य एक हंसने वाला प्राणी है। जो नहीं हंसता, वह मनुष्य नहीं कहलाता और हंस कैसे सकते हैं, अच्छा करके या बुरा करके। अगर हम अच्छा करके हंस सकते हैं तो अच्छे काम करने चाहिये। गलतियां तो कोई भी निकाल सकता है लेकिन बड़े की बड़ाई नहीं करते और सच को सच या असत्य को असत्य नहीं कहते, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है।

शिक्षा के बारे में कह रहे थे, एकीकरण किया। एक साथ पांच-पांच हजार स्कूलों को सीनियर करना मामूली बात नहीं है। संख्याओं का बढ़ना, कल कांग्रेस की विधायिका महोदया गृह मंत्रीजी से कह रही थीं कि हमें आंकड़े, वगैरह नहीं चाहिये, हमें तो यह चाहिये कि कैसे रुकेंगे। वह उनकी बात सही थी कि आप पुलिस को बढ़ाओगे, या गाड़ियां बढ़ाओगे। मैं तो यह कह सकता हूं

(श्री नरेन्द्र कुमार)

कि हमें एकीकरण, वगैरह पर नहीं आना चाहिये, आप तो पिछले 5-7 साल का रिजल्ट देख लीजिए। दसवीं और बारहवीं का जब परीक्षा परिणाम आये, तब देखना कि 5-7 साल में दसवीं और बोर्ड का सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम कैसा रहता है। यह एकीकरण से हुआ, या अध्यापकों की नियुक्ति से हुआ, या सोच से हुआ। मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं कि शिक्षा विभाग में जितना सुधार हुआ है, समय पर अध्यापकों का आना और बच्चों के जाने के दस मिनट बाद जाना, जितना शिक्षा विभाग में हुआ है उतना मेरे हिसाब से अन्य विभागों में नहीं हुआ है। इसका परिणाम है कि दसवीं की बोर्ड की परीक्षा समय पर होना, सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से होना, कैमरे लगना, और दसवीं और बारहवीं का परिणाम अगली विधान सभा से पहले आपके सामने आ जायेगा।

नई पंचायतें बनाईं, उसका कितना लाभ हुआ; शैक्षणिक योग्यता की, उसका कितना लाभ हुआ। अभी हम सारे विरोध करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन राज्यपाल के भाषण में यह भी कहा कि अब वह जनता नहीं रही है। यह पुराना ढर्रा पीट रहे हैं कि गैलरी में खड़े हो जाओ और हो-हल्ला करने लग जाओ, न सुनें और न सुनने दें। यह खुद उनका कहना है। उस बात को ये भूल गये कि पुराना जमाना नहीं रहा है। हम लोग पहले खाना खाकर दूध पीकर सोते थे; इनको पता नहीं, अब खाना खाकर दूध पीकर वाट्सएप देखकर सोते हैं। पहले उठते ही बेड टी पीते थे, अब उठते ही वाट्सएप देखते हैं। हमें सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसी बुराई करने से कुछ नहीं हो सकता। गांव में बैठे लोग भी समझते हैं।

गुरु गोलवलकर जन भागिता योजना थी, उससे कितना लाभ हो रहा है। सौर ऊर्जा आधारित नलकूप जब लगाये जायेंगे, उससे कितना लाभ होगा, जिससे बिजली का कोई खर्च भी नहीं आयेगा। आरोग्य राजस्थान, ग्रामीण गौरव पथ, जिसकी हम बुराई करते हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे पथ भी गांवों में बन सकते हैं। जब गांव में हम घुसते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई विदेश में आ गये हों। हमारे झुंझुनूं जिले में पिलानी में बिट्स की ब्रांच है, उसमें जब हम जाते हैं तो सोचते हैं जैसे विदेश में आ गये। ऐसे ही अब गांवों में लगता है कि जैसे हम कोई बहुत बड़ी नगरपालिका में आ गये हों। गौरव पथ शब्द पढ़ते ही, चूंकि हमारा सीकर जिला और झुंझुनूं जिला साथ-साथ ही पड़ता है, कई शादियों में ये मिल जाते हैं तो खुद बातें करते हैं

(श्री नरेन्द्र कुमार)

कि पहले दूल्हा ढोल-बाजे के साथ गलियों में जा नहीं सकता था, आजकल बाजे बजाते हुए, नाचते हुए, आराम से गांव में जाते हैं।

ऐसी-ऐसी बातें करते हैं और यहां आकर ये कुछ बोलते हैं। मन ऐसा होता है जो सत्य बोलता है। वहां जब कार्यक्रम चलते हैं तो निश्चित रूप से वहां सत्य बोलते हैं। यहां तो, पता नहीं, इनको क्या हो जाता है। बाहर कुछ कहते हैं, यहां अन्दर कुछ बोलते हैं, लेकिन अब जो जनता है वह सब समझती है। अभी ये कल कह रहे थे कि लोग चांद पर चले गये; चांद पर चले ही नहीं गये, वहां पर ज्यूस तक पीने लग गये, वहां खेती तक करने लग गये, और हम यहां इस तरह की बातें करते हैं। दर्शक सारी चीजें समझते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हर चीज में विपक्ष में बोलना, यह हमारा स्वभाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है, अच्छे को अच्छा, सच को सच और गलत को गलत बताना चाहिये।

हमारे गांव में एक कहानी है कि एक लड़की की शादी कर दी और वह ससुराल चली गई। उसकी माताजी ने अपने छोटे बेटे को बेटी को लाने के लिए भेज दिया। मां इंतजार कर रही है कि कब बेटी आये और बेटी के ससुराल के समाचार पूछे। बेटा बेटी को लेकर आया। मां बोली, बेटी, ससुराल कैसा लगा? वह बोली कि ससुराल तो बहुत अच्छा लगा। तेरी सासू कैसी है? वह बोली, सासू तो बेकार है। मां बोली, वह कैसे? उसने कहा कि वह तो आपको भी गाली देती है और मेरे को भी गाली देती है। मां बोली, क्यों? वह बोली कि तेरे को कुछ नहीं सिखाया, तेरे को न सब्जी बनानी आती, न रोटी बनानी आती, न कपडे धोने आते, और गालियां देती है। मां बोली, ससुर कैसा है? वह बोली, ससुर भी बेकार है। वह कैसे? वह लट्ठ लिये पोली में बैठा रहता है, जैसे भेड़-बकरी की ग्वाली कर रहा हो। न पड़ोस में बोलने देता, न बाहर जाने देता। मां बोली, देवर? देवर तो सारे दिन ताश खेलता है। घर आता, खाना खाकर चला जाता है, बात ही नहीं करता। मां बोली, ननद? ननद भी ऐसे ही है। सुंदरता की ऐंठ में बैठी रहती है। सारे दिन मेकअप करती रहती है और भाभी से तो बात ही नहीं करती। मां बोली, वो? वो भी मां का पिट्ठू ही है। मां बोली, सब बेकार है? हां, सब बेकार हैं? मां बोली, बेटी, सब बेकार नहीं होते। एक बेकार हो सकता है। उस दिन बेटी ने गांठ बांध ली कि किसी की बुराई नहीं करेगी।

तो यह जो सब आयोग हैं, ये सब बेकार नहीं हो सकते। कोई हो

(श्री नरेन्द्र कुमार)

सकता है। विपक्ष से मेरा यही निवेदन है कि गांठ बांध लो, ये सब बेकार नहीं हैं। दूसरे की बुराई नहीं करें। अपने आप में झांक कर देखें कि हम कैसे हैं। जो भी योजनाएं की गई हैं, वे बहुत अच्छी हैं। क्षेत्र में जब जायेंगे और योजनाओं को लागू करने में सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से योजनाएं सफल होंगी। वही पक्ष में बोलता है जिसको योजनाओं का ज्ञान होता है।

आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि-

जिंदगी सुंदर है, पर मुझे जीना नहीं आता।

हर चीज में नशा है, पर मुझे पीना नहीं आता।

सब मेरे बिना जी सकते हैं,

सिर्फ मुझे दोस्तों के बिना जीना नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): सबसे पहले मैं सदन का आदरपूर्वक अभिवादन करता हूं।

माननीय सदस्यों ने पिछले दो दिन से राज्यपालजी के अभिभाषण पर अपनी बहुत लम्बी-चौड़ी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सभी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह सरकार का आईना है।

अभी-अभी हमारे वरिष्ठ साथी, प्रकाण्ड विद्वान, श्री तिवाड़ीजी ने शास्त्रों के सम्मत बात भी कही। ऋग्वेद के उस मंत्र को इस अभिभाषण के शुभ समापन पर जो लिखा है, निश्चित रूप से मैं भी उससे सहमत नहीं हूं। इसमें 1 से लेकर 165 तक है, उसमें 166 जोड़ा, वह भी गलत है, क्योंकि उसी ऋचा का वह अर्थ है।

(16.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जब आये तो माननीय प्रधान मंत्रीजी के संविधान दिवस पर उनके दिए हुए भाषण की एक प्रति मुझे मिली और उस प्रति में यह लिखा हुआ था-

न सा सभा यम न सन्ति वृद्धा: वृद्ध: न तो यो न वर्दान्त धर्मम।

धर्म: स नो यम न सत्यमस्ति सत्ययं न तद्च्छलमच्युहयैति।।

अर्थात्, ऐसी सभा में कोई चर्चा नहीं हो सकती जिसमें वृद्ध जन ना हों; वृद्ध

(श्री रामचन्द्र)

जनों में धर्म ना हो; धर्म वह न हो जिसमें सत्य ना हो। तो यह वह सभा है। इसलिए मैं समझता हूं कि विधान सभा का अपना एक महत्व है, उसकी एक विशेष भूमिका है।

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने डा. अम्बेडकर, बाबा साहब की 125वीं जयंती पर देश के दोनों बड़े सदनों में एक विशेष चर्चा रखी और उस 125वीं जयंती पर, जब पूरे देश में इतना बड़ा संविधान बनाकर, 'भारत रत्न' बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश को एक बांधने की कोशिश की। देश गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों को मिलाकर एक करने का कार्य किया। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण जो कार्य किया, वह बाबा साहब ने किया।

मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यह देश विभिन्न विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है, विभिन्न प्रांतों से जुड़ा हुआ है, विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। सबकी अपनी-अपनी लोक परम्परागत विधियां रही हैं। उस पूरे देश के अन्दर अगर किसी दृष्टि से समान रूप से अपनी विचारधारा और धाराओं के साथ इस देश को अगर बांधने काम किया है तो बाबा साहब ने किया है।

इस विषय पर प्रधान मंत्रीजी ने, यह उनके भाषण की जब मैं प्रति पढ़ रहा था, इतनी बड़ी प्रति है और उसमें एक बात उन्होंने लिखी कि सदियों पहले जब पुरातन काल और सनातन काल के अन्दर देश में वर्ण व्यवस्था थी, उन वर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम किया गया था, समाज में वे सारी कुरीतियां उस समय व्यवस्थित थीं, उन कुरीतियों को मिटाये तो कौन मिटाये?

(16.02 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

चिरकाल से इसकी एक आवश्यकता थी और ऐसे भक्ति युग का उसमें आरम्भ-शुभारम्भ हुआ, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, रविदास। ऐसी की ऐसी उस समय बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं थीं, सती प्रथा थी। राजा राम मोहनराय, और ऐसी कई विधवाएं जिन्होंने अपने जीवन को दागदार कर, जीवन बिताने के लिए, पूरा जीवन जो उनके सामने पड़ा था उसको बिताने के लिए, विद्या सागर जैसे विशेष पुरुषों ने आकर इस देश को सुधारने का प्रयास किया। यह माननीय प्रधान मंत्रीजी ने कहा और मैक्समूलर की वह बात भी उन्होंने बताई; उनसे

(श्री रामचन्द्र)

पूछा, मैक्समूलर अपने विचारों को उद्दधृत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस पूरी सृष्टि में पूरे संसार में ऐसी कौन सी वह प्रकृति की छंटा है जहां पर धन, ऐश्वर्य, शक्ति और सारी की सारी विपुल सम्भावनाओं का कोई देश हो सकता है तो मैक्समूलर ने भारत की ओर इशारा किया।

यह देश विरासतों का देश है और इस देश में रियासतों के होते हुए भी, इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम जिस गति से, जिस कुशलता से, प्राण-प्रतिष्ठा के रूप में इस संविधान को स्थापित किया। मैं आज बाबा साहब को इस सदन के माध्यम से बहुत भावभीनी और श्रदैव श्रद्धांजलि देता हूं कि यह आप जैसे महापुरुषों की देन है जिसकी वजह से यह राष्ट्र एक सूत्र में बंधा हुआ है।

अगर याद है वह दिन जब लोक सभा के अन्दर परीक्षण हो रहा था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस पर जब वोट डालने का समय आया था और उस समय उड़ीसा के मुख्य मंत्री बन गये थे श्री गिरधरजी, वे लोक सभा के सदस्य थे और उस समय लोक सभा के अध्यक्षजी ने उनसे कहा था कि अगर आपकी इच्छा हो तो वोट डालें, या ना डालें। यह संविधान की परीक्षा थी कि उन्होंने वोट डालना स्वीकार नहीं किया और उस समय अटलजी की सरकार गिर गई थी। अगर यह संविधान नहीं होता तो उस समय भी अटल जी की सरकार अनवरत चलती रहती और इस देश का विकास जिस गति से होना चाहिए था उस गति से होता। लेकिन संविधान की अपनी पराकाष्ठाएं हैं। उन संविधान की पराकाष्ठाओं को पार करते हुए, आज हमारा पूरा राष्ट्र, पूरे प्रदेशों के अन्दर, जिन-जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो।

राजस्थान की माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की मैं बहुत-बहुत तारीफ करना चाहता हूं। मुझे याद है, 1979 में जब झालावाड़ में उनका पदार्पण हुआ था। लोग जब झालावाड़ के विकास की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं 70 बनाम 7 साल, पांच साल की सरकार पिछले, दो साल की सरकार ये। यह विकास का अंतर इतना बड़ा अंतर झालावाड़ में देखा था। झालावाड़ भी राजस्थान का ही एक जिला है जहां पर विकास की विपुल सम्भावनाएं होने के बावजूद भी विकास के लिए तरसता रहा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके आने की वजह से इस झालावाड़ में, जहां प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, काली

(श्री रामचन्द्र)

मिट्टी है, हर दृष्टि से जो राजस्थान को पंजाब कहलाने की क्षमता रखता है, उस झालावाड़ में आपका पदार्पण होने के बाद झालावाड़ को विकसितता की ओर बढ़ने की गति मिली है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से जब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने चारभुजा से यह यात्रा प्रारम्भ की थी, तब यह ही मंत्र था, उसमें 'आओ-साथ-चलें' और आज हम इस चीज को भूल रहे हैं। 'आओ-साथ-चलें' का मूल मंत्र नहीं होता तो यहां 160 नहीं होते। उस गीत को सुन-सुन करके पूरे प्रदेश की जनता ने वोट दिया था और 'आओ-साथ-चलो' की वजह से ही आज ये दो साल आपके स्वर्णिम काल गुजरे हैं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी को विरासत में मिला 3 लाख करोड़ का घाटा, 78 हजार का बिजली का घाटा और इतने सारे घाटों के बाद पूरी सरकार को जिस प्रकार से संचालित किया, मैं माननीय सभी मंत्रियों को, राजस्थान टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी मंत्रियों ने माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान को रसातल से धरातल पर लाने का काम किया है, यह बहुत ही अनुकरणीय कार्य है।

मैं बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारी जितनी भी कटुता हो, चाहे हमारे मन में कैसे भी भाव हों..., एक बार भगवान राम हनुमानजी की जंघा पर लेट रहे थे और उन्होंने देखा, भगवान राम ने हनुमानजी से पूछा कि चंद्रमा काला क्यों है? सुग्रीवजी ने जवाब दिया कि इसमें धरती की छाया पड़ रही है, इसलिए काला है। उन्हीं के पास जामवंतजी बैठे थे, उनसे पूछा तो जामवंतजी ने कहा कि अहिल्ला गौतम पत्नी के शाप से यह चंद्रमा काला है। एक ने कहा, चंद्रमा विष का भाई है, इसलिए इसके अन्दर काला दाग है। हनुमानजी महाराज ने पहचाना। हनुमानजी महाराज ने कहा, हे प्रभु ! आप लेटे हो। आपकी छवि जो इस चंद्रमा में नजर आ रही है, क्योंकि आपका स्वयं का श्याम वर्ण है और इस चंद्रमा में आपकी छवि आ रही है।

इस सरकार की अगर कोई छवि है, यह सरकार जो चल रही है, इस सरकार को जो बनाने वाला है, और कोई नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया हैं, जिनकी वजह से 160 सदस्य आज यहां चुनके आये हैं। उनके नेतृत्व की वजह से है। तो हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा धर्म है कि हम नितांत रूप से उनकी प्रशंसा करें और यह दो साल का आपके पास जो दस्तावेज दर्पण के रूप में मिला है, यह कोई असत्य का पुलिंदा नहीं है।

(श्री रामचन्द्र)

आपको याद होगा कि पुराने सनातन काल में जब राजा-महाराजाओं का राज होता था तो राजा-महाराजे तो अपने-अपने काल के अन्दर अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए तालाब, जलाशय, बड़े-बड़े सागर बनाते थे। जल स्वावलंबन यह एक कल्पना है और मैं देखता हूं कि सारे साथी लोग इस बारे में बोलते हैं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि पूरे प्रदेश के 3,42,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में मात्र एक परसेंट की जल राशि आपके हिस्से में आती है और इस एक परसेंट की जल राशि हिस्से में आने की वजह से पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में रहता है। मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि आदमी जब-जब, चाहे वे साधु-संत हों, चाहे राजा-महाराजा रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में आप सब क्षेत्रों के राजा हैं, आपकी भी अपनी एक कुशलता होनी चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि अपने क्षेत्र में किस प्रकार से जल का संचय कर सकते हैं। इस ओर ध्यान दिया।

पहले हमारे यहां पर पुराने गीत थे, उन गीतों को भी देखें, हम अगर सुनें तो कई बार हमारे मन में ऐसा भाव आता है, 'कुण तो खुदाया कुआं बावड़ी'। तो यह पुराने समय चला करता था, पनिहारिन होती थीं, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या राजस्थान के साथ में जो है, पानी की है। एक-तिहाई, एक-चौथाई और दो-तिहाई हिस्सा आज पानी के बिना रह रहा है। झालावाड़ जिला जिसमें इतनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, इतने बड़े-बड़े जल स्रोत हैं, इतने बड़े-बड़े जल संसाधन हैं, मात्र पिछले पांच साल के कार्यकाल में वहां कुछ काम हुआ और आज जो काम माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उस समय चालू किये थे, पिछली सरकार में वे सारे काम भी बंद हो गये थे।

लेकिन एक उनकी सोच है कि राजस्थान जल की दृष्टि से किस प्रकार स्वावलम्बी हो और स्वावलम्बी होना, राजस्थान की प्रगति का प्रतीक बनेगा। इसलिए जल स्वावलम्बन में जन सहभागिता को जोड़कर, जो व्यक्ति अपना पैसा खर्च करे, अपने पिताजी की पुण्य तिथि में कोई दान करे। इस प्रकार का यह सारा प्रयोजन करके माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह जल स्वावलम्बन अभियान बनाया है।

इसके लिए रिसर्च भी किया था। महाराष्ट्र के अन्दर उस्मानाबाद और दो-एक क्षेत्र हैं, वहां पर इस बारे में पूरी जानकारी ली। एक बार कृषि विभाग के बारे में राज्य सभा में बड़ी चर्चा हो रही थी। एक मंत्रीजी ने, शरद पवारजी,

(श्री रामचन्द्र)

वहां के सदस्य जो चुपचाप बैठे थे, उनसे पूछा कि आप इस कृषि के पानी के बारे में इतना बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप हैं, क्योंकि आपका पूरा क्षेत्र सतारा जलमग्न है, वहां के किसान बहुत सुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने एक मात्र काम किया था, सबसे पहले मैंने मेरे क्षेत्र के अन्दर छोटे-छोटे एनिकट बनवाकर, बड़े-बड़े जलाशय बनवाकर, इनसे वहां पर पानी रोका। आज सतारा पूरे क्षेत्र क्या, पूरे देश में मशहूर है, इसलिए कि वह जलमग्न है। वहां के किसान अच्छी खेती करते हैं। वहां बड़ी-बड़ी शक्कर की मिलें हैं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को बनाकर, आम आदमी को जोड़कर, जिस तरीके से राजस्थान को प्रगति पर लाना चाहती है, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

साथ में कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाई है, चाहे भामाशाह कार्ड हो, जिन पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि जैसे महारानी साहिबा ने, 'रिसर्जेंट राजस्थान' आज का नहीं है....

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बैंक में जाकर देखो, वे आपको बताएंगे। बैंक में जाकर देखो एक बार, वे बताएंगे, कैसे चालू हुआ है।

श्री रामचन्द्र (डग): मलिंगा साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाओं की जानकारी रखो। आपने कोई योजना पढ़ी नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, आपको इस सदन में राज्यपालजी के अभिभाषण की प्रति मिली है, आपके एक भी सदस्य ने इसको पूरा नहीं पढ़ा होगा। आपका काम सिर्फ कमियां ढूंढना है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक आप ही यहां पर विद्वान बनकर आये हैं। ये लेक्चर दे रहे हैं लोक सभा के, विधान सभा के। पहले वहां बैंक में जाकर देखकर आओ कि कितनी लाइन लग रही है आपके भामाशाह कार्ड की। तब आपको मालूम होगा कि क्या है। क्या है भामाशाह कार्ड?

श्री रामचन्द्र (डग): मलिंगाजी, सुन लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र (डग): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके पांवों के

(श्री रामचन्द्र)

नीचे कोई जमीन नहीं है, आपके पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि फिर भी आपको आज भी यकीन नहीं है। आपका सब कुछ लुट गया, आप सब रोड पर आ गये, आपकी स्थिति बड़ी खराब है, फिर भी स्थिति आज तक सम्भाल रहे हो। आप बार-बार बात करते हो।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं, आज भी प्रधान मंत्रीजी और माननीया मुख्य मंत्रीजी क्षेत्र के नीचे बिलकुल पंचायत स्तर पर...(व्यवधान) आप विषय से भटका रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ी शांति रखें।

आप निश्चित मानिए, प्रधान मंत्रीजी जब एक बार बोले थे, बड़े-बड़े लोग बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु...। यह माननीय प्रधान मंत्रीजी की जन कल्याणकारी योजना है। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वेम जयते वसुदेव कुटुम्बकम। आपके समझ के बाहर की बात है। आपके सिवाय राजीव गांधी, नेहरूजी के अलावा दिमाग में नहीं आता है, जिसका अच्छा चित्रण अभी हमारे.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को इंगित करके अपनी बात कहें।

श्री रामचन्द्र (डग): मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर इस प्रदेश में बांटी हैं, मैं बात वहीं से कहना चाह रहा हूं कि 18-18, 20-20 घंटे काम करके, इस राजस्थान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार कर, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ चीजें बताना चाहता हूं, माननीय सड़क मंत्री यहां बैठे हैं, 326 करोड़ की सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी बन रही हैं और पूरी साढ़े सात मीटर पर बन रही हैं; पूरे 19 एनिकट सब जीरो फाउंडेशन के 13 माइक्रो प्रोजेक्ट, फोर वाटर कंसेप्ट के सारे के सारे काम अभी हो रहे हैं। पिछली सरकारों में कोई काम नहीं हुआ था। एक भी स्कूल क्रमोन्नत हुआ?

इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी काम अभी हो रहे हैं, माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। प्रदेश की सरकार सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि एक झालावाड़ के लिए बनी हो, या जयपुर के लिए बनी हो, पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास, चरमोत्कर्ष विकास के लिए कटिबद्ध है। सरकार यह संकल्प लेकर चली है।

(श्री रामचन्द्र)

आप देखिए, कौन से क्षेत्र में हमारे माननीय मंत्री या सरकार काम नहीं कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस सरकार के पहले, जब सरकार में थीं, तब भी उनका एक विचार था, तब भी मृदा परीक्षण कार्ड उन्होंने बनाया था; भामाशाह कार्ड, महिला सशक्तिकरण तब से ही था उनका; डा. अम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट तब बनाया था उन्होंने; 'रिसर्जेंट राजस्थान' भी उसी समय किया था; प्रधान मंत्रीजी का सपना कि प्रत्येक गरीब को घर मिले, वे भी उसी समय बने थे लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनको छिद्ररूपण कर दिया। न जाने किन-किनको बांट दिया। हमारी बेटी, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं को देखते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी इस प्रदेश को बहुत गति से आगे ले जाना चाहती हैं, विकास की पंक्ति में आगे खड़ा करना चाहती हैं।

मैं, सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार आने वाले इन तीन सालों में, जिस प्रकार विरोधी लोग अपनी-अपनी बात कहकर, छोटी-छोटी बातों को बड़ी-बड़ी बनाकर पेश कर रहे हैं, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी के लिए सिर्फ दो लाइनें बोलना चाहता हूं।

जब ज्ञान बांटने लगती हैं तो सरस्वती कहलाती हैं,
माया के लोभी इस जग में, मैं ही लक्ष्मी बन जाती हूं।
सब दुष्ट कांपने लगते हैं जब दुर्गा बनकर आती हूं।
मैं इस समय शिला पर अमिट लिख सारे जग पर भारी हूं।
जीवन की कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी हूं।

इस प्रकार से माननीया मुख्य मंत्रीजी की अपनी एक कल्पना है। वे पूरे प्रदेश के अन्दर, हर जगह विकास की बयार बहाकर, इस देश को विकसित राजस्थान देने के लिए कृत संकल्प हैं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल से सम्पूर्ण राजस्थान के समग्र विकास का एक लिखित दस्तावेज सोमवार, 29 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के रूप में यहां पढ़ा; कुछ अंश पढ़े और कुछ पढ़े हुए मान लिये गये। उस पवित्र दस्तावेज को इस पवित्र सदन में, मैं समझता हूं, एक–एक सदस्य के पास सबूत के रूप में भेजा गया। सब लोग जानते हैं कि उस दस्तावेज में

(श्री शुभकरण चौधरी)

राजस्थान की सरकार का दो साल का लेखा-जोखा मौजूद था। उस अभिभाषण पर माननीय मोहनलालजी गुप्ता ने धन्यवाद के लिए प्रस्तुत किया और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका प्रथम बार अनुमोदन किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे भी आपने उस अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए, धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया।

सभापति महोदय, यह अभिभाषण ऐसा दस्तावेज है जो राजस्थान सरकार की कार्यशैली को प्रतिबिम्बित करता है। यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण देता है कि राजस्थान की सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से जो वादे हमने राजस्थान की जनता से किये थे, हमारे विश्वास पर राजस्थान की जनता ने आर्शीवाद हमें दिया, 163 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जिताकर भेजा। यह दस्तावेज इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। यह दस्तावेज इस बात को सिद्ध करता है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की मुखिया ने जो वादे किये, लगातार पांच साल 2008 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार ने विकास को अवरुद्ध कर दिया, जगह-जगह गड्ढे खोद दिये, उन गड्ढों को पाटकर भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्त्ता विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और राजस्थान को विकास की तरफ ले जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक संकल्प सुराज के माध्यम से लिया था, तय किया था, पूरे राजस्थान की जनता को हमने कहा था कि-

तू अपनी जमीन, अपना आसमान पैदा कर,
अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर,
जीवन में एक नया विश्वास पैदा कर।
मांगने से कब मिली हैं सौगातें,
छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर।

हमने 163 के रूप में इतिहास पैदा किया है। राजस्थान की जनता में हमने विश्वास जगाया। गाहे-बगाहे चाहे प्रतिद्वंदी मेरे भाई कुछ भी बोलें पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, नवाचार करना, नये-नये काम शुरू करना, इस देश को एक विजन देना, भारतीय जनता पार्टी का

(श्री शुभकरण चौधरी)

जन्मसिद्ध अधिकार रहा है, हमारा उद्देश्य रहा है, हमारा कर्तव्य रहा है। देश आजाद होने के बाद लगातार 248 ऐसे अप्रासंगिक कानून इस संविधान में व्याप्त थे, एक भी व्यक्ति ने एक दिन नहीं सोचा इन लाइनों को मिटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की माननीया मुख्य मंत्री ने और हमारे मंत्रिमण्डल ने तय किया जिन चीजों की जरूरत नहीं है, उनको हटाया जाएं। हमने उनको हटाने का कठोर निर्णय लिया और यह काम करके दिखाया।

माननीय सभापति महोदय, हमने नवाचार करने का काम आज से नहीं, जब-जब हमें काम करने का मौका मिला है, चाहे वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मामला हो, चाहे पोकरण परमाणु परीक्षण का मामला हो, चाहे सीमा की सुरक्षा करते शहीद होने वाले वीर शहीदों के मान-सम्मान का मामला हो, चाहे पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का मामला हो, हमने एक-एक काम हमेशा, और चाहे जल स्वालम्बन के माध्यम से इस भूमि का जल स्तर ऊंचा करने का मामला हो, आज ये लोग कहते हैं, आप भीख मांग रहे हो, आप लोगों से पैसा ले रहे हो; मैं इनको बताना चाहता हूं, जल किसी के बाप की बपौती नहीं। जल पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई अलग-अलग हक नहीं। यह जल तो जीवन है। इसलिए यह कोई योजना नहीं, यह एक अभियान है। मलिंगाजी, आप मुस्करा तो रहे हैं, पर इसमें अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। भूमि का जल स्तर ऊपर नहीं आयेगा तो क्या आप पिओगे, क्या मैं पिऊंगा। हमने यह सोच इसलिए पैदा की है कि एक भागीरथ था जो इस देश में गंगा लेकर आया, दूसरी भागीरथ माननीय मुख्य मंत्री महोदया वसुंधराजी हैं, जो इस राजस्थान का जल स्तर ऊंचा उठा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के मामले में 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का जो वादा हम लोगों ने किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, नये-नये राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं। 1,659 किलोमीटर की बात आपके सामने आई है। जिस जिले से मैं आता हूं, सैनिकों का जिला, किसानों का जिला, उद्योगपतियों का जिला है। दुर्भाग्य देखिये उस जिले का, आज तक 67-68 साल के लोकतंत्र में झुंझुनूं जिले में एक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। हम दिल्ली की सीमाओं से जुड़े हैं, हमें एन.सी.आर. में शामिल होना चाहिए, पर हमारा दुर्भाग्य है कि वहां आज तक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुखिया को, पहली बार उस

(श्री शुभकरण चौधरी)

जिले को दो-दो राष्ट्रीय राजमार्ग मिले; वहां सैनिक स्कूल खुला। मैं जितनी तारीफ करूं इस सरकार की, उतनी कम है। पांच साल में लगातार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव में चकाचक सड़क बनाने का सपना इस देश को हमने दिखाया। सन् 08 से 13 तक एक भी सड़क आपकी बनी? एक सड़क आप बना नहीं पाये और कहते हो, सड़कें बंद हो गयीं। हमने दो साल से लगातार कोशिश करके उन सड़कों को वापस स्वीकृतियां दिलवाई हैं। मैं मेरे अकेले मात्र विधान सभा क्षेत्र में कह सकता हूं, सौ किलोमीटर सड़कें एक साथ बनने वाली हैं। पूरे राजस्थान में कितनी सड़कें बनेंगी, आप सोच सकते हैं।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। रामचन्द्रजी बात को पूरा नहीं कर पाये थे, इसलिए मेरे को बोलना भी पढ़ रहा है-

'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत।

स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग में, यह श्लोक आप 60 साल में नहीं पढ़ पाये। हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय ने इस श्लोक को पढ़ा। हर एक व्यक्ति को कैसे सुरक्षित रखा जाये, कैसे स्वस्थ रखा जाये, इस बात का निर्णय करने के लिए लगातार, ए.एन.एम. का मामला हो, जी.एन.एम. का मामला हो, डाक्टरों का मामला हो, पी.एच.सी. खोलनी हो, सी.एच.सी. खोलनी हो, उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हों, अस्पतालों में धर्मशालाएं बनानी हों, करोड़ों-करोड़ों रुपये का निवेश करके हमने इस राजस्थान की जनता को चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया है। हमने इनके स्वास्थ्य की चिंता की है। आपको बताना चाहता हूं, अभी आपको पता है, इस टाइम जी.एन.एम. की पोस्टिंग हो रही हैं; अभी तो कह रहे थे, आज तक नौकरियां नहीं दीं; पहली बार इतने लम्बे-चौड़े स्केल पर नौकरियां देने का काम किया है। यह काम कब किया है, आपको पता चला है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री इतने होशियार हैं, पता नहीं चलने देते, कब क्या करते हैं। उनके बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूं, श्रवणजी, एक बार रुक जाओ,

न खंजर पर कोई बूंद है, न कपड़ों पर कोई दाग।

तू कत्ल करे है कि करामात करे है।

पता नहीं चलने देते, कब क्या करते हैं,

लेकिन काम कर जाते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 'बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है।'

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अभी आपको बताऊं, श्रवणजी,

ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता,

जो टूट जाए बीच में, संकल्प नहीं होता।

असफलता को भविष्य में दूर ही रखना, मित्रों।

जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए परेशान हो रहे हैं ये लोग।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 'पीर पर्वत से भारी हो गई, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मेरा यह सपना है,

आग तेरे सीने में ना लगी तो मेरे सीने में सही,

हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए।

हम चाहते हैं राजस्थान की तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं पूरा कर देता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं है; मेरा मकसद आप लोगों को गुमराह करने का नहीं है।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): युवाओं की शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं इटली की सरकार चलाने वाले लोग, आठवीं की परीक्षा नहीं लेंगे; बोर्ड नहीं बनाएंगे। बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इस बात की चिंता की नहीं। हमने पहली बार इस राजस्थान के युवा की चिंता की, शिक्षकों की चिंता की, उनकी पदोन्नति की चिंता की, और इतिहास रचा है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार शिक्षा विभाग में जितनी पदोन्नतियां हुई हैं, न भूतो, न भविष्यति; न आज तक ऐसा हुआ, न आगे होने की आशा है। आप हमें कहना चाहते हैं कि शिक्षा का बंटाढार कर दिया। हमने आदर्श स्कूलों की स्थापना की है; एक-एक स्कूल में समय पर अध्यापक जाने लगा है; नामांकन बढ़ा है; पदोन्नतियां हमने की हैं; रोजगार बढ़ाये हैं।

सभापति महोदय, एक समस्या जरूर थोड़ी-सी आ गयी। 2003 से आज तक लगातार अनेकों स्कूल हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में खोलने की व्यवस्था की थी। पांच साल में कांग्रेस के मित्रों ने इस जनता में इतना

(श्री शुभकरण चौधरी)

अविश्वास पैदा कर दिया; पता नहीं, कहां से एक फार्मूला, इटली से लेकर आये, अब परीक्षाएं नहीं होंगी, अब कोई फेल नहीं होगा। राजस्थान की जनता और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ गया, शिक्षा से उठ गया। इसलिए बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। हमें बड़ा दु:ख है इस बात का, 2003 से 2008 के बीच में जो स्कूल हमने खोले थे, वे आज बंद करने पड़ रहे हैं।

पर आप निश्चित रहें, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी तरह हमने वह फेल-पास करने वाला काम नहीं किया, हम इस देश के नौजवानों, युवाओं और बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। हम उन स्कूलों में आदर्श स्कूलों के माध्यम से विषय अध्यापक लाएंगे और कह सकता हूं आपको, पहली बार राजस्थान की एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं, जिसके मुख्यालय पर सीनियर सेकण्डरी स्कूल नहीं हो। पांच हजार स्कूलें खोलकर हमने यह तोहफा आपको दिया है। एक भी स्कूल ऐसी नहीं, जिसमें प्रिंसिपल नहीं हो। यह पहली बार ऐसा हुआ है। विषय अध्यापकों की व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान) हम लगातार राजस्थान में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये असत्य बोल रहे हैं। सदन में कह रखा है, या तो आओ मत, या असत्य मत बोलो। दस पंचायतें हैं मेरे, जिनमें हैडक्वार्टर पर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं, पीलूपुरा में और तेहरी में नहीं हैं। ये दो ग्राम पंचायतों का तो मैं बता रहा हूं। ये पूरे राजस्थान की कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। उनको अपनी बात करने दें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दस हैडक्वार्टर हैं जिनमें स्कूल नहीं हैं। गांव का नाम देता हूं, ...(व्यवधान) खुलवा दो ना।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): असत्य पर असत्य, असत्य पर असत्य बोलते जा रहे हैं। हम असत्य सुनने के लिये थोड़ी आये हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन आया है, सभापति महोदय। यह सब कहते थे, यह कैसे हो सकता है,

(श्री शुभकरण चौधरी)

इतनी पदोन्नतियां कैसे हो सकती हैं। (व्यवधान) यह रात-दिन हमें कहते हैं, हमने नहीं सोचा था कि शिक्षा में ऐसा परिवर्तन आयेगा। इनकी जबान बंद है, इनकी बोलती बंद है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक शब्द भी नहीं बोल सकते।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शिक्षा मंत्रीजी कहां हैं? (व्यवधान) ये तो पुराने वाले हैं, नये कहां हैं? ये तो पुराने हो गये। आज भी पंचायत हैडक्वार्टर के ऊपर इतनी पंचायतें पड़ी हैं जहां सीनियर स्कूल नहीं खुली हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): जब आपका नम्बर आये, तब आप बोल देना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये तो केवल चेयरमैन बनने के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, इनको दु:ख इस बात का है कि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है; हल्ला करने के सिवाय कुछ नहीं बचा। काम करते तो पता चलता। (व्यवधान) श्रवणजी, बैठ जाओ। मेरे से बात कर रहे थे, वह बाद में कर लेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्री नहीं बनाएंगे। (व्यवधान) मंत्री का पद खाली नहीं है, नहीं बनाएंगे।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): पानी के मामले में ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): छाज बोले सो बोले, चालनी बोल रही है, जिसमें 72 छेद। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): बैठ जाइये। जयरामजी, विराजिये। वे कैसे बोलेंगे। जब उनके पास में बोलने को बचा ही नहीं, तो कुछ तो बोलेंगे।

सभापति महोदय, पानी की अपनी महत्ता है। रहिमनजी ने लिखा है-

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुस, चून।

आज तक 60 साल के इतिहास में एक महामना ने एक विचार पैदा किया था, देश को नदियों से जोड़ना चाहिये। इन सबके पेट में दर्द होने लगा, नदियां नहीं जुड़नी चाहिए, हिन्दुस्तान की जनता प्यासी मरे तो मरे। रहिमनजी ने दोहा लिखा, उसकी इनको परवाह नहीं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस सोच को वापस दिमाग में लाकर, राजस्थान की जनता को पीने के पानी

(श्री शुभकरण चौधरी)

का तोहफा देने का काम किया है। उन्होंने तय किया है कि मैं भागीरथ तो नहीं बन सकती, राजस्थान की जनता में विश्वास पैदा हो, एक-एक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ूं, इस देश का जलस्तर वापस ऊपर लेकर आऊं। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने तय किया है कि अटलजी का जो सपना साकार नहीं हुआ, उसको मैं साकार करूं और वापस हिन्दुस्तान की नदियों को भी जोड़ें और राजस्थान की नदियों को भी जोड़ें; जल का संरक्षण करें। और तो छोड़ो, आप तो कम से कम इस बात की कसम खाओ कि कल दो बाल्टी की जगह एक बाल्टी के पानी से नहाओगे। इससे भी बचेगा। कुछ तो करो।

सभापति महोदय, गलत नीतियों और उनके अभिशाप की वजह से दो साल लगातार राजस्थान का किसान, पिछले पांच साल से लगातार राजस्थान का किसान इनकी गलत नीतियों का शिकार हो रहा है। किसान की फसलें नष्ट हो रही हैं। कभी उनको यूरिया नहीं मिलती, कभी डी.ए.पी. नहीं मिलती। लगातार दो साल से रेलवे स्टेशनों पर रैक खड़े कर रखे हैं। एक भी दिन किसान की तरफ से ऐसी समस्या नहीं आई कि हमें यूरिया नहीं मिली, हमें खाद नहीं मिली। ये लोग जो कल-परसों तक कह रहे थे, ये सूट-बूट की सरकार है, यह बड़े लोगों की सरकार है; मीडिया इस बात का गवाह है, ये भी कल कह रहे थे कि सूट-बूट की सरकार नहीं रही, किसान की सरकार है। जहां पर प्रभु लालजी जैसे कृषि मंत्री हैं, वहां पर किसान का भला होने से कोई रोक नहीं सकता। लगातार यह कह रहे हैं कि निम्न वर्ग का बजट है, किसानों का बजट है। मैं इनको बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, किसान वर्षों से लगातार 60 साल से, श्रवणजी, सुनना, सुनना, मलिंगाजी; 60 साल से लगातार किसान इनको कह रहा था कि-

'मेरी जमीन जल चुकी है, मेरी जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है।
यह दरख़्तों सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान बाकी है।
वह जो खेत की मेड़ पर बैठा है, फैसले करता है,
सिर्फ उसकी आंखों में ईमान बाकी है।
यह बादलों कभी तो बरस जाओ,
मेरा घर गिरवी है, मेरी जमीन बाकी है।
मेरा मकान गिरवी है, मेरा लगान अभी बाकी है।'

आपने 60 साल में इस बात को नहीं सुना, हमने सुना। हमने किसान

(श्री शुभकरण चौधरी)

के दर्द को सुना, समझा। किसान का मुआवजा दुगना किया; कृषि का बीमा किया; पशुओं का बीमा किया; उसके पशुओं की चिकित्सा की इकाई की व्यवस्था की; आरोग्य चल इकाई की स्थापना की; और हमने लगातार, यह 50 प्रतिशत खराबे पर मुआवजा देने वालों, हमने 33 प्रतिशत पर मुआवजा डिक्लेयर किया। लगातार किसान की चिंता हमने की; उसकी दशा को सुधारने का संकल्प लिया और विश्वास दिलाते हैं इस पवित्र सदन को कि हम किसान का ऐसा विकास, ऐसी हालत अच्छी करेंगे आने वाले तीन साल में कि किसान एक-एक आकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगा। आप बैठे-बैठे देखेंगे।

हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी की भामाशाह योजना...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुन्झुनूं में दे दोगे क्या?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना के बारे में इनको बताना चाहता हूं। पहली बार, यह देश गवाह है, इतिहास गवाह है, सब लोग जानते हैं, छोटा-मोटा व्यवसाय भी करते होंगे; माननीय सभापति महोदय, इस देश में आज से पहले किसी भी बैंक में, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, बिना किसी गारंटर के, बिना अमानत राशि जमा करवाए कोई खाता कभी किसी का खुला है? पहली बार इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री ने, हमारी मुख्य मंत्री ने इस देश के किसान को, गरीब को, दलित को, मजदूर को, ऐसा तोहफा दिया, ऐसा मान और सम्मान बढ़ाया कि एक नया पैसा जेब में नहीं है, कोई गारंटर आपके पास नहीं है, तो भी जाइए, मुख्य मंत्री का नाम लीजिए, जाइए, प्रधान मंत्री का नाम लीजिए, जीरो बैलेंस पर सबका एक-एक का खाता खुला और मात्र खाता ही नहीं खुला, माननीय सभापति महोदय, अटल पेंशन, विधवा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, छात्रवृत्ति योजना, पालनहार योजना, पन्नाधाय योजना, गैस की सब्सिडी, सारी की सारी अनेक योजनाओं का पैसा उस खाते में जाता है। किसान रात को सोता है, जेब में देखता है कि पैसा नहीं है, सुबह उठता है तो मजदूर को पता चलता है कि खाते में पांच हजार रुपये पड़े हैं। यह इनको हजम नहीं हो रहा है। यह ऐसा हुआ है, इसलिए इनको परेशानी है। ये इस बात को मानना नहीं चाहते हैं।

यह भामाशाह योजना, माननीय सभापति महोदय, मैं इन मित्रों को बताना चाहता हूं कि ऐसी योजना है कि जब तक...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिए। उनकी बात सुनने में क्या आपत्ति है आपको? सारा सदन उनकी बात सुन रहा है, आप भी सुन लो न। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 15 लाख रुपये की बात कर रहे हैं और पांच रुपये आये नहीं। सारा असत्य बोल रहे हैं। कम से कम सदन में तो असत्य नहीं बोलें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): यह तो बताओ कि कम से कम 15 लाख कब तक आएंगे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारी योजनाओं को ही गिना रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्या दिक्कत है आपको?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): योजना होती तो 21 में नहीं सिमटते, श्रवणजी, 163 में होते। 163 होते। योजना नहीं थी। बंटाढार हो गया आपके राज में।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपको उप चुनाव में क्या हो गया? उसका जवाब दो पहले।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): भामाशाह का नाम तो जानते हो क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 153 हमारे वाले भी आए हुए हैं। वहां पर बैठते थे 153 । घूम कर आ जाओगे तो मान जाऊंगा। दुबारा इस दरवाजे में आ जाओगे तो मान जाएंगे। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): दो मिनट और सुन लो। फिर जिनका इतिहास गिना रहे हो न, उसकी भी पोल खोल दूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दुबारा आओगे, तब मानूंगा। पहली बार तो, हम भी 153 थे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): जब आपका नम्बर आए तब आप अपनी बात रख लेना। अभी माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप आसन को इंगित करके अपनी बात कहें। ऐसे क्यों करते हैं आप? (व्यवधान) आप बैठिए। आप बैठिए। आप बैठिए। आप बैठिए। आपका मौका आए, तब आप बोल लेना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय डग वाले दोस्त बोल रहे थे ... (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना। मैं सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक वाकया मैं बताना चाहता हूं कि मेवाड़ पर जब अकबर का आक्रमण हुआ और महाराणा प्रताप की सेनाओं के पास जब खाने-पीने का सामान कम हो गया, जब वहां पर रसाला नहीं पहुंचा, तो पूरे मेवाड़ में एक बात आई कि क्या किया जाए, कहां से इतने धन की व्यवस्था की जाए कि महाराणा की सेनाओं को रसाला मिल जाए। माफ करना, माननीय सभापति महोदय, भामाशाह ने एक निर्णय किया कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाऊंगा और वह सारा सोना-चांदी, सारा पैसा लेकर चले गये; नक्शा बनवा लिया। जब वहां पर आबू रोड की सड़कों पर पहुंच रहे थे तो पीछे से एक समाचार गया कि भामाशाह महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप धन्ना-सेठ हैं, पूरा का पूरा पैसा आप मंदिरों में लगा देंगे, महाराणा प्रताप की सेना को रसाला नहीं मिला तो मेवाड़ गुलाम हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितना पैसा भामाशाह के पास था, उतना का उतना पैसा एक और नगर सेठ के पास था। उससे भी निवेदन किया गया था। बहुत कम लोग हैं, उसका नाम नहीं जानते। भामाशाह ने अपना पूरा रथ वापस मोड़ा, सारा सोना-चांदी लेकर आये; महाराणा प्रताप की सेना को रसाला दिया, पैसा दिया। अकबर को परास्त करने के लिए पूरी मदद की।

और वह व्यक्ति जिसके पास पूरा पैसा था, उसने जाकर दिलवाड़ा के मंदिर बनवाये।

एक व्यक्ति है जो मुझे यह बता दे कि वे दिलवाड़ा में मंदिर किसने बनाये? है कोई व्यक्ति इस राजस्थान में इस कांग्रेस का पढ़ा-लिखा बुद्धिमान? (व्यवधान) एक मिनट बैठिए आप। मैं यह जानना चाहता हूं इनसे। भामाशाह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको चलाने वाली मुख्य मंत्री का, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक नाम रहेगा, जैसा भामाशाह का नाम रहा था। है कोई व्यक्ति जो यह बता दे कि दिलवाड़ा के मंदिर किसने बनाये? यह बता सकते हैं ये ज्ञानी लोग?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को इंगित करके अपनी बात कहें। आप उनसे क्यों उलझते हों?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप कौनसा भला करते हों? मंदिर तो बनायें। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जनता के विकास का काम करने वाले लोगों को दुनिया याद रखेगी। अकबर का मकबरा दुनिया में कहीं नहीं है, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की जगह-जगह तस्वीरें लगी हैं। इसलिए उनको याद रखा जाता है, जो काम करते हैं।

हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम उनको कौशल प्रशिक्षण देना चाहते हैं, हम महिलाओं में स्वाभिमान पैदा करना चाहते हैं; उनको ऐसा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि वे समाज का मुकाबला कर सकें और यह जो कहते हैं वे बातें नहीं करना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, हम तो उन युवाओं को कहना चाहते हैं कि नौकरियां सरकारी मिली, कोई बात नहीं; न मिली तो कोई बात नहीं; आप हुनर रखिए, आप अपने आप में माद्दा पैदा कीजिए और किसी ने लिखा है कि- 'पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मुकद्दर के पन्ने उनके खाली नहीं होते।' कोशिश करना सिखाते हैं; युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं कि आप ईमानदारी के साथ काम करना सीखो, हाथ में हुनर सीखो ताकि दुनिया के सामने मोहताज न होना पड़े, और अपना काम आप खुद करो।

हम वोट की राजनीति करने नहीं आये। माननीय सभापति महोदय, हम इनको बताना चाहते हैं कि हम इस देश की सेवा करने आये हैं, जनता की सेवा करने आये हैं। इनको तो एक लाइन मात्र बताना चाहता हूं-

'त्याग दो सब ख्वाहिशें, कुछ अच्छा करने के लिए...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप इनको कुछ मत बताइए, जो बताना है सदन को बताइए आप।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): 'त्याग दो सब ख्वाहिशें, कुछ अच्छा करने के लिए।

खोया बहुत था राम ने, श्री राम बनने के लिए।'

श्री राम बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, जनता की सेवा करनी पड़ती है।

बिजली की चर्चाएं करते हैं कि बिजली नहीं मिली, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं आज। माननीय सभापति महोदय, 15,645 करोड़ 2013-14 के घाटे को 9,500 करोड़ पर लाये; यानी, 6000 करोड़ एक

(श्री शुभकरण चौधरी)

साल में बहुत बड़ी चीज होती है। चार, पांच, छह रुपये प्रति यूनिट पर बिजली खरीदने वाली कांग्रेस सरकार को कहना चाहता हूं कि 3 रुपये 95 पैसे में बिजली खरीद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खतम कर रहे हैं और सप्लाई भी लगातार अनवरत किसान को दे रहे हैं। राजस्थान में कोई एक किसान शिकायत करने वाला नहीं है कि हमको बिजली नहीं मिल रही है।

हम तो एक ही बात बताना चाहते हैं आपको कि जो काम करते हैं लोग, जो जनता का काम करते हैं, माननीय सभापति महोदय, वे किसी के आशीर्वाद के मोहताज नहीं होते, किसी की वाहवाही के मोहताज नहीं होते, क्योंकि किसी ने लिखा है-

'वे खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की,
परिंदों को नहीं दी जाती, तालीमें उड़ानों की।
जो रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का,
उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की।'

जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की।

कोई कुछ भी बोलता रहे, सहकारिता विभाग हो, चाहे बाल विकास विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे श्रम विभाग हो, हमने, एक-एक विभाग के मंत्रियों ने और हमारी मुख्य मंत्री ने मानिटरिंग करके एक ऐसा प्रशासन पर मुस्तैद शिकंजा कसा है, प्रशासन हमारा पूरा जवाबदेह, पूरा प्रशासनिक अमला गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर, न्याय देने का काम कर रहा है। वी.सी. के माध्यम से हम जन सुनवाई कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सही बात तो यह है कि दो साल से इस सरकार के काम और विकास को देखकर पूरे विपक्ष की बोलती बंद है। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं।

मैं तो आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि इस सदन में बैठा एक-एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुद्दाविहीन और उद्देश्यविहीन कांग्रेस को इस बात के लिए ललकारता है रात-दिन कि हम लोग विलायतियों की, विदेशियों की गुलामी नहीं करते; हम परिवारवाद का काम नहीं करते। हम मां भारती को शिरोमणि बनाना चाहते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इनसे कहना चाहते हैं, जे.एन.यू. में जाकर राष्ट्र विरोधियों के पक्ष में

(श्री शुभकरण चौधरी)

नारे लगाने वालों को छोड़ो, उस परिवार को छोड़ो। याद करना हो तो उनको याद करो, जो 18 और 25 साल की उम्र में 'रंग दे बंसती चोला' का नारा देते थे, जो 25-25 साल की उम्र में बर्मा और रंगून की सड़कों पर कहते थे-

कदम-कदम बढ़ाये जा,
खुशी के गीत गाये जा।
यह जिन्दगी है कौम की,
तू कौम पर लुटाये जा।।

उनको याद करो, जिन्होंने मां भारती को आजाद किया, जिसने देश का मान-सम्मान लौटाया। उनको याद करो जिन्होंने कहा, इस देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। उस व्यक्ति ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान बनाने की बात की, एक निशान बनाने की बात की और एक प्रधान बनाने की बात की। उसको अपने आपको बलिदान करना पड़ा और ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी बलिदान हो गयी। कौनसी बलिदानी की इंदिरा गांधीजी ने? कौनसा बलिदान इंदिरा गांधी ने दिया? उसके अंगरक्षकों का विश्वास उठ गया; इस देश की जनता का उससे विश्वास उठ गया। उन्होंने सोचा, अब सरदारों का कत्ले-आम हो सकता है। जब लाल बहादुर शास्त्री मर सकता है, जब संजय गांधी मर सकता है, तो उनके अंगरक्षकों ने सोचा कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं। इन लोगों ने यह कृत्य किया है। कहते हैं, बलिदान हो गया, कौनसा बलिदान हो गया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद रखो। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आप नाथूराम गोड़से की पूजा करते हो और आप इंदिरा गांधी के बलिदान को चेतावनी देते हो। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अब इनको दो बात बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, यह महामहिम का अभिभाषण है क्या?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपके कितने बलिदान हुए हैं? (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। मैं इनसे नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: अपनी बात अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): एक मिनट के अन्दर कर रहा हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आजादी के आन्दोलन में अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): यह स्वाभिमान का मामला है, राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसलिए हजार बार बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात करें ना। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले जो ... (व्यवधान) इंदिरा गांधी की शहादत को ये चेतावनी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपका नम्बर आने वाला है ना। तब आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह महामहिम के अभिभाषण पर बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इंदिराजी की शहादत को क्या कहें?

श्री सभापति: आप बैठिये। इनको मैं बैठने का आग्रह कर रहा हूं न। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मुझे दो मिनट दें।

श्री सभापति: इनको अपनी बात समाप्त करने दें। आप बैठिये। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं होगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में मेरी बात पूरी कर रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: जो काम आसन का है, वह काम आसन को करने दीजिये। बैठिये आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: आप तो बैठो न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): करेंगे वो किसी की रहनुमाई क्या
लुटाकर खुद जो अपना कारवां चले आये।।

सिद्धान्त नहीं, मुद्दा नहीं, उद्देश्य नहीं, राष्ट्र की चिन्ता नहीं। जे एन यू में भारत के टुकड़े करेंगे, इंशा-अल्लाह बोलने वालों को हमारे सामने माला पहना रहे हैं और बात कर रहे हैं। मैं बिलकुल राष्ट्र-भक्ति की बात कर रहा हूं, मैं देश के मान और सम्मान की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान के विकास की बात कर रहा हूं और हजार बार करूंगा।

एक बात और कहना चाहता हूं, उसके बाद में अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, मैंने चार लाइनें बहुत अच्छी लिखी हैं-

अच्छे-अच्छों की यहां नीयत नहीं अच्छी।
रख-रखाव अच्छा है, असलियत नहीं अच्छी।।
अरे, वक्त का तकाजा है, सम्भल जाओ, यारों।
कुछ वतन फरोशों की जहनियत नहीं अच्छी।।

अब मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं...

श्री सभापति: अब, माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं, अब इन्हीं की बात पर दो लाइनें मुझे याद आ गयीं, उसके बाद बंद करूंगा। (व्यवधान) एक मिनट, संजीवजी। सभापति महोदय-

हमको दुनिया ने बसा रखा है दिलों में अपने
हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले।
यह जो भरम का सूरज लिये कन्धों पर फिरा करते हैं,
अगले जन्म में भी राष्ट्र भक्त नहीं होने वाले।।

सभापति महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई।

यूं ही जो थोड़ा-सा बचा है आपका अच्छा वक्त,

(श्री शुभकरण चौधरी)

यूं ही जो थोड़ा-सा बचा है विपक्षियों का अच्छा वक्त
अरे, हमारे साथ गुजर जाने दो।
यकीन करो, जो बीते हैं पुराने पांच साल के बुरे दिन
यकीन करो कि बीते हैं पांच साल के आपके पुराने दिन
वो जिन्दगी में कभी वापस लौटकर नहीं आने वाले।।

यह धारा यूं ही चलती रहेगी और अन्त में, भाषण को बंद करने से पहले, धन्यवाद देने से पहले इनको एक बार कह रहा था...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं अपने वालों को बोलूंगा। अब आप लोगों से, यह तो 21 में रहे हैं ...(व्यवधान) वह क्या आये, कैसे आये, वह तो आगे वक्त बताएगा। आप लोगों से निवेदन करता हूं, अन्तिम शब्द बोलने से पहले, कि-

ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ...

हमें बहुत दिया है, और हम इस बात से सावचेत भी हैं कि हम 163 के रूप में आये हैं और जनता इस बात का आशीर्वाद भी दे रही है, काम भी कर रहे हैं।

ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता,
जो टूट जाये बीच में, वह संकल्प नहीं होता।
असफलता को भविष्य में भी दूर ही रखना, यारों,
जीत का कोई विकल्प नहीं होता।।

महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार के काबिना मंत्रिमण्डल को, मुख्य मंत्रीजी को और सारे मेरे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा काम हम लोगों ने दो साल में किया है। तीन साल लगातार इसी प्रकार प्रगति के पथ पर और राजस्थान के विकास के पथ पर अग्रसर रहें, ताकि लोगों के पास बोलने के लिए शब्द शेष नहीं रहें अभिभाषण पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यवाही का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

श्री कैलाश भंसाली।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजेन्द्रजी, हमारे भी ये अच्छे बोले हैं, बोर्ड का सदस्य तो बनाओ। (व्यवधान) कुछ तो बनाओ बेचारों को इनको। झुन्झुनूं वालों को कुछ नहीं बना रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रवणजी, आप विराजें। श्री कैलाशजी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

'आओ साथ चलें', 'तुम विश्वास दो, मैं विश्वास दूंगी', इन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनाव में 163 सीटें जीतकर कांग्रेस, जो पिछले पांच सालों में राज में थी, उसको समाप्त कर दिया और मैं कहता हूं कि आने वाले 30 वर्षों में कांग्रेस नेस्तनाबूत हो जाएगी और विलोप हो जाएगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भंसालीजी, एक मिनट। सभापति महोदय, यह भंसालीजी ये जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं और मंत्री हैं, उनको कह रहे हैं कि आओ साथ चलें। आप इनको क्यों साथ ले जा रहे हो अभी? इनको तो छोड़ो कम से कम।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): ऐसा है, मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप में समझता हूं।

जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में राजस्थान की विकास यात्रा का पिछले दो वर्षों में और आने वाले तीन वर्षों में जो काम यह सरकार करना चाहती है, या इसका मंत्रिमण्डल जो करना चाहता है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

(श्री कैलाश भंसाली)

सबसे पहला जो काम है, वह यह है सौर ऊर्जा। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं। बाप से फलौदी तक, जैसलमेर तक, सारी जगह जबरदस्त काम हो रहा है सौर ऊर्जा का और हम 2017-18 में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऊर्जा के मामले में आज भी राजस्थान का किसान बहुत खुश है। जब भी गांवों में जाते हैं और किसानों से बात करते हैं तो सब यही कहते हैं कि हमको पूरी बिजली मिल रही है। घरेलू में तो सारे शहर में कोई समय था अशोक गहलोतजी के राज में, तीन-तीन, चार-चार घंटे हमेशा लाइट की कटौती रहती थी। आम आदमी गर्मी में बहुत परेशान होता था और गांवों में तो बहुत बुरी हालत थी। गांवों में घरेलू बिजली भी नहीं मिलती थी। परन्तु जब से अच्छे गवर्नेंस के कारण छीजत कम करके वसुन्धराजी ने जिस तरह से नये आयाम पेश किये हैं, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और समझता हूं कि जब राजस्थान सौर ऊर्जा के बाद में बिजली में आत्मनिर्भर हो जायेगा तो सारे हिन्दुस्तान के राज्यों में नम्बर वन बन जायेगा, ऊर्जा विकास में।

दूसरी बात किसानों के हित की है...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इनसे श्रवण कुमारजी से रिक्वेस्ट तो कर लो, भई, आप मत चले जाना। रिक्वेस्ट तो कर लो जिससे सुनते रहें।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): ऐसा है, मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सुन कर जायेंगे?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सुन कर जायेंगे।

किसानों के लिए कितनी योजनाएं वसुन्धराजी ने तथा हमारे प्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी हैं। किस तरह से उनका उत्थान, किस तरह से बीज का, किस तरह से फाइनेंस का, और इस तरह ऐसा काम किया है कि किसान खुश हैं। हमारे कृषि मंत्रीजी ने कहा था, हम स्वयं सफिशिएंट हैं और गुजरात के बराबर हमारा उत्पादन हो गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है। उसके लिए मैं पूरे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देता हूं।

निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 'रिसर्जेंट राजस्थान' में तो जबरदस्त तीन हजार करोड़ के एम.ओ.यू. हुए हैं। अभी ये लोग हंसी कर रहे थे कि केवल एम.ओ.यू. हुए हैं, काम नहीं होंगे। जिस तरह से वे भाषा बोल रहे थे, मुझे याद है, अशोक गहलोत साहब के समय भी हुआ था परन्तु वे परिणति में नहीं हुए, कोई प्लांट नहीं लगा। राजस्थान के लिए, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान

(श्री कैलाश भंसाली)

से वे स्वयं आते थे, एक भी नया प्लांट नहीं लगा सके। इसके लिए मैं कहता हूं, वसुन्धराजी अभी जोधपुर पधारी थीं तो उन्होंने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में चार-पांच बड़े प्लांट लगेंगे और पश्चिमी राजस्थान का पूरा विकास होगा।

रिफाइनरी के लिए रो रहे हैं परन्तु वसुन्धराजी ने साफ कहा है, मैं प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से रिफाइनरी बाड़मेर के पचपदरा में लगाऊंगी और उसका पूरा फायदा राजस्थान को मिलेगा और यहां के खनन का दोहन होगा। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

'स्टार्टअप', हर काम को करने के लिए आगे बढ़ना। 'मेक-इन-इंडिया', हमारे प्रिय प्रधान मंत्रीजी का यह नारा है और जिस तरह से वे काम कर रहे हैं और छोटे-छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने में उनको जिस तरह से पचास लाख से एक सौ करोड़ का ऋण बिना किसी गारंटी के दे रहे हैं, आज तक इतिहास में ऐसा भारत में नहीं हुआ कि बिना गारंटी के इतनी बड़ी रकम किसी को दी गयी और वह भी, जो हुनर वाले होंगे।

अभी एक महिला ने मुझे बताया, पंजाब नेशनल बैंक ने जोधपुर में एक मेला लगाया था, चैक बांटे थे; एक महिला ने कहा कि मुझे बैंक से दो लाख रुपये, मोजड़ी का, कसीदा का काम करती थी, आज मेरे बैलेंस में दस लाख रुपये हो गये हैं। मेरी मोजड़ी की सारे भारत में मांग है और दिल्ली के कनाट प्लेस में मेरा लड़का बेचता है, खूब आर्डर्स आते हैं और आज हम सम्पन्न हो गये हैं, हमारा परिवार सम्पन्न हो गया है। हमारा गांव मेरे साथ-साथ इसी काम में लग गया है। सारा जैतारण गांव सम्पन्न हो गया है। रूप जी महाराज के दर्शन करने गया था तो भी उन्होंने यही कहा कि सारा जैतारण आज खुशहाली में है, क्योंकि हर महिला सम्बल की सहायता से, साथिनियों की सहायता से आगे बढ़ा रहा है जैतारण को और खुशहाली हमारे चरणों में आ रही है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। खूब स्कूलें दी हैं। जो मार्केटिंग का सिस्टम किया है, छोटी-छोटी दुकानों को ऋण देकर बनाकर, मैं कहता हूं, यह प्रयोग सारे राजस्थान में करना चाहिए, हर कस्बे में 25-50 दुकानें बनानी चाहिए और दुकानें बनाकर दे दी जाएं ताकि मार्केट बने। लोकल मार्केट बन जायेगा तो यह जो शहर में मॉल सिस्टम चला है, उसको रोका जा सकेगा।

(श्री कैलाश भंसाली)

श्रम कानूनों में सुधार करके, मुझे याद है, एल्कोबेक्स, आज वहां 3,600 दिन से वामपंथियों की एक मजदूर बैठी है। उनको बहुत समझा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया, आपके आरोप में कोई दम नहीं है और परिणति यह हुई कि जो एल्कोबेक्स भारत में नान-फाइनेंस की सबसे बड़ी कम्पनी थी उसका एक्सपोर्ट 150 करोड़ रुपये का, वह बंद हो गयी। उसका कारण था, यह मजदूर यूनियन। परन्तु आज हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने और नरेन्द्र मोदी जी ने श्रम कानूनों में इतना सुधार किया है कि अब कोई कारखाना बंद नहीं होगा और जहां कारखाना बंद होगा, वहां का विकास रुक जायेगा। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में विकास के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। मैं वहां से आता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, रिफाइनरी लग जायेगी जो हमको उम्मीद है कि इस बजट में इसकी घोषणा हो जायेगी, कितने समय में लग जायेगी। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान का औद्योगिक विकास हो जायेगा और बाई-प्रोडक्ट्स के इतने कारखाने लग जायेंगे कि हर आदमी को काम मिल जायेगा, काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे और हुनरमंद लोगों को, मिस्त्रियों को, खलासियों को खूब काम मिलेगा।

रोजगार के सुनहरे अवसर हमारी मुख्य मंत्रीजी दे रही हैं और प्रधान मंत्रीजी दे रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर छोटे-छोटे उद्योग करके, हाथ से काम करके, अपने हुनर से, चाहे सिलाई का हो, कसीदे का हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक महिला ने मुझे बताया कि दीपावली पर मैंने इतने तरह के अच्छे-अच्छे दीये बनाये कि उसकी अच्छी मार्केटिंग हुई। जो मैं एक रुपये के दस दीये बेचती थी, अभी दस रुपये का एक दीया बेचा है। उसमें माल कुछ लगता नहीं है। रंग-रोगन सब पहले से लाते हैं, वह ही लगाकर सुन्दर दीये बना देते हैं। लोग घरों में दीपावली को दीये लगाते हैं और बारह महीने उसको लगाकर रखते हैं। उसमें बल्ब लगाकर ऐसा रोशनी का सिस्टम कर दिया गया है। तो मैं कहता हूं कि इस तरह के रोजगारों को आगे बढ़ाया है।

अभी हमारे माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने जो बात कही थी, मैं भी यह बात कहता हूं कि छह माह का आप गायों के लिए जो अनुदान देते हैं उसको 9 महीने करना ही चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग है और माननीय गुलाबजी से मेरा निवेदन है कि इस बजट में अवश्य इस बात को लें कि 90 दिन का अनुदान मिले, क्योंकि गायों की हालत बहुत खराब है और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर और जालौर में गायों की बहुत खस्ता हालत है।

(श्री कैलाश भंसाली)

तो अनुदान बढ़ाया जाए। (व्यवधान) कोई बात नहीं। गुलाबजी सुन रहे हैं। वे पहले सुनते हैं। उनको मालूम है।

'स्वच्छ भारत', हमारी जन लेखा समिति डूंगरपुर गयी थी, डूंगरपुर के एक रसाला गांव में हम गये। वहां पर 90 प्रतिशत शौचालय हर घर में बन गये। वहां की महिला सरपंच कालू बाई ने कहा कि वसुन्धराजी ने जिस दिन इसको शुरू किया, और अर्जुन लालजी मेघवाल उस कांस्टिट्यूएंसी को देखते हैं प्रभारी मंत्री के नाते, उन्होंने कहा, एक भी घर, अभी 90 परसेंट हैं पर आने वाले तीन महीने में हंड्रेड परसेंट घरों में शौचालय बन जायेंगे और महिलाओं को शौच करने का निश्चित रूप से स्थान मिल जायेगा।

जल संग्रहण का जो आन्दोलन किया है, लोग कहते हैं कि आप डरा-धमकाकर लोगों से पैसे ले रहे हैं, मैं कहता हूं, स्वेच्छा से दे रहे हैं। विधायकों ने एक-एक माह का वेतन दिया है। सब दे रहे हैं। मेरी एक यूनियन है जिसके सब लोगों ने आकर, अभी वसुन्धराजी जब जोधपुर आयी थीं, तो चैक दिया था, एडवांस चैक एक माह का और हर माह देंगे जब तक हमारे यहां पर गांव-गांव में टांके नहीं बन जायेंगे। टांके के लिए पैसा देंगे। जल संग्रहण है, जोधपुर में जो बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही हैं, जोधपुर में माल बन रहे हैं बड़े-बड़े, हास्पिटल्स हैं, स्कूलें हैं, कालेजेज हैं, उनके पानी को संग्रहित किया जायेगा तो आत्म-निर्भर होंगे। पुराने जलाशयों को ठीक करके आगे बढ़ाने का काम भी वसुन्धराजी ने आगे लिया है। इसके लिए मैं कहता हूं, यह काम बहुत ही अच्छा है और इस काम को जितनी तवज्जोह दी जायेगी, अच्छा है। मैं चेन्नई गया था, उन्होंने कहा, यह जल संग्रहण के कारण चेन्नई में बहुत है। सुनामी आयी, उसकी कोई बात नहीं परन्तु लोगों के घर में उससे पानी आता रहा, पीने का पानी मिलता रहा। आम आदमी को पीने के पानी की कोई परेशानी नहीं हुई। तो यह काम राजस्थान में हो रहा है, बहुत-बहुत स्वागत योग्य है।

(17.00 बजे)

राजस्थान का डेयरी में भारत में चौथा स्थान आ गया है। दुग्ध उत्पादन में आज डेनमार्क का उदाहरण दिया जाता है, जहां दूध की बहुतायत हैं। हमारा इतिहास है कि भारत में दूध, दही की नदियां बहती थी। वैसा फिर समय आ रहा है। राजस्थान में यह शीघ्र आ जायेगा, ऐसा मैं समझता हूं। दूध खूब उपलब्ध होगा। कल मैं गया था बाजार से घी लेने तो पतांजलि का साढ़े

(श्री कैलाश भंसाली)

500 रुपये का एक लीटर देशी घी मिल रहा है। खूब अच्छा बिक रहा है और कह रहे हैं कि जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है। आम आदमी देशी गाय का देशी घी खाना पसंद करता है।

सभापति महोदय, मनरेगा के बारे में कांग्रेस कहती है कि हमारी इस योजना को आपने छीन लिया, मैं कहता हूं कि छीना नहीं है, उसमें सुधार किया है। आपने पैसे लुटाये हैं। यहां विधान सभा में कितनी डायरियां आई थीं। फर्जी 200-200 रुपयों की मजदूरी दी थी आपने लोगों को। एक बड़ा उद्योगपति मुम्बई में है, उसको भी आपने मनरेगा में 200 रुपये की तनख्वाह दे दी। इस तरह का हम नहीं करेंगे। हम जल संग्रहण के लिए पुराने टांकों को बनायेंगे और पुरानी बावड़ियां हैं, उनको ठीक करने में लगायेंगे।

अक्षय ऊर्जा में भी हमें 11वां स्थान मिला है। यह हमारे लिए बहुत स्वागत योग्य बात है। हम यह चाहते हैं कि हर घर में दीपक जले। कुछ लोगों ने कल कहा कि हमारे गांव में आधे लोगों के पास एलईडी लाइट लगी है, एक दीपक है घर में, या एक लट्टू लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आने वाले 3 वर्षों में 2018 तक, नरेन्द्र मोदीजी ने कहा कि हर घर में बिजली होगी, हर घर में खुशहाली होगी और बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाई के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा आग्रह किया है। हर बच्चा पढ़ना चाहिए।

गेहूं उत्पादन में भी हम श्रेष्ठ रहे हैं। हमारा गेहूं खाने में भी बहुत लाजवाब है। जो सफेद किणके आती है, उसकी रोटी जितनी स्वाद बनती है, वैसी रोटी अन्य धान से नहीं बनती है। वैसे मारवाड़ में बाजरा ज्यादा खाते हैं। बाजरे का खूब अच्छा उत्पादन हो रहा है। लोग खूब अच्छी तरह से बाजरा, कढ़ी के साथ सोगरा खाते हैं। मेरे पड़ोसी बता रहे हैं कि बाबा रामदेव का ढाबा भी इसीलिए चलता है कि देशी घी के साथ में सोगरा या मोटी रोटी और दाल, 57 रुपये में शुद्ध शहद जो एक सौ कुछ में डाबर का मिलता था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर की 2-4 बातें कह दो। अपने लिए जोधपुर महत्वपूर्ण है। वह बता दो।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं बता रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कह दो। कह दो।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): रिफाइनरी मैंने बता दी।

मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जोगारामजी को जोधपुर की बात के लिए। मैंने जब जोधपुर की बात यहां कही थी दूसरे सत्र में कि हमारे यहां सड़कें टूटी-फूटी हैं, गटर लाइनों का पानी बहता है, आज जोधपुर में सब सड़कें बन गयी हैं; सीमेंट की सड़कें बन गयी हैं, या डामर की सड़कें बन गयी हैं। सारा शहर स्वच्छ हो गया है। उसके लिए मैं वसुंधराजी को इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना। हालांकि मुझे परनामी जी ने बहुत कहा कि आपको सदन में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा कि ऐसा है, जो पीड़ा है जोधपुर की, वह मैंने भी कही, सूर्यकान्ताजी ने भी कही, जोगाराम जी ने भी कही, बाबूसिंहजी ने भी कही। उसको उन्होंने बड़ी गम्भीरता से लिया और सारे जोधपुर की सड़कों और गटर लाइन का काम कर दिया।

फ्रांस की कम्पनी के साथ में पुरानी पानी की लाइनें बदलने का 600 करोड़ रुपये के बजट से काम शुरू होने वाला है। अगले 6 महीने में वह काम काफी द्रुत गति से और 2 साल में पूरा हो जायेगा। इससे जोधपुर को स्वच्छ पानी मिलेगा। उसके लिए वसुंधराजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

विकास में राजस्थान का कोई सानी नहीं है। एकदम बीमार राज्य घोषित हो गया था अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में। आज विकास में आगे बढ़ रहा है और हम सारे भारत में चौथे पायदान पर आ गये हैं। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं मुख्य मंत्रीजी को कि वे और आगे बढ़ें और राजस्थान को पहले नंबर पर लायें। हम सब खुशहाली के साथ आगे बढ़ें।

सड़कों का जाल, नितिन गड़करीजी 3 महीने पहले जोधपुर आये थे, उन्होंने 6 बड़े राजमार्गों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। मैं कहता हूं कि जोधपुर में कोई लिंक ऐसा नहीं रहा जहां से सीधी, बड़ी और फोर लाइन की सड़क नहीं बनी। विशेषकर पाली की रोड, जिस पर जाते हैं, सीधा जोधपुर से उदयपुर पहुंचना, साढ़े 3 घंटे का रास्ता हो गया है, जो पहले 5-6 घंटे लगते थे। उसके लिए भी उनको धन्यवाद।

प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में 1,618 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। मैं कहता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रोविजन है। भारत सरकार हर तरह से इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

गौरव पथ, गांवों को जोड़ा है। मैं अभी बहुत सारे गांवों में गया हूं,

(श्री कैलाश भंसाली)

उदयपुर के, अलवर के, झुन्झुनूं के, सब जगह बहुत अच्छे गौरव पथ बन गये हैं।

मैंने आपका नोटिस देख लिया है। सिर्फ 3 मिनट और बोलूंगा। मदनजी ने दिया है। उन्होंने सुबह कहा था कि आपको बोलना है, तो मैंने कहा कि बोलूंगा निश्चित रूप से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात अब समाप्त करें आप।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं कर रहा हूं।

श्री सभापति: कई माननीय सदस्यों का बोलना बाकी है।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): एक मिनट। मेरी 3 खास मांगें हैं। नम्बर वन, रिफाइनरी की बात मैंने पहले कह दी। राज्य के हित में उसको अवश्य प्रारम्भ किया जाये और इस बजट में घोषणा की जाये। दूसरी बात, सीमांत क्षेत्र में चौकियों को पक्का बनाया जाये। मैंने मेरे विधायक कोटे से 10-10 हजार रुपये दिये हैं एक-एक चौकी को पक्का बनाने के लिए। मैं सभी विधायकों से कहूंगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, राजस्थान की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसमें जोगाराम जी ने भी दिये हैं।

दो ऐसे तीर्थ हैं जैनियों के, एक कालू है, जहां पर काली माँ का मंदिर है। वहां पानी बिलकुल नहीं है। किरणजी नहीं हैं, मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि वहां पर पानी दिया जाये। वहां पर 7-7 दिनों में 10 लीटर पानी आता है। पीने के लिए भी पानी नहीं है। उसी तरह से, महावीरजी का जैन मंदिर, वह इतना बड़ा मंदिर है, वहां भी पानी के लिए लोग तड़पते हैं। मैं अभी गया था जन लेखा समिति के साथ तो उन्होंने कहा कि हमारा पानी का काम करें, विधान सभा में हमारी इस बात को कहें। महावीर प्रसादजी वहां के जनरल मैनेजर हैं ट्रस्ट के, सरपंच हैं वहां के, उन्होंने सबने मुझे यह कहा है कि इस बात को रखें।

मैं उस बात को रखते हुए, मैं एक बार पुन: सभापतिजी को तथा राज्यपालजी के अभिभाषण पर जो मोहन लालजी गुप्ता और प्रहलाद गुंजलजी ने प्रस्ताव रखा है, उसका भरपूर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज

(श्री कैलाश चौधरी)

महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण पर बोलने की जो इजाजत दी है, इसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

जैसा कि राज्यपालजी के अभिभाषण पर पिछले 2-3 दिनों से जो बात चल रही है, सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात कही है। मैंने पिछले लगभग 10-15 साल के जो अभिभाषण हैं, उनको पढ़ा, लेकिन जो कांग्रेस के शासन के समय के अभिभाषण थे और जो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरों सिंहजी के समय के अभिभाषण और हमारी पूर्व की जो सरकार थी, उस समय के अभिभाषण और वर्तमान के 2 वर्ष के अभिभाषण मैंने पढ़े, उनमें मुझे रात-दिन का अंतर लगा।

इस अभिभाषण के अन्दर जो सरकार का विजन है, वह वास्तव में सोच है कि सरकार क्या चाहती है और सरकार राजस्थान का किस तरह से विकास करना चाहती है। इसी के तहत हमारी मुख्य मंत्रीजी के पिछले 2 साल का जो कार्यकाल देख रहे हैं, उसके अन्दर जिस तरह से हर क्षेत्र के अन्दर जो विकास को आगे बढ़ाया है, पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया। जो हमें विरासत के अन्दर जिस तरह से घाटा राजस्थान सरकार को बता रखा था और उसको ऊपर उठाने का काम हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने जिस तरह से किया है, उसकी मैं निश्चित रूप से भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहूंगा।

इसके अन्दर मैं शिक्षा के बारे में अगर बात करूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक इतिहास रचा गया। पूर्व में कभी यह गांव के अन्दर, ये विधायक यहां बैठे हैं, जब जाते थे तो एक सीनियर हायर सेकण्डरी या सेकण्डरी के लिए बहुत मंत्रीजी के पास आते, तो उनके जूते घिस जाया करते थे लेकिन कोई सेकण्डरी या हायर सेकण्डरी स्कूल उनको नहीं मिलती थी। लेकिन हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार जब मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने कहा कि दूरदराज जो हमारी बहनें बैठी हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो उन्होंने एक ही आदेश के अन्दर प्रत्येक पंचायत के अन्दर सेकण्डरी स्कूल खोलने का काम किया। उसके बाद में इस बार जब आये तो उसी तरह चिंता करते हुए पूरे प्रदेश, कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उन्होंने पूरे प्रदेश में, भारत आजाद होने के बाद राजस्थान में मात्र 3,500 हायर सेकण्डरी स्कूलें थीं, लेकिन इस एक वित्तीय वर्ष में 5,200 हायर सेकण्डरी स्कूलें खोलकर एक इतिहास रचा, जो कि भूतो न भविष्यति।

(श्री कैलाश चौधरी)

उसके बाद में सात मेडिकल कालेज हमारे राजस्थान के अन्दर खोले गये। चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर भी जिस तरह से डाक्टरों की पहले कमी थी, या ए एन एम की हास्पिटलों में जहां जिस तरह से कमी थी, हमारे मंत्री महोदयजी के द्वारा प्रयास करके पूरे राजस्थान में भर्तियां करके और डाक्टरों को लगाया गया और ए एन एम की भर्ती करके उनकी पूर्ति की गई।

इसी के साथ में जिस तरह से 'नया सवेरा' के नाम से एक योजना प्रारम्भ की, जिसके अन्दर, 'नया सवेरा' के अन्दर जो ऐसे कोई बंधानी थे, जो वास्तव में नहीं छोड़ पा रहे थे नशे को, उनको हास्पिटल के अन्दर ले जाकर उनका नशा छुड़वाने का काम हमारी सरकार ने किया।

सड़कों के क्षेत्र में तो जिस तरह से जाल बिछाया गया पूरे राजस्थान में और मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से हमारे हर गांव को गौरव पथ से, इस वर्ष जिस तरह से कुछ गांवों में तय करके गौरव पथ बनाये गये, आने वाले तीन साल के अन्दर प्रत्येक गांव के अन्दर गौरव पथ होगा। निश्चित रूप से गांवों के अन्दर एक ऐसा माहौल उनको लगेगा, गांव के व्यक्ति को लगने लगा कि वास्तव में सरकार है जो हमारे हित की सोचकर चिंता करती है।

हमारे गृह मंत्रीजी, जो पूर्व में पंचायती राज मंत्री भी थे, उन्होंने हमारे लिए जो पंचायतों का पुनर्गठन किया, बाड़मेर जिले के लिए तो मैं विशेषकर कहूंगा कि एक सौगात बाड़मेर जिले के अन्दर एक ही बार में, पहले पूर्व में हमारे बाड़मेर के अन्दर जहां आठ पंचायत समितियां थीं उनको बढ़ाकर सत्रह पंचायत समितियां हो गई हैं। एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को।

कांग्रेस के लोग हमेशा कहते हैं कि हमने यह विकास करवाया, वह विकास करवाया। किसानों की चिंता करने वाले कैसे-कैसे किसान हितैषी थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसान की आपने चिंता की होती, किसान का हित सोचा होता, तो किसान को आज इस तरह से मजबूर नहीं होना पड़ता, आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। आज 70 साल भारत को आजाद हुए हो गए, उन 70 सालों में 60 साल शासन आपने किया, लेकिन कभी किसान की चिंता नहीं की। किसान की जब भी कोई आपदा आती थी, या कभी अकाल पड़ जाता था, तो उसको यह चिंता रहती थी कि मैं कैसे अपना जीवनयापन करूंगा। जब एक बाइक का इन्श्योरेंस हो सकता है, एक व्यक्ति का इन्श्योरेंस हो सकता है,

(श्री कैलाश चौधरी)

तो किसान जो धरती पुत्र है, अन्न दाता है, उसका इन्श्योरेंस क्यों नहीं? पहली बार हमारे प्रधान मंत्रीजी, अटल बिहारी वाजपेयीजी ने किसान के लिए फसल बीमा नीति लागू की।

उसके बाद में दस साल इनके निकल गये, दस साल में इन्होंने संशोधन करने का भी प्रयास नहीं किया। दस साल में हर किसान कहता रहा कि हमारे फसल बीमा में कुछ संशोधन किया जाए लेकिन इन्होंने संशोधन भी नहीं किया।

मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधान मंत्रीजी को कि उन्होंने इस बार नई फसल बीमा नीति लागू की। उसमें अब किसान को गांव के अन्दर, पहले जिस तरह से पंचायत समिति को इकाई मान रखा था, अब गांव को इकाई माना गया, रेवेन्यू विलेज को इकाई माना गया और रेवेन्यू विलेज ही नहीं, अगर किसी एक खेत का नुकसान हो जाता है तो उसको भी हमने मुआवजा देने का तय किया।

उसके बाद में पहले जिस तरह से कई फसलों के अन्दर 14 प्रतिशत प्रीमियम, किसी में 13 प्रतिशत प्रीमियम देना पड़ता था, किसी में 24 प्रतिशत तक का प्रीमियम देना पड़ता था; अब किसान को मात्र रबी की फसल पर 2 प्रतिशत और खरीफ की फसल पर डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। इतना बहुत अच्छा, किस तरह से किसान के हित की बात की गई। प्रीमियम को कम किया। बाकी का प्रीमियम जो होगा, वह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार वहन करेंगी और अब किसान के ऊपर भार नहीं है।

इसी के साथ में, किसान को जिस तरह से 50 प्रतिशत खराबे के ऊपर मिलता था, अब उसको 33 प्रतिशत खराबे पर मुआवजा मिलेगा। पहले खेत के अन्दर फसल पड़ी रहती थी और बरसात हो जाती, ओलावृष्टि हो जाती, तो उसको मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर किसान के खेत में 14 दिन तक, फसल पड़ी है, तो उसको भी मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया।

पहले किसान के जब कोई आपदा आती, या जब बरसात होती, तो उसको चिंता होती कि मैं कैसे फसल बोऊंगा, किस तरह से करूंगा। उसके पास में ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं होती थी। तो वह किसी सेठ-साहूकार की ओर देखता था। लेकिन हमारे प्रधान मंत्रीजी ने पहली बार किसान के दर्द को समझा और किसान क्रेडिट कार्ड देकर किसान के हित का काम किया।

(श्री कैलाश चौधरी)

यह किसान हित की सरकार है जिसको किसानों की चिंता है। इनके पास में, आज मैं सुबह से बहस सुन रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने किसान के हित की योजना बनाई होती तो आज आपको इतनी सीमित संख्या में आकर, 21 की संख्या पर आकर नहीं रुकना पड़ता। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसानों के हित की बात जब ये कहते हैं कि हमने कोई उपलब्धि नहीं की, मनरेगा हमने प्रारम्भ की; आपने ऐसा कौनसा तीर मार लिया? कौनसा तीर मार लिया? गरीब को गरीब रखने का काम किया।

उसके बाद में जब हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी बने तो उन्होंने कहा कि ये मनरेगा बंद कर देंगे, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोदीजी ने कहा, नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा, मैं इसमें और सुधार करूंगा। हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे यहां बैठे श्रम मंत्रीजी को और प्रधान मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने किसान के लिए, जो मनरेगा पर जाता है, उसको लाभ देने का काम प्रारम्भ किया है। मनरेगा पर जो आदमी काम पर जाता है, जिसने 60 दिन पूरे कर लिये, 90 दिन पूरे कर लिये हों, अगर उसने 90 दिन पूरे कर लिये हैं और अपने ग्राम सेवक के पास में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसके अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ते हैं आठवीं तक, तो उसको 6 हजार रुपये देने का काम हमने प्रारम्भ किया। अगर उसका लड़का या लड़की बी ए करते हैं तो उसको 12 हजार रुपये हमारी सरकार ने प्रारम्भ किया। अगर उसका लड़का या लड़की डिग्री करते हैं, कोई भी, तो उसको 24 हजार रुपये देने का काम हमारी सरकार ने प्रारम्भ किया। उसके बाद में उसकी लड़की शादी योग्य हो जाती है और 18 साल पूरे हो जाते हैं, तो दो लड़कियों पर 55 हजार रुपये देने का काम हमारी सरकार ने प्रारम्भ किया। उसके बाद में दुर्योग से अगर कभी एक्सिडेंट हो जाता है तो उसके पेरेलेसिस होने पर उसको 6 लाख और 25 हजार रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया और एक्सिडेंट में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 9 लाख और 75 हजार रुपये हमारी सरकार ने देने का काम किया। फिर भी कहते हैं, हमने यह किया। आप लोगों ने किया क्या?

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने सिर्फ, और सिर्फ, किसान और

(श्री कैलाश चौधरी)

मजदूर को गुमराह करके इतने सालों तक शासन किया। इन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। इनके पास में सिर्फ कभी मुद्दा होता है, मुद्दे पर कहते हैं, हमने यह किया, वह किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया, इन्होंने देश के लिए क्या किया यह सोचने का विषय है।

आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कल वहां सामने बैठे बोल रहे थे, हमारे नेता शहीद हो गये, हमारे उन्होंने यह कर दिया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज देश के अन्दर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उन देश के हालात को समझने की आवश्यकता है। पूरे आज सदन के अन्दर बैठे हैं, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में, हिन्दुस्तान में जिस तरह से राजनीति के अन्दर वातावरण बना हुआ है, जे एन यू यूनिवर्सिटी के अन्दर, ये हालात किसने पैदा किये? आज कहते हैं, हमने यह किया, वे किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर शहीद की बात करते हैं तो शहीद वह होते हैं, सीमा पर जिन्होंने युद्ध लड़ा हो। जो सीमा पर शहीद होते हैं वे देशभक्त होते हैं। लेकिन यहां पर जैसे हुआ, अपने शहीद होने की बात करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नक्सलवाद पैदा हुआ, इस नक्सलवाद की जड़ कौन है? जिस तरह से भिंडरानवाले की बात है, भिंडरानवाले को पनपाया किसने? उसके बाद में आपके लिट्टे को पनपाया किसने? फिर कहा कि हमारे ऊपर हो गया। अगर हो गया, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे।

आज यह बात कहूं, उसका नाम था, किसी ने पूछा कि नाम क्या है; जियाराम, जिया। काम क्या करते हो, बिलों में हाथ डालने का काम करता हूं; कहा कि थोड़े दिन ही जिओगे।

अगर इस तरह से आप आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का साथ दोगे तो थोड़े दिन ही जीने का काम करोगे। इस राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। आपसे यह कहना चाह रहा हूं, भारत माता के ऐसे लाल जो देश के लिए... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): यह क्या हो रहा है? जो मर्जी हो, वही बोलता रहेगा, कोई भी माननीय सदस्य। यह क्या तरीका है?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आप जैसा बोलोगे, जवाब वैसा ही मिलेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देश की सीमा पर भारत मां के लाल शहीद होते हैं, हमने भारत माता को ऐसे ही आजाद नहीं कराया, भारत माता के लिए लाखों-लाखों देशभक्तों ने शहादत दी, तब भारत आजाद हुआ है। भारत के ऊपर लाखों-लाखों देशभक्तों ने बलिदान दिया। आज भी देश की सीमा पर भारत माता के लाल शहीद होते हैं, तब हम अन्दर बैठकर आराम से संसद व विधान सभा में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। आप और हमारी वजह से नहीं, आज जो सीमा के ऊपर जवान बैठे हैं वे रात को सोते नहीं हैं, उनकी वजह से हम यहां पर बैठकर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं।

कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। आज जिस तरह से उस बहन की चिन्ता है, उस समय आपने चिन्ता नहीं की। जे एन यू के अन्दर आपके युवराजजी पहुंच जाते हैं और उस समय उन्होंने यह चिन्ता नहीं की कि उस बहन के भाई ने वहां पर शहादत दी, बलिदान दिया, उस बहन की आंखों के आंसुओं का क्या होगा? उस बहन की, मां के आंखों के आंसुओं का क्या होगा? जिस संसद पर हमला हुआ, वहां पर उसकी वीरांगना, देशभक्त जो शहीद हुए, उनकी वीरांगनाओं की आंखों के आंसुओं की चिन्ता आपने नहीं की और वहां चले गये। मैं कई बार जाता हूं, ऐसे देशभक्त जो सीमा पर शहीद हो जाते हैं उनके वहां पर मैं जाता हूं। एक-दो बहनों को ऐसे भी देखा जिनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वे वंदेमातरम और भारत माता की जय बोल रही थीं। आप लोग वहां चले गये। उस बहन की चिन्ता भी आपको करनी चाहिए थी, लेकिन आपने चिन्ता नहीं की। (व्यवधान) आप बैठो, सुनो। आपको जो कहना था, वह बहुत कह दिया। आप जैसे देशद्रोहियों का साथ देने वालों को बोलने का अधिकार नहीं है। देशद्रोही हैं, देशद्रोही का साथ देने वाले लोगों को यहां पर बोलने का अधिकार नहीं है। भारत माता के लिए जीते हैं, भारत माता के लिए मरते हैं; मां भारती के लिए जिये और जिएंगे; तेरा वैभव अमर रहे, मां, दिन चार रहें, या न रहें। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): कंधार में आतंकवादी छोड़ने कौन गया था? किसकी सरकार गयी थी? कंधार में आतंकवादी छोड़ने किसकी सरकार गयी थी? आज वे आतंकवादी पनप रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह महामहिम का भाषण है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का दायरा बहुत व्यापक है। ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कुछ तो गरिमाएं रखो।

श्री सभापति: आरोप तो लगा नहीं रहे, देशभक्ति की बात कर रहे हैं।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): इन्होंने जो कहा, वह भारत माता की जय कही, शहीद की प्रशंसा की। शहीद की प्रशंसा करना कोई गलत नहीं है। भारत माता की जय बोलना कोई गलत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई ऐसी बात नहीं कही है। (व्यवधान) देशभक्ति की सलाह दे रहे हैं। दिक्कत कहां है? आपको तारीफ करनी चाहिए उसकी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): भारत माता की जय, वंदेमातरम बोलेंगे। इस भारत मां के लाल हैं, मां के लिए जिएंगे और मरेंगे। भारत माता की जय, वंदेमातरम बोलेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): सदन नियम और परम्पराओं से चलता है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): जब-जब भी भारत मां की जय की ललकार गूंजती है, आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? समझ नहीं आता। जब भी कोई आतंकवादियों के विरोध में बोलता है, तो आपको तकलीफ क्यों होती है? जब भी कोई देशद्रोहियों के विरोध में बोलता है, आपको तकलीफ क्यों होती है? जब भी इस सदन में भारत माता की बात की जाती है, आप लोगों को तकलीफ होती है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आतंकवादियों का साथ देने वाला... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में आपकी पार्टी...(व्यवधान) जो सरकार में है, इन्होंने भारत विरोधी आतंकवादियों को छोड़ा था। उनके साथ में आप सरकार बनाकर बैठे हैं। पी डी पी पार्टी के साथ आप सरकार में बैठे हैं और वहां के मुख्य मंत्री आतंकवादियों को छोड़ते हैं। पाकिस्तान जिन्दाबाद कहने वाले आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जाता है। उस पार्टी के साथ आप सरकार में हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): हम तो भारत माता की जय बोलेंगे, वंदेमातरम बोलेंगे, आप में दम हो, तो....। भारत माता की जय, वंदेमातरम कहने में शर्माने वाले लोग हमारे से बात करेंगे! (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपका नम्बर आये, तब बोल देना। आपका नम्बर आये, तब बात करना। (व्यवधान) आपका नम्बर आये, तब बोलना आप। अभी इनको सुन लीजिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): पुकारती, पुकारती, मां भारती...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपका नम्बर आये, तब बात करना।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों की मुखबिरी करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया हो तो बताइये। आपका एक भी शहीद हुआ हो तो बताइये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपका नम्बर आये, तब बोल देना। ये बोल रहे हैं अभी। (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मुद्दाविहीन हो चुके हों। अब आपके पास सिर्फ एक मुद्दा रह गया है, कैलाश, कैलाश करते रहो। भारत मां के लिए जिएंगे और मरेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दिखावा मत करो।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): हमने बचपन में सीखा है, पुकारती, पुकारती, मां भारती; खून से तिलक करो और गोलियों से आरती।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): गोलियां खायी नहीं हैं। गोलियां खाओ, तब बताना।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मां भारती के लिए चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े। आप लोगों ने इस देश को बहुत गुमराह किया। आज किसान के नाम पर आपने राजनीति की, गरीब के नाम पर राजनीति की। गरीब को गुमराह करने का काम किया। विकास करवाया हो तो एक गिनती तो बताओ। इतने सारे काम बताये; जितने सदस्य हैं, सबने काम बताये, अब कोई काम है क्या? स्कूलें क्रमोन्नत हो गयीं, एक साथ 5,200 स्कूलें क्रमोन्नत कीं। अध्यापक नहीं आये; क्रमोन्नत हुई हैं तो अध्यापक भी आएंगे। आपने एकाध क्रमोन्नत कर दी होती। करने को कुछ नहीं। यहां पर सिर्फ आकर विरोध करना, व्यवधान डालना, यही काम बचा है आपके पास में। लेकिन अब पूरा देश

(श्री कैलाश चौधरी)

जान चुका है, आपकी असलियत को पहचान चुका है। देश पूरा जान चुका है कि आप देशद्रोहियों का साथ देने वाले हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अपनी औकात दिखायी। देश जानेगा और राजस्थान जानेगा, तभी तो आपको जगह-जगह औकात दिखा रहे हैं। एम पी के अन्दर औकात दिखायी, राजस्थान के अन्दर आपकी औकात दिखायी, दिल्ली के अन्दर आपकी औकात दिखायी। आपकी औकात क्या है, देश जान चुका है। आपकी हकीकत क्या है, आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है, पूरा देश जानता है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आज पूरा देश जान चुका है कि आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप अपनी औकात को खुलवाना चाहते हों, वह आपको बता दी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आप अपने पापों को धोओ। (व्यवधान) कहते हो, इंदिराजी शहीद हो गयीं, राजीवजी शहीद हो गये, कहां से शहीद हो गये?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, आपस में विवाद न करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो विकास हो रहा है, वह आपको जनता ने दिखा दिया, 6 महीने के अन्दर। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको जो कुछ कहना है, आसन को इंगित करके कहो। आप सीधी बात मत करो। आपको जो कुछ कहना है, आसन को कहो आप।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, जो मेरे दिल की पीड़ा थी, यहां पर बैठे सारे और देश में, हिन्दुस्तान में, जो दर्द है, उस दर्द की अभिव्यक्ति मैंने की। इनके युवराजजी वहां जाकर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राष्ट्रद्रोहियों को स्वतंत्रता है तो एक देशभक्त को भी स्वतंत्रता है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप हमको रोकते हैं, आप इनको क्यों नहीं रोकते? (व्यवधान)

श्री सभापति: जो कुछ कहें, आसन को कहें। आपके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठायी है। (व्यवधान) आप पर कोई अंगुली नहीं उठायी है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप बताओ ना, आतंकवादियों को छोड़ने कौन गये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): भारत माता को मुर्दाबाद कहने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी है! भारत माता के टुकड़े करने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी है!

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पी डी पी से समर्थन क्यों नहीं लेते? (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,... (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपका विदेश मंत्री खुद हाथ जोड़ रहा है; आतंकवादियों को लेकर जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई आरोप नहीं है आप पर। (व्यवधान)

आप बैठें। आप बैठें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप हाउस को आर्डर में लो न। हाउस आर्डर में आना चाहिए पहले तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसी कोई बात नहीं कहें जिससे सदन में उत्तेजना फैले। आप अपनी बात कहो न। (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उत्तेजना उनको फैलानी थी। मैंने गलत शब्द कोई कहा हो तो बताओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप उनको इंगित ही मत करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके पास बोलने के लिए और आदमी नहीं हैं। एक बार बोल लिये तो बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मैं भारत माता की बात करूंगा, देश भक्ति की बात करूंगा। यह गलत है? आप कह दो। मैंने गलत ऐसा बिलकुल कुछ भी नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप भारत माता की बात करें, देश भक्ति की बात करें, पर किसी की देश भक्ति पर आप कोई टिप्पणी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): भारत माता के मुर्दाबाद की अभिव्यक्ति,

(श्री कैलाश चौधरी)

ऐसा देश स्वीकार नहीं करेगा। भारत माता की जय। वन्दे मातरम्। जय हिन्द। जय भारत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह सुभाष चन्द्र बोस कहां से लाये हों? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

माननीय सदस्य, आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया है इन्होंने। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हों इनकी बातों को? आप इनकी बातों को अपने ऊपर क्यों ले रहे हों? (व्यवधान) आपके ऊपर तो इन्होंने कहा ही नहीं है और आप अपने ऊपर ले रहे हो जबरदस्ती।

श्री मेवारामजी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आदरणीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और उसमें नारा दिया है सबका-साथ सबका-विकास और राजस्थान का विकास, परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो मेरे साथी बोल रहे थे, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, पर यहां देशभक्ति की चर्चा चल रही थी। सभी अच्छे तरीके से उनका सपोर्ट भी कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी मेरे से पूर्व मेरे साथी, बायतू से आने वाले विधायक जोर-जोर से बोल रहे थे, देश भक्ति की बातें कर रहे थे, तो उनको यह पूछो कि कभी देशभक्ति के लिए आपके परिवार में भी कोई वहां बार्डर पर या सेना में भर्ती होकर कोई शहीद इनके परिवार में हुआ?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आपके परिवार से कौन गया, उसका नाम बताओ पहले। आपके परिवार से कौन गया वहां, उसका नाम बताओ। देश भक्ति की बात कहना चाह रहे हो...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): देशभक्ति की बात उसी को करनी चाहिए क्या? देशभक्ति की बात इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप जो बातें कर रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: आप तो अपनी बात कहो, माननीय सदस्य। आप अपनी बात कहो न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं अपनी बात कर रहा हूं। देश को आजाद कराने में इनका कोई योगदान रहा हो...

श्री सभापति: कोई देशभक्ति की बात कर ली तो गलत बात तो की नहीं। आप अपनी बात कहो। आप भी देश भक्ति की बात करो। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं, इन्होंने गलत बात क्या नहीं की? देश को आजाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, कोई आपकी पार्टी में किसी ने, एक ने भी कोई अंगुली कटाई हो तो बताओ। ये देशभक्त कहलवाते कैसे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने आपको देशभक्त कह रहे हैं, देश को आजाद किसने कराया? (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): .... हमारे भाई तो आज भी बार्डर पर बैठे हैं। आपका कोई हो तो बता दो। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह कांग्रेस की देन है, न कि मेरे सामने भाषण देने वालों की। (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपका एक आदमी भी हो तो बता दो। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): इतना धर्म करने के बाद जे एन यू में जाकर बराबर कर रहे हो क्या? (व्यवधान) राष्ट्रभक्ति को बराबर कर रहे हो क्या यूनिवर्सिटी में जाकर के?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ... आप राजनीति करो तो तरीके से करो। आप मर्यादित भाषा बोलो। (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आप सिखायेंगे मर्यादित? (व्यवधान) हमारे नरेन्द्र मोदीजी को मौत का सौदागर कहने वाले हमें सिखायेंगे? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मेवाराम जी, एक बात बताओ कि भारत माता की जय करना गुनाह है? (व्यवधान) देशभक्ति की बात करना गुनाह है क्या? कोई भारत माता की जय बोलता है तो वह आपको बुरा क्यों लगता है, यह समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): भारत माता की जय बोलने में मर्यादा नहीं है क्या?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): विधायक होकर मर्यादित भाषा बोलें.... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): हमारे प्रधान मंत्रीजी को मौत का सौदागर कहने वाले हमें शिक्षा देंगे? (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): और आप सारा सहयोग दे रहे हो, तालियां बजा रहे हो। इनको कहो कि आप देशभक्त बनो, देशभक्ति करके दिखाओ। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): भारत माता की जय बोलने पर, वन्दे मातरम् बोलने पर, ताली नहीं बजायेंगे तो क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अगर दम है तो वन्दे मातरम् बोलकर शुरू करो भाषण की। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): भारत माता की जय बोलकर बता दो एक बार। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): राष्ट्रभक्त होने के लिए ईमानदारी चाहिए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। खाली झूठे भाषण देने से कोई देश भक्त नहीं होगा। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा....

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, जब ऐसा नाम आया कि जो शहीद हो जाते हैं, उनकी वीरांगनायें रो-रो कर कहती हैं, आंखों में आंसू लिए और वे कहती हैं कि वन्दे मातरम्। उस बात पर हंगामा कर रहे हैं। उसके नाम से हंगामा हुआ है। शर्म आनी चाहिए, ऐसी महिलाओं के नाम से हंगामा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हम वन्दे मातरम् के कहां खिलाफ हैं? (व्यवधान)

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): वे महिलाएं रो-रो कर कहती हैं, वन्दे मातरम्। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): .... वन्दे मातरम् तो सभी कहते हैं। वन्दे मातरम् पर आपका ही अधिकार है क्या? (व्यवधान) वन्दे मातरम् तो हर बच्चा कहता है। आप क्या कह रहे हैं?

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): आज उसी नाम पर आप हंगामा कर रहे हैं। आज उसी बात से इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, वन्दे मातरम्। वह महिला रो-रोकर कहती है, वन्दे मातरम्। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वन्दे मातरम् तो जो भी पैदा होता है, हर

(श्री गिर्राज सिंह)

बच्चा कहता है। बच्चे से लेकर सब कहते हैं, इस देश में रहता है वह वन्दे मातरम् ही कहता है, पर आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप वन्दे मातरम् करो, आप देशभक्त बनो, इसमें आपको कौन रोक रहा है? (व्यवधान) आपको रोक कौन रहा है?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप सिखायेंगे, तब ही कहेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपको मना कौन कर रहा है? देशभक्त बनो, जो आपको करना है वह करो। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से.... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इनकी कौनसी बात से एतराज हुआ आपको? इनकी किस बात से आपको एतराज है, यह बता दो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं यह कहना चाहूंगा, इन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया.... (व्यवधान) ऐसी भाषा कोई विधायक, जो इस सदन में शपथ लेता है, वह यूज कर ही नहीं सकता, जिस भाषा का यूज किया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, हाउस आपके कंट्रोल में आना चाहिए। दो इधर खड़े हो जाते हैं, चार उधर खड़े हो जाते हैं और बोलने नहीं देते हैं। तो कायदा क्या हुआ फिर? आप बोल नहीं रहे हों। यह कोई तरीका थोड़े है। आप बोलो न, आराम से उनको बोलने दें न।

श्री सभापतिः आप विराजिये। उनको बोलने का मौका दे रहा हूं न, पूरा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): चार-चार खड़े हो जाते हैं। यह क्या तरीका है? हाउस कंट्रोल में ले लो, उसके बाद में बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापतिः अब विराजें। आप तो आसन को इंगित करके अपनी बात कहो। आप उनसे सीधा उलझते क्यों हों? (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं आपके सामने ही बात करूंगा।

सुराज संकल्प यात्रा लेकर पूरे राजस्थान के अन्दर लोगों के सामने वादे किये गये और प्रचार किया गया कि दवाइयों में जहर है, गेहूं सड़े हुए हैं,

(श्री मेवाराम जैन)

आवास के लिए ये मात्र 50 हजार रुपये दे रहे हैं, हमारी सरकार आई तो हम इतने दे देंगे। इस प्रकार के दुनिया भर के वादे किये और वादे करके यह राजस्थान की सरकार बनी और 163 विधायक चुनकर आये। बहुत अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप 163 आये, अच्छी बात है, पर जिस तरह से दो साल में यह विकास की आप बातें कर रहे हैं, उसमें वापस क्या स्थिति होगी, यह आने वाला समय बतायेगा। आप सारे जोश-खरोश के साथ मुख्य मंत्रीजी को प्रसन्न करने के लिए अभिभाषण में धन्यवाद देने की बात कर रहे हों और मन में आपके क्या है, यह आप सब जान रहे हों। हकीकत में क्या है, वह आप कहीं बोल नहीं रहे हों, और बाहर गांवों में क्या बोल रहे हो। कल हमारे चौहटन से आने वाले माननीय विधायक जोरदार प्रशंसा कर रहे थे, पर बाड़मेर में मीटिंग में बोल रहे थे कि अधिकारी हमारे फोन नहीं उठा रहा है, सुन नहीं रहा है और यहां पर किस तरह से प्रशंसा कर रहे थे, वह आपके सामने की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि जो ये वादे करके आये, आप इस घमण्ड में मत रहो।

मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सबको साथ लेने की बात कह रहे हैं, यह सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम चला, सब जगह डिविजनल मुख्यालयों पर गये, जिला मुख्यालयों पर भी गये और हमारे बाड़मेर जिले में भी मुख्य मंत्रीजी, सरकार रही। लोगों ने देखा कि तीन दिन यहां सरकार रहेगी तो यहां हमारे बाड़मेर के लोगों की, बाड़मेर की जनता को आशाएं हुईं कि यहां सबसे बड़ा जो कार्य है वह होगा। अभी कैलाशजी भी रिफाइनरी की बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से हमारे साथी जो बाड़मेर से आ रहे हैं, बाड़मेर में सात में से छह बी जे पी के एम एल ए हैं और एक एम पी बाड़मेर ने बी जे पी को दिया, जो रिफाइनरी हमारा हक है, बाड़मेर में जहां तेल के अथाह भण्डार हैं, गैस के भण्डार हैं, लिग्नाइट के भण्डार हैं और जब रिफाइनरी की घोषणा हो चुकी है पर आज दो साल से उसको लटकाया जा रहा है; कोस्ट ज्यादा है, भागीदारी कम है। तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अब....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेवारामजी, रिफाइनरी बाड़मेर में लगनी चाहिए, या पचपदरा में?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बाड़मेर जिले में कहीं भी लगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जहां भी लगाओ पर बाड़मेर जिले में लगे। उसका कोई

(श्री मेवाराम जैन)

एतराज नहीं है हमें। पर मैं कहना चाहूंगा कि रिफाइनरी में यह जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति को नहीं किया जाए। यह बाड़मेर नहीं, राजस्थान का सपना है रिफाइनरी और यह रिफाइनरी अगर नहीं लगी तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। यह आप सोच लें। आप इस ढंग से रिफाइनरी को बार-बार, कि आप पुनर्विचार कर रहे हैं। यहां आपकी सरकार, केन्द्र की आपकी सरकार। अब तो क्रूड आयल के भाव भी कम हो गये, कहां 140 डालर प्रति बैरल और कहां 30-35 डालर प्रति बैरल। अब तो उसकी कोस्ट भी कम आएगी। आपके स्टील, सीमेंट के भाव भी कम हो गये, लागत भी कम आएगी। तो आप भले ही दुबारा एम ओ यू करो, आप तो रिफाइनरी बाड़मेर में लगाओ। बाड़मेर का हक है और इसकी आप इस बजट में ही घोषणा कराओ।

(17.40 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

खाली झूठे आश्वासन से नहीं। बाड़मेर में भी पधारी थीं मुख्य मंत्री, वहां भी कहा कि बाड़मेर में लगेगी, पर लगाने की घोषणा करो, काम शुरू करवाओ। हम तो यह चाहते हैं।

दूसरा, भेदभाव की बात कर रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं बाड़मेर की योजनाओं की बात करना चाहता हूं कि बाड़मेर में ढाई-तीन साल पहले लिफ्ट कैनाल मोहनगढ़-बाड़मेर की योजना स्वीकृत हुई। बाड़मेर तक मीठा पानी आ गया। उसके बाद में दूसरी स्कीम बाड़मेर के गांवों के लिए पानी की, जहां एक-एक साल पानी नहीं आ रहा था, उस जगह की स्कीम सैंक्शन हुई। टेण्डर हो चुके, काम शुरू हो चुका, पाइप आधे से ज्यादा वहां पहुंच गये, दो साल हो गये, 90 परसेंट पाइप वहां अभी रोड पर ही पड़े हैं। उनको लगा नहीं पाये और जान-बूझकर उनको रोका गया। यह कोई भेदभाव नहीं है? यह क्या सबको साथ लेकर चलने वाली बात है?

इसके साथ-साथ 700 करोड़ रुपये की योजना थी, ढाई साल पहले स्वीकृत हो चुकी, टेण्डर लग गये पर उसको बार-बार टेण्डर लगाकर माननीय उच्च न्यायालय में उसको लटका रखा है। यह जान-बूझकर उस योजना को रोक रखा है। इसमें जैसलमेर-बाड़मेर और शिव के कितने गांव हैं जिनको लाभ होना था, पर उसको रोके रखा। आज गुढामालानी में नर्मदा योजना की दो योजनाएं थीं, उन दोनों योजनाओं को निरस्त कर दिया।

(श्री मेवाराम जैन)

तो यह राजनैतिक भेदभाव और बदले की भावना नहीं है, तो क्या है? माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि पानी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कांग्रेस-बी जे पी नहीं होना चाहिए। आपको इन योजनाओं के बारे में, जो बिलकुल ठप पड़ी हैं, आप इनको इस बजट में बजट भी दो और इनका काम कराकर इनको जल्दी पूरा कराओ।

बाड़मेर लिफ्ट के बाद, अभी चर्चा हो रही थी जल स्वावलम्बन योजना की। चाहे आपके पंचायती राज की बात करें, पुनर्गठन हुआ, बहुत अच्छी बात है। पांच विभाग पंचायती राज को दिये थे। आप सबसे पूछना चाहूंगा कि पंचायती राज के इन पांच विभागों को कैसा पंगु कर दिया। उनके पास क्या है? प्रधान और प्रमुख के पास पावर नाम की कोई चीज नहीं है। कोई एक ग्राम सेवक एक नाम का भी कोई चेंज कर सकता है, या कोई ए एन एम को भी चेंज करने का पावर दिया है? सारा पावर यहां उनसे छीनकर पंचायती राज को बिलकुल पंगु कर दिया है। पांचों विभाग वापस सरकार ने पंचायती राज से ले लिये।

आज भले ही शिक्षा की बात करें। उसमें प्राइमरी शिक्षा भी थी। पंचायती राज से सारे के सारे उनसे छीन लिये।

सरपंचों को कहा, नरेगा के टेण्डर खतम कर देंगे। आर्डर हो गये खतम करने के। सरपंचों ने मंत्रीजी को खूब बधाइयां दीं, मालाएं पहनाईं, साफे पहनाये और वापस वह आर्डर आ गया कि वह आर्डर निरस्त किये जाते हैं। अब सरपंच माथे पर हाथ देकर अपना सिर पीट रहे हैं कि यह सरकार ने घोषणा करके हमारे से यह कर दिया और दुबारा वापस टेण्डर प्रक्रिया लागू कर दी। तो यह आने वाला समय बतायेगा कि यह क्या हाल होगा।

जितनी योजनाएं हैं, आज जितनी...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): किस तारीख को? काम करने के लिए दिया, उस आर्डर को निरस्त कब किया?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्रीजी, आपको ध्यान नहीं है। मैंने नरेगा का कहा है। नरेगा के ठेकों का जो निरस्ती का आर्डर कर दिया, पहले किया था कि ठेका नहीं होगा, निरस्त किया और वापस उसको आर्डर किया कि ठेका होगा। आप अच्छी तरह से इसको देखो। आर्डर की कापी देखनी है तो आपके अधिकारियों से पूछ लो कि यह हुआ है या नहीं हुआ है। वही हुआ है, जो टी

(श्री मेवाराम जैन)

एफ सी या एस एफ सी या अन्य पंचायतों के काम में, उनके अन्दर टेण्डर प्रक्रिया खतम की है। नरेगा की खतम नहीं की है। खतम करते ही उसको वापस आपने चालू किया है। (व्यवधान)

जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थीं, आज उन योजनाओं को आपने बिलकुल पंगु-सा बना दिया है। चाहे एक रुपये किलो गेहूं दे रहे थे हम, बी पी एल गरीब परिवारों को दो रुपये में आपने किया, वह तो ठीक है, किये; 90 लाख व्यक्तियों को, गरीबों को आपने इससे बाहर कर दिया। इसके लिए आपने यह नहीं सोचा कि ये नाम काट रहे हैं, इसमें कोई गरीब है, कैसा है। जो आया कि आप खुद हो। नाम काटकर इतने रखने हैं और 90 लाख लोगों को इससे बाहर कर दिया। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है?

आज निःशुल्क दवा की बात करें, आप अस्पताल में जाइये, राठौड़ साहब सामने विराजमान हैं, मैं कहूंगा, जो पहले दवाइयां मिलती थीं, आज वन-थर्ड दवाइयां अस्पताल में मिल रही हैं। बाकी दवाइयां सारी बाजार से मरीज ला रहे हैं। आप इसका कहीं भी निरीक्षण कर लो, पता कर लो, तो आपको स्वयं को पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है।

आज अस्पतालों में, पी एच सी में कई ऐसी हैं जहां खाली पड़ी हैं, डाक्टर्स नहीं हैं। आपने ए एन एम की भर्ती की, भर्ती की बात तो अच्छी है, 55,000 की की है, फिर भी आपने जितनी की, वह भी अच्छी बात है, पर उसमें भी, राठौड़ साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा; उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि सब-सेंटर्स तो 1,200 हैं, ए एन एम 2,000 हैं, फिर भी आधे सब-सेंटर खाली हैं। मैंने गत विधान सभा सत्र में भी यह बात रखी थी तो आपने कहा, नहीं, सारे भर देंगे। मैंने कहा, जब 1,200 सब-सेंटर्स और 2,000 ए एन एम हैं, फिर तो कम से कम सारे सब-सेंटर्स में एक-एक ए एन एम तो भेज दो। बाकी आपकी बची हुई हैं, दो-दो, तीन-तीन, जहां आपको लगानी हैं, वहां लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं। फिर भी यह स्थिति है कि आज भी कई सब-सेंटर खाली पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप सब-सेंटर्स को भरा दो ताकि गांवों में यह तो हो।

इसके साथ-साथ चाहे सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, किस तरह से पैसे बढ़ा दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट का टाइम दें।

श्री उपाध्यक्ष: छह बजे तक का टाइम है। दो व्यक्तियों को और बोलना है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सड़कों की बात करें, आज हमारे यहां सड़क बाड़मेर से जैसलमेर नेशनल हाइवे-15, नेशनल हाइवे-112, चाहे जोधपुर जाओ, चाहे जैसलमेर जाओ, चाहे सांचौर या अहमदाबाद जाओ, सारी सड़कें टोल पर हो गई हैं। हाइवे रोड अच्छी बनी हुई थीं और चारों ही तरफ अब टोल लगेगा, ये अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, उनको टोल पर देकर जनता के साथ किस तरह से कुठाराघात होगा। आने वाला समय बतायेगा कि लोगों को कितनी परेशानी होगी।

अपन पशुओं की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं, अनुदान की बातें हो रही थीं, पशुओं के क्या हालात हैं? गौशालाओं के अन्दर क्या हालत हो रही है? आज कह रहे थे कि नौ महीने के लिए आप करो। पशुओं के नाम पर आपने खूब राजनीति भी की। गाय अपनी माता है और इसके लिए अपन नहीं कर सके। आज हालत यह है कि आप कोई भी शहर देख लो, गांवों के जितने आवारा सांड हैं, वे शहर के नगर परिषद एरिया के अन्दर छोड़ देते हैं और वे पोलीथिन खा-खाकर मर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि हर नगरपालिका में आवारा पशुओं के लिए एक कांजी हाउस हो जिसमें आवारा पशु रहें और उनका पालन-पोषण हो; आवारा गायें भी उसमें रहें। ये जो गायें मर रही हैं, उनके लिए हर हालत में हमें सबको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। पिछले समय में गौ-सेवा का मंत्रालय भी खुला। आज तक न तो कोई आगे बढ़ा। वह की वह हालत है। गायों की जितनी गौशालां हैं, न तो उनमें अनुदान की बात हो रही है। आप अनुदान दीजिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य तिवाड़ी साहब ने भी कहा कि जितनी भी ये गौशालाएं हैं, इनको आप तुरन्त अनुदान देकर पशु धन, गाय को बचाओ। यह सबसे बढ़िया बात है।

बाकी आज चाहे अपन स्वच्छता की बात करें, आप बात कर रहे थे स्वच्छता की, सिर्फ दो मिनट में खतम करता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छी प्रधान मंत्रीजी की योजना है पर वह खाली कागजों में ही नहीं रहे। स्वच्छ भारत के लिए जो गांवों के अन्दर हर पंचायत के अन्दर जिस तरह से टायलेट बन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि साथ रहना

(श्री मेवाराम जैन)

चाहिए, इसमें हम सब शामिल हैं, परन्तु वहां पानी नहीं गांवों में, तो ये टायलेट साफ कैसे होंगे?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए तब बढ़ाया जाए, जब अपनी-अपनी सीमा में रहकर अपना वक्तव्य दें? दस सदस्यों के और नाम शेष हैं और तीन सदस्य प्रतिपक्ष की तरफ से हैं। अगर पांच से छह मिनट तक आप अपने वक्तव्य को सीमित रखें, तब तो मैं सचेतक महोदय के इस निवेदन को आपके सामने प्रस्तुत कर दूं।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं जल स्वावलम्बन के लिए कहना चाहता हूं, यह अभियान बहुत अच्छी योजना है और इसके बारे में खूब चर्चा भी हुई। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत जलदाय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस योजना को, अगर आप इसमें अपनी भूमिका निभाओ तो योजना ठीक हो सकती है। कारण है, आधी से ज्यादा हौदियां टूटी हुई हैं, पानी नीचे रोड पर बह रहा है, टूटी लगी हुई नहीं हैं। तो जल कैसे बचेगा? सबसे पहले आप जितनी हौदियां टूटी हुई हैं, उनको आप अगर ठीक करें; जहां पानी नीचे जा रहा है, पाइपलाइनें टूटी हुई पड़ी हैं, उनको आप ठीक करें तो यह जल बचेगा। इसमें आधा पानी वेस्टेज जा रहा है और आधा जनता को मिल रहा है। मैं बाड़मेर शहर की बात कर रहा हूं जहां डेढ़ फुट नीचे आप खोदें तो पानी है। अण्डरग्राउंड सारे भर चुके हैं, कलक्टर का बंगला सारा पानी से भर चुका है, जल स्तर इतना बढ़ा है। इसका कारण है कि वहां मीठा पानी आ गया। वहां घरों में टोंटी लगी नहीं हैं। आपसे मैंने निवेदन किया, वहां कोई अधिकारी नहीं है। सारा पानी रोड पर और नालियों में बहा और उसकी वजह से जल स्तर

(श्री मेवाराम जैन)

बढ़ा है। आज हालात ऐसे हैं कि बाड़मेर शहर में पानी के जल स्तर से सारे जितने अण्डरग्राउंड हैं, उनको बंद करना पड़ रहा है। मकान कोई बनाना चाहता है तो भी नहीं बना सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बातें तो खूब थी परन्तु समय को देखते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बड़े संघर्ष के बाद मुझे बोलने का मौका दिया है। आपको धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का तीसरा दिन है। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के 166 बिन्दुओं और 75 पेज वाले अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का बड़ा जोर-शोर से बखान किया गया है और सरकार का मूल मंत्र आओ-सब-साथ-चले का नारा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी गलती से पहले भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ करता था। तब हम विपक्ष में बैठते थे और तब एक बात चलती थी हमेशा कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान के अन्दर, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी यह बात जगह-जगह जहां पर भी ये लोग गये और इन्होंने कही कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनी। राजस्थान की जनता बहकावे में आ गई और 25 सीटें राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी को मिलीं। विशेष राज्य के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो शर्तें हैं, वे सारी शर्तें राजस्थान फुलफिल कर रहा है। यहां सैकड़ों किलोमीटर रेगिस्तानी मरु भूमि का इलाका है, जो हमारे पाकिस्तान से लगा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, 13 प्रतिशत आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है। अरावली की सबसे बड़ी श्रृंखला जो विश्व प्रसिद्ध है, वह इस राजस्थान के अन्दर से होकर गुजरती है। दस प्रतिशत डांग का क्षेत्र राजस्थान के अन्दर है। पूरे देश का राजस्थान दस प्रतिशत इलाका है और देश का सबसे बड़ा राज्य भी है।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक प्रतिशत बारिश राजस्थान के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अन्दर हो रही है। 235 ब्लाक्स जो राजस्थान के अन्दर हैं उनमें से 90 प्रतिशत डार्क ज़ोन के अन्दर हैं और उनकी वजह से उपजाऊ जमीन और मीठा पानी होते हुए भी किसान डार्क ज़ोन की वजह से खेती नहीं कर पा रहा है, ट्यूबवेल नहीं खोद पा रहा है और अगर ट्यूबवेल खुदा हुआ है तो वहां कनेक्शन अभी तक नहीं मिल रहे हैं। यहां राजस्थान के साथ ही अकाल का नाम जुड़ा है। कुपोषण से आये दिन, चाहे सरकार कांग्रेस की रही, चाहे बी जे पी की रही हो, कुपोषण और भूख से मौतों की गूंज इस राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान के अन्दर हमेशा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मातृ व शिशु मृत्यु दर यहां पर ज्यादा है। शिक्षा के मामले में भी राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको ढाई साल यहां हो गये और दो साल लगभग दिल्ली के अन्दर हो गये। इतनी ग़लतफ़हमी पालने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने आपको बहुमत इसलिए दिया कि देश नक्सलवाद, जातिवाद या आपके पाकिस्तान, चाइना का जो सारा खतरा है, हिन्दुस्तान के अन्दर आपको बहुत बड़े हिन्दू तबके ने इसलिए वोट डाला कि किसी न किसी तरह जिनसे हमें खतरा है, उस खतरे का अगर कोई समाधान कर सकता है, इस भारत को कोई मजबूत कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के अन्दर, नरेन्द्र मोदी के अन्दर, देश के लोगों ने वह छवि देखी थी। इसलिए आपको वोट मिल गये। दो साल में तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा नहीं।

रोज सैनिक सीमा पर मारा जा रहा है और जो सैनिक मर रहा है वह किसान का बेटा है। यहां बातें करने से नहीं होता है; वंदे मातरम् की जय-जयकार करने से नहीं होता है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम के सबसे ज्यादा शहीद इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए होते हैं। हमारे साथ-साथ यादव, मीणा, गुर्जर, सारी जो किसान कौम हैं वे इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए, दूसरी जो भी कौम हैं शहादत देती हैं। यहां बात करना अलग है।

यहां तीन दिन से मैं देख रहा हूं। मुझे बड़ा दु:ख होता है इस बात का। मैं भी इनके साथ था और इनके साथ रहने से मेरे में कुछ कमियां भी आ गईं। जो एक अनुशासन की बात ये करते थे लेकिन आप बताइए, कल भवानी सिंहजी कैसी बात कर रहे थे कि मेरे विपक्षी साथियों को यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। इस राजस्थान की विधान सभा को अगर किसी ने शर्मसार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

किया, या यहां चप्पल फेंकने की घटना अगर किसी ने की, तो अभी सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह किनके कहने से फेंकी, वह भी आप जानते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें सबको पार्टियों से ऊपर उठकर राजस्थान को बचाने की बात करनी चाहिए। आज आप बहुत बड़ी योजनाएं लाते हो ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज आप सड़कें खूब बना रहे हो, लेकिन हर सड़क पर टोल टैक्स ले रहे हो आप। उद्घाटन करने मंत्री चले जाते हैं। सरकार क्या कर रही है, बताइए आप। बिजली की दरें बढ़ रही हैं। बिजली उत्पादन के अन्दर राजस्थान साल-दो साल बाद इस देश के अन्दर नम्बर एक पर आ जाएगा, लेकिन फिर भी दरें बढ़ रही हैं बिजली की। पानी की योजनाएं आ रही हैं, पीने के पानी की बात चल रही है, लिफ्ट कैनाल योजनाएं आ रही हैं, लेकिन वह पानी कहां तक पहुंच पा रहा है? अभी उसका अभाव पन्द्रह साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र से चालू हुआ था और अभी चालीस गांवों को पानी नहीं मिल रहा है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग सत्ता के अन्दर हैं, दिल्ली में आपकी सत्ता है, विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले, जिससे एक लाख करोड़ रुपये विशेष पैकेज के रूप में आपको मिलेंगे तो टोल राजस्थान की जनता को नहीं देना पड़ेगा। आप तो हर सड़क पर टोल लेंगे तो टोल लेंगे, तो फिर जनता को क्या दे रहे हो? कौनसी लोक कल्याणकारी सड़क हुई आपकी? आपने कहा, इतने स्टेट हाइवे बना दिये, यह कर दिया, वह कर दिया। मैं ऐसा व्यक्ति हूं अगर कोई मेरा काम करता है तो उसको कहता हूं और जो नहीं करता है उसका विरोध भी करता हूं। हम बी जे पी में थे, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, कितना बड़ा भेदभाव विधायकों के साथ किया।

पहले एक साथी विधायक कह रहे थे कि हम शपथ लेते हैं। शपथ हम लेते हैं, तो शपथ मुख्य मंत्री और मंत्री भी लेते हैं। शपथ मुख्य मंत्री और मंत्री इस बात की लेते हैं कि मैं मुख्य मंत्री हूं इस प्रदेश की, मैं इस प्रदेश का मंत्री हूं, मेरी नजर के अन्दर इस राज्य के अन्दर रहने वाली जनता और जन-प्रतिनिधि समान दृष्टि से हैं।

आपने क्या किया दो साल के अन्दर? आपने सिर्फ निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों के डवलपमेंट बंद कर दिये। अगर एक भी निर्दलीय और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कांग्रेस के विधायकों की अभिशंसा पर आपने राजस्थान में कोई सड़क बनाई, कोई ट्यूबवेल खोदा,

(18.00 बजे)

कुछ किया हो, तो आप बता दो। पिछली बार जब आप लोग थे, हम थे, मैं पुराने मुख्य मंत्री को कोई धन्यवाद नहीं दूंगा, लेकिन राजस्थान में यह चला कि हर कांस्टिट्यूएन्सी के अन्दर जन-प्रतिनिधियों की रिकमंडेशन पर सड़कें बनेंगी, ट्यूबवेल बनेंगे और आप भी घूम-घूम कर बनाते थे सड़कें, लेकिन इस बार बदले की भावना से ही काम हुआ। आप बड़े मन से काम कीजिये।

वापस तो आप भी नहीं आएंगे, यह भी जानते हो और बार-बार यह झगड़ा हो रहा है न, आप कह रहे हों, ये आ जाएं, वे आ जाएं; 2018 में इस राजस्थान में तीसरी ताकत बनेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तय है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आप बताओ, होगा क्या? बाबू सिंह जी आपसे असंतुष्ट हैं। आपको खुद को मंत्री नहीं बनाया, आप भी असंतुष्ट हो। आप आओगे नहीं। मुझे नहीं लगता, ये भी आ पाएंगे।

पचास साल इन्होंने राज किया, बीस साल आपने भी कर लिया। आप यह मत कहो, सत्तर साल; बीस साल हो जाएंगे 2018 में, लेकिन राजस्थान की तस्वीर नहीं बदली। राजस्थान में आज भी बेरोजगारी से तंग आकर राजस्थान का जवान आत्महत्या कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र आंदोलन कर रहे थे कि हमारे विधायकों पर राजस्थान में हमले हो रहे हैं, हमारे मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, आपने उन पर लाठीचार्ज किया। पूरे राजस्थान में छात्रों पर आपने लाठीचार्ज किया। जवानों को जेलों में डाल दिया। यह मैं बता रहा हूं, आप तो आजादी से पहले की स्थिति राजस्थान में लाना चाहते हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए इस आंधी में, आपका तो आंधी-तूफान चला था, आप लोगों ने तो खूब कोशिश की कि किरोड़ी लाल और हनुमान बेनीवाल नहीं आने चाहिए लेकिन फिर भी हम आये और। उतने ही मार्जिन से आये और चैलेंज देकर राजस्थान की विधान सभा में आये। यह हमारी मेहरबानी ही समझो आप कि जो पच्चीस सीट का आंकड़ा हुआ न आपका, नहीं तो तेईस पर रह जाता। दोनों नहीं लड़ते

(श्री हनुमान बेनीवाल)

न निर्दलीय चुनाव तो तेईस सीटें आपकी राजस्थान में आतीं। (व्यवधान) अगली बार भी आएंगे। सुनो, चैलेंज एक बार दिया जाता है। चैलेंज करके आ जाओ। रोज कहो कि आ जाओ, आ जाओ, ऐसे थोड़े ही होता है। आ गये न इस बार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार में आज राजस्थान में क्या स्थिति है? 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मैं घनश्याम जी तिवाड़ी को धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम बी जे पी को एक बात कहने का तो दे दिया, ये जब शिक्षा मंत्री थे तो पैसा आया था दिल्ली से वर्ल्ड बैंक का और उन्होंने उससे टीचर लगा दिया, वे गीत गाते रहते थे कि अस्सी हजार लगा दिये, अस्सी हजार लगा दिये। तो अब क्यों नहीं लगा रहे हो आप? ढाई साल हो गये। आपने सिर्फ पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती के अलावा कौनसी बड़ी भर्ती की राजस्थान में? बेरोजगारी से तंग आकर जवान आत्महत्या कर रहा है। किसान और गांव, गरीब की सरकार आप कहते हो, 42 किसानों ने ढाई साल में आत्महत्या की और एक किसान दिल्ली में सिर्फ इसलिए मरने चला गया कि राजस्थान में तो अगर मर जाऊंगा तो अख़बार में खबर ही नहीं छपेगी, तो दिल्ली में मरता हूं जाकर। यह स्थिति है राजस्थान में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा सिंचित क्षेत्र बढ़ाया आपने? आप कह रहे हो कि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे, जवान को ठीक करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। हमें तो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार में राजस्थान एक नम्बर पर आ गया। आज कितना गंभीर भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है।

लोकायुक्त, आप यह कहते हो कि सशक्त लोकायुक्त लायेंगे। सशक्त लोकायुक्त की बात भी उत्तराखंड के आपकी ही पार्टी के मुख्य मंत्री खंडूरी लेकर आये थे, सशक्त लोकायुक्त, जिसके अण्डर में मुख्य मंत्री भी हो, मंत्री भी हों और विधायक भी हों। आपको लाना चाहिए राजस्थान में सशक्त लोकायुक्त और उसके अन्दर मुख्य मंत्री भी हों, मंत्री भी हों, राजस्थान के विधायक भी हों।

अब आप छोटे-मोटे अगर हमारे चालान कर देते हो रास्ता रोकने के, उससे क्या ठीक कर दोगे आप हमारे को? बताओ। आप कहते हो न, आपको ठीक कर देंगे, तो करके बताओ। क्यों नहीं कर रहे हो? ढाई साल तो निकल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गये और साल-डेढ़ साल में ठीक नहीं किया न, तो बाद में हम करेंगे 2018 से 2023 तक। क्या ठीक करोगे आप? कर देंगे, ये कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि दिल्ली में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान एक बात कही थी कि किसान की अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, नयी खनिज नीति लाएंगे, शराबबंदी की बात भी करेंगे; गुजरात पैटर्न पर राजस्थान चलेगा। गुजरात में शराबबंदी है तो आपने क्यों नहीं की राजस्थान में शराबबंदी? बीस हजार करोड़ रुपये ले रहे हो आप शराब के नाम का। तो उन बीस हजार करोड़ में बिजली माफ कर दो राजस्थान के किसान की।

आपने कहा कि विजिलेंस की कार्यवाही में झूठे मुकदमे जो भी दर्ज हुए हैं हम वापस ले लेंगें। आपको पता है, पहले तो आप दो हजार रुपये लेते थे पर-हार्स पावर और अब कर दिया 16-18 हजार रुपये पर हार्स पावर? किसान की शीट भरने के लिए जाते हो तो चार-पांच लाख रुपये के कम की शीट नहीं भरते हो। तो वह किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? बताओ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुरुचरण छाबड़ा, जो आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हुआ करते थे, 41 दिन पहले भूख हड़ताल की उन्होंने और आपके मंत्रियों की एक कमेटी बनी। दुबारा जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो उन मंत्रियों की कमेटी ने यह कहा कि आसानी से मरने वाला नहीं है और भूख हड़ताल से वे खतम हो गये। अब आप बताओ, सी बी आई की जांच होनी चाहिए इस मामले में। कौन लोग दोषी थे? एक आपकी पार्टी का पूर्व विधायक जो राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान का जवान नशे की लत की ओर जा रहा है। राजस्थान अपराध में नम्बर 1 पर हो गया।

आज आपके मंत्रीजी जो सामने बैठे हैं, उन्होंने एक जगह कहा कि विधान सभा तो सिर्फ बजट पास करने की संस्था है। यह बात मंत्रीजी ने कही और यह बात सही भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ पक्ष-विपक्ष में बंट कर इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हो? बताओ। यहां किसको शिकायत करें? कहां जाएं? किसके पास जाएं? गृह मंत्रीजी खुद कह रहे हैं कि मैं आनन्दपाल हूं। कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। हाई सिक्योरिटी जेल से इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल भाग जाते हैं और सात-सात महीनों में

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सरकार जवाब नहीं दे रही है। सत्र चल रहा है। इन बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता है। आप बैठ जाइये, यह कीजिये, वह कीजिये, तो फिर हम चुन कर किसलिए आते हैं? यह राजस्थान की विधान सभा है जहां हम हमारे लोगों की बात कह सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर सकते हैं। अगर आप हमें ही हमारी बात नहीं कहने दोगे तो हम कहां जाकर इस बात को कहेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आनन्दपाल जब भागा था तो बहुत बड़ी कमेटी गृह मंत्रीजी ने और सरकार ने बनाई थी, एक आई ए एस अधिकारी की मानिटरिंग के अन्दर, लेकिन छह महीने होने के बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। अभी बीच में यह बात सामने आयी कि आनन्दपाल नागौर जिले में तीन कार्यक्रमों में गया; राजस्थान में छुपा हुआ है; इन-इन लोगों को खतरा है; यह है, वह है। खतरों से डरने वाले लोग अपराधियों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हमें इन चीजों से सरोकार नहीं, लेकिन एक हार्डकोर क्रिमिनल अगर पूरी सरकार के लिए चुनौती बन जाए, चैलेंज बन जाए, तो आजादी के सत्तर साल बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को जोर से भाषण देने का अधिकार होगा।

आपकी सरकार को प्राथमिकता से ऐसे बदमाश को, ऐसे संगठित, जिनकी वजह से राजस्थान में जातीय संघर्ष पनप सकता है; मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2002 से पहले राजस्थान में न तो कभी जाट-राजपूत लड़ते थे और न गुर्जर-मीणा लड़ते थे। अगर यह शुरुआत किसी ने करवाई तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाई थी; गुर्जर-मीणों को लड़ाया, जाट-राजपूत को लड़ाया, और यह आरक्षण का सांप देश के अन्दर छोड़ा है। आज मीणा-मीना विवाद; हरियाणा में जिस तरह से हुआ; भरतपुर-धौलपुर के जाट और नागौर के जाट में क्या फर्क है? उनका आरक्षण तो खतम कर रहे हो और हमें दे रहे हो। हम कह रहे हैं कि उनका आरक्षण भी बहाल होना चाहिए। दिल्ली की सत्ता में बैठाने में अगर हमारी विशेष भूमिका हो सकती है, राजस्थान में अगर आपको 163 सीट पर ले जा सकते हैं, तो 2018 में एक वर्ग, पूरा किसान समुदाय, सब लोग नाराज होंगे। धीरे-धीरे करके सबको आप छेड़ रहे हों। धीरे-धीरे सारी जातियां, किसान जातियां, आपके खिलाफ हो जाएंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही आखिरी बात कहना

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चाहूंगा कि हम सब मिलकर नये राजस्थान के निर्माण की बात करें। ये सारी जो योजनाएं चल रही हैं, जल स्वावलंबन योजना, यह हमारे ही समझ में नहीं आयी अभी तक। भामाशाह कौनसी योजना है? बताओ, इससे क्या लाभ मिलेगा? और जल स्वावलंबन योजना में, आजादी के साठ साल बाद दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में सरकार, और आप चंदा करो। कार्यक्रमों में जाने से हम लोग डरते हैं, कहीं रसीद नहीं काट दें। बोलेंगे, पचास हजार दे दो; एक लाख दे दो। यह भीख मांगने का क्या काम चालू किया है आपने। क्यों इज्जत खराब कर रहे हो? पैसा और कहीं से ले लो लेकिन कम से कम राजस्थान की जनता के जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से यह मत लो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में एक ही बात कहूंगा कि जो पन्द्रह लाख रोजगार की आपने बात कही है और कानून-व्यवस्था को ठीक करने की बात कही है, शराबबंदी लागू करने की बात कही है और किसान को बिजली के मामले में राहत देने की बात कही है, अच्छा तो यह होता कि आप राजस्थान के किसान की बिजली की दरें घटाते, लेकिन आपने राजस्थान में किसान के साथ-साथ जितने भी, चाहे घरेलू थे, औद्योगिक थे, सबकी दरें आपने बढ़ाईं। बढ़ा कर, आपने किसान की दरें वापस ले लीं और बाकी बढ़ी हुई दरें राजस्थान में चल रही हैं। विजिलेंस में राजस्थान में जितने भी मुकदमे दर्ज किये हैं, मैं फिर, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि बहुत गम्भीर परिणाम इसके आपको भुगतने पड़ेंगे।

आज आप अगर कनेक्शन....और ये जो डार्क जोन के ब्लाक हैं, इनका री-सर्वे राजस्थान में करायें। जहां चार सौ फीट पर पानी है और पन्द्रह सौ फीट पर पानी है, तो उसमें चार सौ फीट में पानी है और उपजाऊ जमीन है, वह भी डार्क जोन में! तो क्या खायेगा? रोजगार आप दे नहीं रहे हो, कनेक्शन कर नहीं रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि री-सर्वे करवाकर वाटर लेवल इसका तय कीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नयी खनिज नीति की बात करें तो खनिज घोटाले में पूरे देश में राजस्थान का नाम बदनाम हो गया। हम एक ही बात कहते हैं, सोना, चांदी, ताम्बा और आपका पेट्रोल-डीजल निकल जाए, वह जमीन तो आप किसान की ले सकते हो, लेकिन हमारा चेजा पत्थर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम, जो गरीब किसान के खेत में निकलता है, तो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आप क्यों इन बड़े उद्योगपतियों को यहां लाते हो? आप उस किसान को पहला हक दीजिए। पहली माइन्स पर उस किसान का हक होना चाहिये कि वह अपने खेत में माइन्स बनाने का अधिकार रखे। उसको माइनिंग लीज का पट्टा जारी कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी विडम्बना है कि यहां पक्ष-विपक्ष की बात होती है। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की बैठकें कहां चलती हैं! साल में 15-20 बैठक होती होंगी। हम कहां जाकर अपनी बात कहेंगे? बताओ आप। यह तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बाकी तो हालात देखो आप, किस तरह की बातें करते हैं। तीन दिन तो इसी में चले गये कि देशभक्त कौन है, देशभक्त कौन नहीं है। यह तो ठीक है, यह तो अपनी-अपनी बातें हैं लेकिन विधान सभा का समय इन बातों में व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि सत्र चलेगा, तब हमारी मांग विधान सभा में उठेगी। राजस्थान का बेरोजगार हमारी तरफ देख रहा है। कितना वादा आपने किया था कि जितने भी संविदा पर लगे बेरोजगार हैं उन सबको हम नियमित करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। हमारे घरों पर लोग ज्ञापन ले-लेकर आते हैं कि साहब, आप हमारा मामला विधान सभा में उठाओ। कहां उठायें बताओ आप। बड़ी मुश्किल से कोई दो, पांच मिनट का समय मिलता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की बैठकें भी बढ़ें। संसदीय कार्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहूंगा, यह तो खुद कालेज-यूनिवर्सिटी की राजनीति से यहां पर आये हैं, इनको थोड़ा-सा जवानों के प्रति ठीक रखना चाहिये। हां, ये पहले एक नम्बर पर हुआ करते थे, आजकल सुनने में ऐसा आ रहा है कि इनका थोड़ा नम्बर कम हो रहा है। उसकी तो हमारे पास पीड़ा है नहीं। उसमें तो हम क्या कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, जे डी ए में भ्रष्टाचार की कल बात कही थी। पृथ्वीराज नगर योजना, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जे डी ए में आपने शिखर अग्रवाल को बैठा दिया, पूरा ही उसको सौंप दिया, वही करेगा सारा कुछ। वह तो करेगा, ठीक, लेकिन 2018 में फिर वोट मांगने वापस जाओगे, या नहीं जाओगे? यह भी तय कर लो, या मन बना लिया कि हमें तो जाना नहीं। टिकट नहीं देंगे, पार्टी बदल लेंगे, वह बात दूसरी। बाकी राजस्थान में आज 10-5 लोगों की तो मैं नहीं कहता, जिनका व्यक्तिगत जनाधार है, वे तो अपना काम ठीक कर लेंगे, बाकी लोगों को तो वोट का गणित जोड़ना पड़ेगा और हार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के ऐसे रिकार्ड बनेंगे, इस बार जीते हो ना 40-50 हजार से, इस बार 50-60 हजार से आप जाओगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर नये राजस्थान के निर्माण की बात करें; राजस्थान के जवान और किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक तभी हो सकती है जब राजस्थान में सिंचित क्षेत्र बढ़े। हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा डिविजन को छोड़ दें तो पूरा इलाका राजस्थान का वर्षा पर आधारित है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां कैसे सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाये; नदियों को जोड़ने की बात जो आप भाषणों में कहते हो, कैसे वह बात कारगर..., इन सब बातों को ध्यान में रखकर राजस्थान में ऐसा लगना चाहिये जैसे सुराज आ गया। अभी तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है, सुराज कहीं नजर नहीं आ रहा है।

जब हमारे जैसे लोग, राजस्थान के विधायक, राजस्थान के मंत्री, वे ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा? वह तो नींद लेता है रात को, पता नहीं, सुबह जगेगा कि नहीं जगेगा। घर से बाहर निकलेगा तो मां-बाप सोचते हैं कि बच्चा वापस आयेगा, या नहीं आयेगा; बच्ची स्कूल पढ़ने जा रही है, आयेगी, या नहीं आयेगी। थानों में दुष्कर्म हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के क्या हालात हैं।

इन सब पर आपको मंथन करना होगा, विचार करना होगा और एक नया राजस्थान कैसे बने, इसके बारे में सरकार को नई सोच के साथ आना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने की जो आपने अनुमति दी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद-विवाद में मैं अपनी बात रखने से पहले इस देश में जन्मे सभी संत, महात्माओं व गुरुओं को नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि जाके पांव न फटी न कभी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की 70 साल की आजादी में

(श्री पूरणमल सैनी)

कभी कांग्रेस ने राज किया तो कभी बी जे पी ने किया और यह इसलिए हुआ कि यह भारत देश व्यवस्थाओं का देश है। इस देश में व्यवस्थाएं डाली जाती हैं और जिस किसी भी व्यक्ति, दल या समूह को जहां व्यवस्थाएं डालनी आ जाती हैं, वही उस जगह सफल होकर राज करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्थाओं के देश के संविधान में असेंबली का मतलब मेरे ख्याल से यह होगा कि कानून बनाने वाली मण्डली और इस कानून बनाने वाली मण्डली में हम पहले कभी इस सदन के सदस्य नहीं रहे लेकिन अख़बार और मीडिया के माध्यम से सुनते और देखते थे। लेकिन पिछले दो वर्ष से यहां आने के बाद यही देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग, चाहे उनके अपने क्षेत्र में भी कुछ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ज्यादा हो गया होगा, लेकिन सरकार की महिमा-मंडन का काम करते हैं। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष में विराजमान प्रतिपक्ष के लोग आपको रोकने का काम करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता हम लोगों को केवल, और केवल राष्ट्र-भक्ति की बात करने और दूसरे पक्ष के द्वारा हम लोगों को रोकने के लिए इस राजस्थान की असेंबली में भेजती है?

अभी माननीय सदस्य हनुमान जी सही कह रहे थे और सारे सदन ने उनको सराहा भी है कि आज काफी अच्छा कहा है। वास्तव में उनकी बात में दम था। उन्होंने सही कहा है कि यह कितनी बार ट्रांसफर करते रहोगे। थर्ड फ्रंट की मैं कोई बात या दावा नहीं करता लेकिन मैं यह कहता हूं, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने वाद-विवाद के दौरान कहा कि हम राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस देश की सीमाओं पर जो हमारे जवान लगे हैं उनकी वजह से हम इस सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बैठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह देश व्यवस्थाओं का होते हुए भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात माननीय विधायक जैसे लोग करेंगे कि सीमाओं पर जवानों की रक्षा की वजह से हम यहां बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग जब यह देश लगातार तीन हजार वर्षों से गुलाम था, उस समय जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, वे इस देश के लिए समर्पित थे।

आज इस देश की पार्लियामेंट, इस प्रदेश की असेंबली अपनी व्यवस्थाएं देती हैं। मैं नहीं कहता कि वे उनमें शामिल नहीं हैं लेकिन उस समय जिन्होंने

(श्री पूरणमल सैनी)

जो किया है, काफी वरिष्ठ माननीय सदस्य तिवाड़ी साहब बात कर रहे थे, उनसे भी हमको सुनने और सीखने को मिला, वे कह रहे थे कि सारे लोग साथ चलो, साथ ही हैं। इस सदन में घुस जाने के बाद कौन देखता है, कौन किसके साथ नहीं है? सारे लोग एक साथ बैठते हैं।

झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य एक दोहे के माध्यम से कह रहे थे कि रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून; पानी गये न उबरे, मोती, मानस, चून। रहिमन दास जी की यह उक्ति यहां कहां सिद्ध करती है? एक जगह पानी का उपयोग आटे में जल के लिए किया गया और दूसरी जगह मानव की इज्जत के लिये तौला गया।

मैं सारे सदन को कहना चाहूंगा, अगर हम कहीं आरक्षण की बात करें तो तीन हजार वर्षों की गुलामी का अंतिम पड़ाव, जब ब्रिटिशों का चल रहा था, उस समय जब बाबा साहब बी.आर.अंबेडकर ने 1916 में अंग्रेजों के समक्ष उपस्थित होकर यह बात कही कि साहब, सत्ता का हस्तातरण जब आप करके जाओगे, इस देश की अस्सी प्रतिशत आबादी पर जो लोग राज करेंगे, उन अकेलों को क्यों? जब 1932 में चौथा गोलमेज सम्मेलन इस देश में हुआ और जब इस देश की जातियों का आप यह भी कह रहे थे कि इस देश में आरक्षण को या तो खतम किया जाना चाहिए या फिर इन जातियों को भी दिया जाना चाहिए, मैं किसी बात का विरोध नहीं करता, संविधान में भी प्रोविजन है वह तो कर ही लिया जाए और उसके बाद असेम्बली जो पावर रखती है, वह अपना उपयोग करते हुए, जिनको भी चाहता है यह सदन, उन जातियों को आरक्षण दें।

लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण की जरूरत इस देश और प्रदेश में क्यों पड़ी थी? यह देश विभिन्न वर्गों में विभाजित था और विभिन्न वर्गों में भी जातियों में बंटा हुआ था। जब चौथा वर्ग क्षुद्र वर्ग की जातियों के साथ जिनकी संख्या 6,743 थी, उनके साथ उस पूर्ण गुलामी के समय से ही व्यवहार प्रोपर नहीं था। इस क्षुद्र वर्ग की जातियों को दूसरे वर्ग की जातियों के बराबर लाने के लिए इस देश और प्रदेश में आरक्षण की जरूरत पड़ी थी।

जब हम इसको बांटते हैं कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, तो देओ ना। कौन मना कर रहा है, लेकिन जो कोई खतम करने की कोई बात

(श्री पूरणमल सैनी)

करता है, मैं उसके समर्थन में एक बात कहना चाहूंगा। यह कोई बी.जे.पी. सत्ता में है, आज प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। केवल यह बात कहते हैं कि या तो खतम किया जाना चाहिए या इनको भी दिया जाना चाहिए। बेशक दें, और खतम करने की अगर कहीं बात है तो मैं भी कह दूंगा कि खतम करें, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देश का संविधान कहता है कि यह तो दस वर्ष के लिए ही दिया गया था। दस वर्ष के बाद जो भी लोग सत्ता में थे उन्होंने खतम क्यों नहीं किया? इसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है और वह मजबूरी यह है कि जो चीज पहले आई, वह चीज पहले जाए। इस देश में आरक्षण की जरूरत पड़ी जातियों में बंटे होने के कारण और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा और कर रहे हैं ये लोग, इस देश से सर्वप्रथम जातियों का खातमा करें। निश्चित रूप से आरक्षण की किसी को जरूरत ही नहीं रहेगी। जब इस देश में जातियां नहीं रहेंगी, तो आरक्षण की जरूरत क्यों रह जाएगी? यह विषय का भार था; सदन में जब सुबह से चर्चाएं हो रही थीं तो मेरे भी यह माइंड में था कि मैं मेरी यह बात अपनी रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हनुमान जी भाई साहब, जो कह रहे थे, मैं कोई कांग्रेस की बड़ाई नहीं करा रहा हूं, न बी.जे.पी की कोई बुराई नहीं कर रहा। और न ही कांग्रेस की बड़ाई कर रहा और न ही बी.जे.पी. की बुराई कर रहा, लेकिन एक बात में निवेदन करना चाहूंगा, लगभग सारे माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, जिनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय का अभाव होता है हमारे लिए, लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी बात रख दूं और पूरे प्रदेश की बात नहीं करके, मैं अकेले-अकेले मेरे खेतड़ी की बात करूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मंत्री महोदया विराजमान हैं, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा कि कहां पक्षपात है। 2013 में कांग्रेस की सरकार जब जाने वाली थी। उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में छह गांवों की पेयजल की स्कीम तैयार की गई थी और मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी बड़ा होने के चलते सहायक अभियंता कार्यालय (ग्रामीण) का बवाई में एक कार्यालय सैंक्शन किया गया था। माननीय मंत्री महोदया को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि इन दो वर्षों में पानी के लिए क्या पूरे प्रदेश में कहीं भी काम नहीं किया गया? और काम जब किया गया है तो

(श्री पूरणमल सैनी)

कांग्रेस की सरकार ने अगर सहायक अभियंता कार्यालय के लिए वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की थी, उन्होंने तो पत्थर लगाके वहां छोड़ा और मेरे पास तो पत्थर भी उपलब्ध है; कांग्रेस की सरकार ने छह गांवों की स्कीम की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी, लेकिन पिछले सत्रों के दौरान जब मैंने प्रश्न लगाया तो उसका जवाब आया कि खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के 106 गांवों के लिए कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आ रहा है, इसलिए इस स्कीम का टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के सम्बन्ध में जो वहां काम कर रहे हैं, इनकी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी अगस्त, 2016 को देय था, लेकिन पैसे के अभाव के चलते आज तक, अगस्त, 2016 में खेतड़ी की जनता को वह पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, उन छह स्कीमों के यू.ओ. नोट आपके चीफ आफिस में पड़े हैं, कृपया करके उनकी स्वीकृति जारी करें और यह जो मैं समझ रहा हूं भेदभाव की बात, इसको खतम करके हमें साथ लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क की अगर बात करूं, सड़कों में 2010 में अतिवृष्टि के चलते एक चंद्रावती नदी का रपटा था वह पलट खाके और काफी दूर चला गया था। मैंने बार-बार सदन में रखी, याचिका में मैंने लगाया, लेकिन आज तक उस सड़क की सैंक्शन, कांग्रेस तो चली गई और बी.जे.पी. भी अपने लगभग दो-ढाई वर्ष बिता चुकी है, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई इन्होंने नहीं की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्री महोदय से कि हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की ग्राम पंचायत बवाई में राजस्थान की सरकार का बहुत बड़ा पैसा लगाके और एक डेयरी के भवन का बहुत बड़ा निर्माण कर लिया गया और जो भी उसमें वित्तीय प्रबंध था, उसका पूरे का लगभग खर्चा कर लिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, केवल, और केवल, उसमें इंस्ट्रूमेंट रखकर उसको चालू करने की जरूरत है जिससे वहां के दुग्ध वाले पशुओं को, जो कृषक रखते हैं, उनको और वहां के मजदूरों को फायदा मिल जाए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि हमारे यहां तीन गांव में एक पी.एच.सी. को सी.एच.सी. बनाया

(श्री पूरणमल सैनी)

गया, जो बवाई थी। सारी व्यवस्थाओं के बाद भी, वहां केवल स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के अभाव में, सी.एच.सी के रूप में काम नहीं कर रही है। दूसरा, ग्राम पंचायत डाड़ा फतेहपुरा में पी.एच.सी. में क्रमोन्नत 2013 में किया गया लेकिन आज तक वहां, भूखंड उपलब्ध नहीं होने की वजह से वह ज्यों का त्यों, जिस हालात में था, पड़ा है। तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ऊ में इन्होंने सी.एच.सी. जाते-जाते 2013 में सैंक्शन की। वह भी धन अभाव में, वित्तीय प्रबंधन के अभाव में पड़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा और उन शब्दों को, इनको दुखे नहीं, वह बात नहीं कहते हुए, एक आग्रह करना चाहूंगा कि ये सौतेला व्यवहार नहीं है, तो क्या है? मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सबके साथ वाली नीति को अगर आप रखना चाह रहे हैं, तो मेरा करबद्ध निवेदन है खेतड़ी की जनता की ओर से कि जो काम सैंक्शंड हैं उनको तो कृपया करके, आगे वित्तीय प्रबंधन हो तो आगे बढ़ा देना; नहीं तो जो आलरैडी सैंक्शंड हैं, उन कामों को तो खेतड़ी की जनता के हित में करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद। जय भीम। जय भारत। वंदे मातरम्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।

सम्माननीय गुप्ता साहब के प्रस्ताव के ऊपर पुरजोर समर्थन करते हुए, मैं हमारी सरकार की मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार के मुखिया ने सबका-साथ-सबका-विकास को लेकर के जो विजन शुरू किया है और उसके ऊपर जो बहस हो रही है, उसके लिए मैं सम्माननीय हमारी मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

हमारे प्रतिपक्ष के साथी जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये सारी कल्याणकारी योजनाएं धरती पर उतरकर समस्त क्षेत्रों में जो आम जनता तक पहुंच रही हैं, इसलिए उनकी नींद हराम हो रही है। उनको यह लग रहा है कि

(श्री भीमा भाई)

आने वाले समय में हम लोगों को तकलीफ होने वाली है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा प्रतिपक्ष के साथियों को।

मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटी-मोटी साढ़े आठ सौ किलोमीटर सड़कें डामरीकृत थीं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर सड़क भी चलने योग्य नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्यगण, जो-जो समूह में बात कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे कृपा करके....

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, 200 किलोमीटर सड़के ऐसी थीं जो जिलों को जोड़ती थीं, गुजरात को जोड़ती थीं, मध्य प्रदेश को जोड़ती थीं, उन सड़कों की भी हालत इतनी खराब थी कि वहां पर कोई वाहन चलने की स्थिति में नहीं था। पहली मर्तबा राजस्थान के विधान सभा चुनाव में वहां की जनता ने मुझे मौका दिया और राजस्थान की विधान सभा में आया। मेरी गाड़ी के ऊपर प्लेट लगी हुई थी 'विधायक कुशलगढ़', जिस रोड़ के ऊपर मैं गाड़ी लेकर निकलता, तो लोग कहते थे कि रूलिंग गवर्नमेंट, आजादी के बाद पहली मर्तबा रूलिंग गवर्नमेंट का विधायक आया है। एक खड्डा भी बूरने की स्थिति में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मुखिया को और हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो खड्डे तक नहीं बूरते थे, दो साल के दरमियान में, जो 200 किलोमीटर मुख्य-मुख्य सड़कें थीं, एक दूसरे स्टेट को जोड़ती थीं, जिलों को जोड़ती थीं, 150 किलोमीटर सड़कें मुझे आज तक मिली मेरे क्षेत्र में। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि रूलिंग गवर्नमेंट के पहली मर्तबा मुझे मौका दिया गया और इस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है। इन सारी स्थितियों को देखकर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को लग रहा है कि जिस तरीके से दो साल के दरमियान में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं धरती पर उतर रही हैं, इस तरह से योजनाएं आगे भी चलती रहीं, तो आने वाले समय में हमारी कोई वकत नहीं होने वाली।

आजादी के 67 साल बाद कांग्रेस यह कहती है, हमेशा कांग्रेस का यह नारा रहता है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के 50-52 साल तक लगातार प्रदेश के अन्दर राज किया, इतने समय तक राज करने के बाद भी आज हिन्दुस्तान और प्रदेश की

(श्री भीमा भाई)

जनता गरीब क्यों है? मैं प्रदेश के प्रतिपक्ष के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं। असत्य बोलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है।

विधान सभा चुनाव में जब राजस्थान की जनता ने इनका सफाया कर दिया, इसके तुरन्त 6 महीने बाद लोक सभा का चुनाव आता है, तो मेरे एक क्षेत्र में प्रतिपक्ष के एक नेता आकर चुनाव में इस तरह से भाषण देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, हमारी तमाम स्कीमों को बंद कर दिया। हमारी तमाम स्कीमों को बंद कर दिया, इस तरह से भाषण देते हैं। मेरे क्षेत्र में आकर यह कहते हैं कि आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर राजस्थान की विधान सभा में भेजा और आपके यहां पर एक कमला डैम बनाया जा रहा है, कमला डैम बनाकर पूरे क्षेत्र को बूड़ में धकेल दिया जा रहा है। वहां के आदिवासी अनपढ़ लोग उस चीज को मानकर मुझे कहने लगे कि एम एल ए साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है; मैंने पूछा कि क्या गलती हुई; कि आपको वोट देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। यहां प्रतिपक्ष के हमारे पूर्व मंत्रीजी आये और हमको कल कह गये कि आपके यहां तो एक कमला डैम बनाया जा रहा है और आपको सारी की सारी औलाद को उठाकर बाहर जाना पड़ेगा। मैंने सोचा, मैंने पूछा, मेरी सरकार के अन्दर विधान सभा में ऐसा कोई बिल सामने नहीं आया, मंत्रिमण्डल ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, यह कमला डैम कैसे बनाया जा रहा है। मैंने हमारे मंत्रियों को, वहां के सम्बन्धित नेताओं से जानकारी की, तो सारी बात असत्य निकली।

प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता, देश की सरकार, देश की जनता, यह जान चुकी है कि कौन कितना सच्चा बोलता है, कौन कितना असत्य बोलता है। इन कांग्रेसियों की वजह से जनता तंग आ चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार की मुखिया को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं रोड के बारे में बात करना चाह रहा था कि अगर मुझे 75 किलोमीटर सड़क पी डब्ल्यू डी मंत्री महोदय और दे देते हैं, तो मैं कांग्रेसियों के पैर रखने के लिए जगह नहीं देखूं। यह सदन के अन्दर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं।

बिजली के ऊपर हमारे प्रतिपक्ष के नेता तो तीन दिन से काफी कोस रहे हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा, आज से सवा दो साल, ढाई साल पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे क्षेत्र में 24 घंटों में से

(श्री भीमा भाई)

2 घंटे तक बिजली लोगों को नसीब नहीं थी। कृषि कनेक्शन के 1,500 आवेदन वर्ष 2008-09 से पैंडिंग थे। एक भी व्यक्ति को पांच साल में कांग्रेस की सरकार ने कृषि कनेक्शन नहीं दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात करना चाहूंगा, पांच साल में कांग्रेस की सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी कनेक्शन किया हो तो मुझे लाकर बता सकते हैं। हमारी सरकार आने के बाद, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, 1,500 कनेक्शन में से 1,000 कनेक्शन मेरे विधान सभा क्षेत्र में हो चुके हैं। एक हजार कनेक्शन हो चुके हैं। आप नेट से मंगवा लें। मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं पवित्र सदन के अन्दर। कांग्रेसियों की नींद हराम कर रखी है, हमारी सरकार ने। यह योजना अगर लम्बे समय तक चलती रही तो आने वाले समय में इनको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है।

हमारी सरकार की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, संसदीय मंत्री का भी उनके पास प्रभार है, उनको भी मैं बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत वर्षों बाद में जी एन एम और ए एन एम की भर्तियां की हैं, इतनी बड़ी मात्रा में। कांग्रेस के राज में आपने एक भी जी एन एम, ए एन एम की भर्ती की हो, तो बता दें। बहुत वर्षों बाद जी एन एम और ए एन एम की और उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे आदिवासी, जनजाति क्षेत्र को मिला है। (व्यवधान) वह तो पूरा देश, सवा सौ करोड़ का, आने वाले समय में सबक सिखाएगा जैनी वाले मामले में तो। उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में 80 परसेंट सब-सेन्टर्स पर ताले लटके हुए थे, ना तो ए एन एम थी, ना जी एन एम थी। 80 परसेंट सब-सेन्टर्स पर ताले लटके हुए थे। आज की तारीख में मैं यह कह सकता हूं कि मेरे बांसवाड़ा जिले के सौ के करीब जगह नहीं मिलने पर उदयपुर मेडिकल कालेज में उनको जोइनिंग देनी पड़ी। आदिवासी अंचल में पहली मर्तबा इतना बड़ा तोहफा मिला है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय व मंत्रिमण्डल को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही हमारी सरकार की मुख्य मंत्रीजी को बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में फोर-वाटर स्कीम को लागू करके, फोर वाटर अगर किसी ने सुना नहीं हो तो फोर वाटर के बारे में मैं लम्बे समय तक बताऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; फोर वाटर स्कीम मेरे क्षेत्र में लागू की है और 12 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं, वाटर टैंक।

(श्री भीमा भाई)

आजादी के बाद पहली मर्तबा आदिवासी अंचल के अन्दर इतना बड़ा काम चल रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किरण माहेश्वरी जी को धन्यवाद दो ना। 12 करोड़ का काम चल रहा है, इनको धन्यवाद दो। (व्यवधान)

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): ठाकुर साहब, आप सुनते रहें थोड़ी देर। मुझे पहली मर्तबा बोलने का मौका मिला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार की मुख्य मंत्री, आदरणीया, सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हिन्दुस्तान के अन्दर युद्ध हुआ आने वाले समय में, तो पानी के लिए होगा। यह अच्छे-अच्छे बुद्धिजीवियों ने शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने आने वाले समय के पानी के लिए बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया है। फोर-वाटर के साथ-साथ में, पूरे राजस्थान में, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना लायी हैं। आने वाले समय में बरसात के पानी को रोककर वाटर लेवल हाई करने के लिए, कुओं में पानी पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम करना शुरू किया है।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय बाद में बोलने का मौका मिला है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके आशीर्वाद से आदिवासी अंचल के लोगों ने आपके बीच में सदन में भेजा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्षः मैंने घण्टी आपको बैठने के लिए नहीं बजाई थी। आप इधर देख लें, इसलिए बजाई थी। अब आप बोलें।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): धन्यवाद, सर।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के लिए जो हमारी सरकार ने योजना लागू की है, उसके लिए राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में उसकी वाह-वाही हो रही है कि मौसम पर निर्धारित गिरने वाले बरसात के पानी को जमीन के अन्दर रोका जाए और उसका लेवल हाई किया जाए। समुद्र के अन्दर पानी चला जाता है। उस पानी को रोकने के लिए हमारी सरकार ने किया है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार की मुखिया को।

श्री उपाध्यक्षः अब आप कन्क्लूड कर लें। क्योंकि 15 मिनट से ऊपर हो गये आपको।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कई लोग हमारे शिक्षा मंत्री को और सरकार को कोस रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: शिक्षा मंत्री, देवनानीजी को या कालीचरणजी को?

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): दोनों मंत्रियों को। ये प्रतिपक्ष के लोग दो-तीन दिन से कोस रहे हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के 50-52 साल तक आपने राज किया। एक वर्ष में, एक कार्यकाल की सरकार में, कितने स्कूल क्रमोन्नत किये? एक तो कोई बता दे। एक विधायक को, दो साल, दो स्कूलों के अलावा कोई स्कूल क्रमोन्नति का कोटा नहीं मिलता था। लेकिन हमारी सरकार की मुखिया ने, और समस्त मंत्रिमण्डल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में पांच हजार से ऊपर सारे सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करके राजस्थान को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उसका फायदा सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्र में मेरे इलाके में मिला। 44 सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने का मौका मेरे आदिवासी अंचल को मिला है। इसलिए कि हम क्षेत्रीय दल से जुड़े हुए थे, पहली मर्तबा रुलिंग गवर्नमेंट में जुड़ करके हमारी सरकार की मुखिया पर वहां की जनता ने भरोसा किया है। 44 स्कूलें एक साथ। तोहफा मिला है मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में। यह सारी कल्याणकारी योजनाएं धरती के ऊपर उतर रही हैं। बुरा किसको लग रहा है, जो रास्ते में टाका मारा जाता था ना, उन लोगों को बुरा लग रहा है; बीच में कहीं जेब कतरने का काम हो रहा था, उनको जरूर बुरा लग रहा है। तो मैं सरकार की मुखिया को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आजादी के बाद पहली मर्तबा दो माडल स्कूलों का काम प्रगति पर है। साढ़े छह करोड़ के दो काम चल रहे हैं। दो माडल स्कूल, वह शिक्षा के लिए कोई मामूली बात नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, अब आसन को धन्यवाद देकर आप विराज जाएं।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): हमारे बीच में यहां सारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। हमारे जोन के गृह मंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री सम्माननीय कटारिया साहब, हमारे जोन के जनजातीय मंत्री सम्माननीय मीणा साहब, मेरे क्षेत्र के एक-एक गांव से वाकिफ हैं, एक-एक घर से वाकिफ हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की उस इलाके के लिए। उस इलाके को सरकार के साथ जोड़ने के लिए उनका

(श्री भीमा भाई)

बहुत योगदान रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में आ करके, वहां के लोगों को सरकार के साथ जोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है।

साथ ही उन मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे धनसिंहजी रावत सांसद थे, हमारी मुख्य मंत्री पहले की सरकार में मुख्य मंत्री थीं और उस समय हमारे मंत्री लोग लाये थे गोठिया अम्बा में, एक लाख लोगों के बीच में यह कहा था कि माही का पानी हम हाई-लेवल कैनाल से कुशलगढ़ वाले इलाके में ले जाने का प्रयास करेंगे, और इस चुनाव में भी आ करके उन्होंने वहां के लोगों को आश्वासन दे रखा है। मैं हमारे वरिष्ठ मंत्रियों से अनुरोध करना चाहूंगा, सरकार की मुखिया से भी अनुरोध करना चाहूंगा, सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां की जनता को आशा और उम्मीदें हैं कि वहां माही के पानी का हाई-लेवल कैनाल के लिए सर्वे कराने की घोषणा करेंगे।

इतनी बात कहते हुए, मैं पुन: हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए, मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीतलाल।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका आदर। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समर्थन में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा, पढ़ने से सारी जानकारी मिली। पढ़ने से यह अनुभव आ गया कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माननीय भीमराव अम्बेडकरजी के जो उद्देश्य थे और उनके जो सपने थे, वे इस अभिभाषण में आ गये। मान्यवर, मेरा ऐसा आग्रह है, अभी विपक्ष के माननीय सदस्यगण कह रहे हैं, तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये अभिभाषण पहले भी विधान सभाओं में आते रहे हैं। इनकी तुलना करनी चाहिए कि क्या ये आज से 15-20 साल पहले जो बिन्दु आये थे, वे ऐसे बिन्दु, पुराने प्रवचन दिये गये, क्या इसमें हैं? इस पर विचार कर लेना चाहिए, तो अपने-आप अनुभव हो जाना चाहिए कि आज के बिन्दु क्या-क्या हैं और 15 साल पहले के बिन्दु क्या हैं, ताकि उसकी जो कटौती करना, या

(श्री नवनीत लाल)

उसकी बुराई करना, यह अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा मेरा आग्रह है।

मान्यवर, यह हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के लिए हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने लड़ाई लड़ी। उस वक्त, आज तो स्वीकृति लेकर बोला जाता है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उस वक्त क्या स्वीकृति मिलती थी? इस पर सोचना चाहिए। हमारे देश का जो संविधान बना है, उस संविधान की मर्यादा में रह करके ही हमें अपना प्रवचन और विचार देने चाहिए। लेकिन संविधान में न रह करके, जो चर्चाएं हो रही हैं, पक्ष और विपक्ष, पक्ष तो एक तालाब है और विपक्ष नदी है; तो मेरा तो इतना ही आग्रह है विपक्ष से कि यह तालाब है और तालाब में नदी को आकर के मिल जाना चाहिए, ताकि उसका पानी व्यवस्थित रहे। नदी का पानी जो अव्यवस्थित आ रहा है, उस समुद्र में आकर के व्यवस्थित हो जाये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समुद्र में आती है नदी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): हां, तो समुद्र में। नदी का पानी गंदा आता है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): हां, समुद्र में। श्रवणजी, समुद्र में मिल जाये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): सारे नदी-नालों की गंदगी को लेकर के समुद्र में आता है और उसमें आकर के साफ हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य: ये नदी हैं?

श्री नवनीत लाल (घाटोल): हां, ये नदी हैं।

तो मेरा ऐसा आग्रह है, जो आजादी हुई, उस आजादी के समय में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो निर्णय लिये होंगे, और मैं मेरी आंखों, नजरों के देखी हुई बात कह रहा हूं कि सन् 1951-52 में पड़े थे, तो वोट अंगुली उठा करके पड़े थे। खूब तो वोट नहीं थे, पेटी में वोट नहीं थे। व्यक्तियों के बीच व्यक्ति खड़ा रहता था और वोट पड़ जाता था। तो उस वक्त कितनी ईमानदारी थी, कितनी किस तरह से व्यवस्था थी। आज गुप्त मत हो रहा है। गुप्त मत होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार लागू है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह है कि इस गुप्त मत को किस तरह से संवारा जाए, कितना कंट्रोल किया जाए। क्योंकि उस वक्त आजादी आई, उस वक्त नेता को तो भत्ता

(श्री नवनीत लाल)

था और साधु को अनाज दिया जाता था। आज नेताओं को तनख्वाह मिलने लगी, जबकि नेताओं को तनख्वाह का विषय नहीं है। अपना घर चलता रहे और भत्ता लेता रहे, यह नियम बनाये गये थे हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, लेकिन आज वह स्थिति नहीं रही। आज तो वेतन बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। यही मांग चलती आ रही हैं।

तो मेरा ऐसा आग्रह है कि यह जो दल टूटे, दल बने, आज कांग्रेस के माननीय बंधु कह रहे हैं, पक्ष-विपक्ष का विरोध, तो मेरा कांग्रेस के बंधुओं से आग्रह है कि कांग्रेस का बिखराव हुआ, तब ही तो विपक्ष पैदा हुआ। अगर आप अपना घर संभाल कर रखते तो विपक्ष बनता ही नहीं। विपक्ष तो इसलिए बना, आपका घर टूटा तो विपक्ष बना।

मेरा ऐसा आग्रह है कि यह जो एक बुराई का विषय, यहां मंच के सामने, सुनना नहीं; सही सलाह देने का विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम है, सही सलाह देना, लेकिन सलाह न देकर, आप जो हो-हल्ला करते हो, उसको अव्यवस्थित, इससे आम पब्लिक में मेरी समझ से बाहर है। मेरा ऐसा आग्रह है कि इस प्रकार का जो वातावरण है, वह ठीक नहीं है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मेरा आग्रह है, अभी माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि काम क्या हुआ, तो अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा और माननीय मंत्रियों की सलाह के अनुसार, राजस्थान के अन्दर बिना आफिस न्याय कर रहे हैं, जबकि न्याय कराने के लिए गरीब व्यक्ति को आफिस में जाना पड़ता था। लेकिन बिना आफिस न्याय करना, गांव की चौपाल पर बैठकर न्याय कर देना, यह जो योजना बनी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष) **(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): विपक्ष में कोई है ही नहीं। यह श्रवणजी भी पक्ष के ही हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा और मंत्रीगण के द्वारा अधिकारियों को साथ में लेकर, हमारे प्रदेश में करीब 9,884 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में गांव-गांव शिविर लगाए जाकर उनका जो कार्य किया है, जितना पैंडिंग काम था, वह मौके पर निपटाया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी की और सरकार की सराहना करता हूं।

यह भी कह रहा हूं कि हमारे शासनकाल में, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो शासन आया, उस वक्त कई बंधुओं ने भेद-भाव की बात कही। यहां पर यह भी कहा जा रहा है, हमारे देश में अभी कई जगह सुनने में आ रहा है कि आंदोलन चल रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई चल रही है। मेरा ऐसा आग्रह है कि जब सरकार ने बी.पी.एल., ए.पी.एल. का कानून लागू कर दिया; गरीब का कानून लागू कर दिया, तो जातिवाद का प्रश्न रहा कहां? तो इस पर हमारे देश के अन्दर चर्चा अगर चल रही है तो वह नाजायज विवाद है। इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि इस प्रकार कानून के हिसाब से जो बातें हो रही हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि बी.पी.एल., ए.पी.एल. का कानून लागू हो गया, तो उसमें यह प्रश्न अपना आता है। तो इस पर विचार कर लेना चाहिए सरकार की तरफ से। नाजायज जेलों में जाना, नाजायज रूप से पुलिस की परेशानी, नाजायज रूप से अधिकारियों की परेशानी और समय भी नाजायज बेकार जा रहा है।

अब मैं दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा जिले की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि दक्षिणी राजस्थान, जिला बांसवाड़ा में सन् 1966 के दरमियान माही डैम नाम का एक तालाब बनाया गया। उस डैम से दो नहरें निकाली गयीं, दायीं और बायीं, जिसका शिलान्यास माननीय स्वर्गीय उप प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। उसकी दो नहरें निकाली गयीं और करीब 80 हजार हैक्टेयर जमीन की दोनों नहरों से पिलाई होती है।

(श्री नवनीत लाल)

अभी हमारी राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्री, नेता के द्वारा 2006 में 4 अप्रैल, 27-28 अप्रैल को बांसवाड़ा जिला और दक्षिणी राजस्थान का दौरा किया गया, उस दौरे के अन्दर आमलीखेड़ा नाम के गांव में रात्रि पड़ाव लिया गया और वहां पर ऐसा निर्णय लिया गया कि माही डैम के पानी को सब जगह आदिवासी क्षेत्र में, जहां किसान परेशान हैं, सूखी जमीन को पानी पिलाया जाए। इस प्रकार की घोषणा करके वहां सर्वे करवाया गया। पीपलखूंट क्षेत्र का सर्वे हुआ जिसमें 112 करोड़ रुपये की सर्वे में घोषणा हुई। नहर का काम शुरू होने वाला था।

2009 के दरमियान में सरकार बदल गयी और बदली हुई सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो माही डैम का आफिस था, वह आफिस तोड़ दिया गया और इनका आफिस हैडक्वार्टर उदयपुर में बैठा दिया गया। इसके अलावा, छोटी से छोटी स्वीकृति लेने के लिए माही डैम के अधिकारियों को उदयपुर और जयपुर आना पड़ता है।

तो मेरा ऐसा आग्रह है कि उस आफिस को वापस कायम किया जाए ताकि वहां की जनता की जो समस्याएं हैं, वे हल हों। आज की तारीख में अभी हमारे पास फोन आ रहे हैं जगह-जगह से कि वे पूरे अधिकारियों के अभाव में पूरी माही की नहरें जर्जर हो गयी हैं। कांग्रेस के माननीय बंधु कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मेरा ऐसा आग्रह है और मेरा व्यक्तिगत तो ऐसा मानना है कि यह दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोग जो हैं, वे बी.जे.पी. को वोट न दें, इस भाव को लेकर यह माही डैम का आफिस तोड़ा गया है। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि इस आफिस को वापस कायम किया जाए।

माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा वहां पर घोषणा की गयी थी, पीपलखूंट के सूखे एरिये में एक नहर निकालने की घोषणा की गयी थी और उस घोषणा के अन्दर सर्वे हुआ है। सर्वे में जो गांव लिये गये हैं- पीपलखूंट, जेथलिया, सोवनीया, कुपड़ा, टामटिया, नालचौकी, बोरी, मोरबनिया, धारना, धाता, मोयडीखेड़ा, केला-मेला, ठेसला, भेट्ट, नलदा, सागवारी चौकी, दतियार, पंडावा, इस तरह से कुल 19 गांवों का सर्वे हुआ और इनकी जमीन है 48,789 एकड़ जिसमें से 12,724 एकड़ भूमि में खेती हो रही है। वह जमीन सूखी है। तो वहां के जो काश्तकार हैं वे अभी इस इंतजार में हैं कि जो नहर की स्वीकृति मिली थी उस नहर को स्वीकार किया जाए; जो कांग्रेस के शासनकाल में रोक दिया

(श्री नवनीत लाल)

गया है उसको वापस कायम किया जाए। वे फाइलें दबी पड़ी हैं। तो सिचाई मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि वह फाइल कार्यालय में दबी पड़ी हैं, उस फाइल को निकाला जाकर सर्वे के अनुसार वापस नहर का काम शुरू किया जाए ताकि यह पेयजल समस्या जो है, उसका निराकरण हो और मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना जो है, उसमें हमें सफलता मिले। तो ऐसा मेरा आग्रह है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(19.00 बजे)

मान्यवर, मेरा यह भी आग्रह है, अभी नौकरियों के बारे में कहा गया कि 15 लाख नौकरियां लगायी जाएंगी, कांग्रेस के माननीय बन्धु कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं लगाई गई। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय और नौकरियां लगाने में प्रदेश में अभी 6 फरवरी से 6,040 शिविर लगाये जाकर जो नौकरियां दी गयी हैं, वह महिला समूहों में 2015-16 में 1,589 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और 1,820 स्वयं सहायता समूह बनाकर 18 करोड़ 82 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया है। 2015-16 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खाते खोले गये। ऐसा भामाशाह योजना के अन्दर अपने आप जमा हो रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के बन्धु कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे देश के अन्दर पंचायती राज की जो शुरुआत हुई, उस वक्त पंचायती राज में तीन संस्थाएं आती थीं, एक प्राइमरी स्कूल, सहकारी समितियां और ग्राम पंचायत। प्राइमरी स्कूल तो चली लेकिन सहकारी समिति हमारे देश के अन्दर दबी हुई थी। उस सहकारी समिति को बढ़ावा देकर, अभी अपने आप खातों में पैसा जमा हो रहा है, जिसके लिये मैं हमारे माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देता हूं। गरीब से गरीब जनता की सुनवाई हुई है और अभी दक्षिणी राजस्थान में माननीया मुख्य मंत्रीजी के नाम से, जो बच्चियां पैदा होती हैं, तो इनके नाम पर उनका नाम रखा जा रहा है। गाड़ियों में गीत गाये जा रहे हैं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो योजनाएं दक्षिणी राजस्थान में यह एस.सी., एस.टी. के लोगों को ऊपर उठाने की बनाई गई हैं, गांव-गांव को जगाया गया है।

इसलिए मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के माननीय बन्धु इस पत्र को पढ़ें और देखें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह गीत तो बताओ, कौनसा है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री नवनीत लाल (घाटोल): वे गीत गा रहे हैं। वह तो मैं किसी महिला से गवाकर सुनवा दूंगा।

एक माननीय सदस्य: श्रवणजी को बुलाकर सुनवा दो गीत।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मेरा आग्रह है, यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, इस अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों को कह रहा हूं कि आप दो साल पहले के अभिभाषण की कापी और इस कापी का मिलान करें कि ये बिन्दु पहले आये थे क्या? इसमें छोटे से छोटे बिन्दु, घर, आंगन, सुराज, खेत-खलिहान, मेड तक की रिपोर्ट आई हुई है। इसलिए मैं खूब-खूब धन्यवाद देकर, मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): अमृता जी का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की आदरणीया, यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी सिंधिया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि वसुन्धरा जी की सरकार बनी तो एक नारा था 'सबका-साथ-सबका-विकास', यह सपना अब पूरा होता दिख रहा है। विगत दो वर्षों में जो सरकार ने विकास करवाये हैं उन्होंने पूरे राजस्थान की दशा और दिशा बदल दी। राजस्थान सरकार की सौर ऊर्जा, खनन, पर्यटन, निवेश प्रोत्साहन, सूचना प्रौद्योगिकी ,आदि कई नीतियों से राजस्थान एक विकसित श्रेणी में आ गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सुराज संकल्प यात्रा के तहत श्रीमती वसुन्धरा राजे जी जालौर आईं तो उन्होंने देखा कि जालौर में पानी की बहुत दिक्कत है। 2003 में जब भाजपा की सरकार थी तो मुख्य मंत्रीजी ने नर्मदा नहर का एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिससे गुजरात से नर्मदा का पानी डायरेक्ट जालौर में आना था, लेकिन 2008 में कांग्रेस का शासन आया तो इस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि अपनी सरकार बनते ही दो सालों में सबसे पहले यह काम करवाया कि नर्मदा नहर का पानी जालौर को मिला। अब जमीनी स्तर पर मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आप

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

कहते हो कि नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट तो जालौर में आ गया; आप आकर देख लीजिये, हर घर में नलों में नर्मदा का पानी आ रहा है। मैं तो जालौर की सारी जनता की तरफ से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि यह इतिहास में एक ऐसा काम किया है मैडम ने, कि सदियों तक याद रखा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला विधायक होने के नाते मैं महिला मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने राजस्थान की महिलाओं की पुकार सुनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ए एन एम कार्यक्रमों को समग्र रूप से संचालित करने हेतु प्रायोगिक तौर पर अक्षदा कार्यक्रम शुरू किया। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विशेष स्वास्थ्य मापदण्डों में निरन्तर सुधार होता रहा। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के प्रबन्ध में एवं देखभाल हेतु 11 जुलाई, 2015 से 'कुशल मंगल' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। पी सी पी एण्ड टी एक्ट की पालना में राजस्थान देश का पहला राज्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि भारत सरकार द्वारा हाल ही जारी रिपोर्ट में राजस्थान सरकार के कार्यों को सराहा गया। 'बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ' अभियान के तहत की गयी कार्यवाही के सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं।

साथ ही एक काम और जो पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 27 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ किया गया, यह एक ऐसी योजना है जिसमें एक टाइम लिमिट है कि 30 जुलाई तक यह योजना पूरी हो जानी चाहिये। कांग्रेस वाले यह न समझें कि यह एक योजना है और सालों-साल चलती रहेगी। हर गांव का टाइम पीरियड है कि इस तारीख से इस तारीख तक इस योजना को पूरा जमीनी स्तर पर कर दिया जाएगा। इससे हमें जो वर्षा का पानी बरसता है और व्यर्थ बह जाता है और वेस्ट हो जाता है, उससे हम इस पानी को रोककर जमीन में डालेंगे ताकि आने वाले समय में जो हम ट्यूबवेल्स खोदते हैं तो देखा जाता है कि 400-600 फीट तक पानी जा चुका है, तो उससे पानी का लेवल भी ऊपर आएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक और भामाशाह योजना शुरू की गयी है, जिसके लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

इस योजना से पूरे राजस्थान में करोड़ों से अधिक परिवारों को लाभ मिला। बी पी एल स्टेट, बी पी एल अन्त्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखियाओं को दो हजार रुपये प्रति परिवार सहायता राशि का भुगतान दिया जा चुका है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फायदा होगा। इससे दिसम्बर, 2015 तक 10 लाख 69 हजार परिवारों के खाते में 208 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।

महिला हित के कार्यों के लिए मुख्य मंत्रीजी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनन्दन करूंगी क्योंकि मुझे गर्व है कि महिला मुख्य मंत्री हैं। विपक्ष के सदस्य उन पर कटाक्ष करते रहते हैं कि आपकी सरकार में ऐसा किया। मैं गर्व करती हूं मेरी महिला मुख्य मंत्री पर, और हमें बहुत गर्व है और हम भी उन्हें यह देखकर सीखते हैं कि एक महिला मुख्य मंत्री पूरे राज्य को किस तरह से संभाल रही हैं। एक मां के समान, अपने बच्चे समझकर, हमें बुला-बुलाकर कहती हैं कि यह काम करवाना है, जमीनी स्तर का पहले काम करवाओ, जिससे गरीब तबके को फायदा हो। तो ऐसी मुख्य मंत्रीजी होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं तो कांग्रेस वालों को भी कहना चाहूंगी कि आपको भी गर्व करना चाहिये कि एक महिला होने के नाते वे कितना कुछ कर रही हैं राज्य के लिए। इतना ही कहकर, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।

अन्त में एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जहां से हम आते हैं, वहां हमारा 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र होता है और जो विधायक कोष हमें साल भर का मिलता है वह बहुत कम होता है। तो उसे भी थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हम गांवों में अच्छा बजट दे सकें और काम करवा सकें।

इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवर सिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात रखने का समय दिया, आपका आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ढाई साल पहले जब सुराज संकल्प पत्र जारी किया गया और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान के अलग-अलग जिलों में जाकर के जनता से जो वायदे किये गये, मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री भंवरसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बेरोजगारों को 15 लाख नौकरियां देने का बी.जे.पी. के घोषणा पत्र में वादा किया गया था। ढाई साल में साढ़े सात लाख राजस्थान के बेरोजगारों को अब तक नौकरी दी जानी चाहिए थी,लेकिन हुआ इसका उलटा। राजस्थान में बी.जे.पी. की सरकार बनने के बाद सात साल से काम कर रहे 24 हजार विद्यार्थी मित्रों को एक आदेश के तहत सीधे घर भेजने का आदेश दिया गया, तो वर्तमान सरकार के द्वारा दिया गया। उन्हें विद्यालय सहायक बनाने का एक झांसा देकर के पिछले लम्बे समय से गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान के इन बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविदा पर काम करने वाले सिर्फ विद्यार्थी मित्र ही नहीं, बल्कि कम्प्यूटर आपरेटर, पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले अन्य कर्मचारी, चिकित्सा विभाग में काम करने वाले संविदा के कर्मचारी, स्कूलों में संविदा पर काम करने वाले कम्प्यूटर आपरेटर, इनकी संख्या लगभग एक लाख है, जिन्हें वर्तमान सरकार के द्वारा पिछले ढाई सालों में हटाने का कार्य किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012-13 में 40 हजार से भी अधिक अध्यापकों की भर्ती की गयी थी और उन अध्यापकों को सर्विस लगने के बाद करीब तीन-साढ़े तीन साल का समय हो गया, 37 महीने से भी अधिक का समय हो गया, लेकिन आज भी राजस्थान का शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उन 40 हजार अध्यापकों को सिर्फ दस हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से उनका भुगतान किया जा रहा है। उनको नियमित करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेरोजगारों का कोई शोषण हो नहीं सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिक्षा का ढांचागत सुधार किया जायेगा, उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोला जायेगा, कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा, ये सब घोषणाएं बी.जे.पी. के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखी गयी हैं, लेकिन सरकार ने इनका उलटा किया। 17 हजार विद्यालयों को एकीकरण के नाम पर बंद करने का आदेश सरकार के द्वारा किया गया और उन 17 हजार स्कूलों में 50 हजार से भी ज्यादा अध्यापकों के पद समाप्त करने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया।

(श्री भंवरसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान में 24 हजार विद्यार्थी मित्र हटाये गये, उन 24 हजार विद्यार्थी मित्रों को हटाने से ऐसे हजारों स्कूल हैं जो सिर्फ, और सिर्फ, एक या दो विद्यार्थी मित्रों के द्वारा संचालित किये जा रहे थे और विद्यार्थी मित्र हटने के बाद 2014 के सत्र से लेकर आज तक वे विद्यालय बंद पड़े हैं। सरकार के द्वारा वहां अध्यापक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के छात्रों को पिछले दो सालों से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, जो उन्हें हमेशा लम्बे समय से मिलती रही थी।

आदर्श विद्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय खोले गये। तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच विद्यालयों का एकीकरण करके, विद्यालयों को ताले लगाकर के, आदर्श विद्यालय खोले गये और पांच विद्यालय के हजार से भी ज्यादा बच्चों को एक ही विद्यालय में इकट्ठा कर लिया गया, चाहे वहां बैठने की जगह है, चाहे नहीं है; चाहे वहां पूरे अध्यापक हैं, चाहे नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन आदर्श विद्यालयों में दसवीं से बारहवीं तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिये गये लेकिन इन स्कूलों में व्याख्याताओं के तीन पद होते हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के; उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी व्याख्याता पढ़ाने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके साथ यह मजाक नहीं तो क्या है कि दसवीं, ग्यारहवीं में जो बच्चा पढ़ता है उसे पढ़ाने के लिए कोई व्याख्याता नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक सेकण्ड ग्रेड के जो अध्यापक होते हैं वे नहीं हैं?

मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान के अलग-अलग जिलों में रोजाना स्कूलों के ताले लगाये जा रहे हैं। बालक और बालिकाएं जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं।

यहां हमारे शिक्षा मंत्रीजी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार द्वारा 2013 में राजस्थान में 46 राजकीय महाविद्यालय खोले गये थे। चूंकि सितम्बर माह में वे राजकीय महाविद्यालय

(श्री भंवरसिंह)

खोले गये थे, तो उसमें शैक्षणिक एडमिशन नहीं हो पाये थे और उन महाविद्यालयों को 2014 के शैक्षणिक सत्र में चालू किया जाना था। लेकिन इन तमाम 46 राजकीय महाविद्यालयों को, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी बार-बार बीकानेर आते हैं, बीकानेर के भी तीन राजकीय महाविद्यालय हैं, खाजूवाला का राजकीय महाविद्यालय, कोलायत का राजकीय महाविद्यालय, डूंगरगढ़ का राजकीय महाविद्यालय, जो तीनों राजकीय महाविद्यालय निहायत जरूरी थे, लेकिन बी.जे.पी. की सरकार बनने के बाद इन तीनों बीकानेर जिले के राजकीय महाविद्यालयों सहित 46 राजकीय महाविद्यालयों को बंद करने का काम किया गया, तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में खोले गये विश्वविद्यालय, जो तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला गया, जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला गया, इनके अलावा भी अन्य हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय खोला गया था, उन तमाम विश्वविद्यालयों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया।

हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, हमारे माननीय विधायक उनके पास बैठकर के टेबल बजा रहे हैं। माननीय विधायक जी, मैं कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी बीकानेर आये, बीकानेर में लोक सभा के चुनाव में आये, तो उन्होंने कहा कि बीकानेर का तकनीकी विश्वविद्यालय हम खोलेंगे। लोक सभा का चुनाव जीत लिया वहां की जनता को गुमराह करके। उसके बाद नगरपालिका, नगर निगम के चुनाव में आये, पंचायती राज के चुनाव में प्रभारी बनकर के आये, लेकिन हर बार उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने बीकानेर की जनता को झांसा देकर के गुमराह किया। बीकानेर में न तो तकनीकी विश्वविद्यालय को चालू किया और न ही बीकानेर के कालेजों को शुरू करने की कोई बात की जा रही है।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य: हैं, ये बैठे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): कल हमारे राजगढ़ के माननीय विधायक मनोज जी न्यांगली कह रहे थे कि हम राठौड़ साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोल दिया, उन्होंने

(श्री भंवरसिंह)

चूरू में मेडिकल कालेज खोल दिया। राठौड़ साहब, आप भी बीकानेर पधारे थे और जो सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम था, उस दौरान आपने बीकानेर की जनता को यह आश्वस्त किया था कि तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर का हक है और इसे बीकानेर से नहीं छीना जायेगा। लेकिन ढाई साल का समय बीत गया, आप शायद उस समीक्षा कमेटी में भी होंगे, राठौड़ साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप चूंकि स्वयं बीकानेर सम्भाग से हैं और यह बीकानेर जिले का मामला नहीं है, तकनीकी विश्वविद्यालय बल्कि पूरे बीकानेर सम्भाग का ही नहीं, बल्कि 15-20 जिलों के छात्र-छात्राओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिन्हें आज सात सौ किलोमीटर दूर कोटा जाना पड़ता है।

मैं राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी को, शिक्षा मंत्रीजी को आप नसीहत दीजिये कि बीकानेर के साथ इतना बड़ा भेदभाव करना उचित नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने की बी जे पी के चुनाव घोषणा-पत्र में बात की गयी थी। राजस्थान में 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाना तो दूर रहा, 20 किलोमीटर सड़क भी अगर इनका जो प्लान था, उसके अन्तर्गत बनाई हों, तो मैं कह सकता हूं। सड़क मंत्रीजी अभी यहां विराजमान नहीं हैं। मैं मिसिंग लिंक और गौरव पथ की बात नहीं कर रहा हूं, मदन जी राठौड़ साहब। यह घोषणा की गई थी बजट में, 2014 के, कि हम राजस्थान की मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को, स्टेट हाइवेज को क्रमोन्नत करके 20 हजार किलोमीटर का नवीनीकरण करेंगे, उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे, उनकी चौड़ाई बढ़ायेंगे। मदन जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी स्टेट हाइवे, एक भी एम डी आर का अगर विस्तार किया गया हो, तो मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं।

आपने यह कहा था कि हम पी पी पी माडल लेकर के आयेंगे, लेकिन आपके पास कोई भी कम्पनी नहीं आई, कोई निवेशक नहीं आया, जिसने राजस्थान में पी पी पी माडल के आधार पर सड़क बनाने की बात की हो। तमाम निवेशकों के द्वारा यह कहा गया कि राजस्थान की सड़कें वाएबल नहीं हैं; राजस्थान की सरकार यदि बजट देती है तो प्राइवेट पी पी पी के आधार पर सड़क बन सकती है। लेकिन ना तो राजस्थान की सरकार के द्वारा कोई बजट दिया गया और ना वे 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं।

(श्री भंवरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो पैच करने लायक टूटी-फूटी सड़कें थीं, उन सड़कों के बारे में युनुस खान जी ने और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा 2014 में यह कहा था कि हम ओ पी आर सी पद्धति लेकर के आयेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उस ओ पी आर सी पद्धति का क्या हुआ। हम सम्भाग मुख्यालय पर पूरे सम्भाग का एक कम्पनी को ठेका देंगे; वह कम्पनी सड़क टूटते ही, उसकी रोड एम्बुलेंस होगी और वह रोड एम्बुलेंस जायेगी और उस सड़क को तत्काल ठीक करेगी। राजस्थान में सड़कों के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि ओ पी आर सी और रोड एम्बुलेंस की बात तो दूर रही, उनके खड्डे भरने का काम भी स्थानीय स्तर के अधिकारी नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की नान-पैचेबल सड़कों की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल सड़कों की लम्बाई 2 हजार किलोमीटर है, उसमें से 450 किलोमीटर सड़कें नान-पैचेबल हैं। पिछले 2 सालों में नान-पैचेबल सड़कों का जो पूरे राजस्थान में बजट दिया गया है, हर विधान सभा क्षेत्र वाइज, पहले साल में 16 किलोमीटर कर दिया गया और दूसरे साल में उसका आधा करके 8 किलोमीटर दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जिस विधान सभा क्षेत्र में 450 किलोमीटर नान-पैचेबल सड़कें हों, वहां 8 किलोमीटर व 16 किलोमीटर नॉन-पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण के लिए बजट दिया जायेगा, तो क्या यह उस विधान सभा क्षेत्र के लिए और वहां की जनता के साथ न्याय होगा? मैं कहूंगा कि यह निश्चित रूप से अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जैसे अघोषित रूप से बंद कर दिया गया हो, उस तरह के हालात हैं। 2013 में जो सड़कें बनाई गईं, उनका पूरा भुगतान अभी तक ठेकेदारों को नहीं किया गया है। नई सड़कें पी एम जी एस वाई में पिछले 2 सालों में एक भी नहीं बनी है। जो मरुस्थलीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढाणियों को जोड़ने की बात थी, उन ढाणियों को भी नहीं जोड़ा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 2014 में माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बजट घोषणा की गई थी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की जो सड़कें हैं, 476 किलोमीटर सड़कें, जिसमें बीकानेर,

(श्री भंवरसिंह)

गंगानगर, जैसलमेर और थोड़ा जोधपुर जिले का हिस्सा है, उन सड़कों का हम विकास करवायेंगे और उन सारी सड़कों को ठीक करेंगे, लेकिन 2 साल का समय बीत गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की सड़कों को ठीक करवाने की मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा पर अभी तक आधा किलोमीटर क्या, एक मीटर भी काम नहीं हुआ है। कम से कम जो बजट में घोषणाएं की जायें, उन पर तो अमल किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बजट घोषणा 2015, सड़कों के बारे में, जिसमें हमारे बीकानेर जिले से सम्बन्धित सड़कों के नवीनीकरण करने की बात की गई थी और उन सड़कों को चौड़ा करने की बात की गई थी, बजट घोषणा 2015-16 में उसमें एक नम्बर पर सड़क थी डूंगरगढ़-सरदारशहर-राजगढ़ जिसकी लम्बाई 159 किलोमीटर है; श्रीगंगानगर-रायसिंहनगर-बीकानेर जिसकी लम्बाई 227 किलोमीटर है; और सीकर-लाडनूं-नोखा जिसकी लम्बाई भी 200 किलोमीटर है, इन तीनों सड़कों का नवीनीकरण करना, इन सड़कों का विकास करने की बजट घोषणा है, लेकिन यहां भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय चाहूंगा। इसके अलावा, मिसिंग लिंक सड़कें, कांग्रेस की सरकार थी, यहां कई पूर्व माननीय विधायक विराजे होंगे; पिछली कांग्रेस की सरकार के समय हर विधायक को बिना भेदभाव के लगभग 5 सालों तक अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में 8-8 किलोमीटर की सड़कें मिसिंग लिंक और, उसके अलावा, धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए भी 5 किलोमीटर प्रति विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से सड़क देने का प्रावधान किया गया था और कांग्रेस एवं बी जे पी के सभी विधायकों ने सड़कें बनाईं। लेकिन ढाई साल में सिर्फ एक बार 8 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें दी गईं और एक बार सिर्फ कुछ पंचायतों में गौरव पथ बनाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें और निवेदन करना चाहूंगा। बिजली के क्षेत्र में 24 घंटे व 8 घंटे बिजली देने की बात की गई थी, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। कृषि कनेक्शन कांग्रेस की सरकार ने, आप मेरी बात सुनिये, कांग्रेस की सरकार ने दिसम्बर, 2008 तक के कृषि कनेक्शन पूरे राजस्थान के निकाले थे। आप ढाई साल में कितना आगे बढ़े हैं? मंत्री महोदय, सुनिये, अक्टूबर, 2009, सिर्फ 10 महीने के कनेक्शन आपने ढाई सालों में दिये

(श्री भंवरसिंह)

हैं। इससे ज्यादा किसानों के साथ भेदभाव क्या हो सकता है? ढाणियों के विद्युतीकरण की मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के लाखों फार्म आज भी कार्यालयों में जमा पड़े हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि बी जे पी के घोषणा-पत्र में बूंद-बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन जो पश्चिमी राजस्थान में लाखों की संख्या में हैं, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है और इन बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शनों को हमारी सरकार बनते ही हम सामान्य श्रेणी में तब्दील कर देंगे। बी जे पी की सरकार बने हुए ढाई साल से भी अधिक समय हो गया है लेकिन इन बूंद-बूंद श्रेणी के जो कृषि कनेक्शन लेने वाले किसान हैं, उनको आज तक सामान्य श्रेणी में तब्दील नहीं किया गया है। इससे ज्यादा वादा-खिलाफी और कोई हो नहीं सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार मैंने देखा है कि राजस्थान में चाहे घरेलू कनेक्शन हैं, चाहे कृषि कनेक्शन हैं, चाहे औद्योगिक कनेक्शन हैं, अभी जनवरी और फरवरी के महीनों में सब के घर पर 1 हजार से लेकर के 2 लाख रुपये तक की एक स्लिप भेजी गयी है और उसमें एक बिल भेजा गया है, उसमें लिखा गया है कि उपभोक्ता यह अंतर प्रतिभूति राशि जमा कराये और इसका विद्युत निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उसका 9 परसेंट की दर से सम्बन्धित उपभोक्ता को ब्याज दिया जायेगा। यह किस प्रकार का काला कानून है? किसान ने, आम उपभोक्ता ने, कनेक्शन लेते समय प्रतिभूति राशि जमा करा दी थी और अब विभाग और सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए किसानों से पैसा जमा करा रहे हैं, आम आदमी से पैसा जमा करा रहे हैं और उसको 9 परसेंट से ब्याज देने की बात की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसान तो पहले ही कर्जे के तले दबा हुआ है और ऊपर से बिजली विभाग का इस प्रकार का फरमान जारी करना, इससे ज्यादा कोई बात हो नहीं सकती है।

पिछले बजट सत्र में यह घोषणा की गई थी कि ओलावृष्टि में जिन किसानों की फसलें बरबाद हुई हैं, उनके हम बिजली के बिल माफ करेंगे। कटारिया जी अभी शायद सदन में मौजूद नहीं हैं। हमारे बीकानेर जिले में एक भी किसान का, ओलावृष्टि से प्रभावित किसान का बिजली का बिल माफ नहीं किया गया। इससे ज्यादा सदन की अवहेलना हो नहीं सकती है।

(श्री भंवरसिंह)

मुख्य मंत्री राजस्व ग्राम पंचायत योजना में कोई बजट नहीं दिया गया।

निर्मल भारत अभियान के तहत बीकानेर जिला पहले ही सम्मानित हो चुका है। सिर्फ वाहवाही लेने के लिए इसका नाम स्वच्छ भारत अभियान करके लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

मनरेगा में निश्चित रूप से जो रोजगार का आंकड़ा है, वह कम हुआ है। मनरेगा में पक्के कार्य जिला कलक्टर स्वीकृत नहीं कर रहे हैं।

पंचायतों के पुनर्गठन में भारी अनियमितताएं हुई हैं, पक्षपात हुआ है। बीकानेर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पंचायत समितियां बननी चाहिए थीं, वे नहीं बनाई गई हैं।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं में अपना राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र जो था, उसका नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र बनाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम दस लाख रुपये उस पंचायत में देते और फिर उसका नाम अटल सेवा केन्द्र रखते, तो निश्चित रूप से सरकार की कोई उपलब्धि होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस सरकार के विरुद्ध बहुत सारे आंकड़े हैं लेकिन समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, सरकार का जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने जो वायदे किये हैं, कम से कम उन वायदों पर आने वाले ढाई सालों में काम करें और यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया, उस अभिभाषण में सिर्फ, और सिर्फ, असत्य का पुलिंदा है। उसमें जनता को गुमराह करने वाला जो अभिभाषण सरकार के द्वारा राज्यपाल महोदय को लिखकर दिया गया, निश्चित रूप से जनता से इस अभिभाषण में जो वायदे किये गये, जन हित में जो काम होने थे, मैं उनसे पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्ण कड़वा।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री कृष्णा कड़वा)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस सत्ता छोड़कर गई, तब कांग्रेस को पता था कि खजाना खाली है और विकास होना सम्भव नहीं है। जैसे ही माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता संभाली तथा कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि विकास के लिए कार्य नहीं हो रहे; सरकार ने क्या कार्य करवाया? इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया लेकिन इन विषम परिस्थितियों में असम्भव को सम्भव करने वाली हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे -ऐसे काम करवाये, ऐसी-ऐसी योजनाएं दीं जो मील का पत्थर साबित हो रही हैं और देश के दूसरे प्रदेश भी माननीया मुख्य मंत्रीजी का अनुसरण करना चाह रहे हैं। प्रदेश का आर्थिक ढांचा सुधरा है और प्रदेश का गौरव बढ़ा है।

सुराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सरकार-आपके-द्वार, आपका-जिला-आपकी-सरकार, न्याय-आपके-द्वार तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल जैसे अभिनव कार्यक्रमों से हमारी समस्याओं का समाधान किया है। माननीया मुख्य मंत्रीजी की भामाशाह योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं श्रम हितकारी पंजीयन योजना, काबिले तारीफ हैं।

माननीया मुख्य मंत्री द्वारा आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट, 2015 के सफल आयोजन हेतु मैं उनको बधाई देता हूं। इससे हमारे प्रदेश में निवेश का वातावरण बना है और राजस्थान निवेशकों की पहली पसन्द बना है।

राज्य के 18 प्रमुख मंदिरों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण करवाया जा रहा है, जिनमें हम आस्था रखते हैं। इसमें मेरे जिले का गोगामेड़ी मंदिर भी शामिल है। यह मंदिर सर्व धर्म, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, सबकी आस्था एवं भाईचारे का प्रतीक है। यहां पूरे राजस्थान से सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं।

राजस्थान सरकार द्वारा हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी गईं एवं लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

(श्री कृष्णा कड़वा)

मैं मेरे विपक्ष के साथियों को यह भी बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे-ऐसे काम हुए हैं जिनके लिए लोग सालों से आंदोलन कर रहे थे। माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी पहली बार और पहली ऐसी मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने नहरों का दौरा किया और पिछली बार जब वे मुख्य मंत्री नहीं थीं तब उन्होंने गंगानगर और हनुमानगढ, दोनों जिलों के नेताओं को नहरों का सर्वे करने, उनका दौरा करने के लिए भेजा ताकि उनकी कमियों का पता चल सके। जब सरकार सत्ता में आई है तो सरकार ने, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उन कार्यों को, उन कमियों को दूर करने की तरफ ध्यान दिया और काम चालू हो गये।

मैं नहरों के सुदृढ़ीकरण और सफाई की बात करूंगा। पिछले पचास सालों में जो काम नहीं हुआ था, जितना पानी हमें मिलना चाहिए था उतना पानी हमें नहीं मिल रहा था; उसका एक चौथाई पानी भी हमें नहीं मिल रहा था। सार्दुल ब्रांच, करणीसिंह ब्रांच में पेड़ उग आये थे। आज उनकी सफाई और सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है। टिब्बी तहसील में इन्दिरा गांधी नहर पर आर डी 582 पर क्रास रैगुलेटर का कार्य जो हनुमानगढ़ जिले के लिए भाखड़ा-नांगल है, इसके लिए पूर्व में हजारों किसानों ने आंदोलन किया था, आज माननीय मंत्रीजी के प्रयासों से वे काम चालू हो गये हैं और प्रगति पर हैं। इससे हजारों किसानों को लाभ होने वाला है। सारी नहरें पक्की होंगी, सारे खाळे पक्के होंगे, जिनका काम भी चालू हो चुका है। क्षेत्र में पानी चोरी पर भी रोक लगाई गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को यह बताना चाहता हूं कि ये ऐसे काम हैं जो दूसरे व्यवसाय से जुडे लोग हैं उनको पता नहीं चलते, सड़क से जो लोग गुजरते हैं उनको पता नहीं चलते। इनकी असली चीज और इसका असली फायदा जो किसान लाभांवित हो रहे हैं, उन्हीं को पता हैं।

इसलिए आज माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी की घर-घर में पूजा हो रही है और माननीया मुख्य मंत्रीजी आज किसानों के दिल में बसी हुई है। मैं यह समझता हूं कि इसी तरह विकास के काम होते रहेंगे, तो अगले दो साल में हम जनता से किए गए सारे वायदे पूरे कर देंगे और अंतिम साल विकास पर्व के रूप में मनायेंगे। इन्सान का स्वभाव होता है कि वह हर चीज

(श्री कृष्णा कड़वा)

में कोई न कोई कमी ढूंढता है, पर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा कराये गये विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। विपक्षी भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हमारी कमियां हमें बताएं ताकि हम ज्यादा सावधानी से अच्छे कार्य कर सकें, पक्ष और विपक्ष मिलकर राजस्थान का विकास कर सकें, लोकप्रिय माननीया मुख्य मंत्रीजी के जय-जय-राजस्थान के नारे को साकार कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री सुशील कटारा। सम्माननीय सदस्य, आपको कुछ सीख लेनी चाहिए और सारे सदस्यों को उनसे सीख लेनी चाहिए। समय का कितना मर्यादित आचरण निभाया है।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो दिन से इन्तजार कर रहा हूं और कहीं पास में अगर, घर के आसपास में...

श्री उपाध्यक्षः कहीं आप अगर यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि दो दिन का समय आपको एक दिन में मिल जाएगा, तो यह तो सम्भव प्रतीत होता नहीं है।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के सवा दो साल पूरे हो गये और इन सवा दो सालों में लगभग डेढ़ साल का समय चुनावों में निकला। फिर भी सच-होते-सपने, सबका-साथ-सबका-विकास के संकल्प के साथ में हमारी राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दो सालों में जो राजस्थान का विकास किया है, वह पूरा हिन्दुस्तान जानता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दो वर्षों में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के चहुंमुखी विकास हेतु सौर ऊर्जा, खनन, पर्यटन, शिक्षा, निवेश में प्रोत्साहन की कहें, सूचना और प्रौद्योगिकी की बात करें, स्टार्ट-अप-इण्डिया की बात करें, अनेक ऐसी नई नीतियां राज्य में लागू कीं जिनसे आज हमारा 'बीमारू राजस्थान' के नाम से कांग्रेस ने दिया था, वह कहीं न कहीं अग्रणी हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हमारी यशस्वी मुख्य

(श्री सुशील कटारा)

मंत्रीजी का मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा धर्म कोई भी हो सकता है, मैं किसी मंदिर में देवता की पूजा करूं, या किसी धार्मिक ग्रन्थ का अध्ययन करूं, यह मेरा निजी विषय हो सकता है, पर मुख्य मंत्री के नाते मेरा एक ही धर्म है और वह राज धर्म है। राज धर्म का अर्थ है कि सभी लोगों को साथ में लेकर चलना, राजस्थान में सभी 36 कौमों का विकास करना, सभी लोगों को विकास के एक रास्ते पर ले जाना, यह हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारी सारी टीम ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव का गरीब और किसान की दुर्दशा, मैं उस जनजाति क्षेत्र से आता हूं, उस टी एस पी क्षेत्र से आता हूं, जिसके बारे में हमारे कई माननीय विधायक महोदयों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दिया। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उस क्षेत्र में, परिवर्तन यात्रा कहें, या सुराज संकल्प यात्रा कहें, कई बार उनका वहां दौरा हुआ है। उन्होंने उस यात्रा के दौरान देखा है कि उस टी एस पी क्षेत्र में जनजाति की क्या हालत है, जनजाति विद्यार्थी की क्या हालत है, वहां के किसानों के क्या हाल है। यह उन्होंने इन 8-10 सालों में महसूस किया है। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ समय पहले कह रहे थे कि 20 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गये राजस्थान में और कब तक कांग्रेस की रट लगाते रहेंगे, लेकिन टी एस पी क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र रहा है कि हमेशा लगभग कांग्रेस का ही राज रहा है। इन 8-10 सालों में वहां पर नई पीढ़ी, जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी शिक्षा में जाग्रति लायी हैं और उस आधार पर एक नया परिवर्तन आया है कि आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कहें, या उदयपुर जिला कहें वहां 28 में से 26 एम एल ए भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आये हैं और आज 163 एम एल ए यहां पर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा का चुनाव कहें, पंचायती राज का चुनाव कहें, नगरपालिका, नगर परिषद का चुनाव कहें, या प्रधान का चुनाव कहें, पंचायती राज के जिला प्रमुख का चुनाव कहें, कहीं भी कांग्रेस को जरा भी सफलता नहीं मिली। देश आजाद होने के बाद में, वहां एक परिकल्पना कर सकते हैं, उस जनजाति क्षेत्र में क्या स्थिति होगी। कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। आज वहां का पढ़ा-लिखा शिक्षक, पढ़ा-लिखा युवा, या वहां का काश्तकार राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को याद करता है, देश के प्रधान मंत्रीजी

(श्री सुशील कटारा)

को याद करता है। देश आजाद हुए लगभग 70 वर्ष होने आ गये, पर अभी तक ऐसा कोई विकास उस क्षेत्र में कांग्रेस ने नहीं किया कि जहां वह कुछ बता सके कि उस जनजाति क्षेत्र में हम आदिवासी समाज के लिए, या वहां पर रहने वाली उस कौम के लिए, जो अन्य समाज भी रहते हैं, हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा इन 70 वर्षों में, देश आजाद होने के बाद नहीं बता सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो-तीन दिन से सदन में सुनने को आ रहा है, जे एन यू में यह हो गया, जे एन यू में यह हो गया। मैं आज सवेरे जब घूमने निकला था तो किसी साथी ने सुबह पूछा कि जनाब, भारत में क्या चल रहा है? मैंने कहा कि भारत में समुद्र मंथन चल रहा है; देश का छुपा हुआ जहर बाहर आ रहा है; कुछ दिन इंतजार करो, फिर अमृत का स्वाद चखना। कांग्रेसी और वामपंथियों ने जो सांप की बांबी बना रखी थी, उस बांबी में खौलता पानी डाला गया, सभी सपोले बाहर निकल रहे हैं। सांप की बांबी में गर्म खौलता हुआ पानी डाला तो उसमें से कुछ सपोले बाहर निकले; कुछ जे एन यू से निकले, कुछ जाधवपुर विश्वविद्यालय से निकले। यदि देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो शायद हम यह कभी जान ही नहीं पाते कि हमारे देश को तोड़ने वालों की जड़ें इतनी गहरी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उस ट्राइबल क्षेत्र में भी लोग कहते हैं, जे एन यू में यह क्या हुआ? भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(2) यह नहीं कहता। राष्ट्र की सुरक्षा को जिस भाषण से खतरा हो, वह नहीं कहना चाहिए। उस जे एन यू में जो हुआ, वहां का ट्राइबल भी कांग्रेस से यह सवाल पूछता है। वहां के जो कांग्रेस के नेता हैं वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं "भारत की बरबादी तक जंग रहेगी। या भारत तेरे टुकड़े होंगे।" वहां का ट्राइबल का व्यक्ति भी आज यह पूछता है, हम यहां शहर में या बड़े-बड़े कस्बों में या राजधानी में बैठकर यह बात कर सकते हैं, पर वहां का जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति भी यह कहता है कि इस भाषण से देश को नष्ट करने की गूंज नहीं है? क्या यह सर्वोच्च अदालत की अवमानना नहीं है अनुच्छेद 19(2) में? "अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।" अब क्या अफजल को सज़ा देने वाला सुप्रीम कोर्ट भी कातिल हो गया? अफजल को क्षमा नहीं देने वाले राष्ट्रपति भी कातिल हो गये? यह पूरी कानूनी प्रक्रिया जिस संविधान पर टिकी है, उसे भी कातिल कहा जा रहा है। क्या यह देश की पूरी कानूनी प्रक्रिया को खुली चुनौती नहीं है?

(श्री सुशील कटारा)

सदन में आज दो दिन से यह बात चल रही थी। मैं इस विषय पर इसलिए आया कि उस जनजाति क्षेत्र में, जहां पहाड़ी क्षेत्र है और लोगों को मोबाइल या 10-10 दिन तक अख़बार या टीवी देखने को नहीं मिलता है, वहां का व्यक्ति भी यह पूछता है कि क्या हमारे देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह है? हमारे लोकतंत्र में यह है। आज हमारे देश को यह खतरा है? आज हम यहां विधान सभा में या संसद में बैठकर तब हम विकास की बात करेंगे, जब हम सुरक्षित होंगे, हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसे लोगों को, जो देशद्रोही हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। तो हम विकास की बात कहां करेंगे, जब हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे? उमर खालिद ने तो टीवी स्टूडियो में बैठकर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए यह कहा था कि कुछ जज मिलकर कोई फैसला नहीं कर सकते। यह साफ तौर पर देश के कानून का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे एन यू क्या है, उस पर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। दिल्ली में 1,019 एकड़ क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फैली हुई है। उसमें प्रत्येक छात्र पर वार्षिक मात्र 300 रुपया खर्च होता है। होस्टल के रूम का किराया मात्र 11 रुपये है। खाना दोनों समय का लगभग फ्री है; न के बराबर राशि ली जाती है। जे एन यू के हर एक छात्र पर प्रोफेसर के बराबर खर्च है। लगभग 22 होस्टल उस यूनिवर्सिटी में हैं और सरकार उस यूनिवर्सिटी में एक छात्र पर तकरीबन 11.25 लाख रुपये सालाना खर्च कर रही है। केन्द्र सरकार ने, माननीय मोदीजी ने अभी 2014-15 में लगभग 42 करोड़ रुपये की उस यूनिवर्सिटी को सब्सिडी दी। इतना कुछ होने के बावजूद जे एन यू में क्या सिखाया जाता है! भारत तेरे टुकड़े होंगे; अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं; लड़कर लेंगे आजादी; कश्मीर मांगे आजादी; पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कहां की आजादी की बात करें!

आज हम अमरीका में जाएं और अमरीका की किसी यूनिवर्सिटी में कोई यह नारा लगा सकता है, लादेन हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं? क्या कोई इजराइल की यूनिवर्सिटी में जाकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा सकता है? क्या कोई रूस की यूनिवर्सिटी में जाकर सीरिया के समर्थन में नारे लगा सकता है? क्या कोई फ्रांस की यूनिवर्सिटी या विश्व की किसी अन्य यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है?

(श्री सुशील कटारा)

फिर यह बीमारी हमारे देश में ही क्यों? इसे किसने पनपने दिया? इसके बारे में भी हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचें तो अभी माननीय हनुमान जी बेनीवाल जो कह रहे थे कि 2018 में हम वापस सत्ता प्राप्त करेंगे, तो यह सपना तो आप लोग भूल जाएं, क्योंकि तीसरा मोर्चा खड़ा होगा तो हम 163 से 183 होंगे। 163 से कम नहीं होने वाले हैं। खूब हेलिकाप्टर घुमाये टी एस पी क्षेत्र में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस सदन के माननीय सदस्य किरोड़ी जी ने टी एस पी क्षेत्र में खूब हेलिकाप्टर घुमाये कि ट्राइबल के वोट हमको मिल जाएंगे और हमारे तीसरे मोर्चे में खूब एम एल ए जीत जाएंगे तो कांग्रेस और बी जे पी, दोनों को हमारे पास आना पड़ेगा। जितने किरोड़ी जी ने हेलिकाप्टर घुमाये, उतने ट्राइबल के हमारे एम एल ए ज्यादा जीतकर आये और हम तो किरोड़ी जी को दुबारा कह रहे हैं कि एक बार 2018 में जितने हेलिकाप्टर टी एस पी क्षेत्र में घुमायें तो उतने तथा और भी कहीं, बागीदौरा और कोटड़ा में बचे हुए एम एल ए हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आयेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं पर जो जे एन यू में हुआ उस पर दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा –

अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का,

अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का,

(श्री सुशील कटारा)

सबको मंजिल का शौक है और मुझे रास्तों का।

यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं,

बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के विकास की बात में जहां बहुत सारी बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं पूरे राजस्थान लेवल पर नहीं जाना चाहता हूं पर कुछ बातें जो जनजाति क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने और हमारे कैबिनेट के सभी मंत्री महोदय ने की, उससे पहली बार ट्राइब्स के लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसी सरकार पहली बार बनी है। सरकार-आपके-द्वार, विधायक-आपके-द्वार, मुख्यमंत्री-आपके-द्वार, आदर्श ग्राम पंचायत, सांसद आदर्श ग्राम पंचायत, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मतलब, इतने सारे अभिनव कार्यक्रमों से प्रदेशवासियों की वर्षों से लम्बित समस्याओं का समाधान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दो वर्षों में किस-किस विकास की बात करें, पेयजल की, महिला सशक्तिकरण की, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, सौर ऊर्जा की, कौशल राजस्थान की, रिसर्जेंट राजस्थान की, भामाशाह योजना की, बिजली की, सड़क की, खनन की, वन एवं पर्यावरण की, फसल बीमा योजना की, सहकारिता, खेल, खाद्य सुरक्षा, बांधों या नहरों की, किस-किस की बात करें...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको 20 मिनट तो हो गये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह योजना; भामाशाह योजना से उस ट्राइबल बेल्ट में जहां प्रशासनिक तौर पर कहीं न कहीं बहुत भ्रष्टाचार होता था, वह बहुत रुका है और मैं इसके लिए हमारी सरकार की मुख्य मंत्री महोदया, हमारे सभी मंत्री महोदयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। भामाशाह योजना से हर गरीब व्यक्ति के खाते में सीधा, कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि भामाशाह योजना का क्या लाभ है, भामाशाह योजना से उस गरीब की पेंशन का पैसा उसके खाते में जाता है, नरेगा का खाते में जाता है, छात्रवृत्ति का पैसा खाते में जाता है, सरकार की आपदा राहत का पैसा उसके खाते में जाता है, उसके ऋण का पैसा उसके खाते में जाता है और सरकार ने दो हजार रुपये भामाशाह के खाते में डाले हैं, और कोई बीच में एक रुपया नहीं खाये, उसके लिए सरकार ने भामाशाह योजना लागू की है।

(श्री सुशील कटारा)

निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का इन दो वर्षों में काफी विकास हुआ है, चाहे नरेगा योजना हो, या दीनदयाल जीवन ज्योति योजना हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइट के बारे में उस जनजाति क्षेत्र में कभी सोच नहीं सकते थे कि इन पहाड़ियों में दूर-दूर खम्भे लगेंगे पर आज मेरे खुद के जिले की बात करूं तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, ऊर्जा मंत्रीजी, सबने मिलकर एक करोड़ 44 लाख रुपये दीनदयाल योजना के तहत सैंक्शन किये और आज प्रत्येक घर में, हर बीपीएल परिवार को नि:शुल्क लाइट का कनेक्शन मिल रहा है। यही नहीं, जहां एग्रीकल्चर कनेक्शन लेना चाहते हैं, वहां भी जनजाति विभाग से 25 हजार रुपया काश्तकार को मिलता है।

इसलिए सरकार ने इन दो सालों में बहुत सारा विकास किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे राजस्थान की पूरी सरकार उस क्षेत्र का बहुत विकास करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची आ गई है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहकर थोड़े से वाक्य हैं, उनको बोलकर...

श्री उपाध्यक्ष: जब आपको आसन कहता है, तब तो आप बोलते रहते हों और पर्ची आती है तो आप बैठने की कोशिश करते हों। यह आसन ने पर्ची नहीं भेजी है।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी नाम ऊपर-नीचे करेंगे, इसलिए इनका ध्यान रखना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: यह भी रिकार्ड पर ले लिया जाय। फिर इनका नाम ऊपर-नीचे किया हुआ आसन कैसे निभाता है, अब आप यह भी देख लेना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मदन जी ने यह ऊपर-नीचे करने का काम कब शुरू कर दिया?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, –

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर।
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।।
आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहतीं नहीं।
मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर।।
राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है।
जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है।।

(श्री सुशील कटारा)

निश्चित रूप से राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में सूर्य उदय होगा और आने वाले समय में राजस्थान का बहुत विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं तो आप लोगों की तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूं आज।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आसन का आभारी हूं।

जो परम्परा रही है कि अब तक विपक्ष सरकार की बुराई करता आया है, लेकिन मैं इस राजस्थान की ऐतिहासिक सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। इसने राजस्थान के विकास में नये आयाम जोड़े हैं, राजस्थान के अन्दर इतिहास बनाया है कि अंग्रेजों के राज के बाद में पहली बार किसानों को थाने के बाहर लाइन लगाकर खाद लेनी पड़ी है। इसके लिए मैं इस ऐतिहासिक सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। अख़बार की कटिंगें भरी पड़ी हैं, आपकी सरकार के अन्दर, अख़बार की कटिंगें भरी पड़ी हैं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार आटे से महंगी रेत हो गई। लोगों को दस रुपये किलो में बजरी खरीदनी पड़ रही है। इससे ज्यादा राजस्थान के लिए शर्मिन्दगी की बात कोई नहीं हो सकती है। आपने इतिहास बनाया है कि राजस्थान के अन्दर 60 से ज्यादा किसानों ने दो साल के अन्दर आपके कुप्रबन्धन के कारण आत्महत्या की हैं, मौत को गले लगाया है। इसके लिए मैं इस ऐतिहासिक सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

वह राजस्थान की जनता ने गलती नहीं की, लोग कहते हैं कि काठ की हांडी जीवन के अन्दर एक बार चढ़ती है, लेकिन इस सरकार की काठ की हांडी को दूसरी बार चढ़ाने की गलती कर दी। उसका परिणाम तो हमको भुगतना ही था, क्योंकि इस ऐतिहासिक सरकार ने राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा पर्चे आउट करने का रिकार्ड बनाया है। सबसे ज्यादा नौजवानों के सपने तोड़ने के लिए बार-बार परीक्षाएं स्थगित करने का रिकार्ड भी इसी सरकार के अन्दर बना है और इसके लिए राजस्थान की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।

17 हजार स्कूलें, 17 हजार स्कूलें...

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): आपकी सरकार ने सारी कोर्टों में अटकायी थीं। वह पूरा का पूरा रिकार्ड भी पेश कर दो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वे खड़े हैं, रेलवे वाले ट्रैक जाम करके। ऐसा कोई दिन नहीं निकल रहा कि राजस्थान की जनता, विद्यार्थी मित्र हों, संविदाकर्मी हों, पैरा टीचर हों, होम गार्ड हों, वकील हों, न्यायिक कर्मी हों, सदन के बाहर छाती पीट रहे हैं। और तो और, बेचारी महिलाएं तपती दुपहरी के अन्दर सड़क पर पैदल लोट-लोटकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंचीं और वहां भी उनको डंडे खाने पड़े।

(20.00 बजे)

राजस्थान का नौजवान आपको याद रखेगा कि राजस्थान की जनता ने वह कैसा दिन चुना था जिस दिन इस सरकार को वोट डाला और उस वोट के बदले में जनता की जेब काटने का काम इस सरकार ने किया है। आज राजस्थान के अन्दर पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर सेस और टैक्स लगा-लगा करके, जो घटी हुई कीमतों पर जनता को डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए था, उसके लिए भी आप लोगों ने लोगों की जेब काटने का काम किया है। (व्यवधान) हमारे समय में जो रेट थी, वह रेट अगर आपके समय में होती अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अन्दर, तो आप अब तक मैदान छोड़कर भाग गये होते। यहां की सरकार ही नहीं, दिल्ली की सरकार को भी मैदान छोड़ना पड़ता, अगर कच्चा तेल विश्व के अन्दर इतना सस्ता नहीं होता, डालर प्रति बैरल के अन्दर।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतिहास बनाया है, 45,000 करोड़ रुपये का खान घोटाला। आई ए एस अशोक सिंघवी जैसे अधिकारी आपने कुर्सियों पर बैठाये, जिन्होंने दोनों हाथों से लूट मचाकर... (व्यवधान) कैलाशजी, आप तो...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): खुद के घोटालों की तो गिनतियां कर लो पहले। पुराने तुम्हारे घोटालों की तो गिनतियां कर लो। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को राजस्थान की जनता ने विकास करने का मौका दिया, उस विकास की जगह, जिस तरह भस्मासुर ने...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य, असत्य बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है ना। बोलो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं दर्द देख रहा हूं कि मेरे लगाये हुए इंजेक्शन का दर्द कितना उठ रहा है। भई, मैं इंजेक्शन लगाऊं, दवाई दूं, उसका असर नहीं हो, तो फिर मेरा इंजेक्शन लगाना बेकार है। मैं नजरें फिरा-फिराकर चैक कर रहा हूं कि किस-किसके असर हो रहा है।

मैं यह कहना चाह रहा था आपसे, निवेदन करना चाह रहा था कि जिस तरह से भगवान महादेव के ऊपर भस्मासुर ने, जिस महादेवजी ने भस्मासुर को मौका दिया, तो भस्मासुर ने उन्हीं को भस्म करने का काम कर दिया। उसी तरह राजस्थान की जनता ने आपको मौका दिया, तो सबसे पहले भस्मासुर बनकर आपने राजस्थान के किसान को और राजस्थान के नौजवान को मारने का काम किया है। इसके लिए राजस्थान की जनता कभी आपको भूलेगी नहीं और सबसे ज्यादा अगर आप लोगों ने किसी के साथ धोखा किया है तो राजस्थान के जवान के साथ धोखा किया है। उस नौजवान के सपने को तोड़ने का काम किया है।

स्कूलों के एकीकरण के नाम पर 17,000 स्कूलें राजस्थान के अन्दर बंद कर दीं। समानीकरण के नाम पर अध्यापकों को इधर से उधर कर दिया। जो अपने घर के पास लगे हुए थे, उनको राजनैतिक द्वेषता से दूर-दूर तक फेंक दिया, ताकि उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं रहे। आप लोगों ने ऐसा काम किया है। आदमियों से पढ़ाई छीन ली।

उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा तो आपने राजस्थान के नौजवान से उसके रोजगार का सपना छीन लिया। जो 15 लाख नौकरी देने का झूठा सपना राजस्थान की जनता को, राजस्थान के जवान को दिखाया था, उसी जवान के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात करते हुए आपने उसकी परीक्षाओं के ऊपर रोक लगाई। एस एल पी वापस नहीं ली और आपका बस नहीं चला तो षड्यंत्र करके, मिलीभगत करके, पर्चे आउट करवा दिये और नौकरियों से उनको आज बेरोजगार कर दिया और बार-बार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। कोई जांच आपकी नहीं हो रही है। आप लोग जांच करने की बात करते हो, आपकी कोई जांच कमेटी आज तक ऐसी नहीं बनी, जिस जांच कमेटी ने समयबद्ध तरीके से अपना काम निपटाकर उस जांच का निस्तारण कर दिया हो।

राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का काम आप कर रहे हो और सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र के अन्दर जनता को भुगतना पड़ रहा है तो बिजली का वह क्षेत्र है। जिस बिजली के अन्दर आप लोगों ने राजस्थान की

(श्री धीरज गुर्जर)

जनता की, राजस्थान के किसान की और गांवों के अन्दर बसने वाले उस गणेश की, आपने जिस गणेश को दूध पिलाया था, उसको तो हिन्दुस्तान भूला नहीं, लेकिन जो गांव का गरीब और गांव का गणेश है, वह आज छाती पर हाथ देकर रो रहा है।

मैं अजमेर डिविजन की बात आपके सामने बताना चाहता हूं कि अजमेर की जो विद्युत वितरण निगम कम्पनी है, उसके अन्दर ऐसा तानाशाही भरा निर्णय आप लोगों ने किया है कि जिस गांव के अन्दर बिजली चोरी होती है, उस गांव की लाइट आप लोग 24 घंटे में से, इसके प्रमाणित तथ्य भी हैं और आपकी सरकार का निकाला हुआ आर्डर है, उस गांव की लाइट 24 घंटे में से 16 घंटे के लिए आप काट देते हों। मात्र आठ घंटे गांव के अन्दर लाइट मिल रही है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जिस उपभोक्ता ने आपके निगम में पैसा जमा कराकर आपसे कनेक्शन ले रखा है, जिस उपभोक्ता को बिजली मिलनी चाहिए, उसको बिजली नहीं मिलती है। आप बिजली की चोरी नहीं रोक पा रहे हों, यह आपकी कमजोरी है। छीजत नहीं रुक रही है, ये आपके अधिकारियों की कमजोरी है। कम्पनियों में घाटा हो रहा है। ये प्रमाणित तथ्य हैं। अगर मैं असत्य बोलूं तो मैं अभी सदन के अन्दर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

भीलवाड़ा जिले के अन्दर 84 गांव ऐसे हैं, जिसमें अकेले जहाजपुर विधान सभा के 60 गांव ऐसे हैं जिन गांवों के अन्दर आप लोग सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक बिजली देते हो और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली देते हो और बाकी समय में वह आदमी अंधेरे में रहता है। आपको शर्म आनी चाहिए। बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं। 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, कालेज की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और ऐसे समय में अजमेर कम्पनी, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक, चारों जिलों के अन्दर मनमर्जी से, एम डी जो बैठा रखा है आपने, उसके इशारे पर लाइट बंद हो जाती है। गांव का आदमी अंधेरे के अन्दर जीवन यापन कर रहा है, पशुओं को पीने का पानी नहीं मिल रहा है; किसानों को टंकियों में पानी नहीं मिल रहा। यह सबका दर्द है लेकिन जो सत्ता के पाये से बंधे हुए हैं, वे मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि उनको इन्हीं मंत्रियों से ट्रांसफर/पोस्टिंग करवानी है।

इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस अभिभाषण के लिए

(श्री धीरज गुर्जर)

कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के मुंह से आपने अपने मनमाफिक शब्द तो निकलवा दिये लेकिन जब आप धरातल पर जाओगे; आज ही हमारे दो साथी विधायक मित्र एम.आई. रोड पर नाश्ता करने, लस्सी पीने गये थे, उनके हाथ में कचौरी के साथ में जो कागज आया, वह उन गांवों के प्रार्थना पत्र थे, जहां सम्भाग-आपके-द्वार के नाम पर सरकार गई। उनसे रद्दी की टोकरियों के अन्दर भर-भर एप्लिकेशन लेकर आये, उनको आपने रद्दी के भाव बेच दिया और... (व्यवधान)

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): आप ऐसा कागज, सदन में क्यों नहीं लेकर आये वह एप्लिकेशन? वह एप्लिकेशन ले आते ना सदन में। (व्यवधान) आप ले आते ना सदन में। आप कौनसे कागज की बात कर रहे हो? कचौरी खाने वाला पेपर था, तो सदन में ले आते ना। आप भी तो साथ में थे। क्यों हवा में बातें उड़ा रहे हो? (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपको बड़ा दर्द और तकलीफ हो रही है लेकिन उससे ज्यादा दर्द और तकलीफ उसको हो रही है जो बी पी एल बनने के लिए आपके दरवाजे पर आया कि मुझे बी पी एल बनवा दो और उस बी पी एल बनने के प्रार्थना पत्र पर यहां पर सचिवालय के पीछे जितने भी ठेले लगे हुए हैं, उन ठेलों पर कोई कचौरियां खा रहा है, कोई पनीर-पकौड़े खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, और उनकी एप्लिकेशन्स का पता नहीं। आपके पास अगर रिकार्ड है तो रख दो सदन के अन्दर कि कितनी एप्लिकेशन...

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आप देखो। आप देखो सम्पर्क पोर्टल पर। पूरा सब कुछ है वहां।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सम्पर्क पोर्टल की तो आप बात ही मत करो। अख़बार में 100 बार छप चुका है कि पोर्टल के अन्दर जिस काम को आपने होना बता दिया, उस काम की अभी तक वह की वह हालत है। भीलवाड़ा के अन्दर नेहरू नगर की संजय कालोनी के अन्दर वहां पर पोर्टल वाले अधिकारियों ने जवाब दे दिया कि मौके पर हमने अतिक्रमण हटा दिया है, रोड पूरी साफ कर दी है, और उलटा वहां पर 10 फीट और अतिक्रमण आगे बढ़ गया है। इसलिए पोर्टल की बात आप नहीं करें तो अच्छा है।

राजस्थान के अधिकारियों को आपने खुली छूट दे दी और... (व्यवधान) भई, हम तो सच के ठेकेदार हैं ही। सुनो, आप तो लहर पर बैठकर आये हो और हम लहर के खिलाफ आये हैं। मेरी बात सुनिये आप लोग।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ऊपर से इनको डाइरेक्शन इस तरह के हैं; भई, मजबूरी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप तो लहर पर चढ़कर आये हों। आपने तकलीफ को नहीं सहा। हम तो लहर के खिलाफ आये हैं। हम लोग लड़कर आये हैं अच्छे दिनों के वादे से; हम लोग लड़कर आये हैं झूठे सपनों से; हम लोग लड़कर आये हैं झूठे इरादों से। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, राजस्थान की जनता ने जिस मकसद से हमें यहां पर भेजा है इस सरकार के नेता और इस सरकार के मंत्री सत्ता में बैठने के बाद, बहुमत के मद में चूर होकर, इस सभा को कौरवों की सभा बनाकर जिस तरह से विपक्ष का गला घोंटते हैं, आपसे हम निपटेंगे, सदन में कांग्रेस के एम एल ए आपसे निपटेंगे और यहां नहीं मानो, तो जनता आपसे खुद निपट लेगी 2018 के अन्दर। बड़ी-बड़ी बातें करने से काम नहीं चलता है।

आज राजस्थान की आत्मा दुःखी है। इतिहास बन गया, 100 रुपये राशन कार्ड बनाने के लिए ले रहे हों। ऐसा तो राजस्थान के अन्दर कभी नहीं हुआ था। 100-100 रुपये के अन्दर आप लोग राशन कार्ड बना रहे हों। दो रुपये किलो का गेहूं मिलता था, उसके अन्दर कटौती कर दी कि गांव के गरीब आदमी को गेहूं मिल जाएगा, उसके पेट में अन्न चला जाएगा तो हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा। अंग्रेजों की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, और मुझे दर्द भी नहीं होता है; अभी एक विधायक जिस तरह से कह रहे थे, दर्द क्यों होगा? हम गांधी को मानने वाले हैं, आप गोड़से को मानने वाले हैं...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह शरीर ऐसे ही बना है क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भई, यह शरीर तो मेरे मां-बाप के आशीर्वाद से और मेरी मेहनत से बना है और इस शरीर का चमत्कार देखना चाहो तो आप मुझे सदन में आमंत्रित कर लेना, मैं आकर चमत्कार भी दिखा दूंगा।

मैं कह रहा था कि आज...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज इनका और मदनजी का आपस में शरीर दिखवा दो ना।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल सही रास्ते पर चलते-चलते कहां डाइवर्जन हो जाता है आपका?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह बोल लिये। इनका पूरा हो चुका है ना। विपक्ष हमारा पूरा एक है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज राजस्थान के अन्दर जो हालात हैं, वे हालात हम अगर मजाक में उड़ा देंगे, जो राठौड़ साहब मुझे कह रहे थे कि यह शरीर कैसे बना, मैं राठौड़ साहब को बताना चाहता हूं कि इससे ज्यादा राजनैतिक द्वेषता की पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती है कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर, पूरे जिले के अन्दर बरसात नहीं होने के कारण किसानों की फसलें खराब हो गईं, लेकिन जहाजपुर और कोटड़ी से कांग्रेस का एम एल ए धीरज गुर्जर चुनाव जीता था, इसलिए एक इतिहास बना दिया वहां के तहसीलदारों ने, वहां के पटवारियों और वहां के गिरदावरों ने कि पूरे जिले के अन्दर तो खराबा 50 परसेंट से ज्यादा दिखा दिया और जहाजपुर और कोटड़ी के अन्दर खराबा शून्य परसेंट दिखाया। एक तरफ तो आपकी गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार शून्य परसेंट खराबा हुआ और दूसरी तरफ इसी सरकार के जो विभाग हैं, उनकी जो क्रोप-कटिंग की रिपोर्ट है, वह कहती है कि खराबा 33 परसेंट से ज्यादा हुआ।

उसके विरुद्ध आन्दोलन करना पड़ा और यह धीरज गुर्जर खुद के साथ में पांच हजार किसानों को लेकर, जहाजपुर से 105 किलोमीटर पैदल चलकर के भीलवाड़ा पहुंचा और उस समय मेरे साथ चालीस हजार आदमियों से ज्यादा ने भीलवाड़ा कलेक्ट्री का घेराव किया। 21 दिसम्बर की वह ठण्डी रात जब आप लोग अपने घर के अन्दर गर्म रजाइयों के अन्दर सो रहे थे, मेरे साथ जहाजपुर और कोटडी का किसान, चालीस हजार की संख्या के अन्दर, भीलवाड़ा की धरती के ऊपर कलक्टर के सामने बैठा था और उस समय कलक्टर ने हमसे वादा किया, रात को 12 बजे ये डूडी साहब खुद वहां पर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आये, हमारे निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल मेरे साथ आये, हमने कलेक्ट्री का घेराव किया और उस समय कलक्टर ने वादा किया कि अभी हम तहसीलदारों को यहां से ए पी ओ कर रहे हैं, इनको सस्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद में आपकी मांग का निस्तारण कर दिया जाएगा; क्रोप-कटिंग को आधार मानकर के आपके किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा।

उस चीज को भी आज तीन महीने से ज्यादा हो गये। मैं इस सदन में आज कहता हूं कि अबकी बार धीरज गुर्जर बाहर नहीं लड़ेगा, इसी सदन में

(श्री धीरज गुर्जर)

आपके सामने भूख हड़ताल करेगा। जिस तरह गुरुशरण छाबड़ा ने सड़क के ऊपर अपनी ऐड़ियां रगड़-रगड़ के अपनी जान दे दी, अगर जहाजपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो इसी सदन के अन्दर मैं तो आपके सामने भूख हड़ताल पर बैठूंगा और जहाजपुर की जनता एक बार फिर से, कोटड़ी की जनता फिर से भीलवाड़ा का घेराव करेगी।

इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? मैं अगर एम एल ए जीता, तो छह महीने बाद में सांसद जो बी जे पी का था, उसको उसी जनता ने वोट दिया, ऐसा आज तक नहीं हुआ, कहीं पर शून्य परसेंट का खराबा दिखाया हो और सरकार ने पांच दिन में उन तहसीलदारों को ए पी ओ करके वापस बहाल कर दिया और मनमर्जी की उनको पोस्टिंग दे दी। क्योंकि यह सरकार के इशारे पर किया था। राजस्थान की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी।

वह गरीब जनता जिसके खेत में आज अन्न का एक दाना नहीं उपजा, जिसके घर में आज एक रोटी नहीं पकी, वह गरीब जनता पैदल चलकर आपके सामने झोली फैलाकर आई। मैंने अपने स्तर पर गृह मंत्री को, आपदा राहत मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, हर अधिकारी को अपनी तरफ से मेमोरेण्डम पेश करके यह कहा कि मेरे साथ अन्याय कर लीजिए लेकिन इस गरीब जनता के साथ अन्याय मत करिए, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी।

ऐसे समय में आप लोग राजस्थान की बात करते हैं कि सुराज का राजस्थान है, अच्छा राजस्थान बन रहा है, राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ेगा कैसे? अधिकारी और मंत्री अलग-अलग दिशा के अन्दर भागते हैं; मंत्री तो कहता है सुबह और अधिकारी कहता है कि रात हो गई। ऐसे समय में राजस्थान की प्रगति कैसे हो जाएगी? आज आपके अधिकारी आपकी नहीं सुनते, आज आप लोग जनता के बीच में फील्ड में नहीं जाना चाहते। आपको बहुमत मिला; बहुमत इसलिए दिया लोगों ने कि आप लोग सत्ता में आने के बाद में कुछ अच्छे दिनों के वादे को साकार करके दिखाएंगे, लेकिन आपने तो ऐसे दिन ला दिये जैसे आज के बाद चुनाव होने ही नहीं हैं और आप लोगों को यह मौका मिल गया, यह पांच साल का मौका नहीं, पचास साल का पट्टा मिल गया हो, इस तरह का आपका व्यवहार है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, यह मेरे दिल की पीड़ा है, यह कोई कांग्रेस और बी जे पी की पीड़ा नहीं है; मैं आपसे

(श्री धीरज गुर्जर)

सच कह रहा हूं कि राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का गरीब आज रो रहा है। मैंने बिजली की बात उठाई थी, मेरी बात कट गई थी। शीला देवी हरिजन, आप नाम लिख लीजिए, कोटड़ी तहसील में आगरिया गांव की रहने वाली बी पी एल की महिला है, उसको बिल भेज दिया 1 लाख 27 हजार रुपये का। जो बी पी एल है, जिसके घर में एक बल्ब जलता है, उसको 1 लाख 27 हजार का बिल भेज दिया। हमने एस ई का घेराव किया, बिल की पुनः जांच की और बिल को 849 रुपये का कर दिया। यह तो मेरे पास दो, चार, पांच उदाहरण हैं। जो मेरे पास पहुंच गये, उनका दर्द हमने उठा लिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा लूट अगर हो रही है तो इस बिजली महकमे में हो रही है। इस बिजली महकमे ने राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया है।

अधिकारी अपनी शौक-सुविधाओं पर, अपनी मौज-मर्जी में, नरेगा के अन्दर क्या हो रहा है, नरेगा में जमीन पर काम नहीं हो रहा है। नरेगा के अन्दर प्रशासनिक मद से कलक्टर के और सी ई ओ के घर पर ए सी लगाये जा रहे हैं। इनके घर पर रंगीन टीवी की खरीद हो रही है; इनके घर पर राशन आ रहा है। उस प्रशासनिक मद का जिसका फायदा गरीब को मिलना चाहिए, उस गरीब को नहीं मिल रहा है। आज राजस्थान में नरेगा ठप पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, बी डी ओ मनमर्जी करते हैं। हमने शुरुआत की थी आर डी एस को लगाने की, आज आप लोगों ने आर डी एस की जगह ऐसे घाघ मास्टरों को, जो बी डी ओ बने हुए हैं; जहाजपुर का बी डी ओ खुले-आम पांच-पांच सौ रुपये के अन्दर सेक्रेटरियों के तबादले करता है। राजनीतिक द्वेषता की इससे बड़ी कोई हद नहीं हो सकती।

मैंने मंत्रीजी को अवगत कराया कि जिस गांव को आप लोगों ने गोद ले रखा है, जिस गांव में आप लोगों ने जल स्वावलम्बन चला रखा है, उस गांव के अन्दर सेक्रेटरी मस्टरोल लेकर भाग जाती है और सरपंच उसके पीछे-पीछे दौड़ता है, उसके हाथ में नहीं आती है। गांव में एल डी सी नहीं है। आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, जल स्वावलम्बन के नाम से चंदा ले रहे हैं, मैंने खुद ने जब मुख्य मंत्रीजी का पत्र प्राप्त हुआ कि राजनीति से ऊपर उठाकर के इसमें आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, मैंने खुद ने सार्वजनिक फंक्शन में अपनी एक महीने तनख्वाह इस कार्यक्रम में देने की घोषणा की। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जो चुनाव हारे हुए लोग हैं उनको यह बात सहन नहीं हुई और उन लोगों

(श्री धीरज गुर्जर)

ने राजनीति करना शुरू कर दिया। मैंने कलक्टर से बात की, मैंने कहा कि सरकार तो चाह रही है कि इसके अन्दर पक्ष-विपक्ष साथ होकर जल स्वावलम्बन में सहयोग करे और अधिकारी ए डी एम विधायक को आमंत्रित नहीं करता है। उन्हें डर लगता है कि हमारा तबादला हो जाएगा।

मैं भूत हूं क्या? इसी जनता ने मुझे वोट दिया और उसी जनता ने आपको वोट दिया। विधायक आज हम हैं, हम विपक्ष में हैं और आप सत्ता में हैं; कल पलटी खाएगी, हम सत्ता में होंगे, आप विपक्ष में होंगे; लेकिन इस विधायिका की गरिमा आपको बनानी होगी। क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो लगातार, वे बहुत किस्मत वाले होते हैं। हर पार्टी राजस्थान के अन्दर जनता बदलती जा रही है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन की जिम्मेदारी बनती है कि बिना किसी भेदभाव के जनता के विकास के कामों को हम लोग ईमानदारी से करें।

आज यह वह पार्टी है जिस पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर पूरे देश से ईटें इकट्ठी कीं। जयपुर के मंदिर कहां चले गये? जयपुर में इतिहास बना दिया, चौराहों का सौंदर्यीकरण करने के नाम पर आप लोगों ने मंदिरों को गायब कर दिया। रोजगारेश्वर का मंदिर तुड़वा दिया, हवामहल के मंदिर तुड़वा दिये और सत्ता के डर में जो बी जे पी के कार्यकर्ता बोलना चाहता था, उस कार्यकर्ता के गले में भी आपने नकेल डाल दी।

आज गायों की हम बात करते हैं, समय पर गौ-शालाओं को अनुदान नहीं मिल रहा है। आज अकाल की राजस्थान में जैसी हालत है, उस हालत के अन्दर हमने अकाल का कोई प्रबंधन नहीं किया। आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा है; गौ-शालाओं को चारा नहीं मिल रहा है; लोग, जानवर, इंसान इस राज के अन्दर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, और हर इंसान एक ही बात कह रहा है-

ये कैसे-कैसे मंजर सामने आने लगे हैं,
नाचते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं।
बदल दो इस ठहरे हुए पानी को,
अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।।

राजस्थान की जनता ने जिस मकसद से आपको वोट दिया, उस मकसद के अन्दर आप लोगों ने सेंधमारी की है। मैं यह नहीं कहता, सिर्फ

(श्री धीरज गुर्जर)

आपकी मंशा पर सवाल उठाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन राजस्थान के अधिकारी ये बेलगाम घोड़े हो रहे हैं। ये कलक्टर, ये एस पी अपने-अपने घर के अन्दर पन्द्रह-पन्द्रह कर्मचारी लगाकर रखते हैं, मनमर्जी का इनसे काम लेते हैं और जन-प्रतिनिधि इनके पास जाता है तो वे देखते हैं, ये तो पांच-पांच साल में बदलेंगे, हमको पचास साल राज करना है। इन अधिकारियों पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी और इनसे काम लेना पड़ेगा। तब जाकर राजस्थान की जनता ने जो बहुमत आपको दिया, वह बहुमत देने का सपना इनका साकार होगा। आज भी कई एम एल ए मैंने देखे हैं, सत्ता पक्ष के एम एल ए मैंने देखे हैं जो बेबस और मजबूर नजर आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने घंटी बजा दी है। मेरे मन के अन्दर और भी उद्गार हैं, मैं अपनी पीड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं और सिर्फ इस मकसद से नहीं रखना चाहता कि मैं आपकी मंशा के ऊपर सवालिया निशान उठाऊं, बल्कि मैं इस मकसद से रखना चाहता हूं कि पक्ष हो या विपक्ष, हम सब लोग मिलकर जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और हमारा धर्म बनता है कि जिस जनता ने हमें बहुमत देकर इस सदन के अन्दर पहुंचाया है, जिस जनता के आशीर्वाद से हमें तनख्वाह मिलती है, जिस जनता के आशीर्वाद से लोग हमें नमस्कार करते हैं, जिस आशीर्वाद से हम सुख-सुविधा भोगते हैं, उस जनता को यह एहसास करायें कि नेता आपका सेवक है और ये अधिकारी आपके नौकर हैं। ये अधिकारी काले अंग्रेज हैं। मैं आपसे इस सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि अंग्रेज चले गये और उन अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दुस्तान के शासन को इन अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया है। हम सब लोगों को एक होकर इनकी नाक में नकेल डालनी चाहिए और इनके नकेल डालकर के जनता की सेवा इनसे करवानी चाहिए। तब जाकर के जनता को यह एहसास होगा कि उन्होंने जो वोट हमको दिया, उस वोट के बदले में हमने काम किया है। जिस मकान में हम रहते हैं, जो गाड़ी हम भोगते हैं, जो लाल बत्ती हम घुमाते हैं, जो नमस्कार हम लेते हैं, ये सब जनता का दिया हुआ हमारा कर्जा है और इस कर्जे को चुकाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर अपना पसीना इस जनता के लिए बहाना पड़ेगा।

ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात मैं कहना नहीं चाहता, इस सदन के अन्दर पहली बार आया हूं, मेरी आपको उपदेश देने की हैसियत भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति द्वेषता के साथ अगर आप लोग

(श्री धीरज गुर्जर)

चलेंगे, तो राजस्थान की जनता न हमको माफ करेगी और न आपको माफ करेगी। राजस्थान की जनता ने जिस मकसद के साथ हमारे को मौका दिया, उस मकसद का फल आपको चुकाना चाहिए। क्योंकि आपको जो बहुमत मिला है, वह बहुमत इस बात का मिला है कि पूरे राजस्थान का विकास हो।

आज हमारे शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। दो साल पहले गहलोत सरकार ने अपने आखिरी दिनों के अन्दर जहाजपुर के अन्दर राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की थी। भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर जहाजपुर की कालेज जहां पर एस सी,एस टी और ओ बी सी 70 परसेंट से ज्यादा हैं, उस कालेज को आप लोगों ने मंत्रिमण्डलीय की समीक्षा के नाम पर दो साल से रोक रखा है। वे लोग आपकी ओर देख रहे हैं कि यह मंत्रिमण्डल की समीक्षा कब होगी। क्या राज बदलने के बाद ही समीक्षा होगी?

मैं करबद्ध शब्दों में विनती करता हूं, हालांकि यह राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर भाषण है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज चारे, पानी की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी; दिल्ली से पैसा लाना पड़ेगा। यह हम सब जानते हैं कि केन्द्रीय नेतृत्व में और राज्य के नेतृत्व में आपस में फिक्सिंग नहीं है; विवाद है, लड़ाई है, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान के विकास के लिए इस केन्द्रीय नेतृत्व को भूलना नहीं चाहिए कि राजस्थान की जनता ने उनको 25 सीटें लोक सभा के अन्दर दी हैं। अगर यहां से एम पी जीत कर नहीं जाते तो दिल्ली के अन्दर ऐतिहासिक बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होता। आज राजस्थान का पैसा जो किसानों को मिल जाना चाहिए था अकाल राहत का, वह मुआवाज़े की किश्त अभी तक दिल्ली से जारी नहीं हुई है। इसलिए आज राजस्थान का किसान देख रहा है, और अब तो बारिश भी चली गई। अब अगर भगवान ने ओलावृष्टि कर दी, बारिश कर दी, तो ऐसी हालत हो जाएगी कि किसान को फांसी और खानी पड़ेगी।

इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जागो। अभी समय है, राजस्थान की जनता ने जो आपको मौका दिया, उसका कर्ज चुकाओ। क्योंकि आज 6-6 महीने हो गये, 8-8 महीने हो गये लेकिन आम आदमी पेंशन के लिए घूमता फिर रहा है, कोई उसकी पेंशन दिलाने वाला नहीं है। कभी भामाशाह कार्ड के नाम पर, कभी कौनसे कार्ड के नाम पर, उस किसान की

(श्री धीरज गुर्जर)

पेंशन आपने रोक रखी है। विधवा पेंशन का पता नहीं, वृद्धावस्था पेंशन का पता नहीं, सामाजिक सहायता के अनुदान का पता नहीं। हर चीज के अन्दर जो गरीब आदमी को सहायता मिलनी चाहिए, उस सहायता के ऊपर कैंची चलाने का काम हो रहा है।

इसलिए मैं कहता हूं कि आप जागें और जो इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल के मुखारविन्द से असत्य तारीफ करवाई, उसकी मैं कठोर शब्दों में निन्दा करता हुआ, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

हमारी सरकार को दो साल हो गये हैं। सच होते सपने, पूरे होते वादे जनता को नजर आ रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को यह कहना चाहूंगी, ये कहते हैं कि भामाशाह योजना क्या है; भामाशाह योजना को अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि भामाशाह योजना क्या है। गांव में जाकर के आप पूछिये महिलाओं को कि भामाशाह योजना क्या है। जो हमारी महिला गांव में बैठी है, वह नरेगा में काम किया हो, चाहे उनकी वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे उनकी विधवा पेंशन हो, वे पन्द्रह किलोमीटर दूर मण्डी में जाकर बैंकों में घंटों लाइन में लगी रहती थीं, आज उनको अपनी ग्राम पंचायत के अन्दर माइक्रो ए टी एम के तहत घर बैठे पेंशन मिल रही है।

उसके साथ में हमारी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी राजे ने महिलाओं से वादा किया था कि हम हमारी महिलाओं को शुद्ध जल पिलाने का काम करेंगे। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हमारी कांग्रेस की सरकार रही, मैं हमारे कांग्रेस सरकार के नेताओं को कहना चाहूंगी कि आपने पी एच ई डी के अन्दर कितने वाटर-वर्क्स में काम किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरे पांच साल में एक ईंट तक नहीं लगायी। मैं कहना चाहूंगी और हमारे पी एच ई डी मंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि अभी हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने करोड़ों रुपयों का बजट देकर के हमारे पी एच ई डी में हमारे क्षेत्र में जो वाटर-वर्क्स हैं, जो दस-दस गांवों को पानी पिलाते हैं,

(श्रीमती शिमला बावरी)

उन वाटर-वर्क्स की ऐसी हालत थी कि न ही तो वहां डिग्गियों की सफाई, न ही कोई मरम्मत, फिल्टर खराब और पूरी पाइपलाइन ब्लाक हो चुकी थी, वहां करोड़ों रुपये देकर हमारी वसुन्धरा राजे जी ने वे फिल्टर सही करवाकर और पाइपलाइन सही करवाकर, डिग्गियां सही करवाकर, शुद्ध जल हमारी बहनों के घर तक पहुंचाने का काम किया। उसके साथ-साथ हमारी मंत्रीजी ने हमारा जहां बारानी क्षेत्र था वहां पर बोरवेल भी खुदाये, ट्यूबवेल भी दिये, इन्होंने साथ में हैंडपंप भी दिये। 40-40 एक विधायक को इन्होंने हैंडपंप दिये, वह भी बहुत सराहनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ में मैं हमारी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह जो योजना पूरे प्रदेश में चला रखी है वह बहुत ही सराहनीय है। इसके अन्दर जो हमारी नहर का पानी है, चाहे हमारे ट्यूबवेल से जो पानी आता है वह है, उसके साथ-साथ में हम बरसात का जो पानी है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसको किस तरीके से हमें इकट्ठा करना है, वह हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बीड़ा उठाया है। इसके अन्दर सभी समाजसेवी, सभी संस्थाओं के लोग, सभी जन-प्रतिनिधि, सभी लोग, इस अभियान में जुड़े हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे गांवों में जहां पर जोहड़ बने हुए हैं, उनको पक्का करके, उसके अन्दर किस तरीके से उस जल को इकट्ठा करना है और उसके साथ-साथ में जहां शहरी क्षेत्र हैं वहां पर, जैसे तालाब बनाने के लिए उनको कोई जगह नहीं मिलती, वहां पर बोरवेल के माध्यम से धरती के अन्दर पानी डालने की हमारी कोशिश है।

उसके साथ-साथ में मैं एक सुझाव भी सरकार को देना चाहूंगी कि हमारे अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से होते हुए घग्घर नदी का लाखों क्यूसेक्स पानी हमारा बह करके पाकिस्तान की ओर जाता है। अभी मैं पिछले दिनों एस डी एम, तहसीलदार, पटवारी और ए ईएन, जे ईएन और एक्स इएन को लेकर वहां गयी थी कि हमारी घग्घर नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ किस तरीके से जा रहा है। तो उस पानी को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से उसको इकट्ठा किया जाए, सभी अधिकारियों को लेकर उसको देखने गये। हमारे अनूपगढ़ के पास में तीस बीघा जमीन भेड़ताल की पड़ी है, जो सरकारी जमीन है, अगर उसके अन्दर एक बड़ा सारा डैम बन जाए, तो

(श्रीमती शिमला बावरी)

सारा का सारा घग्घर नदी का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और अगर वहां इकट्ठा हो जाता है तो हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा। साथ ही वहां बार्डर पर बैठे हमारे फौजी भाइयों की भी पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे सिंचाई मंत्रीजी को कुछ कहना चाहूंगी। मैं सिंचाई पर बोलना चाहूंगी कि पिछले पांच साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने जो मंत्री बनाया, वह बारानी सिंचाई मंत्री बनाया। उस मंत्री को न तो टेल का पता था, न ही कोई नाके का पता था न ही कोई माइनर का पता था, न कोई बेड लेवल का पता था और यही नहीं, हमारी जी आई जी एन पी नहर है उसका भी करोड़ों रुपयों का बजट लेप्स हो गया। वह भी ये खर्च नहीं कर पाये। अभी हमारी सरकार में हमारे मंत्री डा. रामप्रताप जी, जो डाक्टर आगे लगाते हैं, लेकिन वे नहरों के वास्तव में डाक्टर हैं। यह कहना पड़ेगा। हमारी नहरों में जिस तरह से सुधार हुआ है और जिस तरह से माइनरों का सुधार हुआ है, वास्तव में सराहनीय है। सारी की सारी हमारी नहरों की सफाई हुई है। जहां पर बेड लेवल ऊंचा था, वहां बेड लेवल नीचे करके टेलों तक पहुंचाने का काम किया। साथ में पक्के खाले भी हमारे बन रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं कांग्रेस के भाइयों को कहना चाहूंगी कि आगे आने वाले साल में, आप देखिये, किस तरीके से आई जी एन पी नहर का सुधार होता है, किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से अनूपगढ़ जो हमारी शाखा है उसका सुधार होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद के साथ में यह कहना चाहूंगी और हमें विश्वास भी है कि अब माननीया मुख्य मंत्रीजी जब बजट पेश करेंगी, तब उसमें करोड़ों रुपये हमें देंगी और हमारी आई जी एन पी नहर का भी सुधार होगा और अनूपगढ़ शाखा का भी सुधार होगा।

उसके साथ-साथ मैं हमारे पंचायती राज मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, उसमें स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्दर शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों में हो रहा है। अपना-खेत-अपना-काम योजना के अन्दर भी बहुत सारे किसानों के काम हो रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायतों में जो नयी ग्राम पंचायतें बनी हैं, उनमें भी सरकार ने जमीन की व्यवस्था की है और पचास-पचास लाख रुपये भवन बनाने के लिए भी दिये हैं। उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

(श्रीमती शिमला बावरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सभी ग्राम पंचायतों पर और पूरे राजस्थान में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल खोले हैं। उसके साथ-साथ, हमारे अनूपगढ़ में एक माडल स्कूल चल रहा है, वह भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और गरीब बच्चों को वहां पर अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिल रहा है। हमारे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय भी अभी खुला है। इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

हमारे प्रभारी मंत्री टीटी साहब भी यहां बैठे हैं, इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे नरेगा में 90 दिन जब पूरे हो जाते हैं, उसमें जो मजदूर चाहे वह ईंट भट्टे पर काम करे, चाहे नरेगा में 90 दिन काम किया हो, चाहे मिस्त्री का काम किया हो, चाहे कोई खेत में काम करता हो, वह मजदूर कहलाता है और मजदूर पंजीकरण कार्ड ग्राम पंचायत पर बनते हैं, उसमें बड़ी अच्छी तरह से उनको सहायता मिलती है। हमारा मजदूर कार्ड बनकर तैयार हो गया तो उसमें लड़की की शादी होने पर 55 हजार, अगर कोई मजदूर की पत्नी के डिलिवरी होती है तो लड़का होने पर 20 हजार और लड़की होने पर 21 हजार रुपये, अगर किसी मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं तो छात्रवृत्ति, मकान का लोन और साथ में अगर कोई मजदूर मजदूरी करते हुए मर जाता है तो 10 लाख रुपये सरकार देती है; अगर सामान्य भी मृत्यु हो जाये तो 3 लाख रुपये सरकार देती है, इसके लिए भी टीटी साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं इस भाषण का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी। सम्माननीय सदस्य, 8.50 बजे मुझे और कोई विधायी कार्य लेने हैं। इसलिए आपका समय 8.50 बजे तक ही है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

यह पवित्र सदन है और इस पवित्र सदन में जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। पवित्र सदन में बात वही करनी चाहिये जो हकीकत है। सर्व-विदित है कि इस देश को आजाद हुए

(श्री भागीरथ चौधरी)

68 साल हुए हैं, उनमें 60 साल तक इस देश में राज किसने किया? (व्यवधान) मैं देश की बात कर रहा हूं। इस प्रदेश में 68 साल में 51 साल तक राज किसने किया? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हकीकत को हकीकत कहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 60 साल में आपने क्या किया, इस देश में आपने भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी दी। यह काम आपने किया। आपने किसान को ठगा, मजदूर को ठगा, व्यापारी को ठगा।

आज विपक्ष वाले बहुत बड़ी बडी बातें कर रहे थे, आपने यह किया, आपने इस तरह अवाम पर एहसान किया, पहले आंखें छीन लीं फिर चश्मे दान किये, यह किया आपने। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने क्या किया? (व्यवधान) शांति रखिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ज्यादा नहीं देखें। आपने इस तरह अवाम पर एहसान किया, पहले आंखें छीन लीं फिर चश्मे दान किये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया, 8 साल तक केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का अवसर मिला और इस प्रदेश में 50 साल शासन करने का कांग्रेस को अवसर मिला व 17 साल भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का अवसर मिला। केन्द्र में आदरणीय अटल बिहारी जी प्रधान मंत्री बने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा, युगों-युगों तक भारतवासी उस शख़्सियत को याद करेंगे। उन्होंने तीन सपने संजोये थे, पहला सपना संजोया था कि हर गांव, ढाणी सड़क से जुडे। चतुर्भुज सड़क योजना, प्रधान मंत्री सड़क योजना, उनका वह सपना पूरा हुआ। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आज जो गांव, ढाणी सड़क से जुडे हैं, वह अटल जी का सपना है। प्रधान मंत्री तो पहले कई बने हैं परन्तु आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना संजोया और उसको साकार किया। दूसरा उनका सपना था सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिले और उसी का परिणाम है कि हर गांव, ढाणी में स्कूलें खुलीं। तीसरा उनका सपना था, इस देश की नदियां जुडें। दुर्भाग्य से एक मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बनने से वंचित रह गये और यू पी ए की सरकार आई और उसने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज यदि नदियां जुड जातीं, सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को होता। हर खेत को पानी मिलता, हर हाथ को काम मिलता, नौजवान को रोजगार मिलता, बेरोजगारी खतम हो जाती, गांव में खुशहाली आ जाती, किसान के घर में समृद्धि आ जाती। परन्तु इन्होंने उस महती योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

(श्री भागीरथ चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मनरेगा में, मैं यह नहीं कहता हूं, रोजगार की गारंटी होनी चाहिये, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में यह कहना चाहता हूं, इस मनरेगा के पीछे भी बहुत बड़ी शक्तियों का हाथ है। कृषि को बरबाद करना, लघु उद्योग को बरबाद करना, एक बहुत बड़ी साजिश है। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना। (व्यवधान) जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप बोले, जब मैं एक शब्द नहीं बोला। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा।

मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं एक किसान हूं, मुझे पता है, आज किसान की क्या हालत हो रही है। मैं यह नहीं कहता हूं, यदि कोई बेरोजगार है, उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिये, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये ताकि उसको मदद भी मिल जाये और उसका स्वाभिमान भी बच जाये और वह कामचोर भी न हो। मुझे पता है, 2003 में मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला, जब मनरेगा शुरू हुई, कार्य हो रहे थे, आम के आम और गुठली के दाम, यही विपक्ष वाले, मुझे पता है, जब 2008 के चुनाव थे तब इन्होंने कहा। मैंने बताया था, अटल जी का तीसरा सपना है। कई बातें हैं जो अनगिनत हैं।

सच्चाई यह है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले भारत माता की जय बोलती है, फिर पार्टी की जय बोलती है। जय-जय-राजस्थान का नारा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री लगाती हैं। आप तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी और फिर जीजा जी, इससे काम नहीं चलेगा। हम पहले भारत माता की जय बोलने वालों में हैं। हम चाहते हैं, हमारे भारत का गौरव जो पहले था वह वापस लौट कर आये। इसके लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी पूरा कर रहे हैं।

आपको ध्यान है, यह पहला प्रधान मंत्री है जो लाल किले की प्राचीर से क्या बोलते हैं; उपाध्यक्ष महोदय, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की बातें होती हैं और स्वाभाविक भी है, जब लाल किले से प्रधान मंत्री जी उद्‌बोधन देते हैं तो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की ही बातें होती हैं, परन्तु पहली दफा हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने क्या कहा, मैं छोटा व्यक्ति हूं, इसलिए मैं छोटी बात करता हूं।

(श्री भागीरथ चौधरी)

आज दुर्भाग्य है इस देश का कि देश आजाद होने के 67 साल बाद भी मेरी माताएं-बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, कब अंधेरा होगा, कब शौच के लिए हम जंगल में जाएं। यह किसने किया? इसके उत्तरदायी कौन है? इसके जिम्मेदार कौन हैं? थोड़े हाथ रख के देखो। 60 साल तक इस देश के आजाद होने के बाद, कई दूसरे देश हैं, जापान जैसे कई देश हैं जो आज कहां से कहां चले गये; आपने कुछ नहीं किया। सच्चाई तो यह है, अंग्रेज़ों की नीति और आपकी नीति एक थी। फूट डालो राज करो; एक धर्म से दूसरे को लड़ाओ, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाओ; भाई से भाई को लड़ाओ, और अपना उल्लू सीधा करो। सत्य है, यही काम आपने किया। हम नहीं करते हैं। मैं आपको सच बता दूं, यदि सच्चाई और ईमानदारी से आप इस देश का शासन करते, आम अवाम की चिंता करते, तो इस देश का कायापलट हो जाता। परन्तु आपने क्या किया, आपका एक ही मंत्र था अनपढ़ व्यक्ति अनपढ़ रहे, निर्धन, निर्धन रहे, ताकि हमारे चंगुल में फंसे रहें। मैं तो, मैं ही जिस समाज से आता हूं, हमारे पूर्वज कहते थे खाना इन्होंने सिखाया, पहनना इन्होंने सिखाया, बोलना इन्होंने सिखाया, परन्तु जब पता लगा कि ये तो चंगुल में फंसा के रखते हैं, और इस इंसान शिक्षित हो गया, हर समाज आपसे दूर हो गया और आज ये हालात हैं कि आप 21 सिमट कर आ गये हों।

मैं और कह दूं आपको, अब आपकी तो हैसियत ही नहीं कि आप कभी सत्ता में इस प्रदेश और देश में आ सकते हो। आपने मुंगेरीलाल के हसीन सपने नहीं देखे हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूं। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारी सरकार आम अवाम की चिंता करती है, 'आओ-साथ-चलें', सबको साथ लेकर चलने की। आपने कभी नहीं सोचा। व्यक्तिवादी, व्यक्ति के नारे लगाने वालों से क्या उम्मीद कर लें हम कि आप आम अवाम की भलाई की सोचोगे, आप किसान की बात सोचोगे?

मैं बात करता हूं, अभी किसान, कृषि की बात की। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी क्या करते हैं, हमेशा जब पटवारखाने में दो-चार अपने, विश्वसनीय मान लो चाहे, उनसे वह घिरा हुआ रहता है और गिरदावरी जब होती है तो उनको पूछते हैं कि भई, कहां? जबकि पटवारी की ड्यूटी है कि वह खेत में जाकर, किस खेत में क्या जिंस बोई है, वह गिरदावरी करे। कभी पटवारी को ऐसी समस्या आई ही नहीं। वह कुछ भी कर देता; दो-चार आदमी से पूछ लेता। उनको पता नहीं था कि हमारे इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं

(श्री भागीरथ चौधरी)

और हमारे इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी, जो किसान के हित की बात करती हैं, उन्होंने पहली दफा 33 परसेंट खराबे पर डेढ़ गुना मुआवजा दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी किसान, एक भी किसान ऐसा नहीं था, जिसको मुआवजा नहीं मिला, और पटवारियों की पोल खुल गई। मैं सच कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी किसान ऐसा नहीं बचा जिसको मुआवजा नहीं मिला। यह किया हमारी पार्टी ने। यह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारी सरकार, हमारे कृषि मंत्री, सबने मिलकर यह काम किया।

मैं आपको बता दूं नरेंद्र भाई मोदी स्वच्छता, मैंने कहा ना स्वच्छता, यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।

एक माननीय सदस्य: प्रधान मंत्री महोदय की तारीफ ज्यादा और मुख्य मंत्रीजी की...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मुख्य मंत्रीजी की करेंगे, करेंगे, करेंगे। हमारी मुख्य मंत्रीजी की तो जितनी प्रशंसा करें, उतनी कम है। मैं आपको बता दूं।

दूसरा, भैरोंसिंहजी शेखावत इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, उन्होंने अंत्योदय योजना लागू की।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, भागीरथजी पहले मंदिर की बात करते थे, फिर गेहूं की बात करते हैं। अब तो देशभक्ति की।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अरे, बैठो आप। श्रवणजी, बैठो। आप गलत जगह चले गये हो। सच कह रहा हूं, आपका मन ही पहले ठीक नहीं था। पता नहीं, ऐसा हो तो आप भाग्यशाली हों, वहां सुराज संकल्प यात्रा में प्रभारी था और मुझे पता था। ठीक है, परन्तु आप तो आप ही कोसते थे, पता नहीं क्या फिर वापस...। आप तो मनन और चिंतन करना। यह ठीक नहीं है पार्टी, किसानों की हितैषी नहीं है।

इसलिए मैं यह कह रहा था कि केन्द्र के अन्दर आठ साल जो अवसर मिला वो आपके सामने है। आज प्रधान मंत्रीजी कई योजनाएं लाये हैं।

तीसरा मेरा यह कहना है कि यहां आदरणीया मुख्य मंत्रीजी भामाशाह योजना, जल स्वावलंबन जो कई तरह की, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, इस तरह की योजनाएं लेकर आई हैं, अनगिनत योजनाएं लेकर आई हैं, उसी का

(श्री भागीरथ चौधरी)

परिणाम है कि हमारा यह जो प्रदेश है जो 'बीमारू' श्रेणी में था, आज वापिस विकास की दृष्टि से हमारे देश में चौथे नंबर पर आ गया है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि किसान की बात की, अब मैं ऊर्जा की बात करता हूं। 2003 के पहले भी कुछ नहीं, 'खजाना खाली', खजाना खाली', 2003 के पहले रट लगा रहे थे। जब 2003 में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने सत्ता सम्भाली तो इस प्रदेश को 'बीमारू' प्रदेश से वापस इस देश में विकास की दृष्टि से पहले नंबर पर लेकर आयीं और 15 हजार करोड़ का 2008 में जो कर्जा छोड़ के गये, 2013 में आपने 77 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ा। क्या किया आपने? आप बात करते हों बिजली की। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली', वह कहावत चरितार्थ कर रहे हों और घड़ियाली आंसू बहा रहे हों। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

अभी मंदिर की बात करी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आसन को संबोधित करो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं कह रहा हूं, मंदिर की बात की थी जहाजपुर वाले माननीय सदस्य ने। आपको पता नहीं है, जहाजपुर वाले माननीय सदस्य, यह मंदिर को तोड़ने की डी.पी.आर. किसने की? यह रास्ता किसने खोला? बातें कर रहे हैं। हकीकत में पूर्व सरकार में, उपाध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर., मंदिर को तोड़ने का रास्ता पूर्ववर्ती सरकार ने किया। आज हमारे माथे डाल रहे हो। वह ही बात है, 'सौ चूहे खा के बिजली हज करने को चली'।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): संस्कृति बता रहे थे तो संस्कृति से जोड़ते।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): संस्कृति से, परन्तु रास्ता तो आपने शुरू कर दिया ना। और क्या कह रहे हैं हम? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: आठ बजकर पचास मिनट पर आपका समय समाप्त हो जाएगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि जनता ने इनको इतना बड़ा सबक सिखाया, विधान सभा, लोक सभा, पंचायती राज, नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम, फिर भी आप सुधर नहीं पा रहे हो। आप सुधर जाओ। उपाध्यक्ष महोदयजी,....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुधर गये। और क्या सुधरेंगे? मारोगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मूल में कह रहा हूं कि मैं जितनी भी विभाग की प्रशंसा करूं, उतनी कम है। मैं बता रहा हूं, जैसे जल की बात है; उपाध्यक्ष महोदय, पानी की बात है पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मुख्य मंत्रीजी मेरे किशनगढ़ गये और बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग लग गये, बैनर लग गये और उन्होंने वहां दो सौ करोड़ रुपये की पानी की योजना की घोषणा कर दी और दो रुपए भी नहीं दिये इन्होंने। मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने अभी पहले 2015-16 के बजट में 185 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किये और वह काम शुरू हो गया।

आज मैं हैल्थ की बात करूं, तो आपको पता है, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश में, अब तो कुछ भी कहो...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कमाल है!

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अजी, कमाल है। सच में कमाल है। हमारे गृह मंत्रीजी का; आज चाहे कोई भी हो, शिक्षा में, शिक्षा में आमूलचूल...। आज कोई भी पंचायत हैडक्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खुली है। आप तो एक ही स्कूल खुलवाते हो, पता नहीं, कितना एहसान दिखाते। सौ, दो सौ, पांच सौ आदमियों को लेकर आओ, आपकी नीति यही रही है, फिर स्कूल खोलते। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश के अन्दर पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल दिये।

क्या-क्या मैं बताऊं। आज भामाशाह योजना, आज करोड़ों खाते महिलाओं के खुले हैं और महिला का मान-सम्मान बढ़ा है। आज बच्ची की शादी होती है, उसमें कितनी मदद दी जा रही है। सब कुछ अनगिनत है। मैं तो यह कहना चाह रहा हूं कि जहाजपुर वाले विधायकजी ने पता नहीं, क्यों....

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार है, यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी के नेतृत्व में यह सरकार जन विकास के कार्य कर रही है और एक साल का विजन है, माननीय राज्यपाल महोदयजी ने जो अभिभाषण पढ़ा है वह इस प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। इस विपक्ष के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपने ही रह जाएंगे। यह मेरा निवेदन है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आपने रूल 276 के अन्दर अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए सम्माननीय अध्यक्षजी को निवेदन किया था। सम्माननीय अध्यक्ष के आदेश की अनुपालना हेतु, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना सेल्फ एक्सप्लेनेशन..., नौ बजे तक का सदन है।

स्पष्टीकरण

श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष, का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं पांच मिनट में ही बोल रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें समय दिया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा जिस तरीके से हमारे सम्माननीय पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधीजी के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, हम बोल रहे थे, पहले आपने बोलने नहीं दिया; हमने यह निवेदन किया था कि सदन की नेता इसमें खेद प्रकट करें। एक सम्माननीय उस परिवार से हैं, जिसने देश की एकता और अखण्डता के लिए बहुत बड़ी शहादत दी, बलिदान दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 276 में आपने अनुमति दी है प्रतिपक्ष के नेता को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए। यह कौनसा स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा।

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आदर-सहित आसन आपसे निवेदन करता है कि जिस विषय पर आपने 276 का उल्लेख किया है, वह विषय उस सदस्य के द्वारा, वक्तव्य के बाद, आपने अपने सेल्फ-एक्सप्लेनेशन की बात की है। उस विषय को आप मध्यनजर रखकर अपनी बात...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि इसी बात पर चर्चा चल रही थी। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने, मदनजी राठौड़ साहब ने, माननीय आपके संसदीय सचिव गोठवालजी ने, ज्ञानदेव आहूजाजी ने, जिस तरीके से, आपने जो कहा, मेरे व्यक्तिगत, जिस हिसाब से आपने टिप्पणी की, मैं आपसे तो बहुत बड़ी आशा रखता हूं। मदनजी राठौड़ साहब ने, इनका तो जो बोलना है, हमेशा असत्य बोलना है। इनको तो कोई भगवान की देन है। लेकिन आप, संसदीय मंत्री,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आपका बहुत बड़ा मन है, आपने जिस तरीके से कहा था कि हां, मैंने बाहर जाकर उनसे गले मिलकर उस वक्तव्य पर शाबाशी दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरी पार्टी के नेता, जिस नेता के खिलाफ आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय दोनों विधायकों ने, उन्होंने टिप्पणी की, उस टिप्पणी पर हम आपसे यह निवेदन करना चाह रहे थे कि आप माननीय सदन की नेता खेद प्रकट करें। उसमें आपने व्यक्तिगत लांछन लगा दिया। आज अपन बाहर जाकर किसी से मिलते नहीं? आज सदन की बात है। मैं हिन्दुस्तान की महापंचायत में, उस लोक सभा के अन्दर मेम्बर पार्लियामेंट रह चुका...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको जो व्यक्तिगत तोहफे मिले...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज उस सदन की गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने व्यक्तिगत बातों को ...(व्यवधान) आप और वे व्यक्तिगत तौर पर मिले। सब लोगों को क्यों बताया आपने आपस की बात को?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय राठौड़ साहब... (व्यवधान) इस सदन की गरिमा को ही मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उन्होंने खुद ने कहा। आपने क्या ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कार्यवाही के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप रिकार्ड में देखिए। हां, उन्होंने खुद ने कहा, माननीय सदस्य ने।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बाहर जाकर बाइट दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य ने खुद ने कहा, आपने उनको कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके कहने से कहा। आपने कहा ... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मदनजी राठौड़ साहब ने जिस तरीके से यह कहा, ज्ञानदेव आहूजा की यहां कार्यवाही के अन्दर उन्होंने इस बात की ताईद की, कहा, मेरे को वक्तव्यों पर शाबाशी दी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण है ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप उसके फुटेज लाइये। आप गले मिलने की फोटो लाइये। (व्यवधान) मैं इसमें तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता को इस बात की तकलीफ है, एक मिनट, इनसे स्पष्टीकरण पूछ लिया इनके आलाकमान ने। उन्होंने दे दिया इनको नोटिस। तो उसका यहां सदन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के अन्दर डिस्सिप्लनरी एक्शन और आपस में सब बातें चलती रहेंगी। (व्यवधान) आप सदन का बेजा फायदा उठा रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता को जो बात चल रही है कि इनको कोई नोटिस मिल गया, आप गले मिले या नहीं मिले, यहां इस सदन में क्या स्पष्टीकरण दें? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसा नोटिस मिला? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप अपने नेताओं को स्पष्टीकरण दो ना। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसा नोटिस मिला? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप दिल्ली आलाकमान को स्पष्टीकरण दो इस बात का कि आपको गलत नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, आप जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): एक बात मैं आपसे कहूं ... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मदनजी, आप बात सुन लो। आप बैठिये। आप बैठिये, मदनजी।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैंने जो बात कही है, उस बात में आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठिये, मदनजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, 276 को पूरा पढ़कर या तो आप बता दो...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बाद में बोल लेना। आप बात सुनिये। सुनने का माद्दा नहीं रखते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन डिबेट अलाउ नहीं करेगा।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह नाम पुकार रहे हैं, इसलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): "276. वैयक्तिक स्पष्टीकरण- कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।" ये विवादास्पद विषय भी उठा रहे हैं और वाद-विवाद भी कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वाद-विवाद तो मदनजी कर रहे हैं, आप कर रहे हो। जब आसन ने कह दिया कि बोलेंगे, तो बोलने दो। वाद-विवाद तो आप कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं, जो व्यक्तिगत लांछन लगाये हैं, मैं आहत हूं। यह बात बिलकुल असत्य है और कार्यवाही के अन्दर, उस हो-हल्ला के अन्दर, हमें भी सुनाई नहीं दिया। उसमें मेरा निवेदन यह है कि जो बातें इन्होंने कही हैं, वे बिलकुल असत्य हैं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप फिर विवाद कर रहे हो। मदनजी, राठौड़ साहब, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विवादास्पद विषय उठा ही नहीं सकते और यह विवाद का विषय है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बोलने का अधिकार भी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जे एन यू की घटना हिन्दुस्तान में विवाद का विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया करके आप सब बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब अपनी बात कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्ल्यूड कर दें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हर बात को आउट करके, जब आपने समय दे दिया, आपने बोलने का समय दिया है। (व्यवधान) डिबेट की कहां जरूरत है? आपने समय दिया ना। डिबेट की जरूरत कहां पड़ गई?

श्री उपाध्यक्ष: मैं आज के लिए स्थगित कर दूंगा। I will give him an opportunity because the Hon'ble Speaker wants him to explain on certain issues. But if he also goes out of the purview, then I will also not allow them.

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से मेरे खिलाफ जो टिप्पणियां कीं, मेरे खिलाफ जिस तरीके से असत्य भाषा का प्रयोग किया, ये असत्य बोले। कार्यवाही के अन्दर बार-बार मदनजी राठौड़ साहब की तरफ से, राजेन्द्रजी राठौड़ की तरफ से, आपके संसदीय सचिव गोठवाल साहब की तरफ से, आहूजा जी की तरफ से, जो भी बातें कही गयी हैं, वे बिलकुल असत्य हैं। मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं कि कार्यवाही के अन्दर जो वृत्तान्त लिखा है, मेरा निवेदन है कि उसको विलोपित किया जाए। यह बिलकुल असत्य है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.58 बजे शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

टपूकड़ा (अलवर) उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

59. **श्री मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में उप तहसील टपूकड़ा आजादी से पहले की बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उप तहसील टपूकड़ा को क्रमोन्नत कर तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15, सन् 1956) की धारा 15 एवं 16 के अन्तर्गत तहसील गठन के सम्बन्ध में शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं।

जिला अलवर की तहसील तिजारा में कुल 12 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त के 48 पटवार मण्डल सम्मिलित हैं। तहसील तिजारा की उप तहसील टपूकड़ा में 5 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त के 19 पटवार मण्डल सम्मिलित हैं, जो तहसील गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड (30 पटवार मण्डल) के अनुरूप नहीं होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उप तहसील टपूकड़ा को तहसील में क्रमोनत किया जाना सम्भव नहीं है। निर्धारित मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जैसलमेर जिले में कौशल एवं आजीविका विकास को प्रोत्साहन देने की योजना

60. **श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में कौशल एवं आजीविका विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को कब-कब कितनी

(श्री छोटू सिंह)

राशि का आबंटन किया गया एवं इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं /-

1. निगम द्वारा क्रियान्वित अपनी तीन योजनाओं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) एवं नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) के अन्तर्गत 13 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों का चयन किया गया है। चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

2. जैसलमेर जिले में उपरोक्त तीनों योजनाओं के अन्तर्गत 9 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा 9 प्रशिक्षण केन्द्रों पर 664 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 146 युवा प्रशिक्षणरत हैं। प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षणरत युवाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जैसलमेर जिले में 9 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं ने 664 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। दो प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को अभी तक कुल राशि रुपये 5,20,103/- निर्गत की गयी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियों को अनुमोदित लक्ष्य की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप में दी जाती है। जैसलमेर जिले से सम्बन्धित व्यय की गई राशि के समायोजन की सूचना परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त नहीं हुई है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-61

(स्थगित)

प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण की कार्य योजना

62. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जोगाराम पटेल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में तिलवाड़ा, बाड़मेर व पुष्कर (अजमेर) के मेले ऊंटों की बिक्री के प्रमुख मेले माने जाते हैं? यदि हां, तो गत वर्ष पुष्कर मेले में ऊंटों की बिक्री की संख्या व कीमत में हर वर्ष की भांति वृद्धि या कमी हुई? यदि कमी हुई, तो कितना प्रतिशत तथा इसके प्रमुख कारण क्या रहे?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऊंटों की उपयोगिता दिनोंदिन कम हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ऊंट व ऊंटपालक की सुरक्षा व संरक्षण हेतु कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015 में आयोजित श्री कार्तिक पशु मेला पुष्कर जिला अजमेर में, वर्ष 2014 के पुष्कर मेले की तुलना में ऊंटों के विक्रय एवं उससे ऊंट पालक को हुई औसत आय में वृद्धि हुई है।

(2) जी हां। प्रदेश में ऊंटों व ऊंट पालकों के सुरक्षा, संरक्षण व कल्याण के लिए किये जा रहे प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 16.09.2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है; एवं

2. ऊंटों की सुरक्षा के लिए राजस्थान ऊष्ट्र वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2014 विधान सभा से पारित कर माननीय राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही होगी।

प्रदेश में खिलाड़ी प्रशिक्षण कैम्पों में देय मानदेय में वृद्धि

63. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दे रही है? यदि हां, तो प्रशिक्षण कैम्प के दौरान प्रत्येक खिलाड़ी को भोजन के कितने रुपये प्रतिदिन मिलते हैं? क्या प्रतिदिन मिलने वाली राशि से खिलाड़ियों के भोजन, नाश्ते की व्यवस्था सही प्रकार से होती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती द्रोपती)

(3) क्या यह सही है कि स्पोर्टस कौशल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कैम्पों में प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन की राशि 500 रुपये है? यदि हां, तो उक्त खिलाड़ी प्रशिक्षण कैम्प में राशि कम होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व राज्य संघ के अनुरोध पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर के खिलाड़ियों को रुपये 300/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी भोजन व्यय दिया जाता है। इस राशि में खिलाड़ियों के नाश्ते व भोजन की समुचित व्यवस्था हो जाती है।

(2) राज्य के खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में दिनांक 18.06.2015 को 200/- रुपये से बढ़ाकर 300/- रुपये प्रतिदिन की अभिवृद्धि की गई थी। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रशिक्षण शिविर के दौरान रुपये 300/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी दैनिक भत्ते की राशि दी जाती है। राज्य टीम में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के दौरान 500/- रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पर अनुषांगिक प्रभार की दर 300/- रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी से बढ़ाकर 500/- रुपये कर दी गई है। आदेश की प्रति संलग्न है।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा, परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

कमांक : एफ 3/सम./अनु./(2)/2015-16/ दिनांक :

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के घोषणा संख्या 94 एवं सुराज संकल्प यात्रा 2013 में किये गए आश्वासन की अनुपालना में युवा मामले एवं खेल विभाग के पत्र क्रमांक प.11(21)खेल/2014 दिनांक 09.06.2015 एवं 08.05.2015 के अनुक्रम में राज्य और राज्य के बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में एतद्द्वारा निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

क्र. सं.	गतिविधियां	वर्तमान दर	संशोधन उपरान्त नवीन दर
1.	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, प्रशिक्षण शिविरों एवं राज्य में अनुषांगिक प्रभार की दर	200/- रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी	300/- रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी
2.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिति होने पर अनुषागिक प्रभार की दर	300/- रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी	500/- रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी

सचिव

सलूम्बर में अतिरिक्त जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना

64. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले में वर्तमान में कितने श्रेणियों के वाहन पंजीकृत हैं? उक्त वाहनों में सलूम्बर, सराड़ा, खैरवाड़ा, ऋषभदेव, सेमारी एवं लसाड़िया के कितने वाहन पंजीकृत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के कितने जिलों में एक से अधिक जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सलूम्बर में अतिरिक्त जिला परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिवहन कार्यालय, उदयपुर में वर्तमान में परिवहन एवं गैर-परिवहन दो श्रेणियों में वाहन पंजीकृत हैं। माह जनवरी 2016 तक जिले में कुल 7,38,154 वाहन पंजीकृत हैं जिनमें 6,79,915 गैर-परिवहन तथा 58,239 परिवहन श्रेणी में पंजीकृत हैं।

परिवहन कार्यालय में वाहनों के पंजीयन का रिकार्ड तहसीलवार संधारित नहीं किया जाता है, परन्तु जिला परिवहन कार्यालय, उदयपुर के कार्यालय में वाहनों के पंजीयन का कार्य माह नवम्बर, 2009 से एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करवाये गये "वाहन" साफ्टवेयर पर संधारित किया जा रहा है। वर्ष 2009 के पश्चात् से कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर उल्लिखित तहसीलों के वाहनों की संख्या निम्न प्रकार है:-

(परिवहन मंत्री)

क्रं. सं.	तहसील का नाम	गैर परिवहन	परिवहन यान	कुल पंजीकृत
1.	खेरवाड़ा	11488	655	12143
2.	लसाड़िया	3376	170	3546
3.	ऋषभदेव	5810	263	6073
4.	सलूम्बर	18388	955	19383
5.	सराड़ा	17201	804	18005
6.	सेमारी	1095	56	1151
कुल		57358	2943	60301

(2) प्रदेश के 13 जिलों में एक से अधिक जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय स्थित हैं। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) विभाग में अतिरिक्त जिला परिवहन कार्यालय संरचना में नहीं है। वर्तमान में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति के अभाव में सलूम्बर में जिला परिवहन कार्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है। सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय पर वर्तमान में उप परिवहन कार्यालय संचालित है जहां लर्निंग लाइसेंस एवं लाइसेंस जारी करने का कार्य सप्ताह में एक दिन बुधवार को सम्पादित किया जाता है ।

परिशिष्ट–क

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय	जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों की संख्या
1.	जयपुर	जयपुर, दूदू, कोटपूतली, चौमूं, शाहपुरा	5
2.	चूरू	चूरू, सुजानगढ़	2
3.	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी	4
4.	नागौर	नागौर, डीडवाना	2
5.	अलवर	अलवर, भिवाड़ी	2

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय	जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों की संख्या
6	जोधपुर	जोधपुर, फलौदी	2
7	बाड़मेर	बाड़मेर, बालोतरा	2
8	सिरोही	सिरोही, आबूरोड	2
9	जालौर	जालौर, भीनमाल	2
10	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा, शाहपुरा	2
11	कोटा	कोटा, रामगंजमण्डी	2
12	बीकानेर	बीकानेर, नोखा	2
13	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़, नोहर	2
		कुल योग	**31**

मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. योजना के तहत आवासों के निर्माण का लक्ष्य

65. **श्री रामपाल** (बारां-अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना बनाई गई है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया गया? जिलेवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन जिलों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 तक तीन वर्षों में 6,80,000 आवास निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना बनाई गयी थी। यह योजना वर्ष 2011-12 में राज्य के सीकर व झुन्झुनु जिलों को छोडकर शेष 31 जिलों में, वर्ष 2012-13 में राज्य के अलवर, भरतपुर, चूरू, धौलपुर, नागौर, सीकर व झुंझुनूं जिलों

(ग्रामीण विकास मंत्री)

को छोड़कर शेष 26 जिलों में एवं वर्ष 2013-14 में राज्य के अलवर, भरतपुर, चुरू, धौलपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, जैसलमेर एवं जयपुर जिलों को छोड़कर शेष 23 जिलों में योजना लागू की गई।

योजना के अन्तर्गत निर्धारित वर्षवार एवं जिलेवार लक्ष्यों एवं उनके विरुद्ध की गई स्वीकृतियों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) योजना के वर्ष 2011-12 में 98.33 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 100.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 में 99.67 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये गये है। वर्ष 2011-12 व 2013-14 में नियमानुसार पात्र परिवार उपलब्ध नहीं होने के कारण लक्ष्य अर्जन में कमी रही है।

परिशिष्ट–अ

मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले	लक्ष्य			स्वीकृति			प्राप्त लक्ष्य (प्रतिशत)		
		वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1	अजमेर	3545	1491	1588	3548	1650	2904	100.08	110.66	182.87
2	अलवर	10967	0	0	7524	0	0	68.61	0.00	0.00
3	बांसवाड़ा	22931	26297	25422	22931	26297	25349	100.00	100.00	99.71
4	बारां	6052	6291	5530	6044	6093	5518	99.87	100.03	99.78
5	बाडमेर	18033	8724	5154	18002	8724	5154	99.83	100.00	100.00
6	भरतपुर	7870	0	0	7606	16	0	96.63	0.00	0.00
7	भीलवाड़ा	12065	10043	9383	12067	10049	9388	100.02	100.06	100.05
8	बीकानेर	11414	6313	4457	11416	6314	8918	100.02	100.02	200.09
9	बूंदी	3612	2193	3610	3613	2195	3437	100.03	100.09	95.21
10	चित्तौड़गढ़	5798	7476	7086	5740	7471	7073	99.00	99.93	99.82
11	चूरू	2975	0	0	2980	0	0	100.17	0.00	0.00
12	दौसा	3363	1633	0	3378	1633	0	100.45	100.00	0.00
13	धौलपुर	2282	0	0	2273	0	0	99.61	0.00	0.00
14	डूंगरपुर	21907	24996	24427	21733	24989	26866	99.21	99.97	109.98
15	हनुमानगढ़	6830	2888	1137	6784	2879	1141	99.33	99.69	100.35
16	जयपुर	2794	2209	0	2284	2159	0	81.75	97.74	0.00
17	जैसलमेर	7798	755	0	7798	755	0	100.00	100.00	0.00

क्र.सं.	जिले	लक्ष्य			स्वीकृति			प्राप्त लक्ष्य (प्रतिशत)		
		वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
18	जालौर	11856	9301	8168	11857	9301	8169	100.01	100.00	100.01
19	झालावाड	5521	5404	4985	5507	5404	4660	99.75	100.00	93.48
20	जोधपुर	8952	4991	8009	8952	4991	8011	100.00	100.00	100.02
21	करौली	6846	3463	6063	6850	3493	6190	100.06	100.87	102.09
22	कोटा	3977	2672	4955	3835	2541	4441	96.43	95.10	89.63
23	नागौर	3608	0	0	3433	0	0	95.15	0.00	0.00
24	पाली	10629	5086	4365	10596	5086	3603	99.69	100.00	82.54
25	प्रतापगढ़	3161	13514	12995	3155	13514	12993	99.81	100.00	99.98
26	राजसमन्द	7203	5557	5250	7164	5603	5255	99.46	100.83	100.10
27	सवाईमाधोपुर	7047	3211	5619	6953	3211	5623	98.67	100.00	100.07
28	सिरोही	4428	3309	6170	4408	3309	3978	99.55	100.00	64.47
29	श्रीगंगानगर	10398	2576	2924	10396	2576	2083	99.98	100.00	71.24
30	टोंक	4099	3871	7594	4088	3878	5793	99.73	100.18	76.24
31	उदयपुर	42039	35936	35109	42399	35919	32791	100.86	99.95	93.40
	योग	280000	200000	200000	275313	200050	199338	98.33	100.03	99.67

कोटा शहर में जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइनों को बदलने की योजना

66. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर में पेयजल के कितने कनेक्शन हैं तथा प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों से कितना शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है व कितना खपत हो रहा? विवरण सदन की मेज पर पर रखें।

(2) कोटा शहर में वर्तमान में कितने प्रतिशत पानी की छीजत हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा शहर में पानी छीजत का प्रमुख कारण पाइपलाइनों में रिसाव है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में? क्या सरकार पाइपलाइनों को सही करने अथवा बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कोटा शहर में कुछ क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है? यदि हां, तो उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कोटा शहर में कई कालोनियों में सीवरेज लाइनें पेयजल लाइनों के समानान्तर बिछी हुई होने के कारण उन क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति की सम्भावना रहती है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार सीवरेज लाइनों के साथ-साथ बिछी पेयजल आपूर्ति की लाइनों व खराब पड़ी पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइपलाइन डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा 1,20,675 जल कनेक्शन जारी किये हुए हैं। शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु मुख्य जल उत्पादन केन्द्र अकेलगढ़ हैडवर्क्स स्थित 230.12 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट एवं सकतपुरा स्थित 130 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट से प्रतिदिन कुल 360.12 मिलियन लीटर स्वच्छ पेयजल उत्पादित किया जाकर उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 248.90 मिलियन लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

है। प्रतिदिन जल उत्पादन एवं खपत (वितरण) सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कोटा शहर में उपरोक्तानुसार 30.88 प्रतिशत पानी की प्रतिदिन छीजत हो रही है। जल छीजत का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। कोटा शहर में अकेलगढ़ से दशहरा मैदान तक बिछी हुई 1,100 मिलीमीटर व्यास की पी.एस.सी.सी. की पाइपलाइन, अकेलगढ़ से आई.एल. चौराहे तक बिछी हुई 685 मिलीमीटर व्यास की सी.आई. लैड ज्वाइंट पाइपलाइन, अकेलगढ़ से अमर निवास होते हुए दादाबाड़ी तक बिछी हुई 350 मिलीमीटर व्यास की सी.आई. लैड ज्वाइंट तथा शहर की विभिन्न बस्तियों एवं क्षेत्रों में बिछी हुई पुरानी ए.सी., पी.वी.सी., लैड ज्वाइंट युक्त सी.आई. पाइपलाइनें मुख्य रूप से जल रिसाव से प्रभावित हैं।

पेयजल पाइप लाइनों में हो रहे जल रिसाव से मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। विशेष समाधान के रूप में सकतपुरा परियोजना के तहत 25.18 किलोमीटर एवं राज्य आयोजना मद (शहरी) के तहत विगत दो वर्षों में 26.48 किलोमीटर पाइप लाइनों को बदला गया है। अकेलगढ़ से दशहरा मैदान तक बिछी हुई 1,100 मिलीमीटर व्यास की पी.एस.सी.सी. की पाइपलाइन को डी.आई. पाइपलाइन में बदलने का कार्य भी वर्तमान में प्रगति पर है।

कोटा शहर को अमृत पेयजल योजना में सम्मिलित किया जाकर सम्पूर्ण शहर हेतु पेयजल योजना का सर्वे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा प्रपत्र तैयार करने के कार्य हेतु मैसर्स वेपकोस लिमिटेड, गुड़गांव को दिनांक 10.11.2015 को लैटर आफ इनटेन्ट (परिशिष्ट-द पर संलग्न) जारी किया जा चुका है तथा यह रिपोर्ट माह अप्रैल, 2016 तक प्राप्त होनी प्रस्तावित है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने एवं तकनीकी परीक्षण में सही पाये जाने पर बजट उपलब्धतानुसार स्वीकृति बाबत विचार किया जावेगा।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(5) कोटा शहर के मुख्य रूप से महावीर नगर विस्तार योजना, केशवपुरा, किशोरपुरा के कुछ भाग में, दादाबाड़ी विस्तार योजना सेक्टर 3 एवं 4, गणेश तालाब, विज्ञान नगर के आंशिक भाग में पेयजल पाइपलाइनें, सीवरेज लाइनों के साथ-साथ बिछी होने से इन क्षेत्रों में पेयजल प्रदूषण की आशंका बनी रहती है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) जी हां। उपरोक्तानुसार अमृत योजना के अन्तर्गत कोटा शहर की पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की कार्यवाही प्रगति पर है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या-67

(स्थगित)

प्रदेश में कर्मकार कल्याण बोर्ड में सैस से एकत्रित राशि

68. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दी बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर्स (रेग्युलेशन आफ एम्प्लायमेंट एण्ड कंडिशन्स आफ सर्विस) एक्ट, 1996 के तहत बने नियम प्रदेश में कब लागू किये गये? नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एक्ट के तहत प्रदेश में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सैस (Cess) नियम, 1996 के अनुसरण में कितनी सैस (Cess) की राशि वर्ष 2010-11 से जनवरी, 2016 तक सरकार द्वारा वर्षवार एकत्रित की गई तथा उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से वर्ष में बोर्ड को हस्तान्तरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशियों में से वर्षवार कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से मदों में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दी बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्यूलेशन आफ एम्प्लायमेन्ट एण्ड कंडिशन्स आफ सर्विस) एक्ट, 1996 के तहत राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 दिनांक 30 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित कर लागू किये गये हैं। नियमों की प्रति संलग्न "क" प्रस्तुत है।

(2) उक्त एक्ट के तहत राजस्थान में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सैस (Cess) नियम, 1996 के अनुसरण में वर्ष 2010-11 से लगातार वर्षवार निम्न उपकर राशि इकट्ठी की गयी है-

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

वर्ष	इकट्ठी की गयी उपकर राशि (करोड़ रु.)
2010-11	85.52
2011-12	154.01
2012-13	173.83
2013-14	251.95
2014-15	278.75
2015-16 (जनवरी, 16 तक)	241.37
कुल	**1185.43**

उक्त उपकर राशि में से वर्षवार बोर्ड को हस्तान्तरित कर दी गई राशि निम्नानुसार है -

वर्ष	**तिथि**	**इकट्ठी की गयी उपकर राशि (करोड़ रु.)**
2010-11	24.6.2010	0.50
2011-12	14.7.2011	10.00
2012-13	11.10.2012	229.03
2013-14	22.10.2013	173.83
2014-15	15.10.2014	175.00
	17.3.2015	76.95
2015-16 (जनवरी, 16 तक)	31.12.2015	278.75
कुल		**944.06**

(3) मण्डल को हस्तान्तरित की गयी उपकर राशि का वर्षवार व मदवार व्यय विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित राशि

69. श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत

(श्री धनसिंह रावत)

वर्ष 2015-16 में कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया तथा आबंटित राशि में से सम्बन्धित विभाग ने किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु मांग संख्या 30 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2015-16 में कुल राज्य के बजट 71,40,578.10 लाख रुपये में से जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु 9,88,671.27 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। जो कि राज्य के कुल बजट का 13.85 प्रतिशत है। आबंटित बजट के विरूद्ध सम्बन्धित विभाग द्वारा माह जनवरी, 2016 तक की गयी व्यय राशि रुपये 4,56,608.01 लाख है। विभाग वार विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की आयोजना मद का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में विशिष्ट मण्डी घोषित करने के मानदण्ड

70. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विभिन्न कृषि उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उपज मण्डियों को विशिष्ट मण्डी का दर्जा प्रदान करती है? यदि हां, तो विशिष्ट मण्डी घोषित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ की पात्रता एवं कृषि जिन्सों की आवक को दृष्टिगत रखते हुए कृषि जिन्स मक्का की विशिष्ट मण्डी घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्त कृषि जिन्सों की आवक में बहुलता वाली मण्डी समिति को जहां-उत्पादन-वहां विपणन की तर्ज पर विशिष्ट मण्डी घोषित किया जाता है।

सरकार द्वारा जिन्स विशिष्ट मण्डी घोषित किये जाने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा से मक्का की विशिष्ट मण्डी घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्षेत्र में उत्पादन, बाजार विकास की सम्भावनाओं, भूमि की उपलब्धता तथा मूलभूत सुविधाओं की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

जयपुर उद्योग लिमिटेड को स्टेच्यू सर्किल जयपुर के पास आबंटित भूमि

71. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के स्टेच्यू सर्किल के पास स्थित उद्योग मैदान की जमीन को जयपुर उद्योग लिमिटेड नामक कम्पनी को सुपुर्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों, आदेश व प्रक्रिया के तहत? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्पनी को इस जमीन का आबंटन कब तथा किस अधिनियम के तहत किया गया था? आबंटन पत्र की प्रति, शर्तें, उद्देश्य व उल्लंघन पर कार्रवाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर उद्योग लिमिटेड की प्रदेश में कहां-कहां कितनी सम्पत्तियां रही हैं तथा इसके अधीन कौनसी अन्य कम्पनियां रही हैं? एम्नेस्टी स्कीम के तहत जयपुर उद्योग को कितना लाभ दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा कभी उद्योग मैदान की जमीन के आबंटन की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार जमीन आबंटन के उद्देश्यों की पूर्ति पर संतुष्ट है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उद्योग मैदान का आबंटन रद्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर के स्टेच्यू सर्किल स्थित जयपुर उद्योग की जमीन को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय SBCWP No 13866/2011

(उद्योग मंत्री)

दिनांक 15.12.2014 तथा DB Special Appeal No. 30/2015 दिनांक 10.03.2015 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय SLP No. 13005/2015 दिनांक 05.05.2015 एवं Review Petition No. 2220/2015 दिनांक 20.08.2015 की अनुपालना में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड कम्पनी की बकाया मांग के प्रकरण को निष्पादित कर कम्पनी के सुपुर्द कर दिया गया है। निर्णयों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड को उद्योग मैदान की भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(3) जयपुर उद्योग लिमिटेड की प्रदेश में क्रम संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति के अलावा अन्य सम्पत्तियां निम्नानुसार हैं :-

- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ4(34) इण्ड(ए)67 दिनांक 09.01.1970 के द्वारा 373.94 एकड भूमि गांव लूलवा मूडोती सरकना काक ब्यावर (अजमेर) सीमेन्ट फैक्टरी उद्योग हेतु आबंटित की गई है एवं आदेश क्रमांक एफ 4(34) इण्ड(ए)67 दिनांक 22.03.1969 के अनुसार 283.66 एकड़ भूमि गांव पाखरियावा, अंधी देवरी रामपुरा, गेना (अजमेर) आदि में सीमेन्ट फैक्टरी उद्योग हेतु आबंटित की गई है।
- जयपुर उद्योग लि. को सवाई माधोपुर जिले में 350 एकड़ जमीन Government order G.O. No. 580-Sc dated 6 April, 1949 के द्वारा आबंटन की गई जिसकी लीज डीड दिनांक 07.05.1959 को सम्पादित की गई।
- जयपुर उद्योग लि. के पक्ष में क्षेत्र 14.35 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खनिज लाइमस्टोन के लिए मूल खनन पट्टा दिनांक 16 11 1948 में जारी किया गया था, जिसे समय-समय पर कम करते हुए द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र संख्या 1/1988 द्वारा दिनांक 12.05.1988 क्षेत्र 6 वर्ग किलोमीटर वास्ते खनिज लाइमस्टोन निकट ग्राम फलौदी, बजराखौ, भैरूपुरा तहसील जिला सवाई माधोपुर में श्री जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर द्वारा आवेदन किया गया। जो शासन के आदेश दिनांक 31.01.2005 से अस्वीकृत किया गया। इस प्रकार खनन पट्टे की अवधि 31.01.2005 तक रही।

जयपुर उद्योग लिमिटेड की अन्य सहयोगी कम्पनियां निम्नानुसार हैं :-

1. मैसर्स मुकल ट्रेडिंग प्रा. लि. जयपुर;

(उद्योग मंत्री)

2. मैसर्स भारत ओवरसीज प्रा. लि. सवाई माधोपुर;

3. मैसर्स एल्विन मार्केटिंग प्रा. लि. सवाई माधोपुर; व

4. मैसर्स राजीव ट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि. सवाई माधोपुर।

एम्नेस्टी स्कीम के अन्तर्गत-

- जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सम्पर्ण कर राशि जमा कराने के पश्चात् कम्पनी पर बकाया ब्याज एवं शास्ति की राशि रुपये 17.16 करोड़ वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माफ (Waive) की गई है।
- तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं वर्तमान जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा मंत्री मण्डल की आज्ञा दिनांक 20,02,1992 की अनुपालना वर्ष 2009 में बकाया एवं शास्ति की राशि रुपये 7.22 करोड़ माफ की गई है।
- खनन पटटे के विरुद्ध बकाया मूल राशि रुपये 62,38,406 एम्नेस्टी स्कीम में जमा कराये जाने से ब्याज की राशि रुपये 3,38,75,655 दिनांक 30.12.2008 को खान विभाग द्वारा माफ की गई।

(4) राज्य सरकार द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड को उद्योग मैदान की भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(5) राज्य सरकार द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड को उद्योग मैदान की भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

ब्यावर के दुधालेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क के चौड़ाईकरण की योजना

72. **श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एन.एच. 8 जस्साखेड़ा से दुधालेश्वर महादेव मंदिर तक का सड़क मार्ग जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण श्रद्धालुओं एवं आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार एन.एच. 8 जस्साखेड़ा से दुधालेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क का चौड़ाईकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एन.एच.-8 जस्साखेड़ा से दूधालेश्वर महादेव मंदिर तक के सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 21.00 किमी. है एवं सड़क की चौड़ाई 3.00 मीटर है। सड़क की पूरी लम्बाई पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है।

उक्त सड़क के किमी. 0/0 से 7/0 का भाग ओ.डी.आर. संख्या-25, किमी. 7/0 से 10/0 का भाग स्टेट हाइवे संख्या-58 एवं किमी. 10/0 से 21/0 का भाग ग्रामीण सड़क की श्रेणी में है।

उक्त सड़क के किमी. 0/0 से 15/0 (15 किमी.) का भाग संतोषजनक स्थिति में है। किमी. 15/0 से 21/0 (6 किमी.) का भाग क्षतिग्रस्त/नोन-पैचेबल स्थिति में है, जो कि वन्य जीव अभयारण्य रावली टाटगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण वर्तमान में वन विभाग की अनुमति मिलने पर सड़क मरम्मत हेतु अनुमानतः राशि रु. 1.20 करोड़ की आवश्यकता होगी।

(2) वर्तमान में एन.एच. 8जस्साखेड़ा से दूधालेश्वर महादेव मंदिर सड़क का चौड़ाईकरण किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उक्त सड़क के किमी. 0/0 से 15/0 वाले भाग की चौड़ाई 3.00 मीटर से 7.00 मीटर करने हेतु राशि रु. 19.00 करोड़ की आवश्यकता होगी एवं वन्य जीव अभयारण्य के अन्तर्गत आने वाले 6.00 किमी. के चौड़ाईकरण के लिये राशि रु. 6.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।

उक्त सड़क का चौड़ाईकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं वन विभाग की अनुमति पर निर्भर करेगा।

जालोर जिले में नरेगा योजना में वृक्षारोपण के कार्य

73. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से 2013 में जिला जालौर में नरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो कितने वृक्षों के लिए कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई एवं कितनी राशि का भुगतान किस-किस को किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) वृक्षारोपण कार्यों में लगाये गये वृक्षों के रख-रखाव का कार्य किसको दिया गया था तथा वर्तमान में उक्त वृक्षों में से कितने वृक्ष जीवित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालौर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2009 से 2013 में वृक्षारोपण के 228 कार्य, अनुमानित राशि रु. 1,932.65 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयीं, कुल 2,58,289 पौधारोपण किये गये एवं रु. 548.65 लाख का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों को किया गया। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त वृक्षारोपण कार्यों में लगाये गये वृक्षों के रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिक नियोजन से किया गया। वर्तमान में उक्त वृक्षों में से 1,39,645 वृक्ष जीवित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौरासी में नवीन हैंडपम्पों की लम्बित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

74. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पेयजल हेतु हैंडपम्प के लिए राशि रुपये 220.89 लाख के प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों हेतु सरकार को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रस्ताव विभागीय मानदण्ड के अनुसार ही भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति अब तक जारी नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कुल 179 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 198.69 लाख के प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों हेतु सक्षम स्तर पर प्राप्त हुए हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त प्रस्तावों में सम्मिलित ग्रामों में पूर्व में स्थापित हैण्डपम्पों की स्थिति, लोकेशन की जानकारी, रासायनिक विश्लेषण एवं तकनीकी उपयुक्तता सम्बन्धी वांछित रिपोर्ट प्रस्तावक फील्ड अधिकारियों से प्राप्त होने पर नियमानुसार इनकी स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सह-खातेदारों के अधिकार समाप्ति पर रोक लगाने की कार्यवाही

75. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ द्वारा डिक्री नंबर 12724/जयपुर/2004 दिनांक 10 मार्च, 2008 में दिए निर्णय के अनुसार टीनेन्सी एक्ट की धारा-42 के अनुसार सहखातेदार को स्व-त्याग का अधिकार नहीं है और ना ही इस आधार पर उसका हिस्सा समाप्त होता है?

(2) क्या यह सही है कि इसके बाद भी पंजीकृत हक त्याग (रिलीज डीड) के आधार पर तहसीलदार नामान्तरण तस्दीक कर ऐसे सह-खातेदारों का अधिकार समाप्त कर रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि भू-राजस्व अधिनियम में सह-खातेदार को अलग से अपना हक त्याग करने का प्रावधान है? यदि हां, तो राजस्व मण्डल के निर्णय से उत्पन्न विरोधाभास के बाद सरकार ने क्या आवश्यक संशोधन किये?

(4) क्या सरकार इस प्रकार के लगातार हो रहे हक त्याग पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्व मण्डल, अजमेर की अपील संख्या 12724/जयपुर/2004 निर्णय दिनांक 10 मार्च, 2008 के अनुसार राजस्व टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत खातेदार को हक त्याग का अधिकार नहीं हैं एवं हक त्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं।

(2) राज्य में काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के उल्लंघन

(राजस्व राज्य मंत्री)

में हक त्याग के प्रकरणों में नामान्तरकरण प्रमाणित नहीं किये जा रहे हैं। केवल समान श्रेणी के सह-खातेदारों के आपसी रक्त सम्बन्धियों की विरासत भूमि के सम्बन्ध में पंजीकृत हक त्याग विलेख के आधार पर नामान्तरकरण खोले/प्रमाणित किये जा रहे हैं।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में हक त्याग किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं हैं। कोई विधि वारिस अपनी विरासत सम्पति के किसी हक, दावे, अधिकार या किसी भाग का त्याग किसी दूसरे सहभागीदार के पक्ष में करता है तो भारतीय मुद्रांक कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 55 के तहत उस पर मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान हैं। विरासत सम्बन्धी सम्पत्ति में कृषि भूमि भी शामिल है। कृषि भूमि विरासत में प्राप्त होती है। उसमें कोई सहभागीदार अपना त्याग सामान्य सम्पत्ति की तरह कर सकता है। इस आशय का परिपत्र दिनांक 29.06.1994 राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है। राजस्व कानूनों में संशोधन की अपेक्षा नहीं है।

(4) जी नहीं।

प्रदेश में अभियान चलाकर श्रमिकों के पंजीयन की योजना

76. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा श्रमिकों के पंजीयन करने की योजना है? यदि हां, तो क्या तथा उक्त योजना में पंजीकृत श्रमिकों को क्या-क्या लाभ दिये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में अभियान चलाकर शेष रहे श्रमिकों का भी पंजीयन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में श्रम विभाग के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम,1946 के

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है। कोई भी निर्माण श्रमिक, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा जिसने पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, हिताधिकारी के रूप में पंजीयन करा सकता है।

मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों (निर्माण श्रमिकों) को मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है जिनका विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) मण्डल में योजनावार श्रमिकों के पृथक पंजीयन का प्रावधान नहीं है। योजनाओं का लाभ पंजीकृत हिताधिकारियों को योजनाओं में निर्धारित पात्रता अनुसार देय है। मण्डल में अब तक कुल 8,33,883 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हुआ है, जिसका विवरण जिलेवार संधारित किया जाता है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीयन अधिकारियों के माध्यम से पंजीयन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। समय-समय पर पंजीयन अभियान भी चलाये जाते हैं। दिनांक 26.10.2015 से चलाये गये पंजीयन अभियान की अवधि को दिनांक 31.03.2016 तक बढ़ाया गया है। भविष्य में भी सभी निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु नियमित रूप से कार्य किया जायेगा।

परिशिष्ट–क

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	देय हितलाभ
1	शुभशक्ति योजना (हिताधिकारी की पुत्री अथवा महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना के स्थान पर 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई योजना)	हिताधिकारियों की बालिग अविवाहिता बेटियों तथा महिला हिताधिकारियों को उद्यामिता से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने तथा विवाह हेतु राशि रु. 55,000/- प्रोत्साहन राशि
2	निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना (शिक्षा सहायता (छात्रवृत्त) योजना, मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना को एकीकृत कर 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई योजना।)	हिताधिकारियों के बच्चों को कक्षा 6 से आगे तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति राशि रु. 8,000 से 25,000/- तक 8वीं कक्षा से आगे तक के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रु. 4,000 से 35,000/- तक (पात्रता अनुसार)
3	भामाशाह निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना।	भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को एमपैनल किये गये अस्पतालों में सामान्य बीमारियों में राशि रु. 30,000 तक और गम्भीर बीमारियों में तीन लाख रुपये तक के नि:शुल्क इलाज की सुविधा।
4	निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना।	हितधिकारियों द्वारा अपने बैंक खाते से निम्न योजनाओं की प्रीमियम/अंशदन राशि का मण्डल द्वारा पुनर्भरण-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>देय हितलाभ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><th>योजना का नाम</th><th>मण्डल द्वारा अंशदान/प्रीमियम</th></tr><tr><td>प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना</td><td>100 प्रतिशत (रु. 12/-)</td></tr><tr><td>प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना</td><td>50 प्रतिशत (रु. 165/-)</td></tr><tr><td>अटल पेंशन योजना</td><td>रु. 1000 पेंशन के लिए देय अंशदान का 50 प्रतिशत।</td></tr></table>इसके अतिरिक्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आम आदमी बीमा योजना में 100 प्रतिशत (100/रु.) प्रीमियम राशि देकर समूह बीमा कराया गया है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना (हिताधिकारी निजी आवास के निर्माण हेतु ऋण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना के स्थान पर दिनांक 1.1.2010 लागू की गई योजना।)</td><td>हिताधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल (अरबन) योजना, अर्फोडबल हाउसिंग योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य आवास योजना में, पात्रता अनुसार आवास प्राप्त करने के लिए अथवा स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए मण्डल द्वारा अधिकतम 1.50 लाख रु. तक अनुदान।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	योजना का नाम	देय हितलाभ
6	हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने के दशा में सहायता योजना।	दुर्घटना में मृत्यु होने पर राशि रु. 5.00 लाख, स्थाई अपंगता होने पर 3.00 लाख रु. आशिंक स्थाई अपंगता होने पर 1.00 लाख रु., घायल होने पर राशि रु. 5,000 से 20,000 रु. तक तथा सामान्य मृत्यु होने पर 75,000/- रु.।
7	प्रसूति सहायता योजना।	महिला हिताधिकारियों को पुत्र का जन्म देने पर 20,000 रु. एवं पुत्री जन्म होने पर 21,000 रु. ।
8	निर्माण श्रमिकों के लिए गम्भीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना।	उपचार पर हुये वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत तक अथवा 1,00,000 रु. की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो।
9	सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना।	सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर राशि रु. 1.00 लाख तथा मृत्यु होने पर 3.00 लाख रु. ।
10	एनपीएस स्वालम्बन योजना	योजना में सदस्य बनने वाले तथा एक वर्ष में न्यूनतम 1000/- अंशदान जमा कराने वाले हिताधिकारियों के लिए मण्डल द्वारा 1000/- सह अंशदान वार्षिक दिये जाते हैं।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (श्रम)

परिशिष्ट-ख

पंजीकृत हिताधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल योग
1	जयपुर	79638
2	अलवर	32012
3	सीकर	81008
4	दौसा	9133
5	झुन्झुनूं	25247
6	अजमेर	38822
7	भीलवाड़ा	31655
8	नागौर	12405
9	टोंक	18557
10	भरतपुर	31263
11	धौलपुर	13271
12	करौली	30511
13	सवाई माधोपुर	25709
14	बीकानेर	41995
15	चूरू	20473
16	हनुमानगढ़	20037
17	श्रगंगानगर	41728
18	जोधपुर	31032
19	बाड़मेर	36013
20	जैसलमेर	10275
21	पाली	11079
22	सिरोही	12324
23	जालौर	23172
24	कोटा	13233
25	बारां	9749
26	बून्दी	8751
27	झालावाड़	15116

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल योग
28	उदयपुर	51489
29	बांसवाड़ा	8307
30	चित्तौड़गढ़	17246
31	डूंगरपुर	5809
32	प्रतापगढ़	15450
33	राजसमन्द	11374
	योग	**833883**

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष पैकेज

69. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिए आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में जनजाति प्रवाह के रूप में प्रत्येक विभाग के बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि आबंटित करती है। वर्ष 2015-16 में कुल राज्य प्रावधान 71,40,578.10 लाख रुपये में से 9,88,671.27 लाख रुपये जनजाति प्रवाह के रूप में आबंटित किये गये हैं जो राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत है। विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2015-16 में जनजाति उपयोजना प्रवाह में राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। जनजाति उपयोजना मद में राज्य की जनजाति जनसंख्या (13.48 प्रतिशत) के अनुपात में प्रावधान किया गया है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में ढांचागत अंतराल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 1,000 करोड़ रुपये के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। इस राशि को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली में टाडा, माडा कलस्टर योजना में कार्य

70. **श्री दलीचन्द डांगी** (मावली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दलीचन्द डांगी)

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में टाडा, माडा कलस्टर योजना एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्या-क्या विकास कार्य किये गये एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनजाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु स्वरोजगार के लिए वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्या कार्य एवं योजनाएं क्रियान्वित की गईं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में माडा एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कुल 9 कार्यों की राशि क्रमश: 2.52 लाख एवं 24.97 लाख कुल राशि 27.49 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गई। राशि 2.52 लाख रु. व्यय हो चुकी है, जिसकी सूचना परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(2) मावली विधान सभा क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु जनजाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के सदस्य को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से 10,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान के रूप में प्रदान करता है।

कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार/रोजगार हेतु आर एस एल डी सी के साथ एम ओ यू किया गया है जिसमें विभिन्न हुनर सिखाने वाली संस्थाओं में जनजाति समुदाय के युवक-युवतियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मावली विधान सभा क्षेत्र सहित प्रदेश के सभी जनजाति के युवक-युवती शामिल हो सकते हैं।

परिशिष्ट–अ

हैण्डपम्प निर्माण

(राशि लाख रु.)

क्र. सं.	हैण्डपम्प का स्थान	ग्राम	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
				क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक		
1	भील बस्ती देबारी	देबारी	देबारी	14115-25/20.06.14	23075-82/19.08.15	0.63	0.63
2	भील बस्ती लकड़वास	लकडवास	लकडवास	14115-25/20.06.14	23075-82/19.08.15	0.63	0.63
3	भील बस्ती भैसड़ा खुर्द	भैसडा खुर्द	भैसडा खुर्द	14115-25/20.06.14	23075-82/19.08.15	0.63	0.63
4	भील बस्ती भैसला कलां	भैसडा कलां	भैसडा कलां	14115-25/20.06.14	23075-82/19.08.15	0.63	0.63
	योग					**2.52**	**2.52**

परिशिष्ट -ब

कार्यालय पंचायत समिति मावली, जिला उदयुर
योजना वार वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र.सं.	नाम कार्य	ग्राम पंचायत	वर्ष	प्रशा. स्वीकृति वितरण				तकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति			इस वर्ष में व्यय विवरण			कुल व्यय	कार्य की स्वीकृति स्थिति	कार्य पर चल रहे	चालू वित्तीय वर्ष में
				क्रमांक	दिनांक	राशि	क्रमांक	दिनांक	राशि	क्रमांक	दिनांक	राशि	सामग्री	नकद श्रम	कुल व्यय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सीसी रोड मय नाली निर्माण कार्य श्री सोहनलाल भील के घर से डेयरी बूथ की ओर बाजरा खेत भील बस्ती	खरताणा	2015-16	237-39	11.09.2015	5.00	201	29.09.15	5.00	00-401	11.01.16	5.00					NS		
2	सीसी रोड मय नाली निर्माण श्री छोगा/रूपा भील के घर से डेयरी बूथ की ओर भैरूजी की डांग भील बस्ती	खरताणा	2015-16	237-39	11.09.2015	5.00	200	29.09.15	5.00	00-401	11.01.16	5.00					NS		
3	सीसी रोड मय नाली निर्माण सरस डेयरी से वेली वाले घरों तक साकरियाखेडी	साकरिया खेडी	2015-16	237-39	11.09.2015	4.99	210	02.09.15	4.99	00-401	11.01.16	4.99					NS		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	सीसी रोड मय नाली निर्माण देवलिया वाले घरों से सरस डेयरी तक साकरियाखेडी	साकरिया खेडी	2015-16	237-39	11.09.2015	4.99	208	02.09.15	4.99	00-401	11.01.16	4.99					NS		
5	सीसी रोड मय नाली निर्माण बंगला वाले घरों से सरस डेयरी	साकरिया खेडी	2015-16	237-39	11.09.2015	4.99	209	02.09.15	4.99	00-401	11.01.16	4.99					NS		
		योग				**24.97**			**24.97**			**24.97**				0.00			

प्रदेश में बीज वितरण के समय का निर्धारण

71. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रबी व खरीफ की फसल के बीज ग्राम पंचायतवार काश्तकारों को वितरित किये जाते हैं? यदि हां, तो प्रदेश में बुआई का सही समय क्या है?

(2) क्या सरकार द्वारा बीज वितरण का समय निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बुआई का समय व्यतीत हो जाने के बाद किसानों को बीज वितरण होने से उक्त बीजों का कोई उपयोग नहीं हो पाता है? क्या सरकार बुआई के समय को परिलक्षित कर बीज वितरण के समय का पुनर्निर्धारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार भविष्य में बीज वितरण का कलेण्डर जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिनिकिट/प्रदर्शन आयोजन एवं सामान्य बुवाई हेतु लक्ष्यानुसार विभिन्न फसलों के उन्नत/प्रमाणित बीज कृषकों को नि:शुल्क/अनुदानित दर पर वितरण किये जाते हैं। राज्य की विभिन्न फसलों का उपयुक्त बुवाई समय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभिन्न फसलों के बीज निर्धारित अवधि में आपूर्ति करने हेतु सम्बन्धित बीज संस्थाओं को निर्देश प्रदान किये जाते हैं। परिस्थिति विशेष के कारण निर्धारित समय सीमा में बदलाव सम्भव है। खरीफ 2015 में मक्का बीज एवं रबी 2015-16 में चना बीज आपूर्ति के सम्बन्ध में जारी निर्देश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि बीज बुआई समय से पूर्व कृषकों तक पहुंचे, फिर भी किन्हीं विशिष्ट परिस्थतियों में यदि कहीं बीज पहुंचने में विलम्ब की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल निस्तारित किया जाता है। आगामी खरीफ 2016 हेतु लक्षित बीज फसल बुवाई से पूर्व कृषकों तक पहुंचाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

(कृषि मंत्री)

(4) आगामी खरीफ 2016 हेतु फसलवार/किस्मवार बीज उपलब्धता का आकलन किया जा चुका है। निर्धारित बुआई समय से पूर्व योजनावार बीज की मांग अनुसार कृषकों को बीज पहुंचाने हेतु बीज संस्थाओं के साथ बैठक कर आपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर सम्भाग की कृषि उपज मण्डियों के आधुनिकीकरण की योजना

72. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बीकानेर की ऊन मण्डी सहित प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की घोषणा की गई है? यदि हां, तो बीकानेर की ऊन मण्डी एवं बीकानेर सम्भाग की कृषि उपज मंडियों के विकास हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किये गये विकास कार्यों की सूची वर्षवार व मंडीवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बीकानेर सम्भाग की कृषि उपज मण्डी समितियों में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किये गये विकास कार्यों का वर्षवार एवं मंडीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में संचालित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

73. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में विगत दो वर्षों में कितनी मृदा परीक्षण हेतु मिट्टी व पानी प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में मृदा परीक्षण हेतु मिट्टी व पानी की प्रयोगशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में गत दो वर्षों में उक्त प्रयोगशालाओं में कितने मृदा परीक्षण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) उक्त जिले में संचालित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में इनका रखरखाव एवं संचालन किन कर्मचारियों/ एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा 2013-14 की अनुपालना में प्रदेश में 55 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है, जो कि आउट-सोर्स के माध्यम से संचालित की जानी प्रस्तावित हैं।

(2) सीकर जिले में तीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का स्थल	विधान सभा क्षेत्र
1	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
2	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर
3	सीकर	सीकर

(3) सीकर जिले में वर्ष 2013-14 में 22,723 तथा वर्ष 2014-15 में 24,555 मृदा एवं पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया।

(4) सीकर जिला मुख्यालय पर स्थित प्रयोगशाला का संचालन विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ एवं श्रीमाधोपुर में स्थित प्रयोगशालाओं का संचालन नवम्बर, 2015 तक पी पी पी मोड पर गैर-राजकीय संस्था (एन जी ओ) द्वारा किया जा रहा था। प्रयोगशालाओ का पुनः संचालन आउट सोर्स के माध्यम से कराये जाने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाकर संस्था का चयन किया गया। सम्बन्धित संस्था को कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट-1

नवीन स्थापित की जारी 55 प्रयोगशालाओं की स्थानवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थल
1	अजमेर	ब्यावर
2	जयपुर	शाहपुरा, दूदू, चाकसू
3	दौसा	बांदीकुई, महवा-मंडावर
4	टोंक	देवली, मालपुरा

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थल
5	अलवर	बहरोड़, राजगढ़, बड़ोदामेव, खैरथल
6	भरतपुर	बयाना, डीग, नदबई, कुम्हेर
7	धौलपुर	बाड़ी
8	सवाई माधोपुर	गंगापुरसिटी, खण्डार
9	सीकर	नीमकाथाना
10	नागौर	मेड़ता, डेगाना
11	झुन्झुनूं	चिडावा
12	जोधपुर	फलौदी, बिलाड़ा
13	पाली	सोजत, बाली
14	जालौर	भीनमाल
15	बाड़मेर	बालोतरा
16	सिरोही	रेवदर
17	भीलवाड़ा	कोटड़ी, गुलाबपुरा, गंगापुर
18	चित्तौड़गढ़	कपासन, बेगूं
19	उदयपुर	सलूम्बर
20	बांसवाड़ा	बागीडोरा
21	डूंगरपुर	सागवाड़ा
22	बीकानेर	बीकानेर, नोखा
23	चूरू	तारानगर
24	श्रीगंगानगर	करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़
25	हनुमानगढ़	नौहर, भादरा, पीलीबंगा
26	झालावाड़	भवानी मण्डी, अकलेरा
27	बूंदी	केशोरायपाटन
28	बारां	छबड़ा, सीसवाली
29	प्रतापगढ़	धरियाबाद
30	राजसमन्द	देवगढ़

जैसलमेर जिले से अन्य जिलों में दूध परिवहन पर रोक

74. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले के बड़ाबाग स्थित दूध डेयरी में प्रतिदिन औसत कुल कितना दूध किन-किन गांवों से प्राप्त होता है? उक्त दूध किस दर से लिया जाकर किस दर पर बेचा जा रहा है तथा दूध परिवहन की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले से दूध अन्यत्र जिलों में परिवहन होता है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में किस भाव से दिया जा रहा है? उक्त दूध की जैसलमेर जिले में कितनी खपत है एवं खपत की तुलना में डेयरी से कितना दूध बाजार में जाता है? क्या सम्पूर्ण दूध की जिले में ही खपत हो सकती है? यदि हां, तो अन्य जिलों में दूध भिजवाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बड़ाबाग स्थित दुग्ध डेयरी, जैसलमेर में प्रतिदिन औसतन 4,100 किलोग्राम दुग्ध निम्न दुग्ध समितियों एवं संकलन केन्द्रों से प्राप्त हो रहा है:-

जसुराणा, हमीरा, कुंजारडी, नवाबखां का पाडा, मोहम्मद मुराद खां का पाडा, पीरू खां की ढाणी, पोचीणा, म्यांजलार, गुंजनगढ़, बींजराज का तला, वीरसिंह की ढाणी, लुणार, मिठडाउ, केसर सिंह का ताला, फलिया, देव, मुहारसम, लोंगेंवाला, रामगढ़, एकलपार, सगरा एवं उम्मेद सिंह की ढाणी।

उक्त दूध रु. 229/- किलोफैट एवं रु. 153/- किलो एस एन एफ से क्रय किया जाकर, स्थानीय परिवहन व्यय एवं तत्पश्चात टैंकर द्वारा परिवहन कर जैसलमेर स्थित संयंत्र पर लाया जाता है। इसके बाद प्रोसेस एवं मानकीकृत कर निम्न दर से बेचा जा रहा है

डबल टोण्ड मिल्क	रु. 32 प्रति लीटर
टोण्ड मिल्क	रु. 34 प्रति लीटर
स्टैण्डर्ड मिल्क	रु. 38 प्रति लीटर

(2) जी नहीं। वर्तमान में दुग्ध संकलन 4,100 किलोग्राम प्रतिदिन है तथा विपणन की औसतन मांग 15,000 लीटर प्रतिदिन है। जैसलमेर जिले में दूध की आवक कम होने के कारण जोधपुर स्थित डेयरी संयंत्र से दुग्ध अतिरिक्त परिवहन कर मंगवाया जाता है।

सिकराय में ब्लाक स्तर पर खेल मैदान बनाने की योजना

75. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में खेल मैदान व स्टेडियम कहां-कहां बने हुए हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे ब्लाक स्तर पर बच्चों के लिए खेल मैदान या स्टेडियम बनाया जाता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में निम्नलिखित स्थानों पर खेल मैदानों के विकास हेतु वर्ष 2008 से 2014 तक उपलब्ध करवाई गई राशि का विवरण:-

स्थान	वर्ष	उपलब्ध करवाई गई राशि
बड़रावण्डा	2008-09	50,000
मण्डावरा	2008-09	50,000
गीजगढ़	2008-09	50,000
सिकन्दरा	2008-09	50,000
अचलपुरा	2013-14	50,000
दुब्बी	2013-14	50,000
सिकराय	2013-14	50,000

भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राजीव गांधी खेल अभियान के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षो में राज्य के समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर इण्डोर एवं आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण कराये जाने की योजना है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(2) भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राजीव गांधी खेल अभियान के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में राज्य के समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर इण्डोर एवं आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण कराये जाने की योजना है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में इंडस्ट्रियल कोरिडोर के समीप इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना

76. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डी.आई.एम.सी.) परियोजना के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में डी.आई.एम.सी. विभाग की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब व उक्त विभाग के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर (डी.एफ.सी.) के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कोरिडोर के इंडस्ट्रियल टाउनशिप में नए उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने व इसमें रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे? यदि हां, तो उक्त डी.एफ.सी. परियोजना कितने क्षेत्र के लिए है तथा कब तक पूरी होने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2014 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव के स्तर के अधिकारी के पदस्थापन के साथ डी.एम.आई.सी. विभाग का गठन किया गया। विभाग के मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना को आवश्यक गति प्रदान करने एवं प्रदेश में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ उधोग एवं निवेश के योजनाबद्ध विकास हेतु कार्य करना तथा राज्य को मजबूत आधार देने के लिए एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित करना है।

(2) जी हां। राज्य से गुजरने वाले डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर जिसकी राज्य में लम्बाई लगभग 559 कि.मी. है, इसके दोनों तरफ लगभग 150 कि.मी. की पट्टी में इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किये जाने की योजना है। इस क्रम में राजस्थान में निम्नलिखित 5 नोड्स चिह्नित किये गये हैं :-

(उद्योग मंत्री)

1. खुशखेड़ा-भिवाड़ा-नीमराना इन्वेस्टमेन्ट रीजन;

2. जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र;

3. अजमेर-किशनगढ़ इन्वेस्टमेन्ट रीजन;

4. राजसमंद-भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र; व

5. जयपुर-दौसा औद्योगिक क्षेत्र।

इनमें से प्रथम चरण में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रोडवेज की बसों में विकलांग राज्य कर्मचारियों को देय सुविधाएं

77. **श्री खेमाराम** (सुजानगढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित लोकल/एक्सप्रेस बसों में विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क/ रियायती दर पर यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो कब से? नियम एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों को निगम द्वारा संचालित बसों में नि:शुल्क/रियायती दर पर यात्रा की सुविधा देय नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार राज्य के विकलांग कर्मचारियों को भी निगम की बसों में नि:शुल्क/रियायती दर पर यात्रा सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान मूल के विकलांग व्यक्तियों को वर्तमान में निगम की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ/मुख्या/याता/लेखा/85/660 दिनांक 28.01.1985 परिशिष्ट "1" के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को यात्री किराये में दी जा रही 75 प्रतिशत रियायत को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ4/मुख्या/याता/लेखा/10/539 दिनांक 03.08.2010 (परिशिष्ट "2") द्वारा विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार में कार्यरत विकलांग व्यक्ति को

(परिवहन मंत्री)

नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है, बशर्ते कि वह विकलांग व्यक्ति आयकर-दाता नहीं होना चाहिए। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 4/याता/लेखा/09/ 429 दिनांक 25.06.2009 की प्रति परिशिष्ट "3" संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सैमरा से सहरौली (बाड़ी) तक पक्की सड़क का निर्माण

78. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति सैपऊ के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सैमरा से सहरौली तक (लगभग 1.5 किमी) आवागमन हेतु कोई पक्की सड़क मार्ग नहीं है?

(2) क्या सरकार सैमरा से सहरौली तक पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति सैपऊ के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सैमरा से सहरौली के बीच (लगभग 1.5 किमी.) पक्की डामर सड़क बनी हुई है।

(2) ग्राम सैमरा से सहरौली के बीच पक्की डामर सड़क बनी हुई है। उक्त सड़क का वर्तमान में ग्राम सैमरा में लगभग 0.5 किमी. का हिस्सा क्षतिग्रस्त है। वर्तमान में किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। भविष्य में इसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

जमवारामगढ़ में पी.एम.जी.एस.वाई. में निर्मित सड़कें

79. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2012 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं में निर्मित सड़कों के पैचवर्क का कार्य कहां-कहां व कब-कब करवाया गया तथा इस पर सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने गांव व ढाणियां हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अभी तक नहीं जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने गांव एवं ग्राम पंचायतें पक्की सड़कों से नहीं जुडे हुए हैं? क्या सरकार उक्त गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में 250 एवं 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को अब तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो अब कब तक इनको सड़कों से जोड़ दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 31 जनवरी, 2016 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं में निर्मित सड़कों पर किये गये पैच रिपेयर कार्यों का व्यय राशि सहित वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर 500 से अधिक आबादी वाले ढाणी/मजरों (बसावटों) को जोड़े जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ सामान्य क्षेत्र में आता है। तद्नुसार जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जनगणना 2001 के आधार पर 500 से अधिक आबादी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पात्र दो गांव सड़क से नहीं जुड पाये हैं। कारण सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सभी 49 ग्राम पंचायतें डामर सड़क से जुड़ी हुई हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के जनगणना 2001 के आधार पर 26 गांव वर्तमान में डामर सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 के पश्चात् एक राजस्व गांव तिलकनगर (910) और घोषित हुआ है तथा 2001 की जनगणना के आधार पर अवशेष उक्त 26 गांव एवं एक शेष राजस्व गांव को डामर सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं वन विभाग की अनुमति पर निर्भर करेगा।

(4) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र के जनगणना 2001 के आधार पर 250 एवं 500 से अधिक आबादी के गांव एवं इसके पश्चात् घोषित हुए राजस्व गांव जो अभी तक डामर सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका कारण सहित विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। इन गांवों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं वन विभाग की अनुमति पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भैसड़ा खुर्द से देबारी (उदयपुर) तक सड़क का डामरीकरण

80. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायत समिति कुराबड़ की ग्राम पंचायत भैसड़ा खुर्द से रेलवे स्टेशन देबारी तक डामर की सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क बनने से कौन-कौनसी पंचायत, गांव व ढाणियां लाभान्वित होंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कुराबड़ की ग्राम पंचायत भैसड़ा खुर्द को रेलवे स्टेशन देबारी से जोड़ने के लिए, जिंक चौराहे से देबारी रेलवे स्टेशन तक 1.50 किमी. मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण एवं सम्पर्क सड़क लाड़िया खेड़ा के किमी. 5/200 से भैसड़ा खुर्द तक 800 मीटर कच्चे ट्रैक में डामर सड़क निर्माण किया जाना अपेक्षित है।

जिंक चौराहे से देबारी रेलवे स्टेशन तक 1.50 किमी. मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण के लिए मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 राशि रु. 56.64 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

सम्पर्क सड़क लाड़िया खेड़ा के किमी. 5/200 से भैसड़ा खुर्द तक 800 मीटर कच्चे ट्रैक में डामर सड़क निर्माण के लिए राशि रु. 40.00 लाख की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

भविष्य में इसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

ग्राम पंचायत भैसड़ा खुर्द, गुडली-खेमली-चन्देसरा सड़क (वी.आर.-76) से डामर सड़क से जुड़ी हुई है।

लीनियर चार्ट परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़क बनने से भैसड़ा खुर्द, भैसड़ा कलां ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में सांसद/विधायक कोष से बस स्टैण्ड हेतु आबंटित राशि

81. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कितने राजकीय बस स्टैण्ड हैं? विधान सभा क्षेत्र वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के बस स्टैण्ड हेतु किस-किस विधायक एवं सांसद द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु कब-कब स्वीकृत की गई? विगत दस वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कार्य अपूर्ण रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जिला अलवर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निम्न बस स्टैण्ड स्थापित हैं :-

1. अलवर शहर;
2. राजगढ- लक्ष्मणगढ विधान सभा क्षेत्र;
3. मुबारिकपुर- रामगढ विधान सभा क्षेत्र;
4. तिजारा; व
5. बड़ौद मेव-रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र।

(परिवहन मंत्री)

(2) अलवर जिले में विगत 10 वर्षों के दौरान अलवर स्थित केन्द्रीय बस स्टैण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिले के निम्न विधायकगण द्वारा अपने विधायक कोष से राशि स्वीकृति हेतु दी गई है :-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम विधायक	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत राशि
1	श्री बनवारी लाल सिंघल	अलवर शहर	20.00
2	श्री धर्मपाल चौधरी	मुण्डावर	10.00
3	डा. जसवन्त सिंह यादव	बहरोड़	5.00
4	श्री ज्ञानदेव आहूजा	रामगढ़	5.00
5	श्री जयराम जाटव	अलवर ग्रामीण	5.00
6	श्री हेमसिंह भडाना	थानागाजी	5.00
7	श्री मामनसिंह यादव	तिजारा	5.00
8	श्रीमती शकुन्तला रावत	बानसूर	5.00
	योग		60.00
9	रोडवेज डिपो तिजारा पर एल्यूमीनियम/पार्टिशन आदि निर्माण (श्री मामनसिंह यादव)	तिजारा	4.05
	महायोग		**64.05**

(3) उक्त सभी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। उपरोक्त कार्य इसी माह फरवरी में ही स्वीकृत हुए हैं।

(4) उक्त कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण करा लिये जावेंगे।

प्रदेश में परिवहन सेवा से वंचित पंचायत मुख्यालय

82. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार चार हजार से अधिक आबादी वाले वंचित पंचायत मुख्यालयों को परिवहन सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

निगम के सीमित संसाधनों के कारण चार हजार से अधिक आबादी वाले वंचित पंचायत मुख्यालय को परिवहन सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

बांदीकुई में निर्मित इन्दिरा आवास

83. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? सरकार द्वारा एक इन्दिरा आवास पर कितनी राशि दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत 7 वर्षों में कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये व उनमें से कितने भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बी पी एल सेन्सस-2002 के चयनित परिवारों को पात्रता सूची अनुसार आवासहीन/कच्चे आवास वाले परिवारों का चयन कर ग्राम सभा एवं चयन कमेटी की अभिशंसा के आधार पर इन्दिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार कर वरीयता के आधार पर ग्राम पंचायत की अभिशंसा-उपरान्त आवास स्वीकृत किये जाते हैं। सरकार द्वारा प्रति इन्दिरा आवास राशि रु. 70,000/- अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना से 90 अकुशल मानव दिवस का लाभ भी अनुमत है एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण हेतु राशि रु. 12,000/- दी जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पिछले 7 वर्षों में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 1,309 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये थे, जिनमें, से 1,179 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 84 आवास प्रगतिरत हैं। 46 आवास विवादित हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट–अ

क्रम संख्या	पंचायत समिति	वर्ष	इंदिरा आवास योजना			
			स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	प्रगतिरत आवास	विवादित आवास
1	बांदीकुई	2008-09	42	42	0	0
2		2009-10	33	33	0	0
3		2010-11	165	165	0	0
4		2011-12	732	687	11	34
5		2012-13	206	173	21	12
6		2013-14	82	65	17	0
7		2014-15	49	14	35	0
		योग	**1309**	**1179**	**84**	**46**

प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु आबंटित राशि का समयबद्ध उपयोग

84. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामीण विकास की योजनाओं हेतु कितनी बजट राशि का प्रावधान किया गया है?

(2) उक्त बजट राशि में से माह फरवरी, 2016 तक कितनी राशि का उपयोग हो चुका है एवं कितनी राशि शेष है?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं में आबंटित बजट को समयबद्ध तरीके से व्यय करने की कार्ययोजना नहीं बनाने से वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम माह में लक्ष्यों के नाम पर अत्यधिक बजट आबंटन किया जाता है?

(4) कोटा जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितनी राशि का आबंटन हुआ है तथा माह फरवरी, 2016 तक कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है एवं कितनी राशि शेष है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामीण विकास की योजनाओं हेतु राशि रुपये 1,62,224.07 लाख बजट राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) उक्त बजट राशि में से माह जनवरी, 2016 तक राशि रुपये 1,34,832.98 लाख का उपयोग हो चुका है एवं राशि रुपये 27,391.09 लाख प्रावधान के विरुद्ध शेष है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) जी नहीं। प्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं में आबंटित बजट को समयबद्ध तरीके से व्यय करने हेतु प्रति माह वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं मुख्यालय से जिला प्रभारी द्वारा मानिटरिंग की जाती है। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के अन्तिम माह लक्ष्यों के नाम पर अत्यधिक बजट आबंटन नहीं किया जाता है।

(4) कोटा जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 2,586.40 लाख का आबंटन हुआ है तथा माह फरवरी, 2016 तक रुपये 2,236.46 लाख का उपयोग किया जा चुका है एवं रुपये 349.94 लाख राशि आबंटन के विरुद्ध शेष है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष	1.4.15 को उपलब्ध राशि	आबंटन राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	शेष राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	सांसद कोष	2015-16	582.09	500.00	1082.09	192.71	889.38	
	कुल		**582.09**	**500.00**	**1082.09**	**192.71**	**889.38**	
2	विधायक कोष	2015-16	1314.73	1200.00	2514.73	1146.22	1368.51	
	कुल		**1314.73**	**1200.00**	**2514.73**	**1146.22**	**1368.51**	
3	डांग योजना	2015-16	131.15	142.38	273.53	394.65	121.12	इस योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में कोटा जिले द्वारा 775.57 लाख रु. की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, परन्तु इसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 में कोटा जिले को 426.06 लाख रु. का आबंटन किया गया। अतः वर्ष 2015-16 में आबंटित राशि 142.38 लाख रु. पूर्व के स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध उपयोग में लिये गये हैं। इस कारण वर्ष 2015-16 में कोई स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है।
	कुल		**131.15**	**142.38**	**273.53**	**394.65**	**121.12**	

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष	1.4.15 को उपलब्ध राशि	आबंटन राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	शेष राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
4	गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	2015-16	0.00	132.04	132.04	126.31	5.73	
	कुल		**0.00**	**132.04**	**132.04**	**126.31**	**5.73**	
5	स्वविवेक योजना	2015-16	6.40	6.30	12.70	3.40	9.30	
	कुल		6.40	6.30	12.70	3.40	9.30	
6	अन्य चिन्हित वर्ग आवास एकल विधवा	2015-16	0.00	206.50	206.50	14.53	191.98	
	कुल		**0.00**	**206.50**	**206.50**	**14.53**	**191.98**	
7	आई.ए.वाई. (नवीन अतिरिक्त) 2015-16	2015-16	244.55	124.60	369.15	155.74	213.41	
	कुल		**244.55**	**124.60**	**369.15**	**155.74**	**213.41**	
8	मुख्य मंत्री बीपीएल आवास	2015-16	209.31	274.58	483.89	202.91	280.98	
	कुल		**209.31**	**274.58**	**483.89**	**202.91**	**280.98**	
	महायोग		**2488.23**	**2586.40**	**2574.63**	**2236.46**	**2838.17**	

भीलवाड़ा जिला परिषद में सतर्कता समिति के गठन में अनियमितता की जांच

85. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक Q/13016/1/2014-VMC दिनांक 9 सितम्बर, 2014 की पालना में जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाड़ा ने आदेश क्रमांक : 1436 दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया था? यदि हां, तो उक्त दोनों आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश में (1) गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (2) महिला वर्ग, एवं (3) अनुसूचित जाति के सदस्य मनोनीत नहीं किये जाने के क्या कारण रहे, जिससे गत डेढ़ वर्ष से इन वर्गों के प्रतिनिधित्व से समिति वंचित रही?

(3) कार्यालय आदेश क्रमांक : जि.स.नि.स./2015-16/2032 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में श्री कैलाशचन्द्र काबरा, आदर्श सेवा समिति को मनोनीत करने का क्या आधार रहा है और इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं कितने गैर-सरकारी संगठनों की सहमति ली गई है?

(4) क्या यह सही है कि इस आदर्श सेवा समिति का फील्ड में आज तक कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा है और इसके द्वारा समाज के किसी भी वर्ग की सेवा का कोई भी कार्यकलाप सम्पन्न नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो इस आदर्श सेवा समिति का गठन व इसका रजिस्ट्रेशन, स्थापना कब हुई, इसका विधान, नियम-उपनियम क्या हैं और उनके अनुसार इसके पदाधिकारियों का प्रथम चुनाव/मनोनयन व बाद में कब-कब चुनाव कराये गये एवं वर्तमान में उसमें कौन-कौन पदाधिकारी सक्रियता से कार्यरत हैं?

(5) उक्त आदर्श सेवा समिति की स्थापना से अब तक प्रति वर्ष किस-किस स्रोत से कब-कब कितनी-कितनी आय हुई और उस आय को किस-किस सेवा कार्य में व्यय किया गया और इसमें कितने वेतनधारी कर्मचारी हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक Q/13016/1/ 2014-VMC दिनांक 9 सितम्बर, 2014 की पालना में जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) ,भीलवाड़ा ने आदेश क्रमांक 1436दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 द्वारा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समति का गठन किया। आदेश दिनांक 9.09.14 की प्रति परिशिष्ट-1 व आदेश दिनांक 8.10.14 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति में (1) गैर-सरकारी संग्ठन के प्रतिनिधि, (2) महिला वर्ग, एवं (3) अनुसूचित जाति के सदस्यों का मनोनयन उक्त समिति के अध्यक्ष (माननीय सांसद) की अनुशंषा पर किया जाता है, जिसके क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा पर उक्त श्रेणी के सदस्यों का मनोनयन जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 2032 दिनांक 18.01.2016 द्वारा किया गया है। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(3) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति भीलवाड़ा में श्री कैलाशचन्द्र काबरा, आदर्श सेवा समिति का सदस्य के रूप में मनोनयन नियमानुसार समिति के अध्यक्ष (माननीय सांसद) की अनुशंसा पर किया गया है। इस हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में गैर-सरकारी संगठनों से अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। आदर्श सेवा समिति एक पंजीकृत संस्था है। जिसका पंजीयन क्रमांक 9/भीलवाड़ा/93-94 दिनांक 9.06.93 है, जो परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। इसके विधान, नियम, उप-नियम परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। समिति के बाद के चुनाव के पत्र एवं सक्रिय सदस्यों की सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(5) आदर्श सेवा समिति, भीलवाड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गई वर्ष 2008-09 की अंकेक्षित बैलेन्स शीट परिशिष्ट-7 पर संलग्न है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से आय एवं व्यय का ब्योरा अंकित है एवं समिति में कोई वेतनधारी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में नवगठित ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण

86. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भीमा भाई)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में कुल कितनी नवीन ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं? क्या उक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवन हेतु नियमानुसार भूमि आबंटन कर आरक्षित कर दी गई है? यदि नहीं, तो भूमि आबंटन की कार्यवाही कब तक होगी? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों को पंचायत के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवगठित कुल 12 ग्राम पंचायतों की भूमि आरक्षित हो चुकी है? यदि हां, तो पंचायतवार आरक्षित रकबे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में कुल 723 नवीन ग्राम पंचायतें नवगठित की गई हैं। नवसृजित 723 ग्राम पंचायतों में से 387 भूमि का चिह्नीकरण हो चुका है, जिनमें से 86 ग्राम पंचायतों में भूमि का आबंटन हो चुका है। शेष ग्राम पंचायतों में भूमि का चिह्नीकरण/आबंटन तत्काल करने हेतु जिला कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है। विभागीय पत्र दिनांक 28.12.2015 द्वारा ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(2) कुशलगढ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ में 12 नवसृजित ग्राम पंचायतों में भूमि आबंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	प.स.	ग्रा.प.	रकबा (एकड में)	वि.वि.
1.	कुशलगढ	घाटा	8.71	आबंटन
2.		बगायचा	4.63	आबंटन
3.		खजुरा	2.00	आबंटन
4.		खेडपुर	2.00	आरक्षित
5.		शोभावटी	2.00	आरक्षित

(पंचायती राज मंत्री)

क्र. स.	पं.स.	ग्रा.प.	रकबा (एकड में)	वि.वि.
6.		रूपगढ़	2.00	आरक्षित
7.		गोपालपुरा	2.00	आरक्षित
8.		सातलिया	2.00	आरक्षित
9.		बिलीपाड़ा	-	चिह्नीकरण नहीं
10.	सज्जनगढ	मस्कावाली	1.00	आबंटन
11.		टिम्बामहुडी	3.00	आरक्षित
12.		नयागांव	-	चिह्नीकरण नहीं

(3) जी हां। विभागीय पत्र दिनांक 28.12.2015 द्वारा ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की विभागीय योजनाओं से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

शाहपुरा पंचायत समिति (भीलवाड़ा) के वाहन के दुरुपयोग पर कार्यवाही

87. **श्री शैतानसिंह** (पोकरण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में वर्तमान में कितने वाहन कार्यरत हैं?

(2) क्या उक्त वाहनों के उपयोग के लिए नियम, उपनियम व दिशा-निर्देश सुनिश्चित किये गये हैं? यदि हां, तो प्रधान, उप प्रधान, आदि के लिए दिन, दूरी, डीजल के लिए क्या प्रावधान हैं और क्या उक्त प्रावधानों का पालन किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रधान/उप प्रधान द्वारा काम में लिये गये प्रत्येक वाहन का दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 10 फरवरी, 2016 तक मेन्टेन की गई लोगबुक्स की प्रतिदिन की प्रविष्टियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वाहनों को पंचायत समिति की सीमाओं से बाहर ले जाने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है? यदि हां, तो प्रधान द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 10 फरवरी 2016 तक बिना स्वीकृति कितनी बार पंचायत समिति

(श्री शैतानसिंह)

की सीमाओं से बाहर वाहन ले जाने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(4) क्या यह भी सही है कि लोगबुकों में अनियमितताओं को छिपाने के लिए वाहन चालकों पर दबाव डालकर असत्य प्रविष्टियां करायी गई हैं?

(5) क्या नियमों का उल्लंघन कर वाहनों को काम में लेने की जांच/कार्यवाही कराई जायेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कुल 2 राजकीय वाहन कार्यरत हैं।

(2) जी हां। वाहनों के उपयोग के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 313 से 315 में प्रावधान निहित हैं। विभागीय आदेश क्रमांक : एफ 17(ई) पराविं/प्र.2/जि.प्र.वाहन/05/1251 दिनांक 12.04.10 के अनुसार प्रधान के लिए वर्ष में 120 दिवस तथा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 41(33)विसप्र/आरडीपी/244 दिनांक 10.01.1996 के अनुसार उपप्रधान के लिए वर्ष में 15 दिवस के लिए यात्रा हेतु अधिकृत किया हुआ है तथा नियमों में विहित प्रावधानों की पालना की जा रही है। नियमों में दूरी एवं डीजल से सम्बन्धित कोई निर्देश नहीं हैं। प्रधान/उपप्रधान द्वारा काम में लिए गये प्रत्येक वाहन का दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 10 फरवरी, 2016 तक संधारित लोगबुक्स की प्रतिदिन की प्रविष्टियों की छायाप्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। प्रधान पंचायत समिति द्वारा 1 जनवरी, 2015 से 10 फरवरी, 2016 तक कुल 26 बार वाहन पंचायत समिति की सीमाओं से बाहर राजकीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इन 26 यात्राओं में से एक यात्रा दिनांक 14.09.2015 से 15.09.2015 पंचायत समिति मुख्यालय से जयपुर के लिए इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कार्यशाला में भाग लेने हेतु की गई है जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जा रही है तथा शेष 25 यात्राएें नियमों में विहित प्रावधानानुसार ही की गई हैं। चूंकि उक्त समस्त यात्राएं राजकीय प्रयोजनार्थ ही की गई हैं, अत: कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) चूंकि नियमों का उल्लंघन कर वाहनों को काम में नहीं लिया गया है। अत: कोई जांच/कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हनुमानगढ़ जिले में पंचायत सचिवों के रिक्त पद

88. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में ग्राम सचिव एवं पदेन सचिव के अनेक पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायत समिति में कितने-कितने पद रिक्त हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए उक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समितियों में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के रिक्त पदों की संख्या
1	हनुमानगढ़	03
2	भादरा	24
3	नोहर	15
4	पीलीबंगा	09
5	टिब्बी	08
6	रावतसर	03
7	संगरिया	04
	योग	**66**

(2) जी हां। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के रिक्त पदों की भर्ती की

(पंचायती राज मंत्री)

कार्यवाही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड से करवाये जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बस्सी में बीसलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति

89. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पेयजल समस्या के समाधान के लिए बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं में किन-किन ग्रामों/कस्बों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव/कस्बे फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त हैं और उनको इस समस्या से निजात दिलाने हेतु जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 तक सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 237 ग्रामों (बस्सी एवं चाकसू तहसील के क्रमश: 210 एवं 27 ग्राम) को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से लाभान्वित करने हेतु 2 वृहद् पेयजल परियोजनाओं (अ) बीसलपुर-दूदू-बस्सी (तहसील बस्सी के समस्त 210 ग्राम) तथा (ब) बीसलपुर-दूदू-चाकसू (तहसील चाकसू के 267 एवं फागी के 8 ग्राम) हेतु क्रमश: राशि रुपये 299.55 करोड़ एवं 254.45 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को जारी की गई थी।

बीसलपुर-दूदू-बस्सी तथा बीसलपुर-दूदू-चाकसू वृहद् पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश क्रमश: राशि रुपये 284.81 करोड़, दिनांक 18.09.2013 तथा राशि रुपये 234.96 करोड़, दिनांक 13.08.2013 को जारी किया गया। बीसलपुर-दूदू-बस्सी तथा बीसलपुर-दूदू-चाकसू की प्रगतिरत वृहद् पेयजल परियोजनाओं से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामों को कार्यादेश अनुसार 27.03.2016 एवं 22.02.2016 तक जोड़कर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लाभान्वित करना लक्षित था परन्तु इन परियोजनाओं को अब माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(2) उक्त दोनों परियोजनाओं से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समस्त 237 ग्रामों को लाभान्वित करना प्रावधित है। लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कोई कस्बा सम्मिलित नहीं है।

(3) समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 1.04.2014 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी के 36 ग्रामों में उपलब्ध स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पेयजल में फ्लोराइड की निर्धारित मानक मात्रा से अधिक मात्रा वाले उक्त 36 ग्रामों में से 15 ग्रामों को विभिन्न जल योजनाओं (यथा 9 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 4 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना एवं 2 ग्राम पाइप्ड जल योजना) से तथा 1 ग्राम में आर.ओ. संयंत्र एवं 4 ग्रामों में डि-फ्लोरिडेशन इकाइयां स्थापित कर इनके माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 2 ग्रामों को क्षेत्रीय जल योजना से निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इनका कार्य प्रगति पर है। शेष रहे 14 ग्राम सहित विधान सभा क्षेत्र बस्सी के सम्पूर्ण ग्रामों को बीसलपुर बांध आधारित उक्त परियोजनाओं से माह दिसम्बर, 2016 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। फ्लोराइड समस्या से प्रभावित उक्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के उक्त 36 ग्रामों में से माह जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 की वर्णित अवधि में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से प्रभावित कुल 7 पेयजल योजनाएं राशि रुपये 598.61 लाख की पूर्ण की गईं एवं एक योजना राशि रुपये 68.00 लाख का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खैरवाड़ा में स्वीकृत पेयजल परियोजनाएं

90. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नाना लाल अहारी)

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के किन-किन गांवों एवं ढाणियों में गत दो वर्षों में पेयजल की कितनी योजनाएं स्वीकृत की गईं तथा कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के कई गांवों में वर्तमान में पेयजल की सुविधा नहीं है? क्या सरकार उक्त गांवों का सर्वे करवाकर किसी पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु विगत दो वित्तीय वर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 858.50 लाख की 10 योजनाएं/कार्य तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 421.98 लाख की 9 योजनाओं की स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार जारी की गईं। उक्त स्वीकृत योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 332 ग्रामों में से 7 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 8 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना, 21 ग्राम जनता जल योजना एवं 296 ग्राम हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं। इनमें से 6 ग्रामों में पेयजल की वर्तमान में समस्या है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालन एवं संधारण के अभाव में वर्तमान में बंद 4 जनता जल योजनाओं से जुड़े 5 ग्रामों में पर्याप्त संख्या में स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इन 5 ग्रामों में उक्त जनता जल योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संवर्धन योजनाएं माह जुलाई एवं अगस्त, 2015 में स्वीकृत की जाकर इनका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा ये योजनाएं माह मई, 2016 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्राम बावलवाड़ा की वर्तमान में संचालित जनता जल योजना अन्तर्गत पाइपलाइन एवं पम्प सेट बदलने एवं पहाड़ी पर जलाशय के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत योजना के निष्पादन हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खराब पानी के मीटर बदलने की योजना

91. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) व **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) प्रदेश में बन्द व खराब पानी के मीटर को बदलने के लिए वर्तमान में क्या प्रक्रिया, व्यवस्था एवं शुल्क निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मीटर सरकार के द्वारा बदले जाते हैं अथवा निजी कम्पनी द्वारा?

(3) क्या सरकार द्वारा मीटर बदलने का कार्य निजी कम्पनी को देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब, क्यों व किसके द्वारा? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बन्द अथवा खराब पानी के मीटरों को बदलने हेतु विभाग में नये/मरम्मत किये मीटरों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय तकनीकी कर्मचारियों द्वारा बदला जाता है। विभाग द्वारा पानी के बिलों में मीटरयुक्त जल सम्बन्ध वाले उपभोक्ताओं से मीटर सर्विस चार्ज के रूप में 20 रुपये प्रति माह की दर पर राशि वसूल की जाती है परन्तु मीटर बदलने हेतु पृथक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी हां। जयपुर शहर में वर्तमान में की जा रही जलापूर्ति में हो रही छीजत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए जापान इन्टरनेशनल कारपोरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मध्य दिनांक 07.05.2013 को एम.ओ.यू. (अनुबन्ध) सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध के अनुसार जयपुर शहर के चार क्षेत्र आदर्श नगर, बनीपार्क, चित्रकूट एवं मानसरोवर सेक्टर-1 में छीजत कम करने हेतु उक्त बाह्य एजेन्सी की टीम एवं विभाग कार्य करेंगे। अनुबन्ध के अन्तर्गत जापानी विशेषज्ञ पायलेट क्षेत्रों में सर्वे कार्य, उनके द्वारा लाये गये विभिन्न उपकरणों द्वारा लीकेज चिह्नीकरण का कार्य, विभाग द्वारा उपभोक्ता मीटर एवं बल्क मीटर लगाने का कार्य, जापानी विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई पाइपलाइनों को बदलने का कार्य तथा छीजत का आकलन कर निर्धारित मात्रा में लाने तक कार्य करेंगे।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसके अनुसरण में जयपुर शहर के बनीपार्क क्षेत्र (शहरी खण्ड उत्तर-प्रथम के अधीन) में घरेलू मीटर की आपूर्ति स्थापना एवं 7 वर्ष के संधारण कार्य हेतु वित्तीय बिड का अनुमोदन दिनांक 17.02.2016 को किया गया है। विभागीय वित समिति के निर्णयों के संक्षिप्त सार की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के सम्भाग मुख्यालय के 6 शहरों जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर में बन्द/खराब पानी के मीटरों को बदलने का कार्य पी.पी.पी. मोड पर खुली निविदा प्रणाली अथवा राज्य सरकार की स्विस चैलेंज पालिसी के तहत कराये जाने का निर्णय माह अक्टूबर, 2015 में लिया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि

92. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत की गई है? गत दो वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी राशि नवीन योजनाओं एवं कितनी राशि पुरानी पेयजल लाइनों के बदलने एवं रखरखाव हेतु स्वीकृत की गयी है?

(3) गत दो वर्षों में स्वीकृत कितनी योजनाएं पूर्ण हो गई हैं एवं कितनी अपूर्ण हैं एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनता शुद्ध पेयजल से वंचित है एवं क्यों?

(5) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में कितने नवीन ग्रामों, ढाणियों व कस्बों को जलापूर्ति से जोड़ा गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रमश: रुपये 842.48 करोड़ एवं रुपये 374.48 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2015-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

16 में क्रमशः रुपये 865.77 करोड़ एवं रुपये 291.61 करोड़ की राशि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत की गई। उक्त वित्तीय वर्षों में जिलेवार स्वीकृत राशि के सम्बन्ध में वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं में पुरानी एवं त्रुटिपूर्ण पाइपलाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु अन्य सुधार कार्यों के अन्तर्गत विशेष मद का प्रावधान है। इस मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रमशः 10.00 करोड़ एवं रुपये 56.50 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्रमशः रुपये 30.00 करोड़ एवं रुपये 32.50 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया। शेष राशि नवीन जल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई है।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल स्वीकृत क्रमशः 4,258 एवं 333 योजनाओं में से 3,542 एवं 271 योजनाएं पूर्ण की गईं।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल स्वीकृत क्रमशः 4,258 एवं 270 योजनाओं में से 1,752 एवं 120 योजनाएं पूर्ण की गईं। पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं (मय कारण) के सम्बन्ध में जिलेवार/वर्षवार वांछित विवरण क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित हैं।

(4) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 26.02.2016 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 16.50 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण पेयजल गुणवत्ता की समस्या से वर्तमान में प्रभावित है।

(5) प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (माह दिसम्बर, 2015 तक) में 229 नवीन ग्राम एवं 1,675 ढाणियों को पेयजल सुविधा से जोड़ा जाकर लाभान्वित किया गया है। जिलेवार वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सूखे कुओं व नलकूपों को ढंकने की कार्य योजना

93. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) वर्तमान में प्रदेश में पेयजल की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं व वर्ष 2014 व 2015 में किन-किन योजनाओं को बंद किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दिसम्बर माह तक कितना-कितना व्यय किया गया? जिले वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर बंद हो चुके नलकूपों व ट्यूबवेलों में जो सामान लगा होता है, उसको वापस विभाग के कब्जे में लेने की कोई योजना है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में नागौर जिले में कितने व कहां-कहां के नलकूपों व ट्यूबवेलों का सामान स्टोर ने वापस लिया? ग्राम/शहर की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में खुले कुओं तथा नलकूपों के मुंह ढंकने या बन्द करने की कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के समस्त 222 शहर/कस्बों में पाइप्ड जल योजनाएं तथा ग्रामीण अंचल में विभिन्न प्रकार की कुल 32,406 जल योजनाएं (यथा पाइप्ड, पम्प एवं टैंक, क्षेत्रीय, हैण्डपम्प, परम्परागत जल स्रोत, डिग्गी एवं अन्य) संचालित एवं संधारित की जाकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखी जा रही है। उक्त ग्रामीण जल योजनाओं से 42,864 ग्राम एवं 68,284 ढाणियां वर्तमान में लाभान्वित हैं। जिलेवार पेयजल योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2014 एवं 2015 में किसी भी पेयजल योजना को बंद नहीं किया गया है।

(2) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रचलित/अनुपयोगी सामान को विभाग के खण्डीय भण्डार में एकत्रित किया जाता है। इस सामान का निर्धारित सर्वेक्षण समिति द्वारा निरीक्षण उपरान्त नाकारा घोषित किया जाकर निर्धारत प्रक्रिया अपनाते हुए इस सामग्री की सार्वजनिक नीलामी की जाती है।

विगत पांच वर्षों में नागौर जिले में बंद हुए 146 नलकूपों से खण्डीय भण्डार में प्राप्त अप्रचलित/अनुपयोगी सामान सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) खुले बोरवैलों से होने वाले हादसों की रोकथाम के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2010 को पारित निर्णय में प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है एवं इस सम्बन्ध में वांछित दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं। समस्त जिला कलक्टरों एवं विभागीय अधिकारियों को भू-जल विभाग, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश के भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरण

94. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में कितने-कितने प्रकरण जागीर कमिश्नर स्तर पर व सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में मूल अधिनियम में संशोधन कर ऐसे प्रकरणों में भूमि चिह्नित की है? यदि हां, तो संशोधन की प्रति एवं संशोधन पश्चात् कितने प्रकरणों में भूमियां आबंटित कर दी हैं, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर जिले की चाकसू तहसील में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कितने जागीर प्रकरण लम्बित/विचाराधीन है? उनमें से कितने प्रकरण सीलिंग के अन्तर्गत जांच हेतु विचाराधीन हैं? उस पर अब तक उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने क्या कार्यवाही की (नये संशोधन के अनुसार)? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपखण्ड अधिकारी, चाकसू के यहां लम्बित भूतपूर्व जागीरदारों के प्रकरणों की पत्रावली संशोधित कानून के अन्तर्गत निस्तारण हेतु जागीर कमिश्नर जयपुर के यहां स्थानांतरित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि आबंटन से सम्बन्धित 44 प्रकरण विचाराधीन हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अधिनियम सं. 6 की धारा 19 में अधिसूचना दिनांक 1.04.2011 द्वारा संशोधन किया है। अधिनियम संशोधन की प्रति परिशिष्ट-ब संलग्न है। संशोधन के पश्चात् जिन भूतपूर्व जागीरदारों को आरक्षित भूमि में से भूमि का आबंटन किया है, उसकी सूची परिशिष्ट-स संलग्न है।

(3) उपखण्ड अधिकारी कार्यालय चाकसू में जागीर का एक प्रकरण उनवान किस्तूरचन्द बनाम सरकार विचाराधीन है। इस प्रकरण में सीलिंग से सम्बन्धित बिन्दु का भी परीक्षण किया जाना है। प्रकरण विचाराधीन है।

(4) राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 22.11.2002 द्वारा भूतपूर्व जागीरदारों के लम्बित प्रकरणों को जागीर कमिश्नर, जयपुर के यहां स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी, चाकसू में विचाराधीन प्रकरण में सीलिंग का बिन्दु अन्तर्निहित होने से उक्त प्रकरण स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश के सरकारी मंदिरों में सेवागीरों के रिक्त पद

95. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने सरकारी मंदिर हैं एवं उनकी देख-रेख में स्थित पुजारियों, सेवागीरों व मैनेजरों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक मंदिरों के पुजारी व सेवागीर विभागीय कार्यालयों में सेवा दे रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन पुजारी व सेवागीर कब से, कहां-कहां व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनेक मंदिर न तो समय पर खुल रहे, न ही समय पर उनमें सेवा-पूजा हो रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(4) क्या सरकार सरकारी मंदिरों की व्यवस्थाओं के सुधार हेतु कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल निम्न सरकारी मन्दिर हैं-

क्र. सं.	श्रेणी	संख्या
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी	390
2	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी	204
3	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	342
	योग	936

प्रदेश स्थित सरकारी मन्दिरों की देखरेख में पुजारियों, सेवागीरों, मैनेजरों के वर्तमान स्वीकृत, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिरों के लिए

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृति पद	रिक्त पद	वि0_वि0
1	प्रबंधक ग्रेड-I	11	9	
2	प्रबंधक ग्रेड-II	14	13	
3	पुजारी	94	61	
4	सेवागीर	144	23	
	योग	**263**	**106**	

राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी मन्दिरों के लिये

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृति पद	रिक्त पद	वि. वि.
1	प्रबंधक	13	5	
2	मुखिया	15	8	
3	पुजारी	12	7	

(देवस्थान राज्य मंत्री)

राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिरों की देखरेख सम्बन्धित सुपुर्दगार पुजारी द्वारा की जाती है।

(2) जी हां। विभागीय कार्यालयों मे सेवा दे रहे मन्दिरों के पुजारी व सेवागीरों का विवरण निम्नानुसार है-

(देवस्थान राज्य मंत्री)

क्रसं.	नाम सम्भाग	नाम कार्मिक	नाम पद	कब से	कार्यालय में कार्यरत होने का कारण	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधान कार्यालय	श्री मथुरा लाल	पुजारी	26.10.2012		
2		श्री रमेश चन्द्र दाधीच	सेवागीर	7.9.1991	देवस्थान विभाग में दिनांक 1.4.1982 में 67 मंत्रालयिक व 54 चतुर्ण श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत थे। 1982 के पश्चात 5 सहायक आयुक्त कार्यालय सृजित किये गये हैं। इससे उत्तरोत्तर कार्य में वृद्धि हुई लेकिन मंत्रालयिक सेवा व चतुर्थ श्रेणी के पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कार्यालयों मे सूचारू कार्य संपादन के लिए सेवागीर/ पुजारियों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।	
3		श्री तोलाराम डांगी	सेवागीर	11.02.2013		
4		श्री उंकार सिंह	सेवागीर	21.10.2009		
5	स.आ. ऋषभदेव	0	0	0		
6	स.आ. अजमेर	श्री श्रीकुमार	सेवागीर	31.08.2001		
7	स.आ. बीकानेर	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सेवागीर	31.5.2012		
8		श्री विष्णु भादणी	सेवागीर	18.9.2012		
9	स.आ. भरतपुर	श्री राम सिंह	पुजारी	23.11.1991		
		श्रीलक्ष्मीकान्त त्यागी	सेवागीर	26.6.2015		
		श्री रामध्यान मिश्रा	सेवागीर	17.03.2015		
		श्री तेज सिंह	सेवागीर	31.3.1984		
10	स.आ. उदयपुर	श्री रणजीत सिंह परिहार	सेवागीर	13.6.2012		
		श्रीमति इन्द्रा वती झा	सेवागीर	10.10.1994		

(देवस्थान राज्य मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
		श्री गोपाल सिंह	सेवागीर	7.6.1986		सराय फतह मेमोरियल
		श्री कान जी	सेवागीर	14.9.1993		होटल देवदर्शन उदयपुर
11	स.आ. जयपुर	श्री मुरली मनोहर शर्मा	सेवागीर	वर्ष 1986		
		श्री बाबु लाल सेन	सेवागीर	2004		
		श्री विजेन्द्र मिश्रा	सेवागीर	1996		
		श्री संजय चतुर्वेदी	सेवागीर	1990		
		श्री रामफूल मीणा	सेवागीर	1995		
		श्री रेवड़ मल मीणा	सेवागीर	2007		
		श्री विष्णु कुमार सैन	सेवागीर	2012		
		श्री नन्द लाल सैनी	सेवागीर	2005		
12	स.आ. जयपुर ।।	श्री गोविन्द सिंह	सेवागीर	6.7.1991		
13	स.आ. हनुमानगढ़	0	0	0		
14	स.आ. कोटा	श्री मदन मोहन वैष्णव	सेवागीर	17.10.2014		
15		श्री मेघनाथ सिंह	सेवागीर	जुलाई 2013		
16	स.आ. जोधपुर	0	0	0		

(देवस्थान राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) सरकार सरकारी मन्दिरों की व्यवस्था के सुधार हेतु निरन्तर प्रयासरत है जो कि एक सतत प्रकिया है।

सांवली (जयपुर) के भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि आबंटन

96. **श्री झाबर सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सांवली तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में जिन भूतपूर्व जागीरदारों की भूमि पुनर्ग्रहीत की गई थी, के द्वारा खुदकाश्त भूमि आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इनको खुदकाश्त हेतु भूमि का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी-कितनी, किन-किन को भूमि आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त तहसील के ऐसे कितने प्रकरण लम्बित हैं जिनमें खुदकाश्त हेतु भूमि आबंटित किया जाना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार शेष लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील मौजमाबाद के ग्राम सांवली के भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा खुदकाश्त हेतु भूमि आबंटन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) खुदकाश्त हेतु कोई भूमि आबंटन प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए।

(3) तहसील मौजमाबाद के भूतपूर्व जागीरदारों के खुदकाश्त भूमि आबंटन से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(4) वर्तमान में भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि आबंटन प्रकरण जागीर एवं खुदकाश्त आयुक्त के समक्ष लम्बित हैं। उस पर नियमानुसार भूमि आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या-97

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-98

(स्थगित)

शिव में नवगठित पंचायतों के भवन हेतु भूमि का आबंटन

99. **श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बाड़मेर जिले में नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के कार्यालय निर्माण हेतु भूमि का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कितनों का और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शिव में नवगठित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के कार्यालयों हेतु भूमि का आबंटन नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवगठिन पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में से कितनी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को भूमि आबंटन करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवगठित पंचायत समिति एवं कितनी ग्राम पंचायतों को भूमि आबंटन करना शेष है व अब इनको कब भूमि आबंटित कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में नवगठित 9 पंचायत समितियों में से पांच को भूमि आबंटन किया जा चुका है। शेष चार पंचायत समितियों में आबंटन की स्थिति निम्नानुसार हैः-

1. पंचायत समिति, कल्याणपुर का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
2. पंचायत समिति समदड़ी हेतु प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर; कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर जोधपुर के नाम दर्ज है। जिला कार्यालय के पत्र संख्या 6600 दिनांक 24.09.2015 एवं 811 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा भूमि आबंटन के सम्बन्ध में अनापत्ति/सहमति हेतु कुलसचिव कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर से अनुरोध किया गया है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

3. पंचायत समिति रामसर हेतु भूमि आबंटन का प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

4. पंचायत समिति धनाउ का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बाड़मेर जिले में कुल 109 ग्राम पंचायतें नवसृजित हैं, जिनमें से 57 ग्राम पंचायतों को भूमि आबंटन किया जा चुका है। 13 ग्राम पंचायतों हेतु आबादी भूमि में पंचायत मुख्यालय का चयन किया गया है। शेष 39 ग्राम पंचायतों के लिए भूमि आबंटन में से 18 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं। राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 22.02.2016 में शेष 21 ग्राम पंचायतों के भूमि आबंटन के उपयुक्त प्रस्ताव सम्बन्धित तहसीलदारान को शीघ्र भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र शिव में नवगठित पंचायत समिति गडरारोड हेतु भूमि आबंटन किया जा चुका है। पंचायत समिति रामसर हेतु भूमि आबंटन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है। नवगठित 17 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतों का भूमि आबंटन किया जा चुका है। शेष चार ग्राम पंचायतों में आबंटन की स्थिति निम्नानुसार है :-

1. पंचायत समिति शिव की ग्राम पंचायत पोषाल हेतु आबादी भूमि में चयन किया गया है।

2. पंचायत समिति रामसर की ग्राम पंचायत तामलियार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

3. पंचायत समिति गडरारोड की ग्राम पंचायत रोहिडाला का प्रस्ताव विचाराधीन है।

4. ग्राम पंचायत रतरेडी कला डी.एन.पी. क्षेत्र में है, जिसका प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के अनुसार है।

(4) विधान सभा क्षेत्र शिव में शेष रही नवगठित पंचायत समितियों में से पंचायत समिति गडरारोड हेतु भूमि आबंटन किया जा चुका है तथा पंचायत समिति रामसर हेतु भूमि आबंटन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है। ग्राम पंचायतों को भूमि आबंटन में से पंचायत समिति शिव की ग्राम पंचायत पोषाल हेतु आबादी भूमि में चयन किया गया है, तथा पंचायत समिति रामसर की ग्राम पंचायत तामलियार तथा पंचायत समिति गडरारोड

(राजस्व राज्य मंत्री)

की ग्राम पंचायत रोहिडाला का प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम पंचायत रतरेडीकला डी.एन.पी. क्षेत्र में है एवं डी.एन.पी. क्षेत्र में भूमि आबंटन पर रोक है। ग्राम पंचायत रतरेडीकला का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 22.02.2016 में शेष 21 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव सम्बन्धित तहसीलदारान को भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के भवनों के लिए भूमि आबंटन करते समय जन सुविधा, भूमि की उपयुक्तता, क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है अतः इन सभी कारणों से भूमि आबंटन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। शेष पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को भूमि आबंटन यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

बाल श्रम रोकने हेतु जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन

100. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त टास्क फोर्स द्वारा विगत दो वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया? जिलेवार मुक्त कराये गये बच्चों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गत पांच वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वे कार्य किया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे के उपरान्त प्रत्येक जिले में कितने-कितने बाल श्रमिकों को चिह्नित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षों में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(3) विगत पांच वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए कराये गये सर्वे की सूचना एवं सर्वे में चिह्नित बाल श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में रोजगार एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन

101. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में कितने रोजगार एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन किया गया? दिनांक वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोजगार एवं उद्यमिता शिविरों में कितने युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया?

(3) उक्त आवेदनों में से कितने युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार युवाओं का आनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कुल कितने युवाओं ने रोजगार कार्यालयों में आनलाइन पंजीयन करवाया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) रोजगार विभाग द्वारा माह नवम्बर 2015 से कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविरों का मासिक रूप से आयोजन किया जा रहा है। विगत 5 वर्षों में 319 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया। जिलेवार, वर्षवार एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) रोजगार विभाग द्वारा रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाकर लाभांवित किया जाता है। विगत 5 वर्षों में लाभांवित करवाये गये बेरोजगारों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(3) उक्त रोजगार सहायता शिविरों में 2,75,877 युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाये गये। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(4) जी हां। रोजगार विभाग में दिनांक 26-9-2013 से आनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। दिनांक 26-9-2013 से 31-1-2016 तक कुल 2,41,466 युवाओं ने आनलाइन पंजीयन करवाया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने की कार्ययोजना

102. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने बंधुआ श्रमिक कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय दिया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार बंधुआ श्रमिकों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 12 के अन्तर्गत बंधक श्रमिक का निर्धारण उपखण्ड/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। वर्तमान में किसी भी जिले से बंधक श्रमिक के कार्यरत होने की सूचना नहीं है। परन्तु प्रदेश में गत दो वर्षों में 129 बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 21(1) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करके बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराया गया है तथा उनको मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। गत दो वर्षों में चिह्नित 129 बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराकर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(3) जी, हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) नं.-3922/1985 पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में दिनांक 15.10.2012 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) जिला प्रशासन द्वारा बंधक श्रमिकों का सामान्य सर्वे वर्ष में दो बार मई-जून एवं नवम्बर-दिसम्बर में कराया जाता है। विशेष सर्वे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बजट आबंटन होने पर कराया जाता है। वर्ष 2012 में राज्य के दो जिलों बांसवाड़ा एवं श्रीगंगानगर में कराया गया, जिसमें कोई बंधक श्रमिक चिह्नीत नहीं हुआ। विशेष सर्वे की राशि आबंटन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को बंधक श्रमिकों के सर्वे हेतु राशि आबंटन के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर विशेष सर्वे कराया जायेगा।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)